अष्टम माला, खंड 7, अंक 3

गुरुवार, 25 जुलाई, 1985
3 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

लोकसभा वाद-विवाद (सारांश), खंड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 3, गुरुवार, 25 जुलाई, 1985/3 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
* तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 45	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—153
तारांकित प्रश्न संख्या : 46 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 415 से 435, 437 से 446, 448 से 551 और 553 से 603	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	153—157
नियम 377 के अधीन मामले	157—161
(एक) किसी कर्मचारी को कोई जांच किये बिना जनहित में नौकरी से बर्खास्त करने के अधिकार की उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के निर्णय को देखते हुए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता	
श्री ललित माकन	157
(दो) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कर्नाटक में तुमकुर के निकट देवरायण दुर्ग और कैबाला के कलात्मक महत्त्व के मन्दिरों को अपने हाथ में लिए जाने और वहां पर्यटक रुचि के स्थलों का विकास करने की आवश्यकता	
श्री जी० एस० बसवराजु	157

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) केरल में उद्योग मण्डल स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० का आधुनिकीकरण करने की मांग	
श्री वी० एस० विजयराघवन	158
(चार) पाकिस्तान के आणविक शक्ति सम्पन्न होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत की रक्षा सम्बन्धी तैयारियों की पुनरीक्षा की आवश्यकता	
श्री सोमनाथ रथ	158
(पांच) उड़ीसा में क्योंझर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग	
श्री हरिहर सोरन	159
(छः) भारतीय खाद्य निगम द्वारा माडर्न राइस मिल्स की प्रस्तावित नीलामी को रोकने की आवश्यकता	
डा० ए० कलानिधि	160
(सात) कृष्णा जिले के केसरा गांव में मनियेरु नदी पर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 9 पर द्विपक्षीय पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	160
(आठ) उत्तर प्रदेश में सूखा और अकाल की स्थिति तथा केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	161
अनुदानों की मांग (पंजाब), 1985-86	161—186
श्री हरीश रावत	161
श्री सी० माधव रेड्डी	163
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	164
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	168
श्री इन्द्रजीत गुप्त	170
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	174
श्री मोहम्मद अयूब खां	176
श्री एच० एम० पटेल	178
डा० ए० के० पटेल	180
श्री रामेश्वर नीखरा	181

विषय				पृष्ठ

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	...	...	...	183
श्री एस० जयपाल रेड्डी	...	...	...	184
नियम 193 के अधीन चर्चा	...	...	...	186—270
देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक प्रकोपों के बारे में चर्चा			...	186
प्रो० के० वी० थामस	...	...	...	186
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी	...	...	...	190
प्रो० पी० जे० कुरियन	...	...	...	192
श्री दिग्विजय सिंह	...	...	...	195
श्री जनक राज गुप्ता	...	...	...	196
श्री० ए० चार्ल्स	...	...	...	197
श्री आनन्द पाठक	...	...	...	198
डा० के० जी० अदियोडी	...	...	...	200
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	...	...	201
डा० गौरीशंकर राजहंस	...	...	...	203
श्री ए० सी० षण्मुगम	...	...	...	204
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन	...	...	...	207
श्री राम भगत पासवान	...	...	...	208
श्री तम्पन थामस	...	...	...	210
श्री सोमनाथ रथ	...	...	...	212
श्री टी० बशीर	...	...	...	214
श्रीमती बाजव राजेश्वरी	...	...	...	215
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	...	...	217
श्री राम प्यारे पनिका	...	...	...	219
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	...	222
श्री डी० बी० पाटिल	...	...	...	223
श्रीमती कृष्णा साही	...	...	...	225
श्री जार्ज जोसफ मुन्डाकल	...	...	...	226
श्री पी० एम० सईद	...	...	...	228
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	...	...	...	230
श्री बी० एस० बसवराजू	...	...	...	231

विषय	पृष्ठ
श्री जी० एम० बनातवाला	233
श्री वी० एस० विजयराघवन	234
श्री सी० जंगा रेड्डी	236
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	237
श्री मूल चन्द डागा	241
प्रो० सैफुद्दीन सोज	242
श्री आई० रामा राय	247
श्री सुरेश कुरूप	249
श्री माणिकराव होडल्या गावित	251
श्री बालकवि बैरागी	251
श्री रामरतन राम	253
श्री कम्मोदीलाल जाटव	255
श्री दिलीप सिंह भूरिया	255
श्री बूटा सिंह	256

लोक सभा

गुरुवार, 25 जुलाई, 1985/3 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

"न्यू ओ० एन० जी० सी० पालिसी हिट्स शिपयार्ड्स" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

*41. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1985 के "बिजिनेस स्टैंडर्ड" मे "न्यू ओ०एन० जी० सी० पालिसी हिट्स शिपयार्ड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वदेशी तट-दूर आपूर्ति पोतों का अर्जन करने की अपनी पहले वाली नीति में संशोधन किये जाने के कारण कुछ भारतीय शिपयार्डों में संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ये शिपयार्ड, जिन्होंने तट-दूर आपूर्ति पोतों के लिए विशिष्ट रूप से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्रयादेशों को पूरा करने के लिए अपना एक संघ बनाया था, यह समझने में असमर्थ हैं कि यदि तेल तथा प्राकृसिक गैस आयोग ने उन्हें पुनः क्रयादेश नहीं दिए, तो वे अपनी अतिरिक्त क्षमता और विशेष सेवा का उपयोग कैसे करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की नीति में, भारतीय शिपयार्ड से स्वदेशी तट-दूर आपूर्ति पोतों का अर्जन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तटदूर आपूर्ति पोतों के निर्माण का क्रयादेश भारतीय शिपयार्ड को पहले ही दे दिया है। हालांकि उनके भविष्य की आवश्यकता को चार्टरकिराए द्वारा पूरा करने की योजना बनाई गई है। भारतीय शिपयार्डों की क्षमता का भारतीय

कंपनियों द्वारा जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तट-दूर आपूर्ति पोत चार्टर किराए पर देने का प्रस्ताव करती है, उनके द्वारा भारतीय शिपयार्डों को क्रयादेश देकर किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मण मलिक : पिछले सालों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भारतीय शिपयार्डों को तट-दूर आपूर्ति पोतों के लिए क्रयादेश दिया था और यह भी आश्वासन दिया था कि ऐसे पोतों के लिए वह आगे और आर्डर देगा। लेकिन इस बीच उक्त आयोग ने 6 विदेशी पोतों का आयात कर लिया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा करने से अर्थात् उक्त आयोग द्वारा शिपयार्डों को आगे क्रयादेश न देने से कुछ शिपयार्डों को, खासकर पूर्वी क्षेत्र के शिपयार्डों को संकट का सामना करना पड़ेगा? यदि हां, तो सरकार इन शिपयार्डों की जिनकी संकट ग्रस्त होने की सम्भावना है, सहायता के लिए क्या उपाय कर रही है?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देशी शिपयार्डों से ओ० एस० वी० अर्थात् ओ० पी० एस० एस० वी० खरीदने की अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया है। इन चार शिपयार्डों का संघ 1983 में बना था। इससे पूर्व ओ० एस० वी० तथा ओ० पी० एम० एस० वी० के लिए उक्त आयोग के क्रयादेश उनके पास थे। संघ बनने के बाद काफी क्रयादेश उन्हें दिए गए थे। तथा इन पोतों के स्वदेश में निर्माण के लिए नार्वे के शिपयार्ड से प्रौद्योगिकी स्थानान्तरित की गई थी। लेकिन इन पोतों की भारी मांग होने के कारण कुछ आयात की अनुमति दे दी गई और विदेशी शिपयार्डों से कुछ पोत खरीदे भी गए। मौजूदा स्थिति यह है कि आयोग ओ० एस० वी० तथा ओ० पी० एस० एस० वी० की खरीद के लिए और क्रयादेश नहीं दे रहा और उसने निर्णय लिया है कि वित्तीय कठिनाइयां होने के कारण वह पोतों को किराए पर लिया करेगा।

प्रो० मधु दंडवते : ओ० एस० वी० तथा ओ० पी० एस० एस० वी० का क्या अर्थ हुआ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : ऑफशोर सप्लाई वैसल्स तथा ऑफशोर प्लेटफार्म कम स्पोर्ट सप्लाई वैसल्स।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आप कभी-कभी ऐसा गलत काम क्यों करते हैं?

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : स्थिति यह है। नीति के कारण ही उक्त पोतों की मांग है। निजी कम्पनियां तथा निजी उपक्रम इनकी खरीद के लिए भारतीय शिपयार्डों को क्रयादेश दे सकते हैं और फिर उन पोतों को उक्त आयोग को किराए पर दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मण मलिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारतीय शिपयार्डों की समस्या का अध्ययन किया है। यदि हां, तो इस समय इनकी मुख्य कठिनाइयां तथा प्रमुख कारण क्या हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : स्वभाविक, बात है कि मुख्य समस्या क्रयादेशों का अभाव है।

जहां तक उक्त दोनों प्रकार के पोतों का संबंध है, विश्व में शिपयार्डों के बीच भारी प्रतिस्पर्धा होने के कारण विदेशी शिपयार्ड अपने पोत बहुत कम कीमतों पर बेच रहे हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर, जिसका मूल्यांकन मूल्य निर्धारक करेंगे 30% शिपयार्डों को दिया जाएगा तथा शिपयार्डों को अवलम्ब देने तथा कीमतें कम करने के लिए इस 30% में 15 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा 15% पेट्रोलियम मंत्रालय देगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पिछले कुछ सालों से समानांतर सरकार के रूप में काम कर रहा है। वह न तो मंत्री महोदय की ओर न ही सरकारी द्वारा लिए निर्णयों की परवाह करता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे इससे सहमत हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं अपना प्रश्न रख रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि सत्र के अंतिम दिनों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर एक चर्चा की अनुमति दी जाए। औसतन 30 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के तकनीशियन देश के लिए संसाधनों के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों का रवैया यह है कि बस आयात किया जाए और इस तरह साल दर साल देश का पैसा बाहर जा रहा है तथा देश को हानि हो रही है। मेरा प्रश्न यह है·········यह पेट्रोलियम से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुंशी जी, अभी तक आपने पैट्रोलियम मंत्रालय की बात की है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा पूछें जिसका संबंध इस मंत्रालय से हो।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं वह प्रश्न पूछने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप वह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इतना घुमा फिरा कर बात क्यों कह रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : इसका परस्पर संबंध है और इस बारे में मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। शिपयार्ड तथा तट-दूर ड्रिलिंग के लिए गोदियां परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं जबकि अन्य चीजें पैट्रोलियम मंत्रालय के इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा प्रश्न यह है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मंझगांव डॉक लिमिटेड को 'टर्नकी' परियोजना में आधार पर, शिपयार्डों को स्वदेशी तट-दूर ड्रिलिंग की सहायता से काम करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लाईसेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया था और ऐसा करने के बाद तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने मंझगांव डाक लिमिटेड पर दबाव डाला कि वह इन सभी प्रस्तावों की उपेक्षा कर दे जो उसने पहले निष्पादित किये हैं। यदि हां, तो क्या मंत्रालय इसकी जांच करेगा ? यही मेरा प्रश्न है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस प्रश्न से यह पूरक प्रश्न नहीं निकलता यह प्रश्न मूलतः तटदूर

पूर्तिपोतों तथा ओ० पी० एस० एस० वी० की खरीद से सम्बन्धित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की नीति में परिवर्तन के बारे में है। इसका अन्य क्षेत्रों से संबंध नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा प्रश्न यह था कि मंझगांव डाक लिमिटेड को 'टर्न की' परियोजना आधार पर शिपयार्डों में स्वदेशी तटदूर ड्रिलिंग की सहायता से काम करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लाईसेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। और बाद म अर्थात् अब उस परियोजना की उपेक्षा की जा रही है। यह बात सच है या नहीं ? आप क्या सोचते हैं कि उसका इससे सम्बन्ध नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है ? आप कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मेरी मुश्किल यह है कि प्रश्न या तो पैट्रोलियम मंत्रालय का है अथवा रक्षा मंत्रालय का क्योंकि मंझगांव डाक लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। मुझ से अन्य मंत्रालय से सम्बन्धित प्रश्न का जबाव देने की आशा कैसे की जा सकती है ?

श्री तम्पन थामस : मैं इस प्रश्न से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। सरकार द्वारा अपनाई गई मौजूदा नीति के कारण कोचीन शिपयार्ड में तालाबंदी हो जाएगी अथवा वह बंद हो जाएगा। कोचीन शिपयार्ड भारत के महत्वपूर्ण शिपयार्डों में से है। यहां 75,000 सी० डब्ल्यू० टी० पोत बनाए जाते हैं। जहाजरानी निगम से 6 आर्डर मिले हुए थे।

अब वे आर्डर रद्द कर दिए गए हैं। बाद में कोचीन शिपयार्ड ने सोचा कि उन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से काम मिल जाएगा। मैं मजदूर नेता के रूप में उनसे सम्बद्ध हूं। इन क्रयादेशों की प्राप्ति के लिए मैंने 1983 में एक ज्ञापन दिया था। अब इस सरकार ने जापान की मित्सुई कम्पनी को 4.2 करोड़ डालर की लागत के क्रयादेश दे दिए हैं। इससे एक विदेशी कम्पनी का भारत में पदार्पण हो जाएगा और वे लोग यहां की तकनीकी जानकारी ले जाएंगे तथा जहाजरानी निगम को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह पनप नहीं सकता। इस समय समाचार पत्रों तथा देश के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां ये समाचार हैं कि कोचीन शिपयार्ड बन्द हो जाएगा। वहां करोड़ों रुपये के पूंजी निवेश के बावजूद कोई काम नहीं है। श्रमिक बेकार बैठे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर दोबारा विचार करेगी और यह काम, जहां सम्भव हो, वहां हमारे शिपयार्डों को देगी चाहे वह कोचीन शिपयार्ड हो या कोई और शिपयार्ड।

मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं कि पोत-निर्माण के लिए सरकार ऋण तथा आर्थिक सहायता के रूप में 80% धनराशि दे रही है। जब ऋण तथा आर्थिक सहायता के रूप में 80% धनराशि गैर-सरकारी व्यक्तियों को दी जा रही है और सरकारी पैसे से ही पोतों का निर्माण हो रहा है अतः जब तेल टैंकर तथा तेल वाहक पोत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जो कि एक सरकारी कम्पनी है के अन्तर्गत लाए जाते हैं तो अपने शिपयार्डों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी ? मेरा प्रश्न यह है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध है, वह देशी क्षमता से सम्बन्धित है। यदि देशी क्षमता उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस बात पर मैं माननीय सदस्य से जरूर सहमत हूं। जहां तक कोचीन शिपयार्ड का सम्बन्ध है उस पर इस समय

विचार नहीं किया जा रहा है केवल वही चार शिपयार्ड······

श्री तम्पन थामस : महोदय विचार हो रहा है। हमने अर्थात् कोचीन शिपयार्ड ने 200 करोड़ रुपये उद्धृत किए हैं और उस पर बातचीत हुई थी···

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं बशर्ते कि अलग से एक प्रश्न पूछा जाए। इस समय हम केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की नीति तथा तटदूर पूर्ति पोत तथा ओ० पी० एस० एस० वी० के निर्माण के लिए संघ बनाने वाले 4 शिपयार्डों की बात कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उत्तर संतोषजनक नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उत्तर संतोषजनक नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस : उत्तर संतोषजनक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार विदेशी एजेंसी को पोतों के क्रयादेश देने की नीति में परिवर्तन करने पर विचार करे। भारत में आकर उन्होंने हमारे जहाजरानी उद्योग को नुकसान पहुंचाया है और इससे उभरने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर दोबारा विचार करे। विदेशी कम्पनी के रहते हमारी प्रौद्योगिकी में सुधार नहीं होगा। मेरी शिकायत यही है। हमारे पास आधारभूत सरचना है। इस नीति के कारण हमारी आधारभूत सरचना भी तहस-नहस हो गई है।

प्रो० मधु दंडवते : सीधा सा प्रश्न है अर्थात् क्या वह पुनर्विचार करेंगे? क्या पुनर्विचार नहीं किया जा सकता? **(व्यवधान)**

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैंने नहीं कहा कि पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसके कारण वे संकट में पड़ गए है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। वे यह पूछ सकते है कि नीति पर पुनर्विचार किया जा सकता है या नहीं? इसमें इतनी सख्ती दिखाने की कोई बात नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय का सम्बन्ध है उसकी यह दृढ़ नीति है कि अगर देशी क्षमता मौजूद हो तो इसकी अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह उपलब्ध है, परन्तु इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह दृष्टिकोण भी हो सकता है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इस मामले पर नौवहन और परिवहन मंत्रालय की नीति बिल्कुल निश्चित है कि जहां स्वदेशी क्षमता उपलब्ध है हम उसका यथा सम्भव उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कुछ विशेष प्रकार के जल पोतों की तुरन्त आवश्यकता है और उन्हें स्वदेशी साधनों से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता

तो, वस्तुत:, हमारे पास ऐसा करने की अनुमति देने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे मिलकर बातचीत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : वे श्रमिकों को कैसे पुन: रोजगार देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न पूछिए और मैं आपको उसका उत्तर दिलवा दूंगा। इस दौरान वह इसकी पुनरीक्षा कर सकते हैं। अगर वह कोई राज सहायता दे रहे हैं और 80 प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जा रहा है तो इस पर दूसरी तरह से भी सोच-विचार किया जा सकता है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : वास्तव में, विदेशों से जलपोत खरीदने की अनुमति देते समय इस दृष्टिकोण का हमेशा अध्ययन किया जाता है अर्थात् स्वदेशी पोत निर्माण कारखानों की क्षमता का अध्ययन किया जा सकता है।

दिल्ली तथा अन्य नगरों में परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए परिवहन निधि

* 42. **श्री वसुदेव आचार्य***
श्री बी० एन० रेड्डी } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए स्थानीय निकायों के अतिरिक्त रेलवे, निर्माण और आवास तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालयों के अंशदान के द्वारा एक परिवहन निधि बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अन्य नगरों में परिवहन के विकास के लिए भी इसी प्रकार की निधियां बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली में परिवहन प्रणाली के विकास के लिए 7 जून, 1985 की अन्तर्विभागीय बैठक में रेल, आवास और निर्माण, नौवहन और परिवहन मंत्रालयों तथा स्थानीय निकायों से अंशदान के साथ संसाधनों की निधि के स्थापना सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया गया था। आम राय यह थी कि प्रत्येक सम्बन्धित एजेंसी प्रस्ताव की जांच करेगी और आवास और निर्माण मंत्रालय को अपनी स्थिति बताएगी जिसे इस निधि का परिचालन करना है।

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बसुदेव आचार्य : वास्तव में यह एक अच्छा प्रस्ताव है परन्तु हमारे देश के महानगरों की परिवहन समस्या को हल करने के लिए पूर्ण रूप से कारगर परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है; और यह तभी सम्भव है अगर परिवहन व्यवस्था की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने एवं प्रबन्धित करने की क्षमता प्राप्त कोई समन्वय एजेंसी हो, जिसकी हमारे देश में कमी है। सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति सहित विभिन्न समितियों ने इस कमी को महसूस किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक सम्पूर्ण परिवहन व्यवस्था—रेलवे, थल तथा जल परिवहन व्यवस्था की योजना बनाने उसे क्रियान्वित तथा प्रबन्धित करने के लिए एक संगठित समन्वय एजेंसी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : माननीय सदस्य ने ठीक ही बताया है कि कई समितियों ने एक ऐसे प्राधिकरण की सिफारिश की है जो इस परिवहन नीति का पूरा जायजा ले। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने किसी ऐसे प्राधिकरण, एकल परिवहन प्राधिकरण का गठन करने की भी सिफारिश की थी जो, क्षेत्रीय विकास के रूप में, सभी प्रकार की परिवहन व्यवस्थाओं की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले सके। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है। केवल नगरीय क्षेत्रों की रेलवे सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। उपनगरीय रेल व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के परिवहन व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : आप बम्बई में कोई 'फेरी' सेवा क्यों नहीं शुरू करते ?

प्रो० मधु दंडवते : वे चाहते हैं कि हम सिर्फ तैरते रहें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपको कलकत्ता शहर की परिवहन समस्या के बारे में जानकारी है। कलकत्ता में सड़क के लिए स्थान केवल 6 प्रतिशत है जबकि दिल्ली में यह 22 प्रतिशत है, बम्बई में यह 18 प्रतिशत है तथा मद्रास में यह 16 प्रतिशत है। हमें यह नहीं मालूम कि भूमिगत रेलवे का निर्माण कब तक पूरा होगा। आज रेल मंत्री यहां मौजूद हैं। यद्यपि निर्धारित तिथि दिसम्बर, 1989 है, अब एक 'अगर' और जोड़ दिया गया है, कि "अगर धनराशि उपलब्ध रही तो इसे निर्धारित तिथि तक पूरा कर दिया जायेगा।" अतः कलकत्ता शहर की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कलकत्ता के लिए भी उस व्यवस्था पर विचार करेगी जिसकी दिल्ली के लिए परिकल्पना की गई है। विभिन्न मंत्रालयों की सलाह से धनराशि जुटाने तथा आवास और निर्माण मंत्रालय के माध्यम से उसे क्रियान्वित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को कलकत्ता शहर पर भी, वहां की यातायात समस्या को ध्यान में रखते हुए, लागू किया जा सकता है। क्या सरकार इस प्रस्ताव को कलकत्ता शहर पर भी लागू करने पर विचार करेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं इस बात से सहमत हूं कि समस्याएं न केवल दिल्ली में हैं अपितु कलकत्ता, बम्बई में वहां की जनसंख्या—जनसंख्या तथा वाहन संख्या—के कारण समस्या और अधिक गम्भीर हैं; और वास्तव में यह अन्तर-विभागीय बैठक सिर्फ दिल्ली के लिए हुई थी क्योंकि

वस्तुतः परिवहन सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करना राज्यों का विषय है। स्थानीय निकाय, नगर निगम जैसे स्थानीय प्राधिकरण मैट्रोपोलिटन शहरों की परिवहन प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं।

हमने दिल्ली के लिए परिवहन व्यवस्था तथा दिल्ली के विकास से सम्बन्धित संगठनों की बैठक बुलाई थी। हमने अभी-अभी चर्चा की है और सहमति व्यक्त की गई यह आमराय थी कि प्रत्येक विभाग तथा मंत्रालय अपने प्रस्ताव निर्माण और आवास मंत्रालय को भेजेगा और फिर उस पर समग्र रूप से विचार किया जाएगा।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इस बात से सहमत हैं कि वहां ऐसी समस्याएं हैं और हम सिर्फ दिल्ली के लिए इन मुद्दों पर सहमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य शहरों के लिए राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय ऐसी कोई परिवहन व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु उन्हें धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय अभी एक नाम और है······अमिताभ जी, आपका और मेरा हाथ तो आधा करने से भी काफी ऊंचा है फिर आप और ज्यादा ऊंचा क्यों कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री अमिताभ बच्चन : अभी तो मैं बैठा हुआ हूं सर।

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी : इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विशाखापत्तनम में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि अब जयपाल जी आ गए हैं इसलिए मैं अमिताभ को बोलने का मौका देता हूं, कहते हैं कि बोलते नहीं हैं ··(**व्यवधान**) क्योंकि जयपाल जी को ज्यादा शिकायत थी, अब मैं उसको पूरा कर देना चाहता हूं।

श्री अमिताभ बच्चन : अध्यक्ष महोदय··· (**व्यवधान**)।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह फिल्मों तथा प्रश्नों का पिछला बकाया हिसाब पूरा कर रहे हैं।

मैंने उनकी चुप्पी पर कभी कोई एतराज नहीं किया है। केवल कांग्रेस के सदस्यों ने ही एतराज किया है।

[हिन्दी]

श्री अमिताभ बच्चन : अध्यक्ष महोदय, भारत वर्ष में एक ऐसा शहर है···

अध्यक्ष महोदय : अब जयपाल जी आ गए हैं, इसलिए मैं बच्चन जी को मौका देता हूं।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, ये तो जयपाल हैं, वे तो "जया-पाल" हैं।

श्री अमिताभ बच्चन : अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा शहर है जहां कि परिवहन व्यवस्था अत्यन्त ही निराशाजनक है और उस शहर का नाम है इलाहाबाद। अब चूंकि ट्रांसपोर्ट फण्ड बनने जा रहा है, तो उस फण्ड में से बड़े-बड़े शहरों में पैसा खर्च होने के बाद जो बचा-खुचा फण्ड रहेगा, उसमें से क्या इलाहाबाद में परिवहन व्यवस्था को ठीक करने के लिए पैसा दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं, बचा-खुचा नहीं, पहले में से देंगे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जनाबेआला, इलाहाबाद हमको बहुत प्यारा है···

अध्यक्ष महोदय : इलाहाबाद वालों के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : वह शहर, जहां गंगा-यमुना मिलती हों, वह शहर जहां बच्चन जी की मधुशाला गूंजती हो और वह शहर जहां से अमिताभ बच्चन जी जैसे एक उम्दा कलाकार निकले हों, वह शहर हमें बहुत अजीज है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है,···हमारे मुआमले में तो यही है—तुम चाहो, तुम्हारे चाहने वालों को भी हम चाहें···तो हम उस शहर को भी पसन्द करते हैं और उस शहर के रहने वालों को भी पसन्द करते हैं।

लेकिन मजबूरी जनाबेआला यह है कि बारह ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी एक मिलियन से ज्यादा है, ऐसे मेट्रोपोलिटन सिटीज का मसला इतना मुश्किल पड़ा है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा यह एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमने तो एक शुरूआत की थी कि कोई उससे रास्ता निकले। उसका नतीजा यह होगा कि दूसरी स्टेट्स के लिए भी उससे एक राह निकल आएगी और शायद दूसरी स्टेट्स भी उस तरफ तवज्जुह दें और उससे वे अपने आपको जोड़ लेंगी।

जहां तक इलाहाबाद का सवाल है, अभी तो हम इन बारह शहरों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उनका तात्पर्य यह है कि इलाहाबाद की आबादी बढ़नी चाहिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जन्म दर बढ़ाकर नहीं परन्तु स्थान परिवर्तन से।

श्री मुरली देवरा : सभी शहरों की सरकारी परिवहन व्यवस्थाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है परन्तु इसके लिए कोई समान नीति होनी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार डी० टी० सी० को कितनी आर्थिक सहायता दे रही है। क्या मन्त्री महोदय को

जानकारी है कि एक 'बैस्ट' नाम का संगठन है जो प्रतिदिन 45 लाख यात्रियों को लाता ले जाता है और जहां यात्रियों की लाइनें नहीं टूटती हैं, कोई यात्री बिना टिकट यात्रा नहीं करता है और 100 बसों में से 95 बसें भीड़ के समय सड़कों पर चल रही होती हैं ? सरकार कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई जैसी अन्य नगर परिवहन व्यवस्थाओं को आर्थिक सहायता देने पर विचार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जैसा कि मैंने पहले बताया, नगरों में, जिनमें महानगर भी शामिल है, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है। हम केवल कोई समस्या आने पर उनकी सहायता करते हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, दिल्ली को एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त है क्योंकि दिल्ली शहर के लिए मुख्य परिवहन सुविधा केवल सड़क परिवहन है जो दिल्ली परिवहन निगम बसों द्वारा संचालित कर रहा है और यह निगम नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन है। हम दिल्ली परिवहन निगम को आर्थिक सहायता नहीं देते बल्कि हम सिर्फ ऋण के रूप में सहायता देकर उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने भी अभी बताया है कि परिवहन समस्या राज्य का विषय है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर परिवहन, बुनियादी ढांचे की समस्या को हल करना राज्य का विषय है तो इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऋण के रूप में, धन एकत्र करने या किसी अन्य उपायों से यह प्रावधान नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की सहायता के लिए आगे आना ही चाहिए। उदाहरण के लिए हैदराबाद शहर की स्थिति बहुत ही विकट है। वहां परिवहन समस्या बहुत ही विकट है और वहां बुनियादी ढांचा बिल्कुल नहीं है। इसलिए यदि हमें धन दिया जाता है, यदि हमें ऋण लेने की अनुमति दी जाती है तो हम अपनी जिम्मेदारी पर ऋण लेंगे या फिर केन्द्रीय सरकार को यह काम करना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से इसी मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी। अगला प्रश्न।

श्री शांताराम नायक : महोदय, मुझे श्री अमिताभ बच्चन के आगे बैठना चाहिए ताकि आप मेरे हाथ को देख सकें। मैंने अपना हाथ पहले उठाया था। फिर भी उसके बाद सात या आठ लोगों को बोलने की अनुमति दे दी गई।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अगली बार आप यहां बैठ जाना।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय की बी० एड० प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले पता लग जाना

* 43. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी†**
श्री सरफराज अहमद } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बी० एड० प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बिक्री हुई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रश्न पत्र बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे पहले भी कई अवसरों पर दिल्ली विश्वविद्यालय की कुछ अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का भी पता परीक्षा से पहले लग गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 28-29 जून, 1985 को होने वाली बी० एड० प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के एक अंश का पता चल गया था।

(ख) कुलपति ने परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का पहले से पता चल जाने की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है जो कि गलती के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देगी।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान परीक्षा प्रश्न पत्रों का पहले से कोई पता नहीं लगा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कुलपति द्वारा नियुक्त जांच समिति से यह कहा गया है कि वह ऐसे उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें जिससे कि भविष्य में प्रश्न पत्रों का पहले से पता न लग सके।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रश्न-पत्रों के बिकने या उनके आउट होने की जो धांधलियां हुई हैं, यह तभी शुरू हुई हैं जब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के निजी मित्र वहां परीक्षा के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए? इससे पहले जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि ऐसा नहीं होता था, क्या यह सही है कि यह तभी हुआ जब से वह व्यक्ति परीक्षा के विशेष अधिकारी नियुक्त हुए और जिनका नाम 28 जून के जनसत्ता अखबार में प्रकाशित हुआ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस लीकेज का पता 28 जून के सवेरे चला जबकि इम्तहान होने वाला था और उसके आधे घण्टे पहले वाइस चांसलर के पास कुछ विद्यार्थी पहुंचे, ये पुराने विद्यार्थी थे, उन्होंने एक जीरोक्स कापी उन्हें दिखाई कि यह पेपर वहां आने वाला है। उन्होंने फौरन एक आदमी भेजा और पता लगाया, वाकई उसमें कुछ मैटीरियल ऐसा था। इसलिए उन्होंने उस इम्तहान को कैंसिल कर दिया और एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई, जो इस मामले में इन्क्वायरी कर रही है। यह

किसकी जिम्मेदारी थी, इन्क्वायरी कमेटी एस्टैबलिश करेगी और मैं समझता हूं कि अभी मेरा यह कहना कि कौन उसका जिम्मेदार था, ठीक नहीं होगा जब तक कि इन्क्वायरी कमेटी इस पर अपनी रिपोर्ट न दे दे।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन छात्र नेताओं ने 500 रुपये पर प्रश्न पत्र खरीदकर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सामने प्रस्तुत किया, उन्होंने क्या, यह भी आरोप लगाया कि एम० बी० बी० एस० आदि अन्य कार्मशियल कोर्सेज की परीक्षाओं में निरन्तर दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रकार की धांधलियां कराई जाती हैं ?

यह सही है तो क्या इसके लिए सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच कराने के लिए सी० बी० आई० जैसी संस्थाओं से विचार कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की धांधली बन्द की जा सके।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, एम० बी० बी० एस० के एंट्रस एग्जामिनेशन के बारे में भी शिकायतें रही हैं। माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि कुछ वर्षों से तरह-तरह की शिकायतें आई हैं। आज कुलपति से मैंने बात की थी। पहले सन् 1980-82 की परीक्षाओं के सिलसिले में विश्वविद्यालय ने एक जस्टिस भार्गव कमेटी बनाई थी जिसने कि इसकी जांच की थी। फिर कम्प्यूटराईजेशन इंट्रोड्यूस रिजल्ट के लिए किया। उसके बाद पिछले साल भी कुछ शिकायतें आयीं, जिसकी वजह से हाईकोर्ट तक मामला गया। आखिर में सारा मन्यूअल री-चैकिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट एम० बी० बी० एस० के लिए हुआ। इस साल भी एम० डी० एम० एस० के एंट्रस एग्जामिनेशन के सिलसिले में शिकायत थी, उसके बाद री-चैकिंग हुई और एम० बी० बी० एस० के बारे में इस साल भी मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि कोई शिकायत नहीं आई।

श्री सरफराज अहमद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि बी० सी० द्वारा इन्क्वायरी कमेटी बनाई गई है। इन्क्वायरी कमेटी बनती है, इन्क्वायरी होती है, काफी लम्बा समय उसमें लग जाता है और फिर लोग उसे भूल जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो देरी करने वाले दोषी अधिकारियों को सजा दें और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, जो पहले वन मैन इन्क्वायरी विश्वविद्यालय ने बैठाई थी, उसने एक अन्तरिम रिपोर्ट दे दी, उसके बाद में उसने दूसरी रिपोर्ट दी। एम० बी० बी० एस० इम्तहानों के बारे में इन्क्वायरी कमेटी बैठी वह दूसरी बैठी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी और उनमें से कुछ पर एक्शन हो गया और बाकी रिकमेंडेशन को तीसरी कमेटी को दिया गया, जिसने कि अपनी सिफारिशें दी हैं। वह सिफारिशें मेरे पास हैं। अगर माननीय सदस्य कहें तो मैं उसके डिटेल्स दे सकता हूं।

श्री काली प्रसाद पांडेय : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा के पर्चे आउट होने और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के मामले हर वर्ष आते रहते हैं। अनेक बार कमेटियां भी बैठाई गयीं, परन्तु उसकी सिफारिशें और सुझाव ताक पर रख दिए गए। क्या यह सच है कि बी०

एड० के प्रश्न पत्र की दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ने पहले से फोटो कापियां बनवा ली थीं ? यदि हां तो क्यों ? क्या सरकार का विचार परीक्षा को दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर किसी एक सार्वजनिक निकाय को सौंपने का है ताकि धांधली समाप्त की जा सके।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अध्यक्ष जी, मैंने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने काफी तत्परता से इस पर कार्य किया। जब सवेरे वाइस चांसलर को इम्तहान के आधे घण्टे पहले पता चला कि इस तरह की जैरोक्स कापियां विद्यार्थियों के पास हैं तो फौरन उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। फिर से इम्तहान उन्होंने नये सिरे से करवाये और कमेटी बैठायी, फिर उस पर कार्यवाही की। मैं नहीं समझता कि इसमें विश्वविद्यालय ने कोई कमी इस तरह की दिखाई हो। जो एक दूसरी अच्छी बात है वह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में री-चैकिंग का प्रावधान है। री-चैकिंग की वजह से अगर कभी भी कोई शिकायत हो तो कोई भी विद्यार्थी उनके पास जा सकता है। इसमें कुछ धांधलियां पकड़ी भी गई हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत स्वस्थ परम्परा और प्रावधान है। हजारों लड़के हर साल इम्तहानों में बैठते हैं। जो इम्तहान होंगे उसमें गड़बड़ी हो सकती है और वह हुई भी है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय सतर्क रहे तो हमको इस विश्वविद्यालय का समर्थन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वाई० एस० महाजन : महोदय, प्रश्न पत्रों का पहले पता चल जाने तथा छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल करने की लगातार खबरें आती रहती हैं। कतिपय विश्वविद्यालय बहुत ही सख्त हैं : परन्तु कुछ विश्वविद्यालय ऐसे नहीं हैं। बिहार में छात्रों द्वारा परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार किए जाने पर उन्हें 2 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड देने सम्बन्धी दण्डित कानून पारित किया गया है। शुरू में इसका कुछ असर हुआ था परन्तु अब बड़े पैमाने पर नकल करना एक सामान्य बात हो गई है। ऐसी घटनाओं की खबर दूसरे विश्वविद्यालयों के बारे में भी मिल रही हैं। क्या भारत सरकार ऐसी बातों को रोकने के लिए कुछ कठोर उपाय करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शिक्षा प्रणाली की जांच करते समय हम इस पर विचार करेंगे। परन्तु बुनियादी तौर पर, मेरे विचार में, एक समस्या यह है कि परीक्षाओं में वर्तमान मूल्यांकन तथा श्रेणीकरण की प्रणाली से केवल विद्यार्थियों की स्मृति की परीक्षा होती है। हमारी समूची सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली, तथा अन्य बातों पर हमारे सोचने की प्रवृत्ति ऐसी है कि एक बार किसी विद्यार्थी को कोई श्रेणी या कुछ चिह्न मिल जाता है तो वह उसके प्रतिकूल बन जाता है. वह उसके सारे जीवन के लिए कलंक बन जाता है। अतः परीक्षा शायद ऐसी परख बन गई है जिसमें विद्यार्थी की बोध शक्ति की परख के बजाय उसकी स्मृति की परख की जाती है। यह मुद्दा जरूरत से अधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है। परन्तु कोई सरल विकल्प उपलब्ध भी तो नहीं है। कुछ लोग राष्ट्रीय परीक्षा का सुझाव देते हैं। उसमें भी खामियां है। कुछ कम्प्यूटर प्रणाली लाने का सुझाव दे रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कम्प्यूटर के कार्य में किस प्रकार की गलतियां होती हैं, और फिर मानवीय मुद्दा है जो सभी जगह मूल्य ह्रास से सम्बन्धित है यद्यपि निजी तौर पर मैं महसूस करता हूं कि शिक्षा प्रणाली पर इस बात की जिम्मेदारी है कि मूल्यों के इस ह्रास को ठीक करने की कोशिश की जाए। परन्तु, फिर भी, यह एक धीमी प्रक्रिया है और इसके अचानक प्रभावी होने की आशा नहीं की जा

सकती। यह एक विकट समस्या है। परन्तु मैं समझता हूं कि हमें ऐसा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अन्यथा कैंसर की भांति यह हमारी सम्पूर्ण प्रणाली में व्याप्त हो जाएगा।

बिजली उत्पादन का लक्ष्य

*44. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह†**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लक्ष्य में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सातवीं योजना के अन्त में बिजली का अभाव बना रहेगा;

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार को उक्त योजना अवधि में इसकी क्षमता के उपयोग में सुधार होने की आशा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सातवीं योजना में लगभग 22,245 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है, इस लक्ष्य में कटौती करने की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपायों में यह सुनिश्चित करना शामिल है; निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयानुसार पूरा करना, लाइन हानियों को घटाना, क्षमता समुपयोजन में सुधार करना, ऊर्जा संरक्षण और प्रभावकारी मांग प्रबन्ध। एक व्यापक नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है जो कि वर्तमान ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन में सुधार करने में सहायक होगा।

(घ) जी, हां।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : महोदय, प्रश्न संख्या 54 भी इसी से सम्बन्धित है। इसे भी इसी के साथ ले लिया जाए ! दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : हम उसे बाद में लेगें ! श्री सिंह।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं। जो मन्त्रालय द्वारा योजना आयोग के पास सातवीं योजना के दौरान उत्पादन क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी भेजा गया था।

महोदय, उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने 22,245 मेगावाट बिजली क्षमता बढ़ाने

का निर्णय किया है ! अब, महोदय, छठी योजना के दौरान 19,000 मेगावाट का लक्ष्य था और केवल 14000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके अनुसार, ऐसा लगता है, हमें प्रति वर्ष 4000 मेगावाट की क्षमता बढ़ानी होगी। गत 30 वर्षों के दौरान यह लक्ष्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया गया है। अतः, किस आधार पर यह महसूस करते हैं कि यह 22.245 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त कर लेगें ? यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाए। कुछ उपाय किए गये हैं। वह विशिष्ट उपाय कौन से हैं ? वे परियोजनायें कौन सी हैं ? आप उनकी बढ़ती हुई लागत को कैसे कम करेंगे ? मेरी जानकारी यह है कि बिहार की कई परियोजनाएं, उदाहरण के तौर पर जैसे कटी ताप विद्युत तथा कोथलंकारों परियोजनायें, की लागत में 100 से 200 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस बढ़ती लागत को कम करने तथा इन परियोजनाओं को समय पर पूरी करना को सुनिश्चित करने के लिए आपके पास कौन कौन से विशिष्ट उपाय हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बिजली की पारेषण हानि को घटाने के लिए आप कौन से ठोस उपाय कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जानकारी है कि बिजली की पारेषण हानि 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है और यह बिजली की चोरी तथा तकनीकी कठिनाइयों की वजह से है। मन्त्री महोदय हमें विशिष्ट रूप से बतायें कि उनका कौन से विशेष उपाय करने का प्रस्ताव हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत ही लम्बा है।

श्री अरुण नेहरू : जब बिहार तथा बंगाल के माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं तो मेरे लिए उनका उत्तर देना कठिन हो जाता है। दोनों ही मामलों में वहां की परियोजनाओं में अधिकतम विलम्ब हुआ है। आज की स्थिति में, कार्य दल……।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप अपने प्रभाव का प्रयोग कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अरुण नेहरू : महोदय, लगभग 30,595 मेगावाट क्षमता बढ़ाने का हमारा प्रस्ताव था। योजना आयोग ने अभी तक 22,245 मेगावाट क्षमता की मंजूरी दी है। योजना आयोग के साथ अभी भी बातचीत चल रहीं हैं। हमारी अतिरिक्त क्षमता गैस टरबाइन के रूप में होगी जिन्हें हम लगा रहे हैं और मैं यह नहीं कहूंगा कि 22,245 मेगावाट के आंकड़े अभी स्थिर आंकड़े हैं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, द्विपक्षीय वित्त पोषण के लिए हम विभिन्न पन-विद्युत परियोजनाओं पर प्रयास कर रहे हैं, और फिर हमें विश्वास है कि हमारी बिजली की क्षमता 22,000 मेगावाट तथा 30,000 मेगावाट के बीच आ जायेगी।

विद्युत परियोजनाओं के बारे में मैं स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूं कि सातवीं योजना में किसी भी केन्द्रीय विद्युत परियोजना में देरी नहीं होगी। अधिकांश परियोजनाएं समयानुकूल चल रही हैं। राज्यों की समस्या आ रही है। यदि आप व्यक्तिगत उदाहरण चाहें, तो मैं दे सकता हूँ। जो तापीय परियोजना 5 या 6 वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए थी उसमें 10 से 15 वर्ष लग रहे हैं। जो पन-बिजली परियोजना 7 से 10 वर्ष के अन्दर पूरी हो जानी चाहिए थी। उसमें 10 से 15 वर्ष तक समय लगने की संभावना है। इस समय हम वर्ष 1985, 1986 और 1987 में लिए 4000 से

5000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करेंगे। किन्तु हम राज्यों के साथ मामला उठा रहे हैं और वास्तव में, अनेक मामलों में हमने उनसे यह सिफारिश की है कि उनकी परियोजनाओं के लिए वित्तीय नियतन पूरी राशि का देना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि राज्य अनेक परियोजनायें चालू कर रहे हैं और अनके लिए पूरी राशि का नियतन नहीं करते हैं और इसीलिए परियोजनाओं में देरी हो जाती है। इसलिए इस मामले पर हम मुख्य मन्त्रियों से अलग से बात-चीत कर रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि वर्ष 1985-86 के लिए जो 1000 मेगावाट बिजली क्षमता बढ़ाने की बात चल रही है सम्भवतः वह समय रहते ही पूरी हो जायेगी।

महोदय, जहां तक पारेषण हानि का प्रश्न है। इस समय लगभग 20 प्रतिशत पारेषण हानि है। हमारे विचार से पारेषण हानि 10 से लेकर 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी बहुत बढ़ गई है और इसके लिए हमने सभी राज्यों के साथ कठोर उपाय किये हैं। मेरे विचार मे यह बेहतर होगा यदि राज्य विद्युत बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाएं। केन्द्र केवल सुझाव दे सकता है और गत कुछ महीनों के दौरान कुछ राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में बिजली की चोरी रोकने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। इसलिए, समग्र स्थिति यह है कि विद्युत विभाग के लिए धन के नियतन के बारे में यदि हमारे पास केवल 22,000 मेगावाट बिजली है, तो हमें धन की कमी रहेगी। इस वास्तविकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। किन्तु आज की स्थिति में, और आगे आने वाले 5 वर्ष के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 7000 मेगावाट बिजली की कमी रहेगी किन्तु पिछले कुछ महीनों में बढ़े हुए संयन्त्र भार अनुपात के कारण इससे 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तब तक हमें इसको घटाकर लगभग 4000 मेगावाट कर लेगें।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय उत्तर में बताया गया है कि व्यापक रूप से नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है जिससे मौजूदा तापीय बिजली स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या तापीय विद्युत स्टेशनों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के औचित्य को सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि उनमें कोयले की सप्लाई और तापीय विद्युत स्टेशनों तक कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे की ढुलाई क्षमता के प्रश्न भी सम्मिलित हैं ?

श्री अरुण नेहरू : महोदय, आधुनिकीकरण के लिए सातवीं योजना में हमारे पास 500 करोड़ रुपये की योजना है। किन्तु यदि आप संयन्त्र और अनुपात बढ़ जाने का मुख्य कारण जानना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि भविष्य में भी बढ़े तो वास्तव में यह प्रबन्ध पर निर्भर करता है। जहां प्रबन्ध अच्छा है, वहां बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं। कोयले की कुछ समस्याएं रही हैं जो अब भी बनी हुई है। किन्तु इस समस्या के सदा बने रहने की कोई बात नहीं है। हम लोग अच्छे किस्म का कोयला मांग रहे हैं, जो अब तक उपलब्ध नहीं हो सका है। रेलवे का कार्य सन्तोष जनक रहा है। वास्तव में कोयले की ढुलाई और उपलब्धता गत दो महीने के दौरान अधिकतम रही है। संयन्त्र भार अनुपात अधिक होने के कारण हम लोग अपना भण्डार नहीं बना पाये हैं। किन्तु संयन्त्र भार अनुपात बढ़ने का मुख्य कारण समुचित रख रखाव और मूल भूत प्रबन्ध ही होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवी पंच-वर्षीय योजना तैयार करते समय, विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमानित नियतन राशि सदा घटती बढ़ती

रहती है और वह मूल राशि जो लगभग 68,000 करोड़ रुपये की थी अब घटाकर 35,000 करोड़ रुपये कर दी गई है ? अर्थात इसमें 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। यदि यह सच है, तो मंत्री महोदय के इस विश्वास का क्या आधार है कि योजना के अन्त में वास्तविक अतिरिक्त क्षमता केवल 22,000 मैगावाट ही नहीं बढ़ेगी वरन उससे कहीं अधिक बढ़ जाएगी।

यह प्रश्न केवल बिजली की कमी नहीं है अपितु इस देश के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में बिजली की उपलब्धता में भी भारी अन्तर है। सातवीं योजना जैसी समग्र योजना जो बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है चाहे वह गैर सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही हो या सरकारी क्षेत्र को इससे मुझे इस समय कोई सरोकार नहीं है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : यह संयुक्त क्षेत्र को दी जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, ऐसा हो सकता है। आप जो चाहें कर सकते हैं। संयुक्त क्षेत्र को ही क्यों दिया जाए ? ठीक है, विद्युत को गैर सरकारी क्षेत्र को भी दिया जा सकता है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : संयुक्त क्षेत्र का रास्ता तो आपने ही पश्चिम बंगाल में दिखाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी भी क्षेत्र को दिया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि श्री मुखर्जी को उतनी ही चिंता होगी जितनी पश्चिम बंगाल के अन्य लोगों को है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर मांग और पूर्ति में अन्तर बढ़ जाएगा। मांग अधिक होगी। आपने मांग और उपलब्धता के बीच आज जो अन्तर बढ़ा दिया है वह योजना की समाप्ति पर भी बना रहेगा। यदि वह बढ़ जाता है तो यह हमारी आयोजना का दुर्भाग्य होगा। इस अन्तर को कम किया जाना चाहिए। बहुत अधिक तो कम नहीं किया जा सकता है किन्तु यह अन्तर कम होना चाहिए। यह अन्तर बढ़ना नहीं चाहिए।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि अद्यतन अनुमान क्या है क्योंकि अन्ततोगत्वा देश का पूर्ण विकास उद्योग कृषि और आगे जो कुछ विकास होने वाला है, वह सब बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता है उसके बिना कुछ भी सम्भव नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं कि जिस राष्ट्रीय ग्रिड की हम लोग कई बार बात कर चुके हैं; उसको कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई है। क्या राज्य सरकारें इसमें बाधक हैं ? क्या कोई पारस्परिक द्वेष या ईर्षा है जिसके कारण राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रिड के लिए बिजली नहीं देना चाहती ? क्या बात है ? सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह बात स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कही गई है कि अगले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की जाएगी ? मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं।

श्री अरुण नेहरू : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत मंत्रालय के लिए राशि आवंटन में भारी कटौती की गई है। किन्तु, जैसा कि मैं कह चुका

हूं, इससे चालू सातवीं योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकतम कटौती उन परियोजनाओं में की जा रही है, जो आठवीं योजना में चालू होंगी। इस समय मोटे तौर पर हम 21, 800 मेगावाट बिजली से 8 योजना आरम्भ करेंगे क्योंकि जैसाकि आपको पता है कि किसी भी तापीय बिजलीघर का निर्माण काल 5 से 7 वर्ष और पन-बिजली परियोजना का 7 से 10 वर्ष तक का होता है। अब 21,800 मैगावाट को कम करके 4200 मैगावाट कर दिया गया है। यह वास्तव में सबसे अधिक कटौती है।

दूसरा क्षेत्र पारेषण और वितरण का है जिसमें सबसे अधिक कटौती की गई है; हमने 22,000 मैगावाट बिजली का प्रस्ताव किया था लेकिन हमें केवल 8,800 मै० वा० बिजली मिल रही है।

इन सभी बातों के समग्र प्रभाव के फलस्वरूप हमारा आज अनुमान यह है कि इसके दो पहलू हैं। एक है उत्पादन पहलू और दूसरा बिजली के वितरण और पारेषण का पहलू है। हमारा अनुमान है कि अधिकांश राज्यों में पारेषण प्रणाली की कठिनाई है। जब तक मौजूदा परियोजनाएं चलती रहती हैं, और जब तक 22,000 मैगावाट बिजली की क्षमता बरकरार रहेगी, तब तक ये प्रभावित नहीं होगी। किन्तु जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यदि हमें रुपया नहीं दिया गया तो हमारी सभी योजना-गत परियोजनाएं इससे प्रभावित होंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समय अन्तर तो है ही।

श्री अरुण नेहरू : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। इस समय अन्तर लगभग 5,000-7000 मै० वा० का है। यदि हम 22,000 मै० वा० पर दृढ़ रहें तो यह अन्तर नहीं बढ़ेगा। किन्तु मेरा विचार है कि संयन्त्र भार अनुपात में वृद्धि होने के कारण सातवीं योजना अवधि में यह अन्तर कम हो जाएगा। यदि संयन्त्र की बिजली भार अनुपात का औसत लिया जाए तो अप्रैल-मार्च की अवधि में हमारे पास कुल मिलाकर 50,000 मैगावाट बिजली थी और दिसम्बर, 1984 तथा इस वर्ष जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों बिजली का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। किन्तु इस वर्ष हमारे पास औसतन 53,000 से 54,000 मै० वा० बिजली रही है। अत: एक 45000-50000 मैगावाट क्षमता वाले अतिरिक्त संयंत्र भार से 2500-3000 मैगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा होने लगेगी। मेरे विचार से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की कमी बहुत अधिक नहीं रहेगी। किन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारी कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी क्योंकि ये सभी परियोजनाएं अब शुरू की जाएंगी और यदि हमारे पास धन का अभाव रहा तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हम परि-योजनाएं आरम्भ नहीं कर सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राष्ट्रीय ग्रिड का क्या रहा ?

श्री अरुण नेहरू : समस्या यही है कि हमारे पास धन नहीं है।

कुमारी डी० के० तारा देवी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों को लाभान्वित करने की दृष्टि से माइक्रो मिनी पन-बिजली योजनाओं के विकास

पर अधिक जोर दिया है ? यदि हां, तो कर्नाटक में ऐसी कितनी योजनाएं चालू की जाएंगी और उन योजनाओं के क्या नाम हैं ?

श्री अरुण नेहरू : यह मामला अभी तक योजना आयोग के विचाराधीन है। समग्र रूप से निधियों की कमी है। हमने कुछ योजनाएं दी थीं किन्तु उन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है।

श्री दिग्विजय सिंह : जहां तक मौजूदा तापीय बिजलीघरों का सम्बन्ध है उनकी आम समस्या यह है कि उनसे धुआं बहुत निकलता है और प्रदूषण की समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं समझता हूं कि मौजूदा तापीय बिजलीघरों में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर्स लगाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जानी थी। मैं नहीं कह सकता कि यह राशि पर्याप्त होगी या नहीं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह राशि स्वीकृत भी की गई है या नहीं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है कि इन मौजूदा तापीय बिजलीघरों जिनमें से दो दिल्ली में ही हमारे सामने विद्यमान हैं और शेष सारे देश में फैले हुए हैं --मैं इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर्स लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जाए ताकि इस खतरे से बचा जा सके।

श्री अरुण नेहरू : वास्तव में, उन्हें पर्याप्त धन मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं—अभी आपने अपने जवाब में बतलाया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में गैस पर आधारित पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, क्या हमारे बम्बई-हाई से जो नेचुरल गैस मिल रही है वह इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है कि गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों के अलावा गैस पर आधारित पावर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, इनमें कितनी गैस का खर्चा होगा और कितनी अतिरिक्त क्षमता पावर प्लांट्स को स्थापित की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : इसके लिए मुझे अलग से सूचना देने की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

राज्यों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना

* 45. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार निम्नलिखित राज्य सरकारों/राज्य सरकार के निकायों ने अपने राज्यों में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है :

(1) असम

(2) बिहार

(3) हिमाचल प्रदेश

(4) केरल

(5) मेघालय

(6) मध्य प्रदेश

(7) उड़ीसा

(8) राजस्थान

(9) उत्तर प्रदेश

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो मांग है, इसकी पूर्ति कब तक की जाएगी ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मांग तो बहुत अधिक है, सिविल सैक्टर से है, डिफेन्स सेक्टर से भी है और प्रोजेक्टर सेक्टर से भी है और केन्द्रीय विद्यालयों की मांग बढ़ती जाती है और इतना पैसा नहीं है कि सबकी पूर्ति की जा सके।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा का जो प्रसार है, वह बहुत कम है और जब कहीं साक्षात्कार होता है, तो हमारे बच्चे उसमें पीछे रह जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र और इसी तरह से नागालैंड और मिजोरम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें प्राथमिकता के आधार पर इसको करने का इरादा रखते हैं ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : पहाड़ी क्षेत्रों के साथ स्वाभाविक ही मेरी सहानुभूति है लेकिन यह जो केन्द्रीय विद्यालयों की योजना है, यह केन्द्रीय सरकार के जो एम्पलाइज हैं, उनके बच्चों के लिए है और सामान्य शिक्षा की बात इससे नहीं जोड़नी चाहिए। इसका एक खास उद्देश्य है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गोहाटी अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो

* 46. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोहाटी अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो कब से कार्य करना शुरू करेगा;

(ख) क्या रेल विभाग तथा चाय उद्योग का उपर्युक्त अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो के कार्यकरण को सफल बनाने के लिए कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) गौहाटी के निकट अमीन गांव में अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो के इस वर्ष चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) और (ग) रेलों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के उपयोगकर्ताओं के बीच कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है। तथापि, रेलों और विभिन्न पक्षों जैसे चाय उद्योग, टी एसोसिएशन आफ इंडिया, असम राज्य सरकार, सीमा शुल्क, पत्तन आदि के प्रतिनिधियों के बीच परामर्श संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनके विचारों को ध्यान में रखा गया है।

परादीप पत्तन में तलकर्षण पोत का डूबना

* 47. श्री गिरिधर गोमांगों
श्री चिन्तामणि जैना } : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन मे तलकर्षण पोत के डूब जाने के कारण इस पत्तन का भावी विकास अनिश्चित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से इस घटना के कारण उत्पन्न अनिश्चितता को दूर करने के लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या उपाय किये हैं;

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) प्रवेश मार्ग को साफ करने और पत्तन के तलकर्षण कार्य को जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी हां। वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत नौवहन महानिदेशक द्वारा प्रारम्भिक जांच का आदेश दिया गया है।

(घ) रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) पत्तन में प्रवेश के संकेन ड्रेजर द्वारा बन्द नहीं किया गया था। चैनेल नौचालन के लिए खुला हुआ है। भारतीय निकर्षण निगम ने पारादीप में दूसरा ड्रेजर लगा दिया है।

श्रमजीवी महिलाओं की नियुक्ति

* 48. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि पति/पत्नी सभी सरकारी कर्मचारियों को एक स्थान पर तैनात करने की आवश्यकता के बारे में 1976 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा सिफारिश किये जाने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को दिनांक 28 फरवरी, 1976 का परिपत्र संख्या 3-265/75-डब्ल्यू डब्ल्यू जारी किया गया था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि पति और पत्नी दोनों को एक ही स्थान पर तैनात करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाएं;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है यह परिपत्र अब लगभग निष्प्रभाव हो गया है तथा एक ही स्थान पर तैनात करने के सम्बन्ध में आवेदकों के आवेदन पत्रों पर प्रायः सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उन्हें विवाह होने तथा मां बनने के बाद त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि उनके पति किन्हीं अन्य स्थानों पर तैनात होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार इसके बारे में एक और परिपत्र जारी करने का तथा अन्य विभागों द्वारा इसका कार्यान्वयन किए जाने पर निगरानी रखने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) त्यागपत्र का ऐसा कोई विशिष्ट मामला मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है। फिर भी, पति-पत्नी टीम की एक ही स्थान पर तैनाती के लिए पति/पत्नियों से कभी-कभी सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा भारतीय बन्दरगाहों से कम भाड़ा लेकर अधिक माल की ढुलाई करने का भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव

* 49. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री श्रीहरि राव } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 20 जून, 1985 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फॉरेन शिपिंग यूनिट्स चार्ज लैस, कैरी मोर" (विदेश जहाजरानी कम्पनियों द्वारा कम भाड़ा लेकर अधिक माल की ढुलाई) शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा कम भाड़ा लिए जाने और भारतीय बन्दरगाहों से अधिक माल की ढुलाई किए जाने के कारण भारत का समुद्री व्यापार काफी कम हो गया है;

(ग) उन विदेशी नौवहन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जो कम भाड़ा ले रही हैं और अधिक माल की ढुलाई कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी नौवहन कम्पनियों के रुख को ध्यान में रखते हुए स्थिति की पुनरीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान देश के कुल आयात-निर्यात व्यापार में भारतीय नौवहन कम्पनियों का निम्नलिखित हिस्सा था :—

वर्ष	कुल समुद्री आयात और निर्यात	भारतीय जहाजों द्वारा किए गए आयात और निर्यात	कुल माल का भारतीय जहाजों द्वारा ढोये गये माल का प्रतिशत
		(मिलियन टनों में)	
1980-81	74.93	24.21	32.30
1981-82	77.36	24.27	31.37
1982-83	77.76	32.24	41.46
1983-84	75.79	30.96	40.85

वर्ष 1982-83 की तुलना में वर्ष 1983-84 के दौरान भारतीय जहाजों के हिस्से में आंशिक गिरावट आई। इसका मुख्य कारण आयातित खाद्य पदार्थों की मात्रा में गिरावट आना है जो एफ० ओ० बी० आधार पर सरकारी खरीद माल है और इस प्रकार इस माल का प्रतिशत भारतीय जहाजों के लिए अधिक है। तथापि कुल स्थिति यह है कि वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दो वर्षों के दौरान भारतीय जहाजों द्वारा ढोये गये माल का प्रतिशत पहले के वर्षों से काफी अधिक है।

(ग) उन विदेशी नौवहन कम्पनियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जो कम भाड़ा की मांग करते

हैं और उचित आकार में माल ढोते हैं क्योंकि इन कम्पनियों में अपरिहार्य कारणों के लिए रेट कटिंग को अति गुप्त रखने की प्रथा है।

(घ) और (ङ) भारतीय नौवहन कम्पनियों के सहायतार्थ निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) भारतीय जहाजों के लिए अधिकतम माल की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने सोवियत यूनियन, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, बलगारिया, इजिप्ट, चेकास्लोवाकिया और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय नौवहन करार किया है जो माल उठाने और भाड़ा के अर्जन में समानता बनाती है।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि वे यथा सम्भव सी० एंड एफ० निर्यातों और एफ० ओ० बी० आयातों के लिए बातचीत करें। ऐसा भारतीय कम्पनियों के लिए अधिकतम माल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

(3) सफलतापूर्वक बातचीत के परिणामस्वरूप खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यातित लौह अयस्क को ढोने में भारतीय कम्पनियों के हिस्से को जो वर्ष 1983-84 में 25 प्रतिशत था, वर्ष 1984-85 में 35 प्रतिशत तक लाया गया।

(4) भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए उचित टैंकरों की खरीद कर तेल व्यापार में विदेशी जहाजों के इस्तेमाल को कम किया गया है।

(5) भारतीय जहाजों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि (क) आयात लाइसेंस के मूल मूल्य में भुगतान किये गये भाड़े को शामिल नही किया जाएगा यदि समुद्रगामी भाड़ा का भुगतान भारत में अपरिवर्तनीय रुपये में किया जाता है और भारतीय जहाजों द्वारा माल ढोया जाता है और (ख) यदि भारतीय जहाजों से माल का निर्यात किया जाता है तो 10% की सामान्य दर की बजाय निर्यातकों को उक्त निर्यात के लिए 11% दर से निर्यातल के लिए दिया जायेगा।

(6) नौवहन और परिवहन मंत्रालय, सम्बन्धित सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमियों के प्रतिनिधियों की स्थायी समिति द्वारा समय-समय पर भारतीय जहाजों के इस्तेमाल की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

सातवीं योजना के दौरान छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए आवंटित राशि

* 50. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए सातवीं योजना में कोई राशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में छोटे बन्दरगाहों के विकास कार्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सातवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मसालों में मिलावट का पता लगाने के लिए फैक्ट्रियों पर छापे

* 51. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, 1985 के महीनों में मसालों में मिलावट का पता लगाने के लिए दिल्ली की कितनी फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए और उनके क्या परिणाम निकले;

(ख) मिलावट के लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उनमें से कितनों को जमानत पर छोड़ दिया गया है; और

(ग) मिलावट करने वालों के विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही की जाती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मई और जून, 1985 के महीनों में मसाले पीसने वाली दो फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया था और कुल 14 नमूने लिए गए थे। 12 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये हैं।

(ख) और (ग) जिन 12 नमूनों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया घोषित किया गया था। उनकी मुकदमा चलाने से पूर्व जांच-पड़ताल की जा रही है। यह जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के सम्बन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

नौवहन कम्पनियों को नौवहन विकसित निधि समिति से वित्तीय सहायता

* 52. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन विकास निधि समिति के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न नौवहन कम्पनियों को दी गई वित्तीय सहायता द्वारा भेदभाव को बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में ऐसी गैर-सरकारी कम्पनियां बन गई हैं, जिनके पास अपेक्षित कुशलता और धन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता देने का काम सुव्यवस्थित करने के लिए उपर्युक्त दिशा निर्देश जारी करने का है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों को उनके ऋण सम्बन्धी प्रस्ताव की विस्तारपूर्वक जांच के बाद ही ऋण सहायता प्रदान की जाती है जिस पर नौवहन विकास निधि समिति की बैठक में नौवहन महानिदेशक द्वारा विस्तृत चर्चा की जाती है। अन्तिम रूप से संस्वीकृति प्रदान करने के पहले नौवहन विकास निधि समिति की सिफारिश को नौवहन और परिवहन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में जांच की जाती है। नौवहन महानिदेशक और नौवहन विकास निधि समिति द्वारा नौवहन कम्पनी में उपलब्ध प्रबन्धकीय क्षमता सम्बन्धी पहलुओं और कम्पनी की वित्तीय ढांचा संबंधी सिफारिश की जाती है। कम्पनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण नौवहन विकास निधि समिति द्वारा किए जाने के बाद ही उसे वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है अतएव वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं बरता गया है। क्या कोई कम्पनी नौवहन उद्योग में प्रवेश कर रही है और उसे अनुमति देनी चाहिए या नहीं, नौवहन विकास निधि समिति द्वारा अनुमोदन देने के पूर्व इस पहलू की भी जांच की जाती है।

(ग) नौवहन कम्पनियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम 1958 के उपबन्धों और नौवहन विकास निधि समिति नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। नौवहन कम्पनियों के वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रबन्ध की समीक्षा सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में गठित समिति ने की है। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विश्वविद्यालयों द्वारा इलेक्ट्रानिक्स विज्ञान में उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम

* 53. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सरकार के निदेश के बावजूद देश के अधिकतर विश्वविद्यालय इलेक्ट्रानिक्स विज्ञान के उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम आरम्भ करने में सफल रहे हैं;

(ख) विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मई, 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 3 विश्वविद्यालयों को इलेक्ट्रानिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने और 7 विश्वविद्यालयों को इसी विषय में एक वर्ष का उत्तर – बी० एस० सी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सलाह दी थी। इनमें से एक विश्वविद्यालय ने 1984-85 में दोनों पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिये हैं।

(ख) और (ग) आवश्यक तैयारी के पश्चात् सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा यह पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से किसी विफलता का प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊर्जा की बचत

* 54. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊर्जा की कमी को देखते हुए ऊर्जा की बचत तथा मुख्य क्षेत्रों को इसकी उपलब्धता में वृद्धि करने के उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कर रही है कि किन-किन क्षेत्रों/उद्योगों/कार्यालयों में ऊर्जा की बचत की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है; और

(घ) कितनी ऊर्जा की बचत/उपलब्धता किए जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां। ऊर्जा के संरक्षण से कोर तथा अन्य क्षेत्रों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन विद्युत ऊर्जा के संरक्षण पर स्थायी दल, पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, उद्योग मंत्रालय के अधीन ऊर्जा के समुपयोजन तथा संरक्षण पर अन्तर-मंत्रालीय कार्यकारी दल और ऊर्जा सलाहकार बोर्ड सहित अनेक सरकारी एजेंसियों ने विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत की सम्भावना की जांच की है।

(ग) इन स्कीमों का उद्देश्य, औद्योगिक, परिवहन तथा कृषि क्षेत्रों सहित ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालन प्रणाली तथा उपस्करों का विकास/सुधार करना है।

(घ) वर्तमान सूचना के अनुसार खपत के मौजूदा स्तरों में औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत, परिवहन क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत ऊर्जा के संरक्षण की सम्भावना है।

दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती

* 55. श्री रेणुपद दास : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम से इस बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

सातवीं योजना के दौरान केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

* 56. श्री के० कुन्जम्बु : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान केरल के अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) मींदाकारा-चेरियाझिकल जल मार्ग के विकास के लिए एक स्कीम केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 48.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर जनवरी 1972 ई० में मंजूर की गई थी। नई स्कीमों के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।

दिल्ली परिवहन निगम को वित्तीय सहायता, उसे हानि और उसकी कार्यनिष्पत्ति

* 57. श्री अजित कुमार साहा
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1981-82 से वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) इस निगम को वर्ष 1981-82 से वर्ष-वार कितनी हानि हुई;

(ग) प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हानि होने के क्या कारण हैं;

(घ) इस अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को हुई हानि को रोकने और इसकी कार्य-निष्पति में सुधार करने के लिए किए गए उपायों को ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उपायों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(क) वर्ष 1981-82 से (वर्ष-वार) दिल्ली परिवहन निगम को ऋण के रूप में दी गई वित्तीय स्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

विवरण

(लाख रुपये में)

ऋण का विवरण	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
(क) पूंजी ऋण	1285.15	2548.00	1529.00	1999.00
(ख) वेज एंड मीन्स ऋण	2000.00	2660.00	4300.00	6241.00

(ख) 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम की कार्य हानि और निबल हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	कार्य हानि (डिप्रीशियशन और ब्याज को छोड़कर) रु०	डिप्रीशियशन शुल्क रु०	ब्याज और पिनल ब्याज रु०	निवल घाटा (—) कार्य घाटा (+) डिप्रीशियेशन (+) ब्याज शुल्क रु०
1981-82	1938.62	556.11	2397.56	4892.29
1982-83	3188.84	753.32	3407.57	7348.83
1983-84	4594.85	869.18	4647.57	10111.60
1984-85	6683.20	1022.38	6373.50	14079.08

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम की हानियां मुख्यतः परिचालन लागत में वृद्धि और विभिन्न उपकरणों की लागतों में वृद्धि के बावजूद कम और स्टेटिक किराया ढांचा के कारण है। आंतरिक संसाधनों के अभाव में निगम अपने ऋण के किश्तों को वापस करने में असमर्थ है और फलतः कुल हानियों में कर देयता बढ़ती जा रही है।'

दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी परिचालनात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए कदम उठाये हैं जिनमें बेहतर बेड़ा उपयोग, ईंधन खपत में कमी, समय पर अनुरक्षण, स्टाफ की शक्ति का बेहतर उपयोग समुचित इनमेंटरी नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन शामिल है। किराया ढांचा के पुनर्मूल्यांकन के लिए और ऋण को इक्विटी में बदलकर ब्याज देयता को कम करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

(ङ) इन कदमों के फलस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम के कार्य क्षमता में सुधार हुआ है जो नीचे के आंकड़ों से स्पष्ट है :—

	जून—85	मई—85	जून—84
(i) बेड़ा उपयोग (प्रतिशत)	85.57	83.34	81.33
(ii) दैनिक आय (रु० लाख)	19.38	18.52	18.21
(iii) प्रतिदिन ढोये गये यात्रियों की संख्या	37.90	35.77	36.38
(iv) प्रति बस आय (रुपये)	418	413	412

[हिन्दी]

नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में उद्योग संघों से परामर्श

*** 58. श्री शांति धारीवाल**
श्री विष्णु मोदी } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि शिक्षा नीति तैयार करते समय सरकार को उद्योग संघों से भी परामर्श करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार को इस सम्बन्ध में उद्योग संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बहुत से महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं और इन पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है। यह भी निर्णय लिया है कि शिक्षा के

सम्बन्धित ट्रेड, उद्योग, वाणिज्यिक केन्द्रों, प्रतिष्ठानों, संघों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित सभी सम्बन्धितों के साथ, नई शिक्षा नीति को अन्तिम रूप देने से पूर्व, परामर्श किया जाएगा।

[अनुवाद]

शरीर सूक्ष्म-परीक्षकों (बॉडी स्कैनर्स) का आयात

* 59. श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने शरीर सूक्ष्म-परीक्षकों (बॉडी स्कैनर्स) का आयात किया गया है;

(ख) इसके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) क्या कर्नाटक को कोई शरीर सूक्ष्म-परीक्षक (बॉडी स्कैनर्स) दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार ने अभी तक कोई होल बाडी स्कैनर आयात नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

* 60. श्री एस० एम० भट्टम : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अभी हाल ही में देश में विद्युत संयंत्रों के लिए 300 मिलियन डालर का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य सिंचाई या विद्युत परियोजना हेतु विश्व बैंक से अनुरोध करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार परियोजना के लिए मई 1985 में विश्व बैंक के कार्यकारी

निदेशक मण्डल ने 300 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदित किया था।

(ग) और (घ) बैंक की सम्भावित सहायता हेतु निम्नलिखित सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं: —

सिंचाई परियोजनाएं

1. नर्मदा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश)।
2. आन्ध्र प्रदेश संयुक्त सिंचाई-2 परियोजनाएं (आन्ध्र प्रदेश)।
3. सोन नहर की आधुनिकीकरण परियोजना (बिहार)।
4. बिहार सार्वजनिक ट्यूबवेल परियोजना (बिहार)।
5. कावेरी डेल्टा की आधुनिकीकरण परियोजना (तमिलनाडु)।
6. राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना।

विद्युत परियोजनाएं

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना (रा० ता० वि० नि०)।
2. कान्दी नदी चरण-II जल विद्युत परियोजना (कर्नाटक)।
3. नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना (रा० ज० वि० न० तथा हिमाचल प्रदेश)।
4. कवास, सवाई माधोपुर तथा औरैया में गैस टर्बाइन (रा० ता० वि० नि०)।

[अनुवाद]

माल यातायात में रेलवे को हानि

415. **श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1985 के "इकानामिक्स टाइम्स" की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों के दौरान इस्पात और कोयला क्षेत्र द्वारा कम लदान किए जाने के कारण रेलवे को 12.6 लाख टन माल यातायात की हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों के कहां तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए राजस्व अर्जक माल यातायात का लक्ष्य 250 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। प्रथम तीन माह के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्र से प्राप्त होने वाले यातायात में कमी होने के बावजूद भी, रेलें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं।

बांकुरा दामोदर रेल लाइन

416. श्री पूर्णचन्द्र मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बांकुरा-दामोदर रेल लाइन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे अभिसमय समिति (1980) को दिये गए अपने ज्ञापन में बांकुरा से राय नगर (बांकुरा-दामोदर रिवर रेलवे) तक छोटे आमान की लाइन को बड़े आमान में बदलने का सुझाव दिया था।

(ख) यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

कासिमपुर खेरे और बड़ौत रेलवे स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार के रेल फाटक पर मालगाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर

417. डा० टी० कल्पना देवी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कासिमपुर खेरे और बड़ौत रेलवे स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार के फाटक पर 25 जून, 1985 की शाम को एक बारात को ले जा रहे ट्रक और एक मालगाड़ी में टक्कर हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए;

(ग) क्या इस फाटक पर पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए; और

(ङ) इस फाटक पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) पांच व्यक्ति मारे गये थे और 32 घायल हुए थे।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस समपार पर केवल एक दुर्घटना

9-2-1985 को हुई थी जब एक बस माल गाड़ी से जा टकरायी थी। उस दुर्घटना में बस कन्डक्टर को मामूली चोट आयी थी।

(ङ) यह एक बिना चौकीदार वाला समपार है। इंजन ड्राइवर और सड़क उपयोगकर्त्ता के लिए उपयुक्त दृश्यता सुनिश्चित की गयी है। सीटीपट्ट लगाये गये हैं। अप्रैल, 1985 के प्रथम सप्ताह में इस समपार पर यातायात की गणना की गयी थी। इस गणना के अनुसार, इस समपार पर चौकीदार तैनात करने का औचित्य नहीं बना था। रेल संरक्षा आयुक्त ने भी 3.7.1985 को इस समपार का निरीक्षण किया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाइयां

418. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए सरकार ने क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1985 के दौरान कुल 41,226 छात्रों ने 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंकों से दिल्ली से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्होंने विभिन्न अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त की है। इसके मुकाबले में विश्वविद्यालय 24,878 छात्रों को विभिन्न पूर्णकालिक अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में, 11,500 छात्रों को पत्राचार पाठ्यक्रमों में तथा 3020 छात्रों को गैर-कालेज महिला शिक्षा बोर्ड में दाखिला दे सकता है। तदनुसार, 39,398 छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके कालेजों के विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिला प्राप्त कर सकेंगे और इससे केवल लगभग 1800 स्थानों की आंशिक-कमी रह जाएगी। दिल्ली से उत्तीर्ण छात्रों की उच्च शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से उपलब्ध सुविधाओं को कुल मिलाकर पर्याप्त समझा जाता है।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

419. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत की राष्ट्रीय औसत क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत क्या थी।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत का राष्ट्रीय औसत 154.06 यूनिट (किलोवाट आवर) था।

(ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्यवार विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत।

(यूटिलिटीज+गैर-यूटिलिटीज यूनिट)

क्षेत्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82	1982-83*	1983-84*
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	237.84	257.88	245·45
	हिमाचल प्रदेश	69.08	74.78	88.93
	जम्मू और कश्मीर	89.22	105.65	104.71
	पंजाब	300.51	337.33	354.44
	राजस्थान	101.28	103.86	126.26
	उत्तर प्रदेश	88.81	102.30	103.07
	चण्डीगढ़	384.35	394.07	386.35
	दिल्ली	416.51	461.16	467.34
	उप-जोड़	130.57	145.54	151.24
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	249.32	256.83	274.19
	मध्य प्रदेश	106.92	120.10	136.94
	महाराष्ट्र	247.18	248.78	267.00
	गोवा, दमन और दीव	223.96	243.12	279.26
	दादर और नागर हवेली	70.99	80.55	86.07
	उप-जोड़	198.67	205.59	223.52

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	84.61	86.46	90.51
	उड़ीसा	125.78	117.56	135.38
	पश्चिम बंगाल	122.50	124.36	123.02
	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	50.47	56.90	63.19
	सिक्किम	60.57	48.47	51.64
	उप-जोड़	105.32	105.35	109.88
दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश	118.06	134.34	142.42
	कर्नाटक	165.92	168.04	166.24
	केरल	119.58	121.16	113.36
	तमिलनाडु	193.70	183.56	178.05
	पांडिचेरी	253.43	242.09	222.41
	लक्षद्वीप	36.00	44.50	57.79
	उप-जोड़	151.66	154.65	153.93
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	असम	39.90	40.63	42.20
	मणिपुर	9.24	13.33	12.77
	मेघालय	45.84	52.06	68.74
	त्रिपुरा	18.08	17.44	20.60

1	2	3	4	5
	अरुणाचल प्रदेश	19.13	22.94	26.76
	मिजोरम	12.29	19.36	25.30
	नागालैण्ड	31.98	36.42	48.87
	उप-जोड़	35.64	37.02	39.80
	जोड़—अखिल भारत	141.27	147.69	154.06

* अनन्तिम

पूर्व रेलवे का कोलम्बो में रेलवे फुटबाल प्रतियोगिता में भाग न लेना

420. श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे को, जो कि भारतीय रेलवे की चैम्पियन है, हाल ही में कोलम्बो में आयोजित चार देशों की रेलवे फुटबाल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति न देने का ब्यौरा क्या है और कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : मार्च 1984 में श्री लंका गवर्नमेंट रेलवे से एक निमंत्रण मिला था जिसमें अगस्त 1984 में उनके द्वारा आयोजित एम०एच० मोहम्मद गोल्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारतीय रेलों को आमंत्रित किया गया था। यह टूर्नामेंट तीन बार स्थगित हुआ—पहले जनवरी, 1985 के लिए, फिर जून, 1985 के लिए और फिर अन्त में 2 से 15 जुलाई, 1985 के लिए निर्धारित किया गया।

मई, 1985 में स्थिति की समीक्षा की गई थी और अपनी घरेलू व्यस्तताओं को देखते हुए श्री लंका गवर्नमेंट रेलवे को यह सूचना दे दी गयी थी कि संशोधित तिथियों में निमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

बाद में, 21 जून, 1985 को पूर्व रेलवे खेलकूद एसोसिएशन से एक अनुरोध प्राप्त हुआ जिसमें 2.7.1985 से आरम्भ होने वाले उसी टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति मांगी गयी थी। भारतीय रेलों का एक हिस्सा होने के कारण पूर्व रेलवे भी स्थानीय तौर पर समान रूप से व्यस्त थी, अतएव अनुमति नहीं दी गयी।

पत्रकारों के लिए मुफ्त प्रथम श्रेणी यात्रा

421. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों के लिए प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिजली की चोरी

422. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न विद्युत केन्द्रों से बिजली की चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो कुल विद्युत उत्पादन में से कितने प्रतिशत बिजली की चोरी हो जाती है;

(ग) क्या बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) वितरण प्रणालियों में ऊर्जा की चोरी या तो ऊर्जा मीटरों में हेरा-फेरी करके अथवा वितरण मेन लाइनों से सीधे कनेक्शन लेकर की जाती है। वर्ष 1983-84 के दौरान, विद्युत की चोरी को शामिल करके, देश में कुल पारेषण और वितरण हानियां 20.86% थी।

(ग) और (घ) विद्युत की चोरी को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों को निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं :—

(1) आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना जिनमें राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियर और पुलिस शामिल हो।

(2) विद्युत का सीधा इस्तेमाल रोकने के लिए मीटरों के बाद कट-आउटों की व्यवस्था करना

(3) मीटर के टर्मिनल कवर और कट आउट पर टेढ़ीमेढ़ी और नम्बरों वाली सीलों का

इस्तेमाल करना तथा जाली सीलों को पकड़ने के लिए सीलों का हिसाब करना।

(4) मीटरों में हेरा फेरी को रोकने के लिए टर्मिनल कवर के नीचे की बजाए ऊर्जा के मीटरों के अन्दर क्षमता लिंकों की व्यवस्था करना।

(5) सिंगल कोर वी० आई० आर० तारों के स्थान पर जिससे सीधा इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है, सर्विस मैन लाइनों के रूप में पी० वी० सी० मल्टी कोर केबिलों का उपयोग करना।

(6) उपभोग में पर्याप्त अन्तरों को पकड़ने की दृष्टि से औद्योगिक उपभोक्ताओं की मासिक मीटर रीडिंग की उन्हीं जैसे उपभोक्ताओं के साथ तुलना करना।

गुजरात में विद्युत उत्पादन

423. श्री सी० डी० गामित : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में विद्युत उत्पादन का मेगावाटों में, कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में विद्युत की, मेगावाटों में कितनी आवश्यकता है; और

(ग) इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदमों का ब्योरा क्या है?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 1175 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में गुजरात में छठी योजनावधि के दौरान वास्तविक उपलब्धि 950 मेगावाट थी। इसमें साबरमती (अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कम्पनी) में 110 मेगावाट का एक यूनिट शामिल है जिसे सातवीं योजना की बजाय छठी योजना में चालू कर दिया गया था।

(ख) 12वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में सातवीं योजना के अन्त में व्यस्ततमकालीन भार आवश्यकता 4038 मेगावाट बनेगी।

(ग) राज्य में, निर्माणाधीन परियोजनाओं से सातवीं योजना के दौरान 1085 मेगावाट का लाभ प्राप्त होने की आशा है।

[अनुवाद]

सौराष्ट्र में रेलवे की भूमि को हथियाना

424. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सौराष्ट्र में रेलवे की भूमि हथियाने के सम्बन्ध में 25 मई, 1985 के ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) 25 मई 1985 के साप्ताहिक समाचार पत्र ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार के विशिष्ट मुद्दे इस प्रकार हैं।

(i) वीरमगाम से ओखा और पोरबन्दर तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के फलस्वरूप खाली हुई रेलवे भूमि के एक बहुत बड़े भाग पर सौराष्ट्र में, विशेषकर राज कोट, सुरेन्द्र नगर, वांकानेर, जामनगर क्षेत्रों में अवैध कब्जा कर लिया है।

(ii) राजकोट के बाहरी अंचल में स्थित लाखाजी नगर स्टेशन की, जो 1980 में बन्द कर दिया गया था, उसके आस-पास की भूमि पर समाज-विरोधी तत्वों ने कब्जा कर लिया है। यही स्थिति सुरेन्द्र नगर तथा वांकानेर आदि स्थानों पर भी है, तथा

(iii) भूमि के अलावा, रेल लाइनों से उखाड़ी गयी रेलवे सामग्री भी चुरा ली गयी है तथा रेल सुरक्षा बल की उपस्थिति के बावजूद रेल सम्पत्ति असुरक्षित पड़ी है।

(ग) उपर्युक्त शिकायत की जांच की गयी थी और वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :

(i) वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर खंड पर 400 कि० मी० मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के परिणामस्वरूप लगभग 53 हेक्टेयर भूमि खाली हो गयी थी।

(ii) आमान-परिवर्तन के परिणामस्वरूप खाली भूमि पर अतिक्रमणों की रोकथाम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो शहर में भीड़-भाड़ वाले स्थानों के निकट थे और जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी लगभग 0.227 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। तथापि,अतिक्रमण से सम्बन्धित सभी 68 मामलों में बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर दी गयी है तथा रेलवे के सम्पदा अधिकारियों के समक्ष और सिविल न्यायालयों में बेदखली के मामले चल रहे हैं।

(iii) उपर्युक्त आमान परिवर्तन के कारण राजकोट के [निकट मीटर लाइन के पुराने लाखाजी नगर स्टेशन को बन्द कर दिया गया था। इस स्टेशन की पुरानी इमारत को टाइप-I के 13 कर्मचारी क्वार्टरों में परिवर्तित किया जा रहा है। पुराने स्टेशन के परिसर के एक भाग पर (लगभग 0.0821 हेक्टेयर) अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसे खाली कराने की कार्यवाही जारी है।

(iv) सुरेन्द्रनगर, बीकानेर तथा छोटी लाइन के मोर्वी-टंकारा परित्यक्त संरेखण पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध मालगोदामों का कोई निर्माण नहीं किया गया है। तथापि अति-क्रमणों के 18 मामले हैं जिनकी बेदखली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(v) वर्ष 1982 में रेलपथ सामग्री की कोई चोरी नहीं हुई थी। 1983 में 302 रुपये मूल्य के 7 ह्वील ब्लाक और 43 डिस्टेंस ब्लाक चुरा लिए गए थे। 1984 में लगभग 48,000 रुपये मूल्य की 20 दोयम क्वालिटी 90 और पटरियां चुरा ली गई थीं। लेकिन पुलिस ने ये पटरियां बरामद कर ली हैं और आगे जांच-पड़ताल होने तक ये पुलिस के कब्जे में हैं। ऐसे आमान परिवर्तन के उद्देश्य से खाली हुई भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या तथा सम्पत्ति और सामग्री की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग हैं। रेलवे के हित की सुरक्षा हेतु आवश्यक निवारक कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

425. कुमारी पुष्पा देवी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रेषण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रेषण केन्द्र स्थापित करने का प्रयोजन क्या है; और

(ग) यह केन्द्र कब स्थापित किया जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां। राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड स्थापित करने का उद्देश्य विद्युत प्रणालियों को समेकित करना है ताकि उपलब्ध विद्युत साधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके तथा समय-समय पर फालतू बिजली वाले राज्यों तथा बिजली की कमी वाले राज्यों के बीच आदान-प्रदान किया जा सके।

(ग) चूंकि अन्य विभागों के साथ परामर्श करके अनेक जटिल मामलों की ध्यानपूर्वक जांच की जानी है, अतः राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना के लिए समय-सीमा सूचित करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

मक्सी से देवास तक रेल सम्पर्क

426. श्री बापूलाल मालवीय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मक्सी तथा देवास (मध्य प्रदेश) के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में विगत में कोई सर्वेक्षण किया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस लाइन का निर्माण कब तक शुरू करने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा बनाई गई अखिल भारतीय परीक्षाएं लेने की योजना

427. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी**
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मेडिकल कालेजों में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा परीक्षाएं लेने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा बनाई गई योजना स्वीकार करने हेतु सम्पर्क किया गया है; और

(ग) क्या उक्त योजना के आगामी शैक्षिक वर्ष में लागू किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हां।

केरल में उपमार्गों का निर्माण करके शहरों की भीड़ कम करने के लिए परिवहन नीति समिति का सुझाव

428. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम, कालीकट, पालघाट आदि जैसे बड़े शहरों में यातायात की भारी भीड़ के कारण संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है;

(ख) क्या परिवहन नीति समिति ने उप-मार्गों का निर्माण करके इन शहरों की भीड़ कम करने हेतु कोई सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने देश के सम्पूर्ण सड़कों के लिए वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने, उनके अनुरक्षण और विकास के लिए अनेकों सुझाव दिये हैं। भीड़-भाड़ को कम करने के लिए बाई-पासों के निर्माण के लिए उन्होंने कोई विशेष सुझाव नहीं दिये हैं परन्तु यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा दुकान बनाकर, कारखाना लगाकर और राजमार्ग के लिए नियम भूमि के अन्य प्रकार से कब्जा के खिलाफ कड़े कदम उठाये जाने चाहिए। इस प्रकार के कब्जा से प्रभावकारी सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। परन्तु जहां पर सड़क में सुधार के लिए बाई-पास के निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई कम है। बाई-पास के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) त्रिवेन्द्रम बाई-पास—205.07 लाख रुपये की लागत से 20.5 कि० मी० के एक भाग (0/0 से 20.5) के लिए भूमि अधिकरण की स्वीकृति दी गयी है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इस बाई-पास के शेष 22.5 किलोमीटर भाग के लिए एलाइनमेंट निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। इसके आगे हवाई अड्डा पर पहुंचने के लिए 36.94 लाख रुपये की लागत से किलोमीटर 11.900 से 13.079 के बीच सड़क निर्माण के लिए एक अनुमान की संस्वीकृति दी गई है और काम चल रहा है।

एर्नाकुलम कोचीनी बाई-पास—कुम्बालम अरूड़ पुल और इसके पहुंच मार्गों, पोनरूमी के समीप रेल ओवर पुल के दोनों ओर वायाडक्ट्स और इसके पहुंचमार्गों और पोनागढ़ कोम्बालम पुल के पहुंचमार्गों को छोड़कर इस बाई-पास के 16.70 किलोमीटर की लम्बाई पर विभिन्न कार्यों को पूरा कर दिया गया है। इन शेष कार्यों का दिसम्बर, 1987 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

कालीकट बाई-पास—इसके एलाइनमेंट को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसे अनुमोदित कर दिया गया है।

पालघाट बाई-पास—इसका निर्माण कर दिया गया है और पहले ही इसे परिचालन के लिए खोल दिया गया है।

तकनीकी संस्थानों द्वारा वसूल की जाने वाली कंपिटेशन फीस

429. श्री डी० के० नायकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस आरम्भ करने से निर्धन लोगों के दिमाग में निराशा उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार कैपिटेशन फीस पर प्रतिबन्ध लगाने वाला उपयुक्त विधान लाकर इसे समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) भारत सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्यों में प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों तथा तकनीकी संस्थानों द्वारा उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे इंजीनियरी तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क तथा अधिक शुल्क अथवा दान लेकर गंभीर स्थिति बनाई गई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में पहले ही संशोधन किया गया है।

संशोधित अधिनियम (1984) के अन्तर्गत आयोग को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए किसी भी छात्र से दाखिले के सम्बन्ध में कालेज द्वारा लिया जाने वाला शुल्क निर्धारित करें। इस अधिनियम से संस्थानों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने को भी मना किया गया है।

"ओपन लाइन स्टाफ" के लिए छुट्टियों की संख्या में वृद्धि

430. श्री बालू बम रियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1984 को रेल मंत्रालय में हुई विभागीय परिषद की बैठक में "ओपन लाइन स्टाफ" के लिए 9 दिन की छुट्टियों की संख्या को बढ़ाकर 12 दिन की करने पर सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

431. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त पर कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विद्यमान थे तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने और केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) सातवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश में इस प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-1985 अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आंध्र प्रदेश में 480 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे। सातवीं योजना पर हुए विचार विमर्श के दौरान आंध्र प्रदेश में 1150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में धनराशि के राज्यवार आबंटनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकारियों द्वारा हल्दिया में होटल का निर्माण

432. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण द्वारा हल्दिया में एक होटल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माल यातायात में कमी

433. **श्री जी० भूपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को मुख्यतया माल यातायात से आय होती है; और

(ख) माल डिब्बों की कमी के कारण माल यातायात में कितनी कमी होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) प्रथम 3 महीनों के दौरान महत्त्वपूर्ण क्षेत्र से प्राप्त होने वाले यातायात में कुछ कमी तथा माल डिब्बों आदि की कमी के बावजूद, रेलें 1985-86 में 250 मिलियन टन राजस्व अर्जक माल यातायात के बजट लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।

गोमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी के अनारक्षित डिब्बे

434. **श्री सोडे रमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अनारक्षित डिब्बों के सम्बन्ध में दिनांक 17 जून, 1985 के "पेट्रियट" में "रफियन रूल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बर्थों पर कब्जा करने और वास्तविक यात्रियों को रोकने वाले तत्वों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह एक सामान्य किस्म की रिपोर्ट है जिसके लिए किसी विशेष प्रकार की जांच करने की अपेक्षा नहीं है।

(घ) ऐसे कदाचारों तथा अपराधी व्यक्तियों को पकड़ने/उन पर अभियोग चलाने के सम्बन्ध में निरन्तर अचानक जांच करने के लिए टिकट जांच करने वाले और रे० सु० बल कर्मचारियों तथा रा० रे० पु० के कर्मचारियों का एक दल तैनात कर दिया गया है। जनवरी से जून, 1985 की अवधि के दौरान 958 व्यक्तियों को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 122 और 109 के अन्तर्गत पकड़ा गया था और उनसे 12,967 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये थे। इसके अतिरिक्त, जुर्माना अदा न करने पर 418 व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न अवधि के लिए जेल भेजा गया था। ये जाचें असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में काफी कारगर हुई हैं।

रेल गाड़ियों में नई खानपान सेवा शुरू करना

435. **श्री आर० एम० भोए**
श्री हरीश रावत
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यात्रा करने वाले लोगों के लिए नई खान-पान सेवा शुरू की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाड़ियों में सीमित आधार पर शुरू किए गए नये खान-पान कार्यक्रम की विशेषताएं मितव्ययता, विभिन्नता तथा उचित मूल्य पर भोजन मिलना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर यात्रियों को उचित दरों पर

साफ-सुथरी हालत में गर्म तथा स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने की दृष्टि से अल्यूमीनियम के पुड़ों में, जो उपयोग के बाद फेंके जा सकते हैं, व्यंजन-सूचियों के संशोधित पैटर्न की सेवा 1-6-1985 से कुछ चुनींदा गाड़ियों में भारतीय पर्यटन विकास निगम के परामर्श से शुरू की गई है। प्रारम्भ में, हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर 81/82, 103/104 डीलक्स एक्सप्रेस तथा 191/192 मगध एक्सप्रेस गाड़ियों में संशोधित व्यंजन सूची की सेवा शुरू की गयी थी। चूंकि इन गाड़ियों में ग्राहकों की प्रतिक्रिया नई सेवाओं के अनुकूल थी, इसलिए इसे व्यंजन सूची की मदों में कुछ आशोधन करके बम्बई नई दिल्ली मार्ग पर भी 1-7-1985 से 25/26 डीलक्स एक्सप्रेस तथा 3/4 फ्रन्टियर मेल में शुरू किया गया है। जनता की अनुकूल प्रतिक्रिया को देखते हुए व्यंजन सूची की संशोधित पैटर्न सेवा को भविष्य में कुछ और महत्वपूर्ण गाड़ियों में भी शुरू किए जाने की संभावना है। भोजन की विविधता तथा उनकी दरें नीचे बतायी गई हैं :

व्यंजन सूची में मद	दर (रुपयों में)
1. सस्ता भोजन	2/- रु० से 3/- रु० के बीच
2. मानक भोजन	
नाश्ता	
(क) शाकाहारी	5.00
(ख) गैर-शाकाहारी	5.50
3. दोपहर/रात्रि का भोजन	
(क) शाकाहारी	6.00
(ख) गैर-शाकाहारी	7.00
4. विशेष भोजन (केवल दोपहर/रात्रि का भोजन)	
(क) शाकाहारी	7.00
(ख) गैर-शाकाहारी	13.00
5. मानक स्नैक	
(क) शाकाहारी कटलेट	3.00
(ख) शाकाहारी सैण्डविच	3.00

ग्रामीण क्षेत्रों में जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां

437. श्री लाला राम केन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः जल उत्पन्न बीमारियों के कारण ही लोगों का अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक गांव स्वास्थ्य मार्गदर्शन को उपलब्ध किये जा रहे किट में जल शुद्ध करने वाली क्लोरिन गोलियों को सम्मिलित करने पर विचार कर रही है अथवा प्रबन्ध किए गये हैं ताकि वे अपने संबंधित गांवों में पेयजल को शुद्ध करने में समर्थ हो सकें।

(ग) क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल को लाने ले जाने का आकलन करने के लिए एन० ई० ई० आर० आई० द्वारा निर्मित एक सस्ते और आधुनिक साधन "क्लोरोस्कोप" प्रत्येक गांव स्वास्थ्य मार्गदर्शन को उपलब्ध कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन निवारक उपायों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा क्योंकि इस उपाय पर पिछले अनेक वर्षों से बिना व्यावहारिक कार्यवाही के विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यह सही है कि जल से उत्पन्न होने वाले रोग विशेषकर अतिसार रोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य खराब रहने का एक मुख्य कारण है।

(ख) इस समय ग्राम स्वास्थ्य गाइड के कीटों में क्लोरीन की गोलियां नहीं डाली जाती हैं। वैसे राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को ये गोलियां अलग से उपलब्ध कराएं।

(ग) चुनिंदा क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को प्रायोगिक आधार पर हजार (1000) क्लोरोस्कोप उनकी प्रभावकारिता को जानने के लिए सप्लाई किये गये हैं।

(घ) पता लगाये गये समस्या प्रधान गांवों में साफ पानी की सप्लाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1977-78 में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम शुरू किया जिसे छठी योजना में जारी रखा गया था और इस कार्यक्रम के लिए 1985-86 में भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार छठी योजना के दौरान कुल 192024 समस्या प्रधान गांवों को पीने के साफ पानी की सप्लाई का कम-से-कम एक स्रोत उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा केन्द्र ने विभिन्न राज्यों से यह अनुरोध भी किया है कि वे इस क्षेत्र में कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएं।

मेनिनजाइटिस के मामलों में कमी तथा आयातित टीकों का मूल्य

438. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेनिनजाइटिस रोग का प्रकोप कम हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य देशों की तरह चिकित्सा अनुसंधान के मामले में हम समय के साथ चलने और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि मेनिनजाइटिस के टीके का पश्चिम जर्मनी, इंगलैंड, अमरीका से आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो इसका आयात और मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। वास्तव में सभी प्रकार के चिकित्सा अनुसंधान में मुख्य बल विभिन्न रोगों के निदान, उपचार और नियंत्रण के सरल और क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त विधियों के विकास पर दिया जाता है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से मेनिनगोकोकल वैक्सीन की छः लाख खुराकें प्राप्त की गई हैं और उन्हें अत्यधिक खतरे वाले लोगों को टीका लगाने के लिए राज्य सरकारों/अस्पतालों को वितरित किया गया है।

मलेरिया की रोकथाम का नया तरीका

439. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया की रोकथाम के लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने कौन से नए तरीकों का विकास किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी नहीं। वैसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मलेरिया अनुसंधान केन्द्र द्वारा गुजरात के एक जिले में प्रायोगिक आधार पर एक समन्वित रोग वाहक नियंत्रण कार्यनीति चलाई जा रही है जिसमें मुख्यत: बल रोग वाहकों के उदगम स्रोतों को समाप्त करने, लघु इंजीनियरी निर्माण कार्यों, लार्वानाशी मछलियों की सहायता से जैव नियंत्रण करने, रसाय-उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण में सुधार करने पर दिया गया है।

सातवीं योजना के दौरान कोचीन शिपयार्ड का विकास

440. **श्री के० मोहन दास** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान कोचीन शिपयार्ड का विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान, सरकार द्वारा पोत-निर्माण एवं पोत मरम्मत उद्योग के लिए बनाया गया कार्यकारी दल कोचीन शिपयार्ड के विकास के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। चूंकि सातवीं योजना के कार्यों एवं उनके आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतएव सातवीं योजना को पूर्ण रूप से अन्तिम रूप दिए जाने तथा इन योजनाओं की विस्तृत आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता का पता चलने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

441. **श्री गुरुदास कामत** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा नई विद्युत उत्पादन क्षमता सृजन करने में कम सफलता प्राप्त करने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या सरकार विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने की अपनी वचन-बद्धता को ध्यान में रखते हुए बम्बई, उप-नगरीय विद्युत लिमिटेड जैसी गैर-सरकारी एजेंसी तथा इसी प्रकार की अन्य एजेन्सियों को विद्युत उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) नई विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन में उपलब्धि कम होने सम्बन्धी पहलू का उल्लेख योजना आयोग के छठी योजना मध्यावधि मूल्यांकन सम्बन्धी दस्तावेज में किया गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के द्वारा विनियमित की जाती है। इस संकल्प के अन्तर्गत बिजली का उत्पादन और वितरण अनुसूची "क" के अन्तर्गत आता है; जिसमें उस श्रेणी के उद्योग आते हैं जिनके भावी विकास का दायित्व पूर्णत: राज्य का होगा। तथापि, निजी स्वामित्व वाली वर्तमान यूनिटों के विस्तार अथवा जब राष्ट्रीय हित में अपेक्षित हो तो नई यूनिटों की स्थापना में राज्य द्वारा निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करने पर संकल्प में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इस नीति के अन्तर्गत, सरकार ने निजी स्वामित्व वाली वर्तमान यूटिलिटीज यूनिटों के प्रतिस्थापन/विस्तार की अनुमति दी है।

परिवार नियोजन लक्ष्यों में कमी और सुधारात्मक उपाय

442. **श्री चिन्ता मोहन**
श्री रणजीत सिंह गायकवाड } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन लक्ष्यों में भारी कमी रही है, और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ख) क्या गर्भ निरोधक उपकरणों (आई० यू० डी०) को लगाने की योजना को तेज किया जा रहा है।

(ग) क्या इसका व्यावहारिक दृष्टि से प्रयोग करने और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विकसित प्रतिरक्षित पिंडों की जननक्षमतारोधी सुरक्षा के मामले में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक लागू न किये जाने के कारण देश की सम्पूर्ण प्रगति को गहरा खतरा उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा और इसका पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (घ) विकास और जनसंख्या नियंत्रण एक दूसरे को लाभकारी ढंग से प्रभावित करते हैं। इसलिए सामाजिक विकास की समस्त योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन के लगभग 80 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए गए। इस कार्यक्रम को सातवीं योजना के दौरान और सुदृढ़ किया जाएगा और इसे कम्प्यूटराइज्ड विधि से मानीटर किया जाएगा। आई० यू० डी० कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई। जहां 1980-81 में 6.28 लाख आई० यू० डी० लगाए गए थे वहां 1984-85 में 25.46 लाख आई० यू० डी० लगाए गए। प्रजनन नियंत्रण की प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी विधियां अभी प्रयोगावस्था में हैं।

दिल्ली में सड़कों की मरम्मत

443. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि दिल्ली की अधिकतर सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसी सभी सड़कों की तत्काल मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं, दिल्ली में सड़कों की स्थिति सामान्यतः अच्छी है।

(ख) सड़कों का रख-रखाव एवं मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है जिसे, उपलब्ध राशि के आधार पर समय-समय पर किया जाता है।

जोनल रेलों को एन्टी-रेबिज टीकों की सप्लाई

444. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सीरम इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया 5 मि० ली० के 14 सेम्पल टीकों के स्थान पर 1 मिलिलीटर के टीके सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने 1 मिलिलीटर के इस प्रकार के एन्टी रेबिट के 6 टीकों की सप्लाई की कोई व्यवस्था की है, जैसी कि सीरम इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया द्वारा जोनल रेलों को सप्लाई किये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। अभी भी सामान्य रोग निरोधी प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों के पास्चर संस्थानों द्वारा निर्मित सेम्पल्स वेक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। विशेष मामलों में, जहां गम्भीर खतरा हो, क्षेत्रीय रेलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया द्वारा बेचे जाने वाले ह्यूमन डिपलोयड वेक्सीन का इस्तेमाल करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(ग) अभी तक अधिकांश मामलों में सेम्पल्स वैक्सीन का निरन्तर इस्तेमाल करना पर्याप्त समझा गया है। एंटी-रेबिक हाफकिन अनुसंधान संस्थान बम्बई की भी यही राय है जिससे इस मामले में सलाह ली गयी थी।

सिक्किम में जल विद्युत क्षमता

445. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम में जल विद्युत क्षमता का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्षमता कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसा करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अद्यतन अनुमानों के अनुसार सिक्किम की जल विद्युत क्षमता 1.28 मिलियन किलोवाट है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ तथा गुना जिलों में गिनी कृमि द्वारा भारी क्षति

446. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ और गुना जिलों में गिनी कृमि का रोग बहुत फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गिनी कृमि रोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या योजनाएं हैं तथा उन्हें कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई योजना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम 7 स्थानिकमारी वाले राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, पहले ही शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य किए हैं वे इस प्रकार हैं :

(क) ग्रामीण जल पूर्ति विभाग द्वारा गिनी कृमि स्थानिकमारी वाले गांवों/हैमलिटों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित जलपूर्ति की व्यवस्था करना।

(ख) रोगों से अपने बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना।

(ग) इण्टरमीडिएट होस्ट अर्थात् साइक्लोप्स को समाप्त करने के लिए कुओं के पानी की रसायन विधि से सफाई।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का इलाज।

(ङ) नियंत्रण संबंधी उपायों के प्रभावों पर निगरानी रखने के लिए वर्ष में दो बार सक्रिय रोगियों का पता लगाना।

गिनी कृमि रोग का सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उन्मूलन किए जाने की सम्भावना है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई रेल लाइनें बिछाने और वर्तमान लाइनों का विस्तार करने की योजना

448. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए देश में नई रेल लाइनें बिछाने अथवा वर्तमान लाइनों का विस्तार करने का कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा नई रेल लाइनें बिछाने अथवा वर्तमान

लाइनों का विस्तार करने के कितने प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नई लाइनें बिछाने और मौजूदा लाइनों के विस्तार के कार्य निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर किये जाते हैं :

(क) नये उद्योगों या प्रमुख खनिज तथा अन्य संसाधनों की सेवा के लिए परियोजनापरक लाइनें,

(ख) "मिसिंग लिंक" के रूप में सेवा करने के लिए, जो मौजूदा व्यस्त मार्गों पर संकुलन में राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं,

(ग) सामरिक महत्व की दृष्टि से, और

(घ) नये विकास केन्द्रों की स्थापना या दूरदराज स्थानों को पहुंच मार्ग प्रदान करने के लिए विकासात्मक लाइनों के रूप में। ऐसे मामलों में, सामान्य परियोजनाओं के लिए निर्धारित दर से प्रतिफल की निम्न दर भी स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन ऐसी नई रेलवे लाइनों का निर्माण करना, जो मूल्यह्रास में अंशदान सहित परिचालन लागत को पूरा नहीं कर सकती हैं, उपयुक्त नहीं होगा। तथापि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, विशेष मामले के रूप में, इन दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को शेष देश के साथ राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कुछ परियोजनाएं शुरू की गयी हैं।

(ख) इस समय नई लाइनों के निर्माण की 46 परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें से 7 परियोजनाएं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हैं। इनका ब्यौरा 1985-86 के रेलवे बजट में दिया गया है। तथापि, योजना आयोग ने सुल्तानपुर से रीवा और तामलुक से दीघा नयी लाइनों को शुरू करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने लक्ष्मीकान्तपुर-कुल्पी लाइन सहित बज-बज से नामखाना, सतना से रीवा और गुना से इटावा तक नयी लाइनों के लिए भी अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

कई नई लाइनों के लिए भी सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, जिनका ब्यौरा 1985-86 के रेल बजट के अनुदान की मांग में दिया गया है। इन सर्वेक्षणों के पूरा होने पर आगे कार्रवाई संसाधनों की उपलब्धता तथा योजना आयोग के परामर्श से की जाएगी।

[हिन्दी]

चन्द्रपुर-गोंदिया रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

449. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुर-गोंदिया (महाराष्ट्र) रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव

सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अहरौरा स्टेशन पर बम्बई जनता गाड़ी का रुकना

* 450. श्री राम प्यारे पनिका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर जिले के लोगों ने बम्बई जनता गाड़ी को अहरौरा स्टेशन पर रोकने की कोई मांग की थी;

(ख) क्या यह रेल गाड़ी पहले अहरौरा स्टेशन पर रुका करती थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अहरौरा रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी को फिर से रोकने की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

नई बम्बई के लिए रेल लाइनें

451. श्री एस० जी० घोलप
श्री डी० बी० पाटिल } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई बम्बई के लिए रेल लाइनें मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और कार्य की प्रगति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि नई रेल लाइनों की परियोजना के लिए मंजूर दो करोड़ रुपये में से 1.5 करोड़ रुपये मद्रास रेल परियोजना को दे दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या नई बम्बई के लिए कम से कम एक रेल परियोजना तत्काल पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। मानखुर्द से बेलापुर तक लाइन का विस्तार स्वीकृत हो चुका है।

(ख) 1980 के मूल्य स्तर पर 75.74 करोड़ रुपये 1 जून, 1985 तक 2 प्रतिशत काम हो चुका है।

(ग) और (घ) जी हां। लेकिन 1985-86 के लिए 2 करोड़ रुपये का मूल आवंटन अब ज्यों का त्यों कर दिया गया है।

(ङ) इस परियोजना का पूरा होना इस बात पर निर्भर है कि आगामी वर्षों में कितना धन उपलब्ध होता है।

केरल के पथानाथिट्टा और अलेप्पी जिलों के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस रेलगाड़ी रुकने की व्यवस्था करना

452. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के पथानाथिट्टा और अलेप्पी जिलों के महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर नहीं रुकती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पथानाथिट्टा और अलेप्पी जिलों के बीच के स्टेशनों पर इस रेलगाड़ी को रोकने की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

[हिन्दी]

"मानद" रेल पासों का जारी किया जाना

453. **श्री राज कुमार राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 1985 से कितने लागों को प्रथम और दूसरे दर्जे के रेल "मानद" पास जारी किए गए है;

(ख) उक्त पासों को जारी करने के क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) क्या संसद सदस्य की सिफारिशों पर रेलवे पास जारी करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सम्भवतः माननीय संसद सदस्य का "मानव" पासों से आशय रेल मंत्रालय द्वारा गैर-रेल कर्मचारियों/संगठनों को जारी किये गए मानार्थ कार्ड पासों से है। इन पासों का ब्यौरा राज्यवार नहीं अपितु केवल अलग-अलग नामवार रखा जाता है।

(ख) ये पास रेल मंत्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर जारी किए गए हैं।

(ग) मानार्थ पास जारी करने के लिए संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

सीटों के आरक्षण के लिये रिश्वत लेने के सम्बन्ध में शिकायतें

454. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में सीटों के आरक्षण के लिए रिश्वत लेने सम्बन्धी शिकायतों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी भ्रष्ट तरीकों का पता लगाने और उनका उन्मूलन करने के लिए सभी नौ क्षेत्रीय रेलों तथा रेल मंत्रालय में भी पूर्ण सतर्कता संगठन मौजूद हैं। विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के अलावा सतर्कता संगठन अपनी ओर से बहुत बड़ी संख्या में निवारक जांच भी करते हैं। भ्रष्टाचार तथा कदाचारों के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों को कड़े दण्ड दिये जाते हैं।

भारतीय जहाजों का लापता होना

[अनुवाद]

455. डा० गौरीशंकर राजहंस
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में "मिस्टरी शराउंड्स टू मिसिंग इण्डियन शिप्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन दो जहाजों के लापता होने के सम्भावित कारण क्या हो सकते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन जहाजों का, जो 21 जून, 1985 से लापता हैं, पता लगाने के क्या प्रयत्न किए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन जहाजों के डूबने या लापता होने के बारे में कोई निश्चित कारणों को बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) दो गायब जहाजों के बारे में सूचना की प्राप्ति पर, भारतीय नौसेना और तट रक्षक जहाजों ने इसकी गहराई से छान-बीन की। नौसेना के वायुयानों की सेवाओं का भी उपयोग किया गया। तथापि, इस खोज और बचाव परिचालन से इन जहाजों का पता नहीं लगाया जा सका। वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा 360 के तहत विधिवत् जांच के आदेश दिये गए हैं।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की उत्पादन क्षमता का कम उपयोग

456. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की उत्पादन क्षमता के कम उपयोग के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी क्षमता के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल): (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना के दौरान चितरंजन रेल इंजन कारखाने की डीजल और बिजली रेल इंजनों के निर्माण की क्षमता 475 रेल इंजन थी। लेकिन योजना आयोग द्वारा आबंटित धनराशि के आधार पर 459 रेल इंजनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था।

वास्तविक उत्पादन 419 रेल इंजन रहा जो लक्ष्य का 91.3 प्रतिशत है।

(ग) पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए डीजल इंजनों की री-पावर पैकिंग डीजल इंजनों की आवधिक ओवरहाल और रेल इंजनों के अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई जैसे वैकल्पिक कार्य तलाश करने के उपाय किए गए थे। इससे उपलब्ध क्षमता और उसके उपयोग के बीच का अंतर बहुत कुछ कम हो गया है।

सातवीं योजना के दौरान पूरी क्षमता का उपयोग करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

कसई और स्वर्ण रेखा नदियों की घाटियों में भूमिगत जल संसाधनों का अध्ययन

457. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने कसई और स्वर्ण रेखा नदी घाटियों में भूमिगत जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया है;

(ख) क्या इस अध्ययन में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र और सूखा-प्रवण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो आदिवासियों की सिंचाई तथा पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठोर चट्टानी क्षेत्रों में भूमिगत जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने यू० एन० डी० पी० की सहायता से बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में कसई तथा स्वर्ण रेखा नदी बेसिनों में 29,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमिगत जल संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की है।

(ख) इस परियोजना के अध्ययनों में बिहार में रांची और सिंहभूमि जिलों के आदिवासी क्षेत्र, उड़ीसा में मयूरभंज जिला और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा एवं मिदनापुर जिलों के आदिवासी तथा बाढ़ प्रणव जिले शामिल हैं।

(ग) भूमिगत जल विकास के लिए प्रत्याशित क्षेत्रों तथा खुदाई कुंओं एवं नलकूपों के लिए स्थलों के बारे में राज्य सरकारों को सिफारिश की जाती है।

पुराने यात्री रेल डिब्बों को बदलना

458. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और 1984 के अन्त तक कितने पुराने यात्री रेल डिब्बों को बदलने की जरूरत थी;

(ख) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान कितने बदलने योग्य यात्री डिब्बों को हटाया गया है, और

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान कितने नए यात्री डिब्बों का निर्माण किया गया और इनमें से कितने यात्री डिब्बों का वास्तव में पुराने यात्री डिब्बों को बदलने के लिए उपयोग किया गया तथा वर्ष 1983-1984 के दौरान निर्मित सभी यात्री डिब्बों का उपयोग पुराने यात्री डिब्बों को बदलने में न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) वर्ष 1983-84 के अन्त तक सभी आमानों के 2035 यात्री वाहनों का बदलाव अपेक्षित था।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान सभी आमानों के 779 यात्री वाहनों को नाकारा कर दिया गया था।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान 1159 नए सवारी डिब्बों का निर्माण किया गया था। इनमें से 943 सवारी डिब्बों का उपयोग गतायु सवारी डिब्बों को बदलने के लिए किया गया था और शेष का उपयोग पुरानी सेवाओं को बढ़ाने तथा नई गाड़ियां आरम्भ करने के लिए किया गया था।

गैर-सरकारी बसों के भाड़े की दरें बढ़ाने से दिल्ली परिवहन निगम को घाटा

459. श्री ललित माकन : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली गैर-सरकारी बसों के भाड़े की दरें बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ख) भाड़े की दरों में वृद्धि से दिल्ली परिवहन निगम को कुल कितना घाटा होगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट प्रचालकों की बसों की भाड़ा की दरों को जिन्हें पहले अगस्त 1981 में निर्धारित किया गया था उन्हें, प्रचालन लागत बढ़ जाने की कारण सितम्बर 1984 से बढ़ा दिया गया है।

(ख) भाड़े की बढ़ी हुई दरों के कारण वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में क्रमशः 1.01 करोड़ रु० तथा 2.15 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय होगा।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

460. श्री चित्त महाता : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रस्तावित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को नियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड निगम बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) विद्युत के पारेषण सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा केंद्र के स्वामित्व में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड स्थापित करने के लिए ब्यौरे तथा रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल

ने अपनी रिपोर्ट में विद्युत के पारेषण और वितरण का निरीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड निगम स्थापित करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

लखनऊ और चोपन के बीच वाराणसी होकर एक रेलगाड़ी चलाना और असम मेल और तिनसुखिया मेल के मार्ग में परिवर्तन करना

461. श्री मदन पांडे
श्री काली प्रसाद पांडेय } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लखनऊ और चोपन के बीच वाराणसी होकर एक रेलगाड़ी चलाने का है ;

(ख) क्या सरकार तिनसुखिया मेल और असम मेल के वर्तमान मार्ग में परिवर्तन करने पर भी विचार कर रही है जिससे कि इन गाड़ियों को गोरखपुर और लखनऊ के रास्ते से होकर चलाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो कौन-सी तारीख से; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) नई गाड़ी चलाने के लिए रेलों के पास सवारी डिब्बे नहीं हैं। तिनसुखिया और आसाम मेल वर्तमान मार्ग पर काफी लोकप्रिय है और इसलिए इनका मार्ग बदलना वांछनीय नहीं होगा।

[अनुवाद]

हावड़ा पुल

462. श्री नारायण चौबे : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1985 के "स्टेटसमैन" के कलकत्ता संस्करण में "सी० पी० टी० कन्सर्न अबाउट डैमेज टू हावड़ा ब्रिज" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल की 100 फुट लम्बी रेलिंग हाल ही में चोरी हो गई है,

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की कला विध्वंसक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज ने अन्य परामर्श दाताओं के साथ पुल की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण किया था;

(ङ) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हावड़ा पुल के फुटपाथ और कैरिजवे के बीच रेलिंग की 23 मीटर लम्बी पाइप की 12/13 मई, 1985 की रात को चोरी हो गई। राज्य पुलिस द्वारा पुल की नियमित रात्रि गश्त की जा रही है।

(घ) से (छ) जी हां। अध्ययन के पहले चरण का सर्वेक्षण प्रगति पर है। अध्ययन के तीन में से दो चरणों के पूरा हो जाने के बाद कुछ सिफारिशों के प्राप्त होने की आशा है।

छठी योजना के दौरान कोचीन शिपयार्ड की विस्तार योजना

463. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान कोचीन शिपयार्ड के विस्तार की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना कार्यान्वित नहीं की गई;

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(ङ) शिपयार्ड की विस्तार योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में जोड़ी गई योजनाएं मुख्यतः नये/अतिरिक्त नये तथा विस्तार कार्यक्रम की वृद्धि से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) चूंकि पोत मरम्मत सुविधाएं 1981 में ही प्रारम्भ की गई थी और मूल परि-

योजना सभी मायनों में 1984 में ही पूरी हुई थी, अतएव ऐसे समय में किसी नई योजना पर और धन लगाना व्यर्थ था, जबकि उत्पादन में स्थिरता और व्यवस्था में बाधाएं स्पष्टतः प्रतीत होने लगी।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा पोत, निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग के लिए बनाये गए कार्यकारी दल ने कोचीन शिपयार्ड में पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधाओं में विस्तार के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार किया। चूंकि सातवीं योजना के मुद्दों तथा आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने और इस प्रकार की योजनाओं की आर्थिक तथा वित्तीय व्यवहार्यता का पता चलने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

हुबली तथा कारवाड़ रेल सम्पर्क

464. श्री डी० के० नायकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि हुबली कारवाड़ रेल सम्पर्क के बारे में दो बार सरकारी सर्वेक्षण हो चुका है;

(ख) क्या रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कारवाड़ तथा कारवाड़ के उद्योगों के विकास को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में परियोजना लाभकारी तथा उचित सिद्ध होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम से कम वर्ष 1986-87 में हुबली कारवाड़ रेल मार्ग का निर्माण करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) हुबली और कारवाड़ के बीच एक लाइन के निर्माण के लिए 1964, 1973 और 1977 में सर्वेक्षण किये गए थे। लेकिन, हर बार-यह परियोजना वित्तक्षम नहीं पाई गई थी। अतः इसे आस्थगित कर दिया गया था। स्थिति में नवीनतम परिवर्तनों को ध्यान में रखकर पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण करने के लिए पुनः आदेश दिये गए हैं। पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच कर ली जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के बारे में विनिश्चय किया जाएगा बशर्ते योजना आयोग इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे।

दिल्ली-जोधपुर, दिल्ली-अहमदाबाद और अहमदाबाद मंडोर सुपरफास्ट रेलगाड़ियों को प्रतिदिन चलाना

465. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-जोधपुर दिल्ली-अहमदाबाद और अहमदाबाद-मंडोर सुपरफास्ट रेलगाड़ियों को प्रतिदिन चलाने में क्या कठिनाई अनुभव की जा रही है; और

(ख) इन रेलगाड़ियों को यात्रियों की सुविधा के लिए कब से प्रतिदिन चलाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) इन गाड़ियों को प्रतिदिन चलाने के लिए रेलों के पास सवारी डिब्बे और डीजल इंजन नहीं हैं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित करने संबंधी मानदण्ड

466. **श्री पी० कुलनवेईवेलू** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित करने के सम्बंध में किन मानदण्डों का पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित करके भारतीय ठेकेदारों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य से दूर रखने का प्रयत्न कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए ही भारत सरकार उत्तरदायी है। तथापि इनके कार्य का उत्तरदायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग के पास है और इस प्रकार के कार्यों के लिए टेंडर मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य लोक निर्माण विभाग आमंत्रित करते हैं। हाल में 6 परियोजनाओं के मामले में, जिन पर विश्व बैंक 200 अमेरिकी डालर तक की वित्तीय सहायता दे रहा है, विश्व बैंक ने निर्धारित किया है कि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर मांगे जांय। भारतीय ठेकेदारों को इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए तथापि 7.5 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

विभिन्न राज्यों को चीनी की ढुलाई

467. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को चीनी की ढुलाई को उच्चतम प्राथमिकता देने के निदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दस लाख टन आयातित चीनी को देश के विभिन्न भागों में भेजने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या यह निर्णय किया गया है कि चीनी की ढुलाई की जानी चाहिए चाहे इसका अन्य वस्तुओं की ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(घ) यदि हां, तो निदेश जारी किये जाने के पश्चात रेलवे ने चीनी की ढुलाई को किस सीमा तक उच्चतम प्राथमिता दी ; और

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों को चीनी भेजने के लिए कोई विशेष माल डिब्बे उपलब्ध कराए गए ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) अधिमान्य यातायात अनुसूची में लेवी चीनी के संचलन को प्राथमिकता दी जाती है जो सैनिक यातायात के बाद उच्चतम प्राथमिकता है और इसलिए संचलन में इसे अन्य पण्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) जी नहीं।

गोहाटी इनलैंड कन्टेनर डिपो और कलकत्ता बन्दरगाह के बीच कन्टेनर से ढुलाई

468 **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी इनलैंड कन्टेनर डिपो और कलकत्ता बन्दरगाह के बीच लदे हुए और खाली कन्टेनरों के पारगमन में कितना समय लगेगा;

(ख) रास्ते में किसी प्रकार के विलम्ब अथवा नुकसान के लिए कौन सी एजेन्सी जिम्मेवार होगी;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) लदे हुए तथा खाली दोनों तरह के कन्टेनरों के लिए पारवहन समय लगभग छः से सात दिन होगा।

(ख) से (घ) इस प्रकार के मामलों पर रेलों द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई नये दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। रेलें उचित समय के भीतर पारवहन सुनिश्चित करेंगी।

गुजरात में जनवरी, 1985 से रद्द की कई गाड़ियां

469. **श्री अमरीक सिंह राठवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में, विशेषकर बड़ौदा जिले में, जनवरी, 1985 से अनेक गाड़ियां रद्द की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उस क्षेत्र के लोग उन सेवाओं को बहाल करने पर जोर दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) 1-1-85 से 15-7-85 की अवधि में भारी वर्षा, पानी रुक जाने, गाड़ियों के पटरी से उतरने, इंजनों की अनुपलब्धता और इंजनों की खराबी जैसे

विभिन्न कारणों से गुजरात क्षेत्र में 1684 गाड़ियां रद्द की गयीं/आंशिक रूप से रद्द की गयीं जिनमें बड़ोदरा मंडल पर एदद/आंशिक रूप से रद्द 1592 छोटी लाइन की गाड़ियां शामिल हैं। नीति के रूप में, भाप इंजनों का निर्माण बन्द कर दिया गया है और वर्तमान संसाधनों की सहायता से ही उपलब्ध सेवाओं को बनाये रखना अपेक्षित है। छोटी लाइन खण्डों के डीजलीकरण पर संसाधनों की उपलब्धता और प्राथमिकताओं के बृहद प्रश्नों के साथ-साथ विचार करना होगा। पश्चिम रेलवे पर गाड़ियों का रद्द किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अपने वर्तमान संसाधनों के भीतर ही इन छोटी लानइ सेवाओं को चालू रखने पर जोर दिया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में सीटों की कुल कमी

470. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में कुल मिलाकर सीटों की कितनी कमी है;

(ख) क्या 55 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले कोई भी विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में दाखिला मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) 1985 के दौरान दिल्ली से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों की संख्या, जिन्होंने 40% अथवा अधिक अंक प्राप्त करके दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेजों में विभिन्न अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए अर्हता प्राप्त की है, 41, 226 हैं। इसके मुकाबले में विभिन्न पूर्णकालिक अवर स्नातक पाठ्क्रमों, पत्राचार पाठ्यक्रमों और गैर-कालेज महिला शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किये जा रहे कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय 39,398 छात्रों को दाखिल कर सकता है। तदनुसार, लगभग केवल 1800 स्थानों की आंशिक कमी होगी। दिल्ली से अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध समग्र सुविधाओं को कुल मिलाकर पर्याप्त समझा जाता है।

विदेश से बोगियों का आयात

471. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल**
श्री जी० भूपति } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा वैगन निर्माण उद्योग को नये क्रयादेश नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशों से कई हजार बोगियों के आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सम्प्रति, रेलें प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने की दृष्टि से भारत में तुलनात्मक सेवा परीक्षण करने के लिए कुछ किस्मों की आधुनिक बोगियों का आयात करने का विचार कर रही है।

गौहाटी-सिलीगुड़ी और बरसोई राधिकापुर खण्ड का विद्युतीकरण

472. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे विशेषकर गौहाटी से सिलीगुड़ी और बरसोई से राधिकापुर खंड में व्यापक रेलवे विद्युतीकरण कार्यक्रम के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रेलों का विद्युतीकरण एक ऐसा कार्य है जिस पर भारी पूंजी निवेश करना पड़ता है और यह निवेश प्राथमिकता के आधार पर उन खंडों पर किया जाता है जहां यातायात का घनत्व सबसे अधिक होता है। इस समय प्राथमिकताएं दिल्ली बम्बई, कलकत्ता-बम्बई और दिल्ली-मद्रास खंडों के ट्रंक मार्गों तथा कोयला, लौह अयस्क आदि की ढुलाई वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के विद्युतीकरण को दी जा रही हैं। उक्त तथ्यों को तथा संसाधनों की तंगी और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के खण्डों पर यातायात के कम घनत्व को देखते हुए इन खण्डों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

समस्तीपुर-बाराबंकी-लखनऊ लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के उद्देश्य

473. श्री मानिक सन्याल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर-बाराबंकी-लखनऊ मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और उत्तर-पूर्वी रेलवे में एक बड़ी लाइन के निर्माण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं के पूरा होने से उक्त उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर-बाराबंकी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य मुख्यतः भारी मात्रा में होने वाले यानान्तरण को दूर करने/कम करने के लिए थ्रू बड़ी लाइन की व्यवस्था करने तथा एक अधिक कुशल प्रणाली प्रदान करने की दृष्टि से शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, रफ्तार अधिक होने के कारण यातायात का संचालन तेजी से होगा।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में बिजली का करेंट लगने से हुई मौतें

474. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि 10-6-1985 को उत्तरी दिल्ली में जहांगीरपुरी में तूफान के कारण एल० टी० फीडर में विद्युत कंडक्टर के गिर जाने से एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या शोक संतप्त परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो क्या मुआवजा की राशि पर्याप्त है तथा क्या इस सम्बन्ध में ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

(विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री) श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विद्युत सप्लाई की ओवर-हैड प्रणाली में पर्याप्त गार्ड लगाये जा रहे हैं और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा नैमेत्तिक अनुरक्षण कार्य के अतिरिक्त, कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के विद्युत निरीक्षक द्वारा की जा रही वैधानिक जांच के पूरा होने तक शोक संतप्त परिवार को 15,000 रु० का अन्तरिम भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय छात्रों को विदेशी छात्रवृत्तियां दिया जाना

475. श्री मूलचन्द डागा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रमंडल और अन्य देशों की छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है और उनमें सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की अलग-अलग संख्या क्या है और इन छात्रवृत्तियों को दिए जाने का मानदन्ड क्या है; और

(ख) इन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने वाले देशों के क्या नाम हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रमण्डल और अन्य देशों द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या वर्ष 1983-84 के दौरान 172 और वर्ष 1984-85 के दौरान 168 थी। सरकारी कर्मचारियों तथा प्राइवेट कर्मचारियों के बच्चों के अनुसार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में पिता/अभिभावक के नाम, व्यवसाय आदि के सम्बन्ध में कोई कालम नहीं है।

विभिन्न देशों द्वारा पेश की गई शर्तों के अनुसार मानदण्ड भिन्न हैं लेकिन सामान्यतया छात्रवृत्तियां पी० एच० डी० तथा उत्तर डाक्टोरल अध्ययनों के लिये होती है, जिनके लिये न्यूनतम अपेक्षाएं है स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, दो वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान/व्यावहारिक अनुभव और आयु 35 वर्ष से अधिक न हो। छात्रवृत्तियां सभी के लिये उपलब्ध हैं तथा चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। आवेदन-पत्र समाचार-पत्र विज्ञापनों और परिपत्रों के जरिये आमन्त्रित किये जाते हैं और अन्तिम चयन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कारों के जरिये किया जाता है।

(ख) सोवियत रूस, जर्मन जनवादी गणराज्य, पोलैण्ड, हंगरी, युगोस्लाविया, जापान, अमेरिका, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की, जर्मन संघीय गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, यूनान, स्विटजरलैंड, स्वीडन, स्पेन, इटली, नार्वे, चीन, यू० के० कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।

[अनुवाद]

विदेशी विद्वानों के भारत में दौरे पर आने के लिए कठोर मार्ग निर्देश

476. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे नए मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार विदेशी विद्वानों के भारत में दौरे पर आने को और कठोर बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी अध्येताओं के भ्रमण के संबंध में अपनायी जाने वाली पद्धति के बारे में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों के सुलभ सन्दर्भ को सुकर बनाने के लिए हाल ही में समेकित किया गया है तथा सभी विश्वविद्यालयों/ समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों आदि के कुलपतियों को उनके मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए सूचित कर दिया गया है।

मेरठ-जींद रेल लाइन

477. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को बागपत से जींद तक बरास्ता सोनीपत और गोहाना रेल लाइन न होने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मेरठ से बागपत-सोनीपत-गोहाना-जींद तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करना है जिससे दोनों राज्यों में आने और जाने के लिए दूरी कम हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, इस समय मेरठ-जींद रेल लाइन का सर्वेक्षण / निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी रेलवे हाल्टों तथा स्टापों को जारी रखना

478. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने रेलवे हाल्टों तथा स्टापों को जारी रखा जा रहा है;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान इस प्रकार के कितने हाल्टों को समाप्त किया गया है; और

(ग) उनको आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) सूचना क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली

479. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे निकट भविष्य में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना पैसा खर्च किया जाएगा ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) . (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली क्षेत्र में 11.87 करोड़ रुपये की लागत से एक पायलट योजना के रूप में शायिका और सीट का कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण किया जाना प्रारम्भ किया गया है। यह कार्य बस

रहा है। इस प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो जाने के बाद, ऐसी ही व्यवस्था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी की जाएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

[हिन्दी]

बाह्य दिल्ली के गांवों के आस पास कालेज

480. श्री भरत सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह्य दिल्ली के नजफगढ़, बवाना, कुतुबगढ़ जैसे गांवों में कोई कालेज नहीं है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण छात्रों को भारी असुविधा होती है और उन्हें शहर जाना पड़ता है जिसमें काफी समय लगता है; और

(ख) क्या सरकार का इन क्षेत्रों के लिए नए कालेज खोलने की व्यवस्था करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इन गांवों के अड़ोस पड़ोस में कोई कालेज नहीं है। इन क्षेत्रों के छात्र इस समय राजधानी कालेज शिवाजी कालेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला कालेज और स्वामी श्रद्धानन्द कालेज, जो इन गांवों के नजदीक हैं, में दाखिला लेते हैं।

(ख) विशेष रूप से इन क्षेत्रों के लिए कोई नया कालेज खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा-नई दिल्ली रेल लाइन का विद्युतीकरण

481. श्री बी० सोभनाद्रीश्वरा राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा-नई दिल्ली रेल लाईन के विद्युतीकरण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है और 1985-86 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) इस लाइन का कब तक विद्युतीकरण हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सातवीं योजना में अपेक्षित धनराशि—276.46 करोड़ रुपये। 1985-86 में निर्धारित की गयी धनराशि—51.16 करोड़ रुपये।

(ख) 1988-89 तक।

मणिपुर में सिंग्दा बांध परियोजना

482. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मणिपुर में सिंग्दा बांध परियोजना के निर्माण के लिए प्रभारी राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में श्रमिक कठिनाइयों के कारण यह परियोजना पिछले तीन वर्ष से कोई प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी है;

(ख) क्या मणिपुर सरकार ने इस मामले को केन्द्र के साथ उठाया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंग्दा बांध परियोजना पर कार्य की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिसका मुख्य कारण, निधियों की अपर्याप्तता, दरों को संशोधित करने के लिए बातचीत करने में लिया गया समय तथा डिजाइनों और ड्राईंगों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रमिकों से सम्बन्धित कुछ मामूली समस्याएं आई थी परन्तु इनके कारण परियोजना के कार्य की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मणिपुर सरकार ने किसी भी स्तर पर केन्द्र सरकार के साथ इस परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाली राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के अन्दर श्रमिक से संबंधित समस्या का मामला नहीं उठाया था।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

483. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को वर्ष 1984-85 के दौरान बिहार से कितनी योजनाएं मंजूरी हेतु प्राप्त हुई हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितनी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और कितनी योजनाएं अभी तक लम्बित हैं; और

(ग) शेष योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने गांवों के विद्युतीकरण की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू): (क) 1984-85 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम में बिहार से 164 स्कीमें प्राप्त हुई थीं।

(ख) अब तक 91 स्कीमों को मंजूरी दी जा चुकी है, 46 स्कीमें अस्वीकृत कर दी गई थीं/राज्य बिजली बोर्ड को वापिस भेज दी गई थीं और 27 स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास लम्बित पड़ी हैं।

(ग) लम्बित 27 स्कीमों पर, जिनके अन्तर्गत लगभग 1200 गांवों का विद्युतीकरण किया

जाना है, चालू करने के दौरान निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मंजूरी देने के लिए, विचार किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

सिंचाई क्षमता का उपयोग न किया जाना

484. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है जैसाकि दिनांक 5 जुलाई, 1985 के "इकोनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस स्रोत का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार, द्वारा उन सिंचाई क्षमता प्रयोक्ताओं को, जो अपने निकट उपलब्ध कराई गई सिंचाई क्षमता का उपयोग करने से इंकार करते हैं, दण्डित करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के अन्त तक लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है तथा स्थिति को ठीक करने के लिए अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) समेकित विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें फील्ड चैनलों तथा खेत-नालियों का निर्माण, भूमि समतलन तथा भूमि को आकार देना, वाराबन्दी लागू करना, भूतल तथा भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना, निवेशों की सप्लाई का आयोजन तथा ऋण सुविधाएं आदि शामिल है।

(2) निर्माणाधीन परियोजनाओं मे 40 हेक्टेयर ब्लाक जल-निकास से 5 से 8 हेक्टेयर तक ब्लाक जल-निकास के लिए जल मार्गों का निर्माण और आधुनिकीकरण स्कीमों में पूरी की जा चुकी परियोजनाओं के लिए समान व्यवस्था शामिल करना।

(3) पूरी की जा चुकी सिंचाई प्रणालियों को यथावश्यक चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाना।

(ग) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण इस संबंध में आवश्यक कदम उठाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

चम्बल नदी के समीप विद्युत परियोजना

485. श्री कमोदी लाल जाटव : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश में तेज बहाव वाली चम्बल नदी के समीप कोई विद्युत परियोजना का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार मुरेना के आस-पास सघन विकास सुनिश्चित करने हेतु कुछ विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और उसकी मुख्य बातें क्या होंगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) वर्तमान में, चम्बल नदी पर जल-विद्युत स्कीमें नामशः गांधी सागर (5 × 23 मेगावाट), राणा प्रताप सागर (4 × 43 मेगावाट) और जवाहर सागर (3 × 33 मेगावाट) पहले ही प्रचालनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चम्बल दायां तट मुख्य नहर (3 × 0.31 मेगावाट) के लिए एक परियोजना प्रस्ताव हाल ही में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है। परियोजना की निर्माण की अवधि तीन वर्ष है और पूरा होने पर इससे 5 मेगावाट आवर वार्षिक विद्युत उत्पादन होगा ।

[अनुवाद]

कन्टेनर व्यवस्था

486. डा० जी० विजय रामा राव : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे कर्मचारियों की कार्य सम्बन्धी आदतें और कार्य के प्रति दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जहाजों के लिए कन्टेनर व्यवस्था के पूर्ण प्रभाव पर विचार करके इसे अन्तिम रूप दे दिया है तथा इसे कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) क्या इस पर खर्च होने वाली अधिक लागत को देखते हुए इससे हमारी उत्पादकता में सुधार होगा;

(ग) क्या अब तक कोई अध्ययन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कंटेनर व्यवस्था का, कार्य करने सम्बन्धी आदतों, कर्मचारी का कार्य के प्रति दृष्टिकोण पर प्रभाव को संबंधित एजेंसियों जैसे पत्तनों शिपिंग लाइनों आदि के द्वारा बराबर मूल्यांकन किया जा रहा है और इससे संबंधित आवश्यक परिवर्तनों/संशोधनों को धीरे-धीरे किया जा रहा है। भारतीय नौवहन निगम ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेनर व्यवस्था के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उत्पादकता की तुलना में उस पर होने वाले खर्च तथा लाभ के बारे में संबंधित अध्ययन इससे सम्बन्धित संगठनों जैसे समुद्री परिवहन के बारे में जहाज के मालिकों द्वारा,

भूमि परिवहन के लिए रेलवे द्वारा टर्मिनल हैंडलिंग सुविधाओं के बारे में पत्तनों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय नौवहन निगम ने पारम्परिक सेवाओं को पूर्ण कंटेनर सेवा में बदलने से पहले आई०एम० ओ० कंसलटेंट द्वारा तथा स्वयं अपने द्वारा इस बारे में अध्ययन किया था।

घटिया औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियों को काली सूची में रखना

487. श्री राम भगत पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन औषधि कम्पनियों को काली सूची में रखने की है जिनको तीन से अधिक बार घटिया औषधियों का निर्माण करते हुए पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नेत्रहीन उद्यमियों के विकास के लिए पोलिटैक्निक की स्थापना

488. श्री हरिहर सोरेन : क्या महिला और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ द्वारा देश में नेत्रहीन उद्यमियों के लिए प्रथम पोलिटैक्निक की स्थापना कीग ई है;

(ख) यदि हां, तो यह पोलिटैक्निक की स्थापना किस स्थान पर की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इस प्रकार के और अधिक पोलिटैक्निक स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) और (ख) राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, बम्बई ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) में नेत्रहीनों के लिए एक पोलिटैक्निक की स्थापना की है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान रेलों के पुनर्निर्माण हेतु कार्यक्रम

489. श्री के० प्रधानी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलों के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्निर्माण कार्य में कौन-सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं;

(ग) क्या उन कार्यक्रमों को सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) उन पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) रेलों का पुनः स्थापन/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। पुनः स्थापन/आधुनिकीकरण में चल स्टाक और रेल इंजनों, कर्षण, रेल पथ, अनुरक्षण, अवसंरचना, सिगनल और दूर संचार व्यवस्था में सुधार करना शामिल है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में निवेश करने का निर्देश दिया जायेगा और उसके लिए धनराशि सातवीं योजना में रेलों के लिए किये जाने वाले आबंटन पर निर्भर करेगी।

बदरपुर ताप विद्युत परियोजना के आसपास गांवों को प्रदूषण का खतरा

490. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या सिंचाई और ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चलाये जाने वाले बदरपुर बिजली घर में कोयले के काम के कारण पास के गांव, मोलाडबंद में कोयले की धूल फैल जाती है जिससे गांव के लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जब कभी कोयले की सप्लाई में बारीक धूल की मात्रा अधिक होती है और हवा का रुख मोलड बंद गांव की ओर होता है, धूल गांव की ओर जाती है।

(ख) केन्द्र प्राधिकारियों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को समस्या की जानकारी है तथा उन्होंने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) कोयले की सप्लाई में धूल को सीमित करने के लिए कोयला प्राधिकारियों के साथ आवधिक विचार-विमर्श किया जाना।

(2) कोयले की उतराई के समय तथा प्रेषण प्रणाली के अन्तरणस्थलों पर पानी छिड़कना।

(3) उतराई वाले स्थान पर एक आहाते का निर्माण करना ताकि कोयले की धूल कम से कम फैले।

(4) स्टेक यार्ड से धूल की निकासी को नियन्त्रित करने के लिए उतराई वाले मार्ग का विस्तार करना।

(5) विद्युत केन्द्र और गांव के बीच प्राकृतिक आवरण की व्यवस्था करने के लिए विद्युत केन्द्र की बाउंडरी के साथ-साथ पेड़ लगाना तथा स्थिति की मानीटरिंग करने के लिए ग्रामवासियों के साथ समय-समय पर बातचीत करना।

सोहना और रामगढ़ होते हुए दिल्ली-अलवर रेल लाइन

491. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से अलवर के लिए सोहना, नुह, फिरोजपुर, जिरका, नौगवा, रामगढ़ होकर रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बाई-पासों का निर्माण

492. **श्री निर्मल खत्री :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सातवीं योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए किन किन स्थानों पर बाई-पासों के निर्माण की योजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ख) प्रस्तावित योजनाओं में से किस आधार पर बाई पासों के निर्माण की योजनाएं की जाती हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद बाई-पास योजना कब मंजूर की गई थी और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है, और

(घ) उत्तर प्रदेश में अन्य किन-किन स्थानों के लिए बाईपासों की योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं और उनको किस-किस तारीख को मंजूर किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के

बाद बाई-पासों के निर्माण सम्बन्धी स्कीम पर निर्णय लिया जायगा ।

(ख) बाई-पासों के निर्माण की आवश्यकता तभी पड़ती है जबकि शहरी लिंकों में जहां से राजमार्ग गुजरता है सड़क की कम चौड़ाई के कारण आगे सुधार कार्य अनुचित समझा जाता है और वहां पर यातायात की भीड़भाड़ होती है। यातायात की मात्रा और उनकी आपसी प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए तथा इस कार्य के लिये धन की उपलब्धता पर इन स्कीमों का चुनाव किया जाता है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-28 पर फैजाबाद बाईपास के एलाइनमेंट को 1971 में अनुमोदित किया गया था। तब से भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए कुल आवश्यकताओं को देखते हुए अपर्याप्त आबंटन के कारण, पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में फैजाबाद बाई-पास सहित इन बाई पासों के निर्माण को न्यूनतम प्राथमिकता दी गई। तथापि, इस बाईपास के चरण-I कार्य (भूमि कार्य और पुलियों के कार्य) को वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना में शामिल कर दिया गया है। इस स्कीम के अनुमान को संस्वीकृति मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया जायगा।

(घ) उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों के नाम जहां के लिए बाईपासों की संस्वीकृति दी जा चुकी है और उनकी संस्वीकृति की तारीख का उल्लेख नीचे किया गया है।

स्थान के नाम	संस्वीकृति की तारीख
(i) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर शाहजहांपुर बाईपास	4.8.1980
(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-25 (शिवपुरी-भोगनीपुर खंड) के काल्पी बाईपास का निर्माण	5.2.1981
(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-2 पर खागा बाईपास	4.5.1984
(iv) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-2 पर वाराणसी बाईपास का भूमि अधिग्रहण	29.8.1984
(v) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-2 पर फतेहपुर बाईपास	21.11.1984
(vi) राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर सीतापुर बाईपास	23.11.1984

[अनुवाद]

अमरावती-गुन्टूर एक्सप्रेस को डीजल से चलाया जाना

493. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष अमरावती-गुन्टूर एक्सप्रेस को डीजल से चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : जी नहीं।

[हिन्दी]

रेक बुक करने के लिए रेल भाड़े में रियायत

494. श्री विष्णु मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरा रेक बुक करने के लिए रेल भाड़े में कुछ रियायत देती है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक रियायत दी जाती है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) एक मुश्त ढोये जाने वाले कतिपय पण्यों जैसे खाद्यान्न, नमक, कोयला, अयस्क, सीमेंट, चूना पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा अथवा इस्पात आदि के लिए गाड़ी भार का वर्गीकरण रेल भाड़ा संरचना में एक निचले स्तर पर किया गया है, बशर्ते कि गाड़ी भार वर्गीकरण लागू होने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती हों। गाड़ी-भार ढुलाई के लिए छूट की सीमा 2.6 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत के बीच भिन्न भिन्न है जो बुकिंग के लिए प्रस्तुत किये गये पण्य पर निर्भर है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए धनराशि

495. श्री बी० बी० देसाई : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता से विद्युत क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए सातवीं योजना में, विद्युत क्षेत्र के लिए, लगभग 50 प्रतिशत कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 के दौरान विद्युत परियोजना की सहायता के लिये कब तक विदेशी सहायता मांगी जाएगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही है तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी इसका अनुमोदन किया जाना है। विद्युत परियोजनाओं के लिये द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता लेने का प्रश्न प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोषों पर निर्भर करता है।

सन्यासी छात्रों को छात्रवृत्ति

496. श्री पी० नामग्याल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहुलस्पीति और किन्नौर तथा

अरुणाचल तथा सिक्किम राज्य के तवांग क्षेत्रों से आने वाले सैकड़ों संन्यासी छात्रों, जो दक्षिण भारत में कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में वाराणसी आदि में विभिन्न मठों में बौद्ध संस्कृति और साहित्य में, खासतौर पर तिब्बती, साहित्य में विशिष्टता प्राप्त करते रहे हैं छात्र वृत्ति प्राप्त करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या छात्रवृत्तियां मन्जूर कर दी गई हैं और यदि नहीं, तो क्या उन्हें तत्काल छात्रवृत्ति देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, किन्नौर लाहुलस्पीति और सराजे मोनास्टिक कॉलिज, नियंगमापा मठ, एबेट, लूजलिंग कालेज में और कर्नाटक स्थित सभी कालेजों के छात्रों से बौद्ध संस्कृति, साहित्य और तिब्बती साहित्य के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में इन मठों और मठवासीय कालेजों में दाखिल 783 छात्रों को प्रति छात्र प्रति माह 25/- रुपये की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विशेष मामले के रूप में वर्ष 1983-84 के लिए 2,34,900 रुपए का तदर्थ अनुदान संस्वीकृत किया गया था। ये अनुदान अक्तूबर 1983 और जून, 1984 के बीच जारी किये गये थे।

यूरोपीय देशों में प्रतिबन्धित कुछ औषधियों के कुप्रभाव के बारे में अध्ययन

497. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बिक रही उन कुछ औषधियों के कुप्रभाव के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है जिन पर यूरोप के देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने ऐसी किसी औषधि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछेक देशों द्वारा जिन 31 औषधियों को बाजार से वापिस उठा लेने की सूचना दी है, उनमें से 14 औषधियों की भारत में बिक्री की अनुमति बिलकुल ही नहीं दी गई थी, 10 औषधियों को बाजार से वापिस उठा लिया गया है और शेष 7 औषधियों अर्थात् (1) नाइट्रोफ्यूरन कम्पाउण्ड, (2) फेनाफर्मिन (3) हाइड्रोक्सीक्वीनोलिन डेरिवेटिव्स (4) हायर डोजलिनेस्ट्रीनल प्रोडक्ट्स (5) पिपराजाइन (6) फैनिलबूटाजोन/ओजिफेनबूटाजोन तथा (7) अनलजिन को चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के बाद इस शर्त पर बेचने की अनुमति देदी गई है

कि औषधि के लेबल पर/पैकट में रखी पर्ची पर चेतावनी विवरण तथा विपरीत प्रभावों के बारे में लिखा जायेगा।

उड़ीसा में रेंगाली बांध का निर्माण

498. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रेंगाली बांध को पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है;

(ख) बांध को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उक्त बांध परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) रेंगाली बांध के वर्ष 1985-86 के अन्त तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। मुख्य बांध पर निर्माण कार्य अधिकतर पूरा हो गया है तथा शेष लघु कार्य चल रहे हैं।

(ग) और (घ) मार्च, 1985 के अन्त तक बाढ़ नियन्त्रण सेक्टर के अन्तर्गत विशेष ऋण सहायता के रूप में केन्द्र ने 34.22 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की थी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य की मानीटरी की जा रही है।

कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सहायता

499. **श्री अनिल बसु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बच्चे को एक ही कक्षा में दूसरे वर्ष के लिए शैक्षिक सहायता अनुज्ञेय है;

(ख) क्या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त एक बच्चे को शैक्षिक सहायता का दिया जाना बन्द हो जाता है;

(ग) क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक ही शैक्षिक सहायता ग्राह्य है; और

(घ) क्या इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि एक बच्चे को एक ही कक्षा में दूसरे वर्ष के लिए सहायता दी जाती, एक बच्चे को एक ही कक्षा में दूसरे वर्ष के लिए रोका जा सकता है और नियमों के अनुसार कर्मचारियों के 21 वर्ष से कम आयु के पुत्रों को पास और पी० टी० ओ० स्वीकृत किये जाते हैं, सरकार का एक बच्चे के मामले में शैक्षिक सहायता की ग्राह्यता सीमा को 18 वर्ष से 21 वर्ष तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, जहां तक रेलों का सम्बन्ध है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। 18 से 20 वर्ष आयु सीमा बढ़ाने का एक प्रस्ताव इस समय रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

दिल्ली परिवहन निगम में बसों की संख्या

500. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों और इसके अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनमें से कुछ बसें डीलक्स बसों के रूप में चलाई जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो डीलक्स बसों के रूप में चल रही दिल्ली परिवहन निगम की बसों तथा प्राइवेट बसों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 10.7.85 तक बसों की स्थिति इस प्रकार है : —

(i) दिल्ली परिवहन निगम की बसें	4023
(ii) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसें	1404 (प्रामाणिक आकार की बसें) 55 (छोटी बसें)

(ख) जी हां।

(ग) डीलक्स बसों के रूप में एक रुपया किराया पर चलने वाली बसों की सं० निम्नलिखित है :—

दिल्ली परिवहन निगम	49
दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसें	303

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की मई तथा जून 1985 के प्रत्येक शनिवार की आय

501. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अधिन चलने वाली प्राइवेट बसों सहित इसकी बसों से जून 1985 के प्रत्येक शनिवार को कितनी आय हुई; और

(ख) मई 1985 के प्रत्येक शनिवार के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसों सहित इसकी बसों से जून एवं मई, 1985 महीने के प्रत्येक शनिवार को हुई आय को नीचे दिया गया है।

दिन शनिवार	कुल आय (रुपये)
जून 1985	
1-6-85	17,21,668
8-6-85	18,12,981
15-6-85	18,27,625
22-6-85	18,26,894
29-6-85	18,88,536
मई, 1985	
4-5-85	17,72,756
11-5-85	17,21,797
18-5-85	15,16,394
25-5-85	18,20,191

तीस्ता बांध के लिए विशेष सहायता

502. **श्री आनन्द पाठक :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता बांध परियोजना के लिए चालू वर्ष में विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस मांग के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री) श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता बराज परियोजना के लिए चालू वर्ष के वास्ते 18 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण राज्यों को अपने योजनागत

संसाधनों में से करना होता है। राज्य को केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण योजना के लिए प्रदान की जाती है यह और क्रियाकलाप के किसी सेक्टर अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती।

रेलों में कम्प्यूटरीकरण

श्री श्रीहरि राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेलों के किस विशिष्ट कार्यक्षेत्र में कम्प्यूटरों के उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ग) रेलों के कम्प्यूटरीकरण करने की योजना का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) रेल संचालन के निम्नलिखित क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का उपयोग करने का प्रस्ताव है :—

(i) दो टियर संरचना प्रणाली-एक केन्द्रीय प्रणाली तथा एक क्षेत्रीय प्रणाली-के रूप में परिवहन प्रबन्ध जिसमें माल परिचालन सूचना एवं नियंत्रण प्रणाली शामिल होगी।

(ii) प्रमुख आरक्षण स्थलों पर वाणिज्यिक प्रबन्ध जिसमें यात्री सीटों/ शायिकाओं की आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शामिल है।

(iii) एकीकृत वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली, जिसमें कार्य-निष्पादन के लिए बजट व्यवस्था करना तथा जिम्मेदारी का लेखा जोखा रखने का काम शामिल है

(iv) सामग्री-प्रबन्ध;

(v) कार्मिक प्रबन्ध;

(vi) ईंधन प्रबन्ध;

(vii) परिसम्पत्ति प्रबन्ध;

(viii) उत्पादन योजना एवं नियंत्रण;

(ix) अनुसंधानएवं अभिकल्प;

(x) विविध उपयोग, जैसे परिचालन आंकड़े, ईंधन सम्पर्क, दावों के आंकड़े आदि।

(ग) नये कम्प्यूटरों के लिए उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित विभिन्न उपयोगों के लिए साफ्टवेयर के कार्य योजना/विकास/क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। योजना के "हार्डवेयर" वाले भाग में माल परिचालन सूचना एवं नियंत्रण प्रणाली, तथा "यात्री सीट/शायिका आरक्षण प्रणाली" के लिए बड़े पैमाने की कम्प्यूटर प्रणाली का विचार किया गया है। "माल परिचालन सूचना प्रणाली, के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है और दिल्ली में, एक पायलट योजना के रूप में,

यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

रेल संचालन के अन्य क्षेत्रों के लिए, सवारी डिब्बे कारखाना, मध्य रेलवे तथा दक्षिण-मध्य रेलवे में कम्प्यूटर पहले ही लगा दिये गये हैं और शेष सात क्षेत्रीय रेलों तथा दो उत्पादन यूनिटों के लिए कम्प्यूटरों का क्रयादेश दिया गया है। पहिया एवं धुरा संयंत्र, बैंगलूर के लिए एक कम्प्यूटर के लिए क्रयादेश दिया जा चुका है। इसके अलावा, सातवीं योजना अवधि के दौरान 25 प्रमुख मंडलों, 7 मरम्मत कारखानों, भंडार डिपुओं, डीजल पुर्जा कारखाना, पटियाला तथा अ० अ० मा० संगठन, लखनऊ में अग्रिम जनरेशन कम्प्यूटरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। उसी अवधि में 100 कार्यालय स्थलों पर माइक्रो-प्रोसेसर, कार्यालय स्वचालित उपस्करों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक विद्युत संयंत्रों की स्थापना

504. **श्री बाजूबन रियान :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जनवरी, 1985 से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न निर्माणाधीन स्कीमों के अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वी क्षेत्र में कुल 3470 मेगावाट तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 439 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी है तथा निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ग) जनवरी, 1985 से पूर्वी क्षेत्र में कुल 840 मेगावाट तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 80 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वी क्षेत्र में 2190 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं भी तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत की है।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश

505. **श्री जी० भूपति :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए वर्ष 1984 और 1985 में कितने छात्रों ने आवेदन किया था और कितने छात्रों को मेडिकल कालेज-वार प्रवेश दिया गया; और

(ख) कितने छात्रों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश नहीं मिला और इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जिन संस्थाओं का केन्द्रीय सरकार से सीधा संबंध है उनसे संबंधित सूचना इस प्रकार है :—

संस्था का नाम	पदों की संख्या	उन छात्रों की संख्या जिन्होंने एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए आवेदन-पत्र भेजे 1984	1985
1. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी	65	8086	7586
2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	130	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के तीन मेडिकल कालेजों के लिए संयुक्त रूप से प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है जिसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज भी शामिल है। इसलिए उन छात्रों की संख्या बताना संभव नहीं है जिन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में प्रवेश पाने हेतु आवेदन किया था।	
3. सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे	130	13900	15324

प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत चल रहे संस्थान

506. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत कितने संस्थान चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान उक्त संस्थानों में कितने व्यक्तियों को सुविधाएं मिलीं; और

(ग) ऐसे कितने संस्थान हैं जिनमें महिलाओं को उक्त सुविधा मिल रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य सरकारों/संघशासित क्षत्र के प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 1985 की तिमाही के दौरान देश में 2,29,476 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे।

(ख) 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में नामांकन क्रमशः 51.48 लाख और 65.91 लाख था।

(ग) जिन केन्द्रों में सीखने वाली महिलाएं थीं, उनकी संख्या वर्ष 1983-84 में 93,504 तथा वर्ष 1984-85 (सितम्बर, 1984 तक) में 1,03,069 थी।

बालासोर में श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस के रुकने की व्यवस्था करना

507. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बालासौर में अप और डाउन श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस के रुकने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 9 अप/10 डाउन श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस बालासौर में पहले से ही ठहरती है अतः किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने और उस पर कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में नहरों के लिए आवश्यक धनराशि

508. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में दो वृहद सिंचाई परियोजनाएं अगले वर्ष तक तैयार हो जाएंगी और सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी जिससे पूर्वी क्षेत्र में "चावल क्रांति" आ जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) रेंगाली बहु-उद्देश्यीय परियोजना के बांध वाले भाग के 1985-86 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है। तथापि, परियोजना के सिंचाई वाला भाग, जिस पर 792.04 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, निधियों की कमी के कारण आठवीं योजना में आगे चला जाएगा।

दिल्ली में बैटरी से चलने वाली मिनी बसें

509. श्री लक्ष्मण मलिक
श्री जी० जी० स्वल
श्री श्री-बल्लभ पाणिग्रही } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शोर-रहित, प्रदूषण मुक्त बैटरी से चलने वाली मिनी बसें चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने पहले ही से पुरानी दिल्ली में बैटरी चालित बसों को चलाना प्रारंभ कर दिया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा निर्मित एक बैटरी से चलने वाली गाड़ी को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी को फरवरी 1985 में इसकी क्षमता की निगरानी करने के लिए दिया है। तीन महीनों तक इसकी कार्यक्षमता की निगरानी करने के बाद, दिल्ली प्रशासन ने यह अनुभव किया कि पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इस प्रकार की बसें को चलाई जा सकती हैं जहां पर परिवहन के सस्ते साधन उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार की छ: बसें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० से प्राप्त की गई हैं और उन्हें दो मार्गों अर्थात् रूट सं०-1 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेरी गेट, चांदनी चौक और पुन: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वापस और रूट नं०-2 लालकिला से फतेहपुरी के बीच चलाई जाती है। इस प्रकार की एक बस की लागत लगभग 2 लाख रु० है और प्रत्येक बस को पुन: चार्ज करने के लिए प्रतिदिन 30 यूनिट की बिजली की खपत होती है एक बार चार्ज करने पर यह 50 से 70 किलोमीटर तक चलती है।

हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन पर अतिरिक्त लाइन

510. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन के रेल मार्ग पर अत्यधिक भीड़-भाड़ रहती है और इस पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने का भार वहन करने की क्षमता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भीड़-भाड़ वाली स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का विचार इस मार्ग पर अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने और उस पर अतिरिक्त अपेक्षित रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) संतरागाछी और पांसकुड़ा स्टेशनों के बीच चौथी लाइन तथा पांसकुड़ा और खड़गपुर के बीच तीसरी लाइन की व्यवस्था करने के लिए इस समय सर्वेक्षण चल रहा है। हौर-खड़गपुर खंड पर स्वचल सिगनल व्यवस्था, करने का कार्य, इस खंड की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से 1984-85 में बिना पारी के काम के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गंगा नदी में बाढ़ को रोकने संबंधी योजना

511. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गंगा नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए एक योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की आशा है; और

(ग) इस योजना पर कितनी धन राशि खर्च होने की संभावना है यह किन स्रोतों से जुटाई जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिए व्यापक योजना का प्रारूप तैयार किया है। इसमें विभिन्न बाढ़ सुरक्षा कार्यों जैसे जलाशय, तटबंध, जल निकास नालियां, तट सुरक्षा कार्य तथा भूमि संरक्षण उपाय आदि, की परिकल्पना की गई है। उक्त योजना के प्रारूप पर राज्यों की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु राज्यों में परिपत्रित किया गया है। इस बीच, योजना प्रारूप में शामिल किए गए कुछ कार्य राज्यों में निधियों की उपलब्धता के अनुसार शुरू भी कर दिए हैं।

(ग) व्यापक योजना में परिकल्पित कार्यों की अनुमानित लागत 1982 में 1977.50 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इन कार्यों पर आने वाले व्यय की व्यवस्था राज्यों द्वारा अपनी योजनागत निधियों में से की जानी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम का पुनर्गठन

512. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है जैसा कि तारीख

14 जून, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्जीनियरिंग तथा निर्माण सेवाओं को भी अलग-अलग करने की योजना है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम में प्रस्तावित परिवर्तन किस प्रकार से इसके कार्य निष्पादन में सुधार करेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

513. **श्री आनन्द पाठक :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर-बाराबंकी-लखनऊ लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और न्यू-बोंगाइगांव-गौहाटी बड़ी लाइन का निर्माण नामक दो रेल परियोजनाओं की मूल लागत में लगभग 115 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ऐसी सभी रेल परियोजनाओं में औसत लागत वृद्धि का यही अनुपात है;

(ग) यदि नहीं, तो औसत लागत वृद्धि का अनुपात क्या है; और

(घ) विभिन्न परियोजनाओं में लागत में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) आमान परिवर्तन की इन परियोजनाओं की लागत में 115 करोड़ रुपए से भी काफी अधिक की वृद्धि होने की सम्भावना है। यह वृद्धि मुख्यतः इन परियोजनाओं के निष्पादन की लम्बी अवधि के दौरान मजदूरी और सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है। कुछ वृद्धि बदली हुई परिस्थितियों में बाद में आवश्यक समझे गए कुछ ऐसे अतिरिक्त निर्माण कार्यों/सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने के कारण हुई है जिनके लिए मूल अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) एक परियोजना की लागत में वृद्धि और दूसरी परियोजना की लागत में वृद्धि का बहुत अन्तर होता है जो उसके पूरा होने की अवधि पर निर्भर करता है क्योंकि निर्माण-अवधि के दौरान संसाधनों की उपलब्धता और मुद्रा स्फीति की मात्रा का उन पर प्रभाव पड़ता है। यह कुछ सीमा तक बदली हुई परिस्थितियों की आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है जिनके कारण कार्य-विस्तार में अन्तर आवश्यक हो जाता है। संसाधनों के अपर्याप्त आबंटन तथा हाथ में ली हुई भारी वचनबद्धताओं के कारण आमान परिवर्तनों तथा नई लाइन परियोजनाओं के लिए संसाधनों की अल्प-

धिक तंगी है जिसके परिणामस्वरूप इस किस्म की परियोजनाओं की लागत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाती है।

(च) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक संसाधन जुटाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जाते हैं और नई परियोजनाएं न्यूनतम रखी जाती हैं ताकि संसाधन थोड़ा-थोड़ा न बंटे।

राज्यों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय

514. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मन्त्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने के स्थानों का सुझाव दिया था;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्यवार किन-किन स्थानों को चुना गया है;

(घ) क्या सातवीं योजना के दौरान प्रत्येक आई० टी० डी० ए०/आई० टी० डी० पी० परियोजना क्षेत्र में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालय मुख्यतः स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं और केन्द्रीय सरकार के योजनेत्तर बजट से वित्त पोषित हैं। राज्यों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

नौपाडा-गुनुपुर छोटी लाइन का यातायात सर्वेक्षण

515. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के नौपाडा-गुनुपुर छोटी लाइन का यातायात सर्वेक्षण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस छोटी लाइन में घाटे के क्या कारण हैं तथा इस घाटे को कम करने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नौपाडा-गुनुपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अभी हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न हां, नहीं उठता ।

(ग) इस लाइन के परिचालन में हो रहे घाटे का मुख्य कारण अत्यधिक कम यातायात और सड़क परिवहन के साथ कड़ी प्रतियोगिता है। संचालन व्यय कम करने तथा यथासम्भव सीमा तक बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध कड़ी जांच करके आमदनी में वृद्धि करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

गुनुपुर-नौपाडा गाड़ी को फिर से चलाना

516. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक रेल गाड़ी रद्द कर दी है जो गुनुपुर से नौपाड़ा के बीच चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गाड़ी को पुनः चलाने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं । केवल एक जोड़ी गाड़ी के चालन में आंशिक रूप से कटौती कर दी गई है ।

(ख) और (ग) ऐसा पारलाकिमिड़ी और गुनुपुर के बीच रात में गाड़ी न चलाये जाने के लिए किया गया । मानसून के बाद गाड़ी को पुन: चलाने के लिए कदम उठाये जाएंगे ।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा लिंग और आयु के बारे में अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना

517. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र दशक-मध्य सम्मेलन (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक) के लिए एशिया और प्रशांत तैयारी सम्मेलन की आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने यह सिफारिश की थी कि आंकड़े एकत्र करने वाले सभी राष्ट्रीय अभिकरण, जो भी सूचना एकत्र करें, उसके साथ वे लिंग और आयु का ब्यौरा प्रस्तुत करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बहुमूल्य सिफारिश पर कोई विचार किया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मन्त्रालय-महिलाओं के रोजगार और अन्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में गंभीर अन्तर को देखते हुए अपने मन्त्रालय में एकत्र किए जाने वाले सभी सम्बद्ध आंकड़ों में अब लिंग और आयु का ब्यौरा देना अनिवार्य करने और अन्य मन्त्रालयों को ऐसा करने के

लिए कहने पर विचार कर रहा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। फिर भी, नवम्बर, 1979 में नई दिल्ली में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के क्षेत्रीय प्रारम्भिक सम्मेलन में लिंगवार आंकड़े एकत्र करने की सिफारिश की गई थी।

(ख) और (ग) समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय ने "भारतीय महिलाएं — सांख्यिकीय रूपरेखा" से सम्बन्धित एक सांख्यिकीय संकलन प्रकाशित किया है। इस संकलन में दी गई सूचना लिंगवार है। महापंजीयक, जनगणना प्रचालन भी लिंग और आयु वर्गवार आंकड़े एकत्र करके प्रकाशित करता है।

सड़कों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग

519. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में राज्य सरकारों को राजमार्गों और बाईपासों के निर्माण कार्य में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी क्षेत्र की किन कम्पनियों ने इस सम्बन्ध में रुचि दिखाई है;

(ग) क्या महसूल के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोटर-सड़क के निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करने का भी कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार महसूल की वसूली पर किस प्रकार निगरानी रखेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रस्तावों पर सम्बन्धित राज्य सरकारें कारंवाई करेंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के चुने हुए खण्डों को वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे गये हैं। इस प्रकार के आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम

तारीख 30.9.85 है और अतः महसूल की निगरानी आदि के सम्बन्ध में स्कीम पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है ।

पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन

519. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में राज्य सरकारों से राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन हेतु एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम प्रारम्भ करने का निवेदन किया है;

(ख) क्या राज्यों में शिक्षा विभागों के प्रमुखों और राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के परामर्श से एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और इस सम्बन्ध में सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने, राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए, इतिहास तथा भाषा की स्कूली पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिये एक कार्यक्रम वर्ष 1981 से आरम्भ किया है। यह कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह काम अब समाप्त होने वाला है और राज्य सरकारों से अब कहा गया है कि वे अन्य विषयों, उदाहरण के तौर पर नागरिक शास्त्र, भूगोल और समाज विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इन विषयों से सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी रूप-रेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन की एक योजना तैयार करने के लिये इन्हें राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को भेज दिया जाएगा।

जनवरी, 1985 में केन्द्रीय शिक्षा सचिव ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि पाठ्य-पुस्तकों का सतत् मूल्यांकन करने की एक प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन को पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने और उनके विकास का एक भाग बनाया जाना चाहिये। यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि विशिष्ट मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की जाएं तथा लेखकों को पाठ्यपुस्तकें लिखने का काम सौंपते समय ये उन्हें जारी की जाएं। इस बात पर बल दिया गया था कि इसके अलावा प्रकाशन से पूर्व पाठ्य-पुस्तकों की इस प्रयोजन के लिये जांच की जानी चाहिये ताकि पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल कोई सामग्री शामिल न की जा सके।

(ख) और (ग) जी, नहीं। फिर भी, रा० शै० अ० तथा प्र० परिषद् स्कूली पाठ्य-पुस्तकों पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित करती है जिनमें राज्य पाठ्य पुस्तक एजेंसियों के निदेशक और अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष सचिव, रा० शै० अ० तथा प्र० परिषद् के अधिकारी तथा इस मन्त्रालय के अधिकारीगण भाग लेते हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन

520. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरी उद्योग ने संघ केन्द्र सरकार से पुराने बिजली अधिनियम में संशोधन करने और गैर-सरकारी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ के अध्यावेदन पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो अध्यावेदन तथा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दिये जाने से विद्युत उत्पादन में किस सीमा तक मदद मिलेगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ एक नए अधिनियम का सुझाव दिया है जिससे उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए विद्युत का उत्पादन निजी क्षेत्र में किया जा सकेगा, कैप्टिव विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा, करों में छूट दी जा सकेगी और वित्तीय सहायता दी जा सकेगी इत्यादि।

विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के सम्बन्ध में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है। वर्तमान नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के द्वारा विनियमित की जाती है। इस संकल्प के अन्तर्गत बिजली का उत्पादन और वितरण अनुसूची "क" के अन्तर्गत आता है, जिसमें उस श्रेणी के उद्योग आते हैं जिनके भावी विकास का दायित्व पूर्णतः राज्य का होगा। तथापि, निजी स्वामित्व वाली वर्तमान यूनिटों के विस्तार अथवा जब राष्ट्रीय हित में अपेक्षित हो तो नई यूनिटों की स्थापना में राज्य द्वारा निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करने पर संकल्प में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

जहां विद्युत की आवश्यकता अधिक होती है और लगातार तथा विश्वसनीय विद्युत सप्लाई आवश्यक होती है, वहां कैप्टिव विद्युत यूनिटों के लिए अनुमति दी जाती है।

इलेरू जलाशय परियोजना

521. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 1979 में आरम्भ की गई इलेरू जलाशय परियोजना का प्रथम चरण अभी तक पूरा नहीं हुआ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यलेरू जलाशय परियोजना

के निर्माण का कार्य आंध्र प्रदेश सरकार ने 1979 में आरंभ किया था और 149 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में छठी योजना के अन्त तक 46 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधियां उपलब्ध न कराने के कारण परियोजना कार्य पूरे नहीं हो सके हैं। राज्य सरकार ने इस परियोजना की आगे लाई गई पूरी लागत को सातवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है जिसकी योजना आयोग के कार्यकारी दल ने भी सिफारिश की है।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाएं

522. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कितनी परीक्षाएं ली गईं;

(ख) क्या स्वयं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में एक वर्ष से अधिक समय लेता है; और

(ग) यदि हां, तो परिणाम घोषित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) रेलवे भर्ती बोर्ड 50 से भी अधिक तकनीकी और गैर-तकनीकी कोटियों के लिए परीक्षाएं लेते हैं और प्रत्येक कोटि के लिए औसतन एक परीक्षा प्रतिवर्ष ली जाती है जो कि रेल प्रशासनों द्वारा उन्हें भेजी गई मांग पर निर्भर करता है। भर्ती की प्रक्रिया में आवेदन पत्र मांगे जाने, उनकी प्रारम्भिक छानबीन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कार्य शामिल होते हैं। आमतौर पर भर्ती की प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाती है, विशेषकर जहां कम्प्यूटर की व्यवस्था हो गई है। थोड़े से असाधारण मामलों में जहां कि कार्यालय लिपिकों, टिकट कलेक्टरों आदि की लोकप्रिय कोटियों के लिए बड़ी भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे अथवा कोई अनियमितता नोटिस में आई थी और मामले की जांच की जानी अपेक्षित थी, पेनलों को अन्तिम रूप देने में एक वर्ष से अधिक समय लगा था।

कर्नाटक में मस्तिष्क ज्वर के कारण मौतें

523. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि कर्नाटक राज्य में मस्तिष्क ज्वर के कारण कई मौतें हो रही हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य से राज्य सरकार को किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और मस्तिष्क ज्वर के कारण अब तक कितनी मौतें हुई हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य के सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में मस्तिष्क ज्वर के इलाज के लिए दवाइया आदि उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) कर्नाटक में 1985 में, 29 जून, 1985 तक जापानी एनसेफेलाइटिस से पीड़ित 112 रोगियों और इस रोग से हुई 45 मौतों के बारे में सूचना मिली है। केन्द्र सरकार रोग से के निदान और रोगियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के माध्यम से तकनीकी और विशेषज्ञ मार्गनिदेशन प्रदान करती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि जहां कहीं से ऐसे रोगी के बारे में सूचना मिले वे उस क्षेत्र में तथा उसके आस-पास 2/3 किलोमीटर तक डी० डी० टी०/ बी० एच० सी० का छिड़काव करें। जापानी एनसेफेलाइटिस के नियंत्रण के लिए डी० डी० टी०/बी० एच० सी० राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा सप्लाई की जाती है। मलाथियन के फागिंग आपरेशन करने का विचार है। राज्यों को मांग किए जाने पर वैक्सीनें निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली द्वारा सप्लाई की जाती है। रोग के कारणों संचरण, महामारी, कीटविज्ञान, लक्षणों, चिन्हों, उपचार, वैक्सीन और बचाव के अन्य उपायों के बारे में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ब्यौरे-वार निदेश जारी किए गए हैं। जापानी इसेफ्लाइटिस के रोगियों का रोग लाक्षणिक उपचार किया जाता है और बताया गया है कि समस्या वाले सभी क्षेत्रों में अपेक्षित दवाइयों का स्टाक पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है।

अडोनी स्टेशन पर के० के० एक्सप्रेस रेलगाड़ी के स्टाप को समाप्त करना तथा
तथा कोशिगि स्टेशन पर उद्यान एक्सप्रेस के स्टाप की व्यवस्था करना

524. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली के० के० एक्सप्रेस गाड़ी आंध्र प्रदेश में अदोनी स्टेशन पर रुका करती थी लेकिन यह 1 मई, 1985 से अडोनी स्टेशन पर नहीं रुक रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बंगलौर और बम्बई के बीच चलने वाली उद्यान एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कोशिगि स्टेशन पर रुकती है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उद्यान एक्सप्रेस रेल गाड़ी को कोशिगि स्टेशन पर रोकने के लिए रेलवे अधिकारियों को काफी संख्या में अभ्यावेदन भेजे गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या उद्यान एक्सप्रेस के आने जाने के समय को बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) लम्बी दूरी का यातायात प्राप्त न होने के कारण।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) मामले की जांच कराबी गयी है लेकिन बहुत कम यातायात प्राप्त होने के कारण ठहराव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। फिलहाल उद्यान एक्सप्रेस का समय बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोदावरी नदी के जल का विद्युत एवं सिंचाई कार्यों के लिए उपयोग करना

525. **श्री० ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी के जल का विद्युत एवं सिचाई कार्यों के लिए अधिकतम उपयोग करने हेतु कोई सर्वेक्षण अथवा परीक्षण किया गया है;

(ख) क्या बछावत अवार्ड के तहत कृष्णा नदी की घाटी के राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने हेतु गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी की घाटी की ओर ले जाने का प्रावधान है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गोदावरी नदी के जल का विद्युत और सिंचाई कार्यों हेतु अधिकतम उपयोग करने के लिए सम्बन्धित राज्यों को सहमत कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने हिमालय से निकलने वाली नदियों अर्थात् अलकनन्दा, भागीरथी तथा गंगा नदी से इस उद्गम देव प्रयाग की पन-बिजली शक्ति की क्षमताओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) नदी घाटियों में जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्र, राज्य सरकारों से अनुरोध करता आ रहा है। गोदावरी बेसिन से सम्बद्ध राज्यों ने सिंचाई और जल विद्युत विकास के लिए अनेक परियोजनाओं के लिए अन्वेषण किया है तथा परियोजनाएं तैयार की हैं। परन्तु उनके पास उपलब्ध गोदावरी के कुल जल के उपयोग के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं राज्यों को अभी तैयार करनी है।

(ग) न्यायमूर्ति आर० एस० बछावत की अध्यक्षता में बने गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय में यह कहा गया है कि नागार्जुनसागर परियोजना से विमुक्त जल को कृष्णा डेल्टा के लिए स्थानान्तरित करते हुए गोदावरी का 80 टी० एम० सी० जल विजय वाड़ा एनीकट के

ऊपर कृष्णा नदी में व्यपवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार इस 80 टी० एम० सी० जल को नागार्जुन सागर के प्रतिप्रवाह में परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(घ) तथा (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए जल-विद्युत क्षमता सर्वेक्षण के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित हिमालय से निकलने वाली नदियों की जल विद्युत क्षमता 60% भार अनुपात पर 5147 मेगावाट आंकी गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

अलकनन्दा	2242 मेगावाट
भागीरथी	1397 (मेगावाट)
गंगा (देवप्रयाग)	1508 मेगावाट
से नीचे मुख्य नदी)	
	5147 मेगावाट

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर विशेषज्ञ

526. श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कैंसर के रोग से पीड़ित रोगियों के बेहतर इलाज के लिए सरकार को कैंसर विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल के विकास के प्रथम चरण में विशेषज्ञों के 14 पदों का सृजन किया गया जिनमें से 7 पद पहले ही भर लिए गये हैं। विशेषज्ञों के 5 पदों के बारे में विज्ञापन दिया गया है और शीघ्र ही चयन कर लिया जायेगा। उपलब्ध संसाधनों से कैंसर के रोगियों का इलाज करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण त्याग की गई मंजूरशुदा रेल परियोजनाएं और गैर-मंजूरशुदा परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाना

527. श्री अजित कुमार साहा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सेवा सुधार के लिए पहले से मंजूर की गई कितनी रेल परियोजनाओं को अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों के कारण त्याग दिया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पहले से मंजूर न की गई कितनी रेल परियोजनाओं को रेल सेवा सुधार के लिए प्रारंभ किया गया है अथवा प्रारंभ किया जाएगा; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) यद्यपि निम्नलिखित परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए पहले अनुमोदित कर दिया गया था, किन्तु अब उन्हें अन्य कारणों

के अतिरिक्त भारी वित्तीय कठिनाइयों के कारण अनुमोदित सूची से हटा दिया गया है :

(1) कालका से परवानू (टिपरा) तक नई बड़ी लाइन (4.3 कि० मी०) यह कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर हटाया गया।

(2) मिरज-सांगली लाइन की पुनर्स्थापना (7.7 कि० मी०)।

(3) पुणे-मिरज खंड पर बांदे और न्यू सांगली के बीच कार्ड लाइन बना कर पुराने माधवनगर को मुख्य लाइन पर लाना।

(4) बरेली और भोजीपुरा के बीच सामानान्तर बड़ी लाइन और भोजीपुरा से काठगोदाम तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (109 कि० मी०)।

(5) कटिहार से सिलिगुड़ी-न्यूजलपाईगुड़ी (209 कि० मी०) तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन। यह कार्य उत्तर पूर्वी राज्यों से मीटर लाइन सम्पर्क टूट जाने से बचने के लिए हटाया गया है। इसके बदले में वर्तमान बड़ी लाइन मार्ग की लाइन क्षमता बढ़ायी जा रही है। योजना आयोग संसाधनों की तंगी के कारण निम्नलिखित निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए सहमत नहीं हुआ है :—

(1) सुल्तानपुर से रीवा तक नयी बड़ी लाइन (226 कि० मी०)।

(2) तामलुक-दीघा नयी बड़ी लाइन (80 कि० मी०)।

(3) दिल्ली से साबरमती तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (925 कि० मी०)।

निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए भी योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है :

(1) लक्ष्मीकान्तपुर-कुल्पी लाइन सहित बज-बज-नामखाना तक नयी बड़ी लाइन (100 कि० मी०)।

(2) सतना से रीवा तक नई बड़ी लाइन (50 कि० मी०)।

(3) गुना से इटावा तक नई बड़ी लाइन (348 कि० मी०)।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदित नये निर्माण कार्यों का ब्यौरा 1985-86 के रेलवे बजट में दिया गया है। आगे नए कार्य आरम्भ करने का प्रश्न उनके औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल श्रृंखला और इसमें स्वयंसेवी एजेंसियों का सहयोग लिया जाना

528. श्री चित मोहन : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में प्रत्येक स्तर की महिलाओं को कवर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय युवा होस्टल के आधार पर कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल श्रृंखला बनाने और एक आन्दोलन आरम्भ करने का है;

(ख) क्या देश में अकेली कामकाजी महिलाओं के लिए कुल होस्टलों की आवश्यकता और वास्तविक रूप में उचित मूल्य पर उपलब्ध गैर-सरकारी तथा सरकारी आवास सुविधा का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य में विख्यात स्वयंसेवी एजेंसियों/व्यक्तियों विशेषतः सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिवस देखभाल केन्द्र सहित श्रमजीवी महिलाओं हेतु होस्टल भवनों के निर्माण के लिए सहायता की योजना स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

गत दो महीनों में रेल दुर्घटनाएं

529. श्री शांति धारीवाल
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री मोहम्मद महफूज अली खां
श्री विष्णु मोदी
श्री डी० बी० देसाई
श्री आर० एम० भोये
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
श्री जी० एम० बनातवाला
श्री श्रीहरि राव
श्री प्रकाश चन्द्र

: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो मास में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए और कितनी रेल सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) यदि कोई जांच की गई है तो उसके बाद पता लगे दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण रेल कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतना है;

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, विशेषकर मानव जीवन की सुरक्षा के लिए, क्या ठोस उपाय किए गए हैं;

(च) क्या मरने वालों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को कोई मुआवजा या अनुग्रह राशि की अदायगी की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या रेलवे को इन दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ज) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस की गति बढ़ाना

530. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस देश में चलने वाली सबसे कम गति की एक्सप्रेस रेलगाड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय नौवहन विकास बैंक की स्थापना

531. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सरकारी समिति, ने भारतीय नौवहन विकास बैंक खोलने के लिए सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) शिपिंग कंपनियों की सहायता के लिए किए गए प्रबंध की समीक्षा करने वाली समिति ने जून, "85" में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ भारतीय नौवहन उद्योग की सरकार के बजट के व्यय पर निर्भरता को क्रमश: कम करने तथा नौवहन वित्त प्रबंध पर बैंकिंग सिद्धान्तों के अधिकाधिक अनुप्रयोग के लिए भारतीय नौवहन विकास बैंक की स्थापना का सुझाव भी दिया था। अनुशंसित बैंक को सरकार द्वारा आधार रूप में ईक्विटी शेयर दिए जाएंगे और इससे आशा की जाती है कि ऋणपत्रों तथा बांड आदि के रूप में बाजार से यह अपनी सम्पत्ति को बढ़ायेगा।

(ग) सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

रेलवे के अलाभकारी खण्डों को चलाने के लिए राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता

532. **श्री एस० एम० भट्टम**
प्रो० रामकृष्ण मोरे } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का विचार भारतीय रेलों के कुछ अलाभकारी खण्डों को चलाने के लिए राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता लेने का है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी लाइन और छोटी लाइनों को मिलाकर देश में ऐसे लगभग 41 खण्ड हैं;

(ग) उनसे कितनी हानि होती है; और

(घ) वास्तव में राज्य सरकारों से कितनी राशि की मांग की गई अथवा इस सम्बन्ध में कम से कम क्या प्रस्ताव थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) रेल सुधार समिति ने सभी तीनों आमानों पर उन 40 अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द करने की सिफारिश की है, जहां क्षेत्र की परिवहन आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त सड़क परिवहन सुविधा मौजूद है और जिनके परिचालन में रेलों को घाटा ही रहा है। 1983-84 के दौरान इन चालीस लाइनों पर लगभग 815 लाख रुपये का घाटा हुआ है। जैसी कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है, सम्बन्धित राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि या तो वे इन लाइनों को बन्द करने के लिए सहमत हों या यदि वे इन लाइनों को चालू रखना चाहते हों तो रेलों द्वारा उठाए गए घाटे का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करें।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के पद का रिक्त रहना

533. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पद काफी समय से नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति के कारण सिक्किम सहित अनेक राज्यों को कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए बोर्ड से समय पर धनराशि नहीं मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पद 19.1.1985 से खाली पड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) जी नहीं। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक को बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को आवंटित की गई धनराशि और वर्ष के अन्त तक दी गई अतिरिक्त धनराशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है। सिक्किम और दूसरे राज्य अपने कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए बोर्ड से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रयास शुरू किये हुए हैं।

[हिन्दी]

कोयला और दालों का परिवहन

534. **श्री सरफराज अहमद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक संस्थापनाओं और विद्युत संयंत्रों में कोयले की भारी कमी को ध्यान में रखकर रेलवे का विचार कोयले के परिवहन को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो कोयले के परिवहन को प्राथमिकता कब दी जाएगी; और

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में दालों की कमी की दृष्टि से दालों के परिवहन को भी प्राथमिकता दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) बिजली घरों तथा औद्योगिक स्थापनाओं के लिए कोयले की ढुलाई की व्यवस्था अधिमान्य यातायात अनुसूची की प्राथमिकता "सी" के अन्तर्गत आती है जो पर्याप्त रूप से एक उच्च प्राथमिकता है।

(ग) राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रायोजित दालों की ढुलाई के लिए पर्याप्त उच्च प्राथमिकता अर्थात् अधिमान्य यातायात अनुसूची की क्रमश: "सी" और "डी" प्राथ-

मिकताएं पहले से ही धी हुई हैं। गैर-प्रायोजित दालों की ढुलाई प्राथमिकता "ई" के अधीन की जाती है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत योजना सम्बन्धी भारत-रूस करार

535. श्री बी० तुलसी राम : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा सोवियत संघ के बीच, देश के ताप केन्द्रों को उपकरण तथा तकनीकी दस्तावेजों की सप्लाई करने सम्बन्धी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है तथा उन केन्द्रों के नाम क्या है जिन्हें सोवियत संघ आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;

(ग) क्या आवश्यकता की पूर्ति के लिए फालतू पुर्जे की व्यवस्था सोवियत संघ ही करेगा या इनका उत्पादन देश में ही किया जाएगा;

(घ) इस करार पर किस-किस ने हस्ताक्षर किए हैं, उनके पद तथा नाम क्या हैं; और

(ङ) दिनांक 30-6-1985 को, सोवियत संघ ने जिन ताप तथा जल विद्युत केन्द्रों की सहायता की उनके ब्यौरे क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) भारत और यू० एस० एस० आर० के बीच 22 मई, 1985 को आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के बारे में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 840 मेगावाट क्षमता वाली कहलगांव ताप विद्युत परियोजना इस समझौते के अन्तर्गत शामिल है।

(ग) जैसा कि परस्पर समझौता किया जाएगा प्रारंभिक माल-सूची के संचालन के लिए फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था इस समझौते में की गई है।

(घ) इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी तथा सी० पी० एस० यू० सैन्ट्रल कमेटी, यू० एस० एस० आर० के महा सचिव मि० मिखाइल गोर्बाचोव हैं।

(ङ) जिन परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था सोवियत ऋणों से की गई है/की जा रही है, उनमें ये शामिल है :

(1) नेवेली ताप विद्युत केन्द्र

(2) ओबरा ताप विद्युत केन्द्र

(3) कोरबा ताप विद्युत केन्द्र

(4) भाखड़ा दायां तट बिजलीघर

(5) लोअर सिलेरू जल विद्युत केन्द्र

(6) विन्ध्याचल ताप विद्युत परियोजना

आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर लाइट हाऊस (दीप घर)

536. श्री वी० तुलसी राम : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर कितने लाइट हाऊस (दीप घर) हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार के लाइट हाऊसेस (दीप घरों) की संख्या में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कितने समय में, विशेष रूप से सातवीं योजना अवधि के दौरान इन लाइट हाऊसेस (दीप घरों) के स्थापित होने की आशा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आंध्र प्रदेश के तट पर 12 दीप घर हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रकाश दिखाने वालों (लाइटकीपरों) के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

537. श्री वी० तुलसीराम : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइटकीपरों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में एक प्रशिक्षण केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इस प्रकार के और केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या ऐसा केन्द्र आन्ध्र प्रदेश में खोला जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश या कहीं और कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कलकत्ता के प्रशिक्षण केन्द्र में लाइटकीपरों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। चूंकि यह प्रशिक्षण केन्द्र लाइटकीपरों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है अतएव किसी नये अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विकास के संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव

538. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983 में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के आधुनिकीकरण और विकास कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत क्या थी;

(ग) क्या सरकार को शिपयार्ड के विकास के प्राक्कलनों में और संशोधन करने के कब पुन: कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) विकास कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(च) शिपयार्ड की क्षमता में कितनी वृद्धि हो जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) परियोजना की वर्तमान संशोधित अनुमानित लागत 66 करोड़ रु० है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) परियोजना के दिसम्बर, मार्च 1985 तक आंशिक रूप से और, 1986 में सभी मामलों में पूरा हो जाने की आशा है।

(च) परियोजना के पूरे होने पर शिपयार्ड की क्षमता, वर्तमान 3 पायोनियर जहाजों प्रत्येक 21500 डी० डब्ल्यू० टी० वाले से बढ़कर, 6½ से 7 प्रति वर्ष स्टील में वृद्धि के साथ, 30,000 टन हो जाएगी।

[हिन्दी]

कुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशें

539. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री जी०जी० स्वैल } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1985 में कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था और यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई थी कि योजना धनराशि का 5 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा नीति में चल रही समीक्षा के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा का आधार पत्र तैयार करने के लिए कुलपतियों की एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जून, 1985 में भेजी गई थी। इसमें यह सुझाव दिया गया था कि प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों के लिए योजनागत प्रावधानों में जनशक्ति विकास के लिए ऐसे प्रावधान का 5% शामिल किया जाना चाहिये।

(ग) समिति द्वारा दिये गए सुझावों को, शिक्षा का आधार पत्र तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा, जिस पर शैक्षणिक मामलों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में मतैक्य प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा करने का प्रस्ताव है। शिक्षा के लिए संसाधन आवश्यकताओं के प्रश्न को भी लिया जाएगा, तथा बाद में नीति तैयार करते समय इस पर विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

एर्नाकुलम-अल्लेप्पी रेल लाइन

540. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम तथा अल्लेप्पी के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य इस समय किस स्तर तक पहुंचा है;

(ख) इसको पूरा करने के लिए कितनी मूल अनुमानित लागत तथा समय निश्चित किया गया था; और

(ग) इसके कितने समय तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) समग्र प्रगति 44 प्रतिशत है।

(ख) प्रारम्भिक अनुमानित लागत 1506-58 लाख रुपये थी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए, इस परियोजना के लिये कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई थी।

(ग) इसका पूरा होना आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आंध्र प्रदेश में लम्बित पड़ी रेलवे परियोजनाएं

541. **श्री जी० भूपति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में लम्बित पड़ी हुई प्रमुख रेल-परियोजनाओं का ब्योरा क्या है उनके पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है और पूरा होने की सम्भावित तिथि क्या है; और

(ख) क्या जिन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ है और जिनकी लागत मूल्य में वृद्धि हुई है. उसकी मूल्य वृद्धि को पूरा करने का प्रावधान किया गया है;

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) आंध्र प्रदेश में, उन प्रमुख परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिन्हें पूरा किया जाना है। अनिश्चितता और पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अधिकांश परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसी कारण से इनकी संभावित तिथि ज्ञात नहीं है क्योंकि आगामी वर्षों में भी यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) रेलवे बजट में इन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की जा रही है जिसमें लागत की वृद्धि का तत्व भी शामिल है जो रेलवे योजना के लिए संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में पूरा करने के लिए लम्बित पड़ी प्रमुख रेल परियोजनाएं

नई लाइनें

1. बी बी नगर-नडिकुडे	149 कि०मी०	बी बी नगर और मिरयालगुडा (110 कि०मी०) के बीच लाइन यातायात के लिए खोल दी गई।
2. तेलापुर-पाटनचेरु	8 कि० मी०	
3. मोटुमारी-जग्गयापेट	32 कि० मी०	

4. अदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी	21 कि० मी०	अंशतः आन्ध्र प्रदेश में।
5. चित्र दुर्ग-रायदुर्ग	100 कि० मी०	अंशतः आन्ध्र प्रदेश में।
आमान परिवर्तन		
6. गुंटूर-माचेला दोहरी लाइन बिछाना	130 कि० मी०	
7. मानिकगढ़-विरूर सिरपुर टाउन राचिनी रोड	65 कि० मी०	47 कि० मी० यातायात के लिए खोल दिया गया। 18 कि० मी० के दिसम्बर, 1985 तक खोले जाने का लक्ष्य है।
8. पेमबर्ती-पिंडियाल	45 कि० मी०	5.32 कि० मी० यातायात के लिए मार्च, 1985 में खोल दिया गया।
9. हैदराबाद-तेलापुर	28 कि० मी०	
विद्युतीकरण परियोजनाएं		
10. विजयवाड़ा-बल्हारशाह विद्युतीकरण परियोजना के भाग के रूप में विजयवाड़ा-भाकुड़ी	414 कि० मी०	1988-89 के लिए लक्ष्य रखा गया है।
11. काजीपेट-सनतनगर विद्युतीकरण परियोजना	167 कि० मी०	
12. जोलारपेट्टै-बेंगलूर विद्युतीकरण खंड के भाग के रूप में मालानूर-गुडुपुल्ली	30 कि० मी०	
पुल		
13. पुराने कृष्ण पुल के बदले नये पुल का निर्माण	(लागत 9.05 करोड़ रुपये)।	
14. पुराने गोदावरी पुल के बदले नये पुल का निर्माण	(लागत 31.43 करोड़ रुपये)	

15. गुडिवाड़ा, निडमानूर, सनत-नगर बी बी नगर, विकाराबाद, भीमावरम, गुडूर, निडुडोलु, बेगमपेट और नंदयाल में ऊपरी सड़क पुल कारखाना और शेड	(लागत 6.33 करोड़ रुपये)	
16. गुंतपल्ली-नई बड़ी लाइन माल डिब्बा मरम्मत कारखाना	(प्रत्याशित लागत) 26.5 करोड़ रुपये)	पूरा होने की सम्भावित तारीख मार्च, 1986
17. तिरुपति में दक्षिण जाने हेतु बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों के लिए नया सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना	(लागत 18.33 करोड़ रुपए)	
18. सिकन्दराबाद (मौलाअली) 20 ब०ला० और 20 मी०ला० के शंटिंग रेल इंजनों को खड़ा करने के लिए ब० ला० और मी० ला० के मिश्रित डीजल लोको शेड की स्थापना	(लागत 1.27 करोड़ रुपये)	पूरा होने की सम्भावित तारीख मार्च, 1986
19. विजयवाड़ा-40 डब्ल्यू डी०एम० क्लास डीजल लोको शंटरों को खड़ा करने के लिए डीजल लोकोशेड की व्यवस्था।	(लागत 1.72 करोड़ रुपये)	पूरा होने की सम्भावित तारीख मार्च, 1986
20. गुत्ती बी० ओ० एक्स "एन०" माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं का विकास	(लागत 1.18 करोड़ रुपये)	
21. वाल्तेरु-पिट व्हील लेथ के लिए शेड सहित पिट व्हील लेथ की व्यवस्था के लिए ओ० ई० सी० मरम्मत लाइन में आशोधन	(लागत 1.25 करोड़ रुपये)	पूरा होने की सम्भावित तारीख मार्च, 1986

[हिन्दी]

दिल्ली और जौनपुर के बीच रेलगाड़ी चलाना

542. श्री राजकुमार राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जौनपुर के बीच यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए सरकार का विचार दिल्ली और जौनपुर के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सवारी डिब्बों, इंजनों और टर्मिनल सुविधाओं जैसे संसाधनों की कमी के कारण।

[अनुवाद]

बिहार के ताप विद्युत संयत्रों को कोयले की सप्लाई

543. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में बिहार सरकार को राज्य के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला भण्डारों की सप्लाई करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान बिहार राज्य को आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित कोयला भंडारों की किस्म का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कितनी मात्रा में कोयला भण्डार पर्याप्त होंगे ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) कोयला विभाग में गठित स्थायी लिंकेज समिति ताप विद्युत केन्द्रों को उनके विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों के आधार पर प्रत्येक तिमाही में सप्लाई किये जाने वाले कोयले की मात्रा का निर्धारण करती है। जुलाई-सितम्बर, 1985 की तिमाही के लिए बिहार में बरौनी, पतरातू, मुजफ्फरपुर और कर्बीगहिया (पटना) ताप विद्युत केन्द्रों को क्रमश: 3.0, 8.1, 0.9 और 0.15 लाख टन कोयला लिंक किया गया है जिससे पूर्णरूप से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी।

'प्रौढ़ शिक्षा' योजना की पुनरीक्षा

544. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि प्रौढ़ शिक्षा योजना असफल हो गई है और इस पर खर्च की गई धनराशि बेकार जा रही है;

(ख) इस समय देश में निरक्षर प्रौढ़ पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रौढ़ शिक्षा योजना की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस बारे में राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यह सत्य नहीं है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम विफल हो गया है और इस पर खर्च की गई राशि बर्बाद की जा रही है।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार, 15 और इससे ऊपर आयु वर्ग में प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या 23.82 करोड़-9.39 करोड़ पुरुष और 14.43 करोड़ महिलाएं (असम को छोड़कर) थी। छठी पंचवर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि 15—35 आयु वर्ग में लगभग 11 करोड़ निरक्षरों, 4.2 करोड़ पुरुष और 6.8 करोड़ महिलाएं, जो कार्य-बल का समूह है, को 1990 तक प्रौढ़ शिक्षा कार्य क्रममें दाखिल किया जाएगा। लगभग 2.3 करोड़ निरक्षरों को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और शेष 8.7 करोड़ को सातवीं योजना के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने तथा कार्यक्रम की कोटि और विस्तार के सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिए, केन्द्रीय स्तर पर एक उच्चतम निकाय, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की 25 मई, 1985 को समीक्षा की गई थी तथा 1990 तक 15—35 आयु वर्ग में निरक्षरता को दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निष्पादनों के स्तर को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने कुछ उपायों की सिफारिश की गई है। कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन आंदोलन शुरू करने से सम्बन्धित कार्यपद्धतियां और मार्गदर्शी रूपरेखाएं विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में नए समय निर्धारित करने से होने वाली कठिनाइयां

545. **डा० गौरी शंकर राजहंस** }
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में नए समय निर्धारित करने के कारण आम लोगों को दवाइयां प्राप्त करने और इलाज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कार्यालयों में 5 दिन का कार्य सप्ताह होना और उनका कार्य प्रातः 9 बजे आरम्भ होने के कारण सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में भी नहीं जा सकते;

(ग) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों के समय में फिर से परिवर्तन करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का नया समय 10 जून, 1985 से प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया गया है। पुराने समय को फिर से शुरू करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रयोग की अवधि समाप्त हो जाने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

"स्लिमिंग सेन्टर्स बल्ज इन दिल्ली" शीर्षक के समाचार

546. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "स्लिमिंग सेन्टर्स बल्ज इन दिल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में स्लिमिंग केन्द्र औषधियों का आहार में मिलाकर उपयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्लिमिंग केन्द्रों के तरीके के बारे में पूरी तरह से जांच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने निर्दोष जनता के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां,।

(ख) आहार में औषधियों के मिलाये जाने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ऐसा नहीं समझती कि स्लिमिंग सेन्टर्स के बारे में पूरी-पूरी जांच-पड़ताल करने के लिए आदेश देने के कोई ठोस कारण हों।

शाहजहांपुर और निगोही स्टेशनों के बीच एक फाटक पर शाहजहांपुर टनकपुर एक्सप्रेस और एक ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर

547. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "3 किल्ड एज ट्रेन रेम्स इन्टू ट्राली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि शाहजहांपुर-टनकपुर एक्सप्रेस 15 जून, 1985 को पूर्वोत्तर रेलवे के शाहजहांपुर और निगोही स्टेशनों के बीच एक फाटक पर रुकी खड़ी एक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई;

(ख) यदि हां, तो इससे अनुमानित/कितने जान-माल का नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस बीच कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां, 13.6.1985 को, न कि 15.6.1985 को पूर्वोत्तर रेलवे के शाहबाजनगर और निगोही स्टेशनों के बीच कि० मी० 65/7-8 पर बिना चौकीदार वाले समपार सं० 57-सी पर मीटर लाइन की 147 डाउन शाहजहांपुर-टनकपुर फास्ट पैसेंजर गाड़ी एक ट्रैक्टर ट्राली सं० 4427 यू एस डब्ल्यू से टकरा गई इस दुर्घटना में लगभग डेढ़ माह के एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और 6 व्यक्तियों को चोटें आयी थीं जिनमें चार व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। ये सभी ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे।

जन सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान 1000/-रुपये लगाया गया है। रेल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं हुई थी।

(ग) और (घ) इस दुर्घटना की जांच एक विभागीय समिति ने की थी और उसके निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की भारी लापरवाही के कारण हुई थी।

गुंटूर-नाडिकुडे रेल लाइन को परिवर्तित करने के लिए धनराशि

548. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान गुंटूर-नाडिकुडे रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित

करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) एक हजार रुपये।

(ख) लाइन का पूरा होना आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बड़े पोतों के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए पारादीप बन्दरगाह को गहरा करने का दक्षिण कोरिया का प्रस्ताव

549. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री बल्लभ पाणिग्राही } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1985 के "पैट्रीआट" में पारादीप बन्दरगाह को गहरा करने की योजना विचाराधीन शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार दक्षिण कोरिया के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें उड़ीसा की परादीप बन्दरगाह को इतना गहरा करने की योजना है ताकि इसकी 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० वर्तमान क्षमता की बजाय इसमें 200,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक की क्षमता के पोत प्रवेश कर सकें।

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव दक्षिण कोरिया की पोहांग लोह तथा इस्पात कम्पनी जिसके द्वारा वर्ष 1987 से कार्य आरम्भ किया जाना है को अयस्क स्थिति में वृद्धि करने की दृष्टि से उत्पन्न हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार से भी इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 2,00,000, डी० डब्ल्यू० टी० तक के लौह अयस्क वाहकों को आने के लिए पारादीप पत्तन के विकास के लिए भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से मैसर्स हिन्दुई निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैसर्स हिन्दुई निगम ने पत्तन सुविधाओं के विस्तार और इसके निर्माण कार्य में खनिज एवं धातु व्यापार निगम के साथ अपने को शामिल करने की और वित्तीय सहायता देने की अपनी इच्छा जाहिर की है। इस प्रस्ताव में पहुंच मार्ग, प्रवेश मार्ग, टर्निंग बेसिन को 12.25-20 मीटर तक गहरा करना और लौह धातु के निर्यात के लिए पंजीकृत हैंडलिंग सुविधाओं के साथ एक नए घाट की स्थापना करना शामिल है।

(घ) जी नहीं।

सरदार सरोवर परियोजना से इन्जीनियरों का चला जाना

550. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1984 के इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ व्यक्तियों के आतंक से मजबूर होकर इंजीनियरों और सहायक इन्जीनियरों सहित 400 परिवार नर्मदा परियोजना की सरदार सरोवर परियोजना की केवाडिया कालोनी को छोड़कर चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 24 जून 1985 के इन्डियन एक्सप्रेस में छपे समाचार पर गुजरात सरकार की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

पब्लिक स्कूलों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना

551. **श्री ललित माकन**
श्री सी० सम्बु } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक पब्लिक स्कूल जिन्होंने सरकार से रियायती दरों पर जमीन ली है, वाणिज्यिक कम्पनियों की तरह चल रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ऐसे स्कूलों के मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है और शुल्क निर्धारित करेगी तथा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम में संशोधन करके इनमें प्रवेश हेतु मानदण्ड भी निर्धारित करेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पब्लिक स्कूल प्रायः उन स्कूलों को माना जाता है जो भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य होते हैं, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत स्वैच्छिक संघ है। इस प्रकार के स्कूल रियायती दरों पर भूमि के आवंटन के लिए पात्र हैं। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूल वाणिज्यिक कम्पनियों की तरह कार्य कर रहे हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि पब्लिक स्कूलों द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 17 को संशोधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जहां तक पब्लिक स्कूलों में दाखिले का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन के पास इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मैट्रो रेल लाइन का जलमग्न हो जाना

553. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मैट्रो रेल प्राधिकरण कलकत्ता 4 जून, 1985 को पहले घंटे में मैट्रो रेलगाड़ी चलाने मे असमर्थ रहा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्षा के पश्चात लाइन का जलमग्न होना अभी भी मैट्रो रेल प्राधिकरण के लिए एक समस्या बना हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी बार मैट्रो रेल लाइन वर्षा से जलमग्न हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) वाणिज्यिक सेवा के लिए मैट्रो रेलवे चालू करने के बाद कलकत्ता में हुई पहली भारी वर्षा के कारण 4 जून, 1985 को पूर्ण सावधानी के तौर पर प्रथम दो घंटों के लिए गाड़ी का चलना जानबूझकर रोक दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मैट्रो रेलवे का चालन 24 अक्टूबर, 1984 को आरम्भ हुआ था। तब से कोई पानी नहीं भरा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के पालघाट क्षेत्र में निर्माण कार्य

554. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के पालघाट क्षेत्र में 182/2 किलोमीटर से 186/900 और 186/900 से 190/200 किलोमीटर के हिस्से में 75 एम० एम० बी० एम० मार्ग की व्यवस्था करने जैसे कुछ निर्माण कार्य उनके मन्त्रालय के विचाराधीन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी :(क) से (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 182/2 किलोमीटर से 186/900 और 186/900 किलोमीटर से 190/200 किलोमीटर के हिस्से में बी० एम० मार्ग को पक्का करने

के लिए 29.471 लाख रुपए तथा 19,949 लाख रु० की लागत की मंजूरी, इस मन्त्रालय के पत्र संख्या क्रमश: आर० डब्ल्यू०/एन०/47 के० आर०/656/85 दिनांक 18-6-85 तथा पत्र संख्या आर० डब्ल्यू/एन० एच०-47/के० एल० 657/85 दिनांक 6-6-85 द्वारा पहले ही दी जा चुकी है।

नि:शुल्क उच्चतर शिक्षा

555. **श्री डी० के० नायकर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि उच्चतर शिक्षा गरीब लोगों के लिए बहुत मंहगी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी स्तरों पर नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : (क) पिछले कई दशकों से उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा शुल्क का ढांचा स्थिर बना हुआ है और इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की कीमत भी पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ी है।

(ख) सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक महिलाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है। लड़कों के लिए इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने अथवा निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

होस्पेट-हुबली लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

556. **श्री डी० के० नायकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होस्पेट से हुबली तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण में किस प्रकार की सिफारिश की गई है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) सरकार द्वारा इस लाइन को बदलने का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। मिरज से बेंगलूर तक की लाइन तथा सम्बद्ध शाखा लाइनों को, जिसमें दक्षिण मध्य रेलवे का हुबली-हास्पेट खंड भी शामिल है, मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) और (ग) 1981-82 के मूल्य स्तर के आधार पर समग्र परियोजना की 367.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान लगाया गया था और इसे वित्तक्षम नहीं पाया गया था इस परियोजना

के अलाभप्रद होने, संसाधनों की तंगी और पहले से हाथ में ली हुई भारी वचनबद्धताओं के कारण इसे शुरू करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं समझा जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त परामर्श व्यवस्था

557. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रबन्धक मंडल ने 22-5-85 को हुई अपनी 45 वीं बैठक में संयुक्त परामर्श व्यवस्था की योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र का लक्ष्य केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा उसके कर्मचारियों के बीच सद्भावपूर्ण सम्बन्धों को प्रोन्नत करना तथा सहयोग के उपायों का पता लगाना है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र में सरकारी पक्ष और स्टाफ पक्ष हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो संगठन का कर्मचारी नहीं है, परिषद् के स्टाफ पक्ष में सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। परिषद् के कार्य क्षेत्र में सेवा की शर्तें तथा कार्य, कर्मचारियों के कल्याण तथा दक्षता तथा कार्य के स्तर में सुधार आदि से सम्बन्धित सभी मामले शामिल हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी-बोर्ड के अन्तिम निर्णय के आधार पर परिषद् के दोनों पक्षों के बीच हुए करार लागू होते हैं। जिन मामलों के लिए योजना में अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था है, उन पर अन्तिम असहमति होने पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थता बोर्ड को मामला भेजने की व्यवस्था विद्यमान है। अन्य मामलों में, शासी बोर्ड को अपने ही निर्णय के अनुसार कार्रवाई करनी होती है।

(ग) परिषद् के विधान के अनुसार स्टाफ पक्ष की ओर से मान्यता प्राप्त संघों द्वारा अधिक से अधिक 7 सदस्य नामांकित किए जाते हैं, जिनको वितरण इस प्रकार है।

(i) शिक्षण संघ	4
(ii) गैर शिक्षण स्टाफ संघ	2
(iii) मुख्यालय स्टाफ संघ	1

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों को प्राथमिकता देना

558. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सड़कों को उच्च प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश में कुल परिवहन प्रणाली के रूप में सड़क की महत्ता को मान्यता मिली हुई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सातवीं योजना के मसौदा को अनुमोदित किए जाने के बाद क्षेत्रवार आवंटन किया जाएगा।

सिंचाई परियोजनाओं में पेयजल पूर्ति घटक को शामिल करना

559. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण जनसंख्या के लाभ हेतु सभी सिंचाई परियोजनाओं में पेयजल पूर्ति घटक भी होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोरापुट-रायगढ़ रेल लाइन

560. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल**
श्री के० प्रधानी
प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरापुट और रायगढ़ के बीच 165 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन के बिछाने में देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। धनराशि की उपलब्धता, जो अपर्याप्त है, के अनुसार निर्माण कार्य की प्रगति हो रही है।

(ग) इस लाइन का पूरा किया जाना आने वाले वर्षों में, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अपंग लोगों की संख्या

561. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल**
प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में अपंग लोगों की संख्या में भारत का प्रथम स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों को अपंग होने से बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि भारत में अपंग लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण-पूर्वी एशिया के किसी देश की 10 प्रतिशत जनता किसी न किसी प्रकार की अपंगता से पीड़ित है।

(ग) सरकार अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रही है जिनका उद्देश्य पोलियो, जन्मजात रोगों, अन्धेपन, कुष्ठरोग आदि के कारण होने वाली अपंगता को रोकना है। अनेक समस्याओं के माध्यम से पुनर्वास की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

तीस्ता बांध नहर परियोजना

562. **श्री प्रिय रन्जन दास मुंशी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध नहर परियोजना का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल योजना परिव्यय कितना है और उसे किस प्रकार खर्च किया गया है;

(ख) कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है और उस बारे में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस मन्त्रालय को इसे सातवीं परियोजना में शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तीस्ता बराज परियोजना के लिए 104.10 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय के मुकाबले सातवीं योजना अवधि के दौरान किया गया व्यय 124.96 करोड़ रुपये है ।

(ख) तीस्ता बराज परियोजना के चरण-एक के पहले उप-चरण को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 1990 का लक्ष्य निर्धारित किया है। परियोजना के इस उप-चरण के लिए 400 करोड़ रुपये की अद्यतन अनुमानित लागत के मुकाबले छठी योजना के अन्त तक 178.44 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग के कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि आगे ले जाई जाने वाली 221.56 करोड़ रुपये की समग्र राशि की सातवीं योजना अवधि में व्यवस्था की जाए। राज्य द्वारा राज्य की सातवीं योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

माल डिब्बे प्राप्त करना

563. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय, रेलवे को कुल कितने माल डिब्बों की आवश्यकता है;

(ख) सातवीं योजना के दौरान माल-डिब्बे प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रालय के क्या प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे में माल-डिब्बों की कमी के कारण वस्तुओं/माल की ढुलाई पर असर पड़ा है;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए उनके मंत्रालय के क्या प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ङ) 1985-86 के दौरान रेलों द्वारा 250 मिलियन टन राजस्व अर्जक माल यातायात की ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय तंगी के कारण माल डिब्बों आदि की कमी के बावजूद रेलें इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं।

(ख) सातवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भालभाड़ा रियायत

564. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष जून में कलकत्ता में एक सुझाव दिया था कि अपने माल तथा कच्ची सामग्री को लाने ले जाने के लिए रेलों का उपयोग करने वाले सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम अपने स्वयं के

वैगन खरीद सकते हैं तथा रेलवे द्वारा उन्हें माल भाड़ा रियायत दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेल राज्य मन्त्री ने यह संकेत दिया था कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटें निजी माल डिब्बे खरीद सकती हैं तो रेलें ऐसे माल डिब्बों में ढुलाई के लिए उन्हें भाड़ा प्रभार में उपयुक्त छूट देने की एक योजना के बारे में विचार कर सकती हैं। यह योजना अभी निर्माण के चरण में है और ब्यौरों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिक्रिया ज्ञात हो सकेगी।

नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए रेकों और विद्युत का उत्पादन

565. **श्री मानिक सान्याल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की आवश्यकता को नजरन्दाज करते हुए अतिरिक्त रेकों और विद्युत की कमी के कारण नई रेलगाड़ियां शुरू करना स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रेकों और विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के काम को जिससे कि नई रेलगाड़ियां शुरू की जा सके, प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई योजना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) सवारी डिब्बों और रेल इन्जनों की कमी तथा अन्य तंगियों के कारण रेलों ने नई गाड़ियां चलाने में धीमी प्रक्रिया अपनाने का विनिश्चय किया है।

(ख) से (घ) संसाधनों की अत्यधिक कमी ने रेलों को, फिलहाल अपने रेल इन्जनों और सवारी डिब्बों के उत्पादन कार्यक्रम को बहुत ही सीमित करने के लिए, मजबूर कर दिया है।

परिवहन क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ऋण

566. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने परिवहन क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मरम्मत और पुनर्वास कार्य के लिए 200 मिलियन डालर का ऋण हमारे देश को दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में क्या-क्या कार्य करने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजना के अन्तर्गत किन-किन राज्यों में कार्य करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ङ) क्या ये राज्य इस सम्बन्ध में राजस्थान के समान विकसित हैं अथवा पिछड़े हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और विकास का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग की मौजूदा स्थिति, यातायात की तीव्रता, साधनों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए और अखिल भारतीय स्तर पर आन्तरिक प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्यों को संस्वीकृत किया जाता है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में छः राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण की व्यवस्था करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इन परियोजनाओं को यातायात की आवश्यकता, अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिकता और आर्थिक औचित्य के आधार पर चुना गया है न कि क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार कर। इसमें राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग की कोई परियोजना शामिल नहीं की गई।

चिकित्सा शिक्षा के लिए नई पाठ्यचर्या

567. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने देश में चिकित्सा शिक्षा के लिए नई पाठ्यचर्या का प्रस्ताव किया है जिससे कि शिक्षा की अवधि को कम किया जा सके जो कि आवश्यकता से अधिक है और जिसमें स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 9 से 10 वर्ष लग जाते हैं जबकि उसी स्तर की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में काफी कम समय लगता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की कुल अवधि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद $8\frac{1}{2}$ वर्ष है जिसमें 3 वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि भी शामिल है। आयुर्वेद यूनानी और सिद्ध पद्धतियों में व्यवसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम प्रवेश अर्हताएं निश्चित करने के प्रश्न पर सरकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार कर रही है।

जाली रेल टिकट

568. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जाली रेल टिकटों के कितने मामले पकड़े गए और ऐसे कितने जाली टिकट पकड़े गए और किन-किन स्टेशनों पर पकड़े गए; और

(ख) रेल कर्मचारियों का हाथ कितने मामलों में था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1982 से 1984 तक 301 जाली रेल टिकटों के 94 मामले पकड़े गए थे। स्टेशनों का नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जाली टिकटों की बिक्री में अन्तर्ग्रस्त 13 संदिग्ध रेल कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा चार पर मुकदमें चल रहे हैं।

विवरण

नासिक,	कल्याण,	पुणे,	इलाहाबाद,
सिवँथ,	मऊऐमा,	जौनपुर,	श्रीकृष्ण नगर,
कोइरीपुर,	भोपिया मऊ	ऊगू,	हरपाल गंज,
कामपुर,	बादशाहपुर,	बाबतपुर	रायबरेली
गुसाईंगंज,	फूलपुर,	सफीपुर,	मेथीटिकुर,
टाटानगर,	हावड़ा,	अजमेर,	विजयनगर

[हिन्दी]

फाल्गो नदी पर बांध

569. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने फाल्गो नदी पर राज्य के गया जिले में बाराछट्टी पुलिस थाने के अधीन आने वाले स्थान पर बांध का निर्माण करने की स्वीकृति के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस योजना के बारे में पत्र कब प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) बिहार सरकार द्वारा 1982 में मोहाने जलाशय परियोजना प्रस्तुत की गई थी जिसमें मोहाने नदी जो फाल्गू नदी की एक सहायक नदी है, पर भालूचती के निकट एक बांध का निर्माण शामिल है। परियोजना की जांच करने के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं। अधिकतर टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर 18 जुलाई, 1985 को प्राप्त हुए हैं तथा परीक्षणाधीन हैं। इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को अभी स्थापित किया जाना है।

कोयला खानों से कोयले की ढुलाई

[अनुवाद]

570. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे, मालडिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण कोयला खानों से कोयला नहीं उठाती है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की ढुलाई के लिए कोयला खानों में माल-डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना में रेलवे के लिए आबंटित परिव्यय

571. **श्री सोडे रमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में रेलवे के लिए 12,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि रेलवे नेटवर्क एक संगठित प्रणाली है और इसलिए आबंटन का विनिश्चय राज्य वार अथवा संघ शासित प्रदेश-वार नहीं किया जाता है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आधारभूत दवाओं की उपलब्धता

572. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आधारभूत दवाएं और आवश्यक शल्य-चिकित्सा सामग्री उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस अस्पताल में सभी अनिवार्य औषधियां और शल्य चिकित्सा सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता मंजूर किए जाने का मानदण्ड

573. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता की मात्रा का निर्णय करने का आधार और प्रक्रिया क्या है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी योजना के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय-वार अनुदान की कुल कितनी धनराशि दी है; और

(ग) विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सातवीं योजना में अनुदान देने के प्रस्ताव क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को सामान्य विकास अनुदानों का एक अंतरिम आबंटन दर्शाता, है, जो कि योजना के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा । यह आबंटन प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास के स्तर, उसके द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्यक्रमों की प्रकृति और किस्म, उसके छात्रों की संख्या तथा पहले अनुमोदित की गई योजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर निर्धारित किया जाता है । तब विश्वविद्यालयों से उसमें दर्शाए गए आबंटन के अन्तर्गत अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है । प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए गठित की गई विजिटिंग समितियों द्वारा इन प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा उनकी सिफारिशों पर आयोग द्वारा अनुदान अनुमोदित किया जाता है । पहले संस्वीकृत किए गए सामान्य विकास अनुदानों के अलावा आयोग विभिन्न कोटि सुधार कार्यक्रमों के लिए भी अनुदान देता है । इस श्रेणी के कार्यक्रमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों को ऐसे कार्यक्रमों के लिए गठित की गई समितियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं ।

(ख) छठी योजना के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिए गए कुल अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) सातवीं योजना में विश्वविद्यालयों के लिए अन्तरिम आबंटन पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए सातवीं योजना के परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

विश्वविद्यालय का नाम		छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत किया गया कुल अनुदान
1		2
केंद्रीय विश्वविद्यालय		
1.	अलीगढ़	1002.45
2.	बनारस	1222.44
3.	दिल्ली	1183.69
4.	हैदराबाद	555.37
5.	जवाहर लाल नेहरू	728.72
6.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	970.58
7.	विश्व भारती	150.03
विश्वविद्यालय समझे जाने वाले संस्थान		
1.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी	67.10
2.	केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	131.63
3.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, मदुराई	53.22
4.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	105.60
5.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	946.33
6.	भारतीय खनन स्कूल, धनबाद	135·44
7.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	287.57
8.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई	56.15
9.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	24.49
10	वनस्थली विद्यापीठ, डाकघर वनस्थली विद्यापीठ, (राज०)	7.22
11.	दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, आगरा	65.14

1		2
12.	श्री सत्य सांई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रशान्ती निलायम-515134.	53.22
राज्य विश्वविद्यालय		
आन्ध्र प्रदेश		
	आन्ध्र	469.80
	जवाहर लाल नेहरू तकनीकी	93.48
	काकातीय	80.92
	नागार्जुन	67.29
	ओस्मानिया	373.78
	श्री कृष्ण देवरया	59.89
	श्री वेंकटेश	288.11
असम		
	डिब्रूगढ़	89 97
	गोहाटी	173.66
बिहार		
	भागलपुर	114.53
	बिहार	83.09
	के० एस० दरभंगा	26.38
	मगध	71.55
	एस० एन० मिथिला	9.22
	पटना	168.33
	रांची	93.68
गुजरात		
	भावनगर	0.80

1	2
गुजरात	185.27
एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	381.78
सरदार पटेल	172.42
सौराष्ट्र	135.36
दक्षिण गुजरात	106.32
हरियाणा	
कुरुक्षेत्र	144.47
महर्षि दयानन्द	102.99
हिमाचल प्रदेश	
हिमाचल प्रदेश	103.89
जम्मू और काश्मीर	
जम्मू	123.53
कश्मीर	133.65
कर्नाटक	
बंगलौर	205.62
कर्नाटक	167.44
मैसूर	181.03
केरल	
कालीकट	102.99
कोचीन	159.23
केरल	190.73
मध्य प्रदेश	
अवधेश प्रताप सिंह	61.19
भोपाल	74.88
इन्दिरा कला संगीत	18.89

1	2
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	76.73
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	86.59
जीवाजी	58.53
रविशंकर	47.62
डा० एच० एस० गौड विश्वविद्यालय	132.26
विक्रम	108.49
महाराष्ट्र	
बम्बई	495.46
मराठवाड़ा	137.12
नागपुर	179.72
पूना	366.33
एस० एन० डी० टी० महिला	155.79
शिवाजी	98.12
मणिपुर	
मणिपुर	87.41
उड़ीसा	
बरहामपुर	94.48
सम्बलपुर	104.67
उत्कल	139.39
पंजाब	
गुरू नानक देव	109.81
पंजाब	479.77
पंजाबी	112.02
राजस्थान	
जोधपुर	182.44

1	2
राजस्थान	298.63
उदयपुर	81.49
तमिलनाडु	
अन्नामलाई	178.16
भारतीदर्शन	0.10
मद्रास	368.05
मदुराई कामराज	225.05
तमिल विश्वविद्यालय	2.18
उत्तर प्रदेश	
आगरा	61.26
इलाहाबाद	236.28
अवध	5.57
बुन्देलखंड	0.17
गढ़वाल	43.93
गोरखपुर	154.20
कानपुर	35.51
काशी विद्यापीठ	39.50
कमाऊँ	67.65
लखनऊ	139.97
मेरठ	92.54
रुड़की	648.91
सम्पूर्णानन्द संस्कृत	28.06
पश्चिम बंगाल	
बर्दवान	145.28
कलकत्ता	412.70

1	2
ज़ादवपुर	345.38
कल्याणी	107·48
उत्तरी बंगाल	96.75
रबिन्द्र भारती	68.35

आयुर्वेद तथा सिद्ध प्रद्धति में अनुसंधान सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद द्वारा कैंसर-रोधी औषधि का निर्माण

574. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद तथा सिद्ध पद्धतियों में अनुसंधान सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद द्वारा कैंसर रोधी औषधि के निर्माण हेतु एक स्व-अधिकार लिए गए हैं, जैसा कि न्यूज टाईम दिनांक 27 मई, 1985 में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) क्या इन औषधियों की प्रभावकारिता इनके जहरीले प्रभावों सहित नैदानिक परीक्षणों के पश्चात् पूरी तरह से और स्वतन्त्र रूप से सिद्ध हो चुकी है, तथा यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने सोलानम ट्रिलोबटम पौधे से सोलामारिन को अलग करने की प्रक्रिया पेटेन्ट कर ली है जिसकी कैंसर-रोधी औषधि के रूप में अजमाइश की जा रही है।

(ख) इस औषधि की कैंसर-रोधी औषधि के रूप में अजमाइश की जा रही है और आरम्भिक परिणाम आशाजनक हैं। इस औषधि की विषाक्तता का परीक्षण, चूहों को एक ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से खिलाकर तथा 500 मि०ग्रा०/किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से उदर के आवरण के अन्दर इसकी खुराक देकर किया गया और इससे कोई विषाक्तता पैदा नहीं हुई।

अन्तर-राज्य तेलुगू-गंगा परियोजना

575. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-राज्य तेलुगू गंगा परियोजना के लिए धनराशि एक प्रमुख बाधा बन गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार उपयुक्त संसाधनों का पता लगाकर और इसके क्रियान्वयन में पैदा होने वाली समस्याओं का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करके इस मामले में सहायता करेगी ताकि बड़ी संख्या में लोगों को इस परियोजना का लाभ मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों ने तेलुगु गंगा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी के बारे में सूचित नहीं किया है। केन्द्रीय जल आयोग का तेलुगू गंगा परियोजना को अभी स्वीकृति देनी है। तथा उसके पश्चात राज्य की योजना में क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जाती है। परियोजना में कुछ अन्तर्राज्यीय पहलू भी शामिल हैं जिन पर संबंधित राज्य सरकारों से केन्द्र सम्पर्क कर रहा है।

वर्ष 1984-85 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से होने वाली दुर्घटनायें

576. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से अथवा बस कर्मचारियों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हुए;

(ख) क्या सरकार का विचार दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और कठोर कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान, दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुई दुर्घटनाओं में 258 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 1440 व्यक्ति घायल हुए।

(ख) और (ग) निगम ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) ड्राइवरों को यह निदेश दिया गया है कि वे गाड़ियों की गति सीमा का पालन करें और यातायात के नियमों का पालन करें। बसों के यात्रियों को छोटे-छोटे वाक्यों द्वारा जो बसों में लिखे हुए होते हैं यह सलाह दी जाती है कि वे फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा न करें और न ही वे चलती बसों पर चढ़ें या उससे उतरने की कोशिश करें। इसके अलावा यातायात के नियमों और अन्य हिदायतों के पालन करने के लिए भी जन संचार के माध्यम द्वारा निदेश दिए जाते हैं जिससे कि दुर्घटनायें न हों।

(2) उचित रूप से प्रशिक्षित ड्राइवरों की तैनाती को सुनिश्चित करना। इन बसों को चलाने के लिए उन्हीं व्यक्तियों की भर्ती की जाती है जिनको भारी गाड़ी चलाने का तीन वर्ष का अनुभव होता है।

(3) ड्राइवरों को लाइन ड्यूटी देने के पहले दिल्ली परिवहन निगम की प्रशिक्षण स्कूलों में सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने और रूट से परिचित होने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

(4) गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को निश्चित गति से अधिक तेजी से गाड़ी चलाने की उनकी आदत को नियंत्रित करने के लिए विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं। जिन लोगों को दोषी पाया जाता है उन्हें लाइन ड्यूटी से वापस बुला लिया जाता है या उन्हें उक्त प्रशिक्षण स्कूल में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए भेज दिया जाता है।

(5) बसों को अच्छी तरह रखने के लिए हर संभव उपाय किये जाते हैं।

(6) यातायात के नियम, सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में फिल्मों, स्लाइडों और दृश्यश्रव्य के अन्य माध्यमों द्वारा यातायात पुलिस अधिकारियों की सहायता से ड्राइवरों को नियमित रूप से जानकारी दी जाती है।

(7) एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है जिसके तहत ऐसे ड्राइवर को नगद पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने तिमाही के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं की होती। इस पुरस्कार की राशि में हर तिमाही वृद्धि की जाती है।

खुर्दा रोड-पुरी रेल लाइन को दोहरा करना

577. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खुर्दा रोड और पुरी के बीच दोहरी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रस्ताव सरकार के पास काफी समय से लम्बित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यद्यपि खोरदा रोड और पुरी के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, खोरदा रोड-पुरी खण्ड पर यातायात की मात्रा से इस समय इस लाइन को दोहरा करने का औचित्य नहीं बनता है। जब कभी यातायात का विकास होगा, इस प्रश्न की

समीक्षा की जायेगी ।

अधिक यातायात वाले मार्गों पर स्वत: चेतावनी प्रणाली (आटोमेटिक वार्निंग सिस्टम) की स्थापना

578. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का अधिक यातायात वाले मार्गों पर स्वत: चेतावनी प्रणाली (आटोमेटिक वार्निंग सिस्टम) स्थापित करने का कार्य बहुत अधिक धीमा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 से 1978-79 की अवधि में शुरू किया गया एक भी कार्य अब तक पूरा तथा चालू नहीं हुआ है;

(ग) क्या स्वत: चेतावनी प्रणाली (आटोमेटिक वार्निंग सिस्टम) स्थापित करने में विलम्ब के कारण सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) स्वत: चेतावनी प्रणाली की स्थापना का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उच्च घनत्व वाले मार्गों पर 'स्वचल चेतावनी प्रणाली' जिसे अब 'सहायक चेतावनी प्रणाली' कहा जाता है, लगाने के कार्य की प्रगति धीमी रही है ।

(ख) यह काम 1974-1979 के दौरान पूर्व रेलवे के गया-मुगलसराय तथा हावड़ा बर्दवान खंडों पर विदेशों से उपस्कर मंगा कर विभिन्न चरणों में आरम्भ किया गया था और यह 1980 में पूरा हो गया था कुल मिलाकर 21 रेल इंजनों तथा 12 बिजली गाड़ियों पर कुछ उपस्कर लगाये गये थे और इन खंडों पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर 189 ट्रैक मेगनेटों की व्यवस्था की गई थी । पटरियों से अल्यूमिनियम के खोल वाली मेगनेटों की अधिक मात्रा में चोरी किये जाने के कारण यह प्रणाली संतोषजनक साबित नहीं हुई । इसलिए, चोरियों से बचने के लिए, अभिकल्प में संशोधन करने और फाइबर ग्लास के खोल वाले ट्रैक मेगनेट लगाने का निश्चय किया गया ।

फाइबर ग्लास वाले ट्रैक मेगनेट का संशोधित अभिकल्प विकसित कर लिया गया है और पूर्व रेलवे के हावड़ा-बर्दवान काई और मुख्य लाइन उपनगरीय खंडों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

इस बीच, भारतीय रेलवे के अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन के साथ-साथ मिलकर इस प्रणाली को स्वदेशी रूप में विकसित करने का काम मैसर्स इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को भी सौंप दिया गया था ।

सहायक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था पश्चिम रेलवे के चर्चगेट-विरार उपनगरी खंड पर

भी की जा रही है जिसे 1976-77 में स्वीकृत किया गया था, परीक्षण चल रहे हैं और अब तक के परिणाम संतोषजनक हैं।

(ग) आशा की जाती है कि सहायक चेतावनी प्रणाली के लगाने से ड्राइवरों द्वारा खतरे के सिगनलों को पार कर जाने जैसी मानवीय भूलों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी। समूचे खंड पर इस प्रणाली के चालू हो जाने और भारतीय रेलों पर उपलब्ध परिस्थितियों के अन्तर्गत कुछ वर्षों में अनुभव प्राप्त हो जाने पर इसका वास्तविक मूल्यांकन व्यवहार्य होगा।

(घ) सहायक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था से सम्बद्ध कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए रेलों को कहा गया है। प्रगति पर निगरानी रखने के लिए रेलवे बोर्ड में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

न्यू मंगलौर, कोचीन तथा अन्य पत्तनों पर उर्वरकों को उतारना

579. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मंगलौर, कोचीन और कुछ अन्य पत्तनों पर जहाजों से उर्वरक उतारने में अत्यधिक देरी होती है जिसमें जहाज मालिकों को परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों के उतारे जाने में विलम्ब के कारण आगामी कृषि मौसम में कृषि संबंधी कार्यकलापों पर असर पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इन पत्तनों पर उतारे जाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कारगो की प्रकृति पत्तन के ट्राजिट शेड से हिंटरलैंड लक्ष्य तक धीमा आफटेक, असंतुष्ट औद्योगिक संबंध, जहाज पर यंत्रों में खराबी आदि कई कारण हैं जिनके कारण न्यू मंगलौर और कोचीन पत्तनों पर फर्टिलाइजर लाने वाले जहाजों के टर्न राउंड समय में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं। ग्रीष्म 1985 के खरीफ के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति की गई है।

(ग) सरकार लगातार उतराई की दर का निरीक्षण कर रही है और पत्तनों को समय-समय पर फर्टिलाइजर लाने वाले जहाजों के लिए शीघ्र टर्न राउंड प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर रही है।

भाड़ा वसूल करने के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

580. श्री हरिहर सोरन
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भाड़ा वसूल करने के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी फर्मों से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं;

(घ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रेलों ने साफ्टवेयर की सप्लाई करने तथा माल यातायात के कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन कार्यक्रम में परामर्श-सहायता देने के लिए "कैनेक कन्सल्टेंट्स' को, जो कैनेडियन नेशनल रेलवे का एक परामर्शदाता स्कन्ध है, नियुक्त किया है।

(घ) माल यातायात के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कुल 520 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है जिसमें से 350 करोड़ रुपये की राशि कम्प्यूटर संचारों के विकास पर खर्च की जायेगी।

(ङ) कार्यक्रम की योजना बनाने, उसका विकास करने और उसको कार्यान्वित करने से सम्बन्धित काम शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा एक परियोजना प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

उड़ीसा में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

581. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु वर्ष 1985-86 में कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर अब तक कामकाजी महिलाओं के लिए कितने होस्टल

बनाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में ऐसे कुछ और होस्टल बनाने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1985-86 के बजट प्राक्कलन में दिवस देखभाल केन्द्र सहित श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण हेतु सहायता योजना के लिए 170 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ख) 1972-73 में जब से यह योजना शुरू की गई थी तब से उड़ीसा में अभी तक 7 श्रमजीवी महिला होस्टलों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की गई है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता। ये परियोजनायें स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने और धनराशि के उपलब्ध होने पर ही स्वीकृत की जाती हैं। उड़ीसा का कोई भी नया प्रस्ताव मंत्रालय में अनिर्णित नहीं पड़ा हुआ है। फिर भी 1984-85 में धनकनाल और औलतपुर में दो होस्टलों को मंजूरी दी गई थी।

सातवीं योजना में उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय

582. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में उड़ीसा में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कितनी राशि का परिव्यय नियत किया गया है;

(ख) उड़ीसा में इस समय चल रही मध्यम तथा मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपरोक्त योजना अवधि में क्या नीति अपनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय 550 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के लिए नीति यह है कि निर्माणाधीन बृहद तथा मध्यम

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, जिनसे योजना अवधि के दौरान फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, पर्याप्त निधियों का आबंटन करना तथा बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध परिव्यय की भी व्यवस्था करना है।

रोहा-दीवा और बम्बई के बीच यात्री सेवा

583. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि कंकन रेल लाइन का निर्माण कार्य रोहा तक पूरा हो गया है;

(ख) क्या रोहा-दीवा और बम्बई के बीच यात्री सेवा की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो यात्री सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यात्री गाड़ी सेवा का प्रश्न आप्ता-रोहा लाइन के पूरे हो जाने पर ही उठेगा, जो सवारी डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 132 किलोवाट पारेषण लाइन के लिए केन्द्र द्वारा मंजूरी

[हिन्दी]

584. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आरक्षित वन क्षेत्रों के बीच होकर सिओनी-पेंच 132 किलोवाट पारेषण लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त लाइन के कार्य को जून, 1985 पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने सिओनी-पेंच 132 के० वी० पारेषण लाइन को पूरा

करने का लक्ष्य जून, 1985 निर्धारित किया था।

(ग) सिओनी-पेंच पारेषण लाइन महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन जंगल की सफाई के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए थे और ये प्रस्ताव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने क्रमश: अक्तूबर और दिसम्बर, 1984 में पर्यावरण और वन विभाग (वन और वन्य जीव विभाग) को भेज दिए थे। कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् वनों की सफाई से सम्बन्धित आवश्यक अनुमोदन मई, 1985 में भेज दिया गया था। पेंच जल विद्युत परियोजना की पहली यूनिट को चालू किए जाने के साथ-साथ पारेषण लाइन को चालू कर दिए जाने की आशा है।

रामगुण्डम संयंत्र पर खर्च की गई धनराशि

[अनुवाद]

585. **श्री जी० भूपति :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगुण्डम तापीय विद्युत संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ख) उक्त परियोजना को पूरा करने को और कितनी धनराशि खर्च की जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या यह सच है कि साउदी अरब रामगुण्डम संयंत्र के दूसरे चरण के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण देने पर सहमत हो गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) 1984 की दूसरी तिमाही के लागत आंकड़ों के आधार पर, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली सहित 2100 मेगावाट की रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 1940.91 करोड़ रुपये है। जून, 1985 के अन्त तक किया गया व्यय लगभग 748 करोड़ रुपये है। परियोजना को पूरा करने के लिए और आगे किया जाने वाला सम्भावित व्यय लभगग 1193 करोड़ रुपये है, बशर्ते मूल्यों में वृद्धि न हो।

(ग) परियोजना की 2×500 मेगावाट की यूनिटों के लिए साउदी विकास निधि 172 मिलियन साउदी रियाल (लगभग 4.8 करोड़ अमेरीकी डालर) की राशि उधार देने पर सहमत हो गई है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए पोतों को निर्माण

586. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम का "आफ शोर फेब्रीकेशनयार्ड" तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के खोज-कार्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तट दूर ढांचों और विशिष्ट पोतों का निर्माण करेगा;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उपरोक्त शिपयार्ड को क्रयादेश दिए हैं और क्या उसने तेल और प्राकृतिक गस आयोग के लिए तट-दूर प्लेट फार्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय पहलुओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के "आफ शोर फेब्रीकेशन यार्ड" के लिए तट दूर ढांचों जैसे 'वैल हैड प्लेटफार्म" का निर्माण कर रहा है।

अन्य विशिष्ट पोत जैसे ड्रिल शिप ओ० पी० एस० एस० वी० आदि, वर्तमान शिपयार्ड में निर्माणाधीन हैं।

(ख) जी हां। क्रयादेश दिए गए हैं और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई पर 31-3-86 तक टर्न-की आधार पर निर्माण डिलीवरी व इसे स्थापित करने के लिए 36 करोड़ की अनुमानित लागत पर दो वैल प्लेट-फार्म के क्रयादेश दिए हैं, यह क्रयादेश 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले एक ड्रिल शिप तथा चार ओ० पी० एस० एस० वी० के क्रयादेश के अतिरिक्त है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में नियोजित कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दी जाने वाली परिलब्धियां

587. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान हिन्दुस्तान लि० विशाखापत्तनम में अधिकारियों (श्रेणी एक और दो) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और वर्कमेनों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) उन्हें वर्ष-वार कुल कितनी परिलब्धियों का भुगतान किया गया ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क)

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० के स्टाफ को श्रेणी I, श्रेणी II और श्रेणी III के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसके स्टाफ को अधिकारियों, स्टाफ और कर्मकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसकी वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 की संख्या का उल्लेख नीचे किया गया है :—

	1982-83	1983-84	1984-85
अधिकारियों	607	594	613
स्टाफ	1946	1937	1969
कर्मकार	5186	5160	5068

(ख) भुगतान की गई कुल राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(रुपये लाखों में)

	1982-83	1983-84	1984-85
अधिकारियों	185.37	204.14	215.77
स्टाफ	356.05	376.14	479.62
कर्मकार	785.53	858.95	1265.62

भारतीय रेलवे में वायरलैस व्यवस्था

588. एस० एम० भट्टम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रेलवे की वायरलैस व्यवस्था को इसके अलाभप्रद होने के कारण बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो वायरलैस व्यवस्था के रखरखाव और उसके लिये संचालन कर्मचारियों पर इस समय कुल कितना व्यय होता है;

(ग) क्या वायरलैस कर्मचारियों को टेलीग्राफ और टेलीप्रिन्टर कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, बेतार प्रणाली के लिए कर्मचारियों पर इस समय

लगभग 1.2 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होता है।

(ग) और (घ) सन्देश तथा डेटा भेजने के लिए आधुनिक संचार प्रणाली लागू हो जाने से बेतार प्रणाली के स्थान पर धीरे-धीरे कार्यक्रम बद्ध आधार पर माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर सर्किटों की व्यवस्था की जा रही है। जब बेतार प्रणाली की जगह टेलीप्रिंटर सम्पर्कों की व्यवस्था की जाती है तो बेतार प्रणाली के फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों का उपयोग इन्हें चलाने के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

रोगियों को जीवन रक्षक औषधियां मुफ्त देने की व्यवस्था

589. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ख्यातिप्राप्त न्यूरोलोजिस्ट ने रोगियों को मुफ्त जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार से निवेदन किया है;

(ख) क्या उसने यह भी अनुरोध किया है कि इन औषधियों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है तथा सरकार ने इस बारे में कोई आदेश जारी किया है तथा यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह जानकारी नहीं है कि किसी ख्यातिप्राप्त न्यूरोलोजिस्ट ने रोगियों को मुफ्त जीवन रक्षक औषधियां सप्लाई करने का कोई अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युत वित्त निगम

590. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम का मुख्य कार्य क्या होगा; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) विद्युत वित्त तथा विकास निगम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

स्वचालित पराध्वनिक (सैल्फ प्रोपैल्ड अल्ट्रासोनिक) रेल परीक्षण उपकरणों का आयात

591. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वचालित पराध्वनिक रेल परीक्षण उपकरणों का आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आधुनिकतम रेल परीक्षण उपकरणों का मूल्य क्या है;

(ग) क्या इनका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) 3.5 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निर्धारित सुपुर्दगी-अनुसूची के अनुसार इसकी सुपुर्दगी अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी।

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत उड़ीसा में सड़कों तथा पुलों की नई परियोजनाएं

592. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत उड़ीसा में सड़कों तथा पुलों की कुछ नई परियोजनाएं मन्जूर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रत्येक परियोजना का अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उड़ीसा में केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता देकर किए जाने वाले सड़क एवं पुल कार्यों के कार्यक्रम पर अभी राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब के प्रस्तावित 'कोच फैक्ट्री' का स्थान

593. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में प्रस्तावित कोच फैक्ट्री के स्थान के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-सा स्थान निश्चित किया गया है और फैक्ट्री कब तक स्थापित की जाएगी;

(ग) इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के क्षेत्र सहित परियोजना की कुल लागत और ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने प्रस्तावित रेल सवारी डिब्बा कारखाना पंजाब में स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(ख) इस कारखाने को कपूरथला-सुलतानपुर मार्ग पर कपूरथला से 5 कि० मी० पर स्थापित करने का प्रस्ताव है । अनुमान है कि कारखाने में लगभग दो वर्ष के भीतर आरम्भिक उत्पादन शुरू हो जाएगा ।

(ग) परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है । लगभग 300 हैक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता होगी ।

(घ) जैसा भाग (क) के उत्तर में सूचित किया गया है, पंजाब में सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना करने के सम्बन्ध में विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है ।

[हिन्दी]

धौलपुर-सिरमुत्तरा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

594. **लाला राम केन** : क्या रेल मन्त्री धौलपुर सिरमुत्तारा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के बारे में 4 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1865 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में धौलपुर से सिरमुत्तारा तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रावधान है और इस योजना में राजस्थान में रेलों के विकास के लिए कुल मिलाकर कितनी धनराशि आंबंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । धनराशि का आबंटन राज्य बार नहीं किया जाता है ।

आगरा से बांदी कुई तक 'हाल्ट स्टेशनों की संख्या

595. **श्री लाला राम केन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर रेल लाइन पर आगरा और बांदीकुई के बीच कितने 'हाल्ट स्टेशन' हैं और रेल विभाग ने इन हाल्ट स्टेशनों पर क्या सुविधायें प्रदान की हैं;

(ख) क्या इन हाल्ट स्टेशनों पर रेल विभाग द्वारा प्रदान की गई बुकिंग सुविधा तथा यात्रियों को दी गई अन्य सुविधायें अपर्याप्त; हैं और

(ग) यदि हां, तो रेल प्रशासन द्वारा इन हाल्ट स्टेशनों पर सभी आवश्यक सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) आगरा फोर्ट और बांदीकुई स्टेशनों के बीच छ: हाल्ट स्टेशन हैं इन सभी हाल्ट स्टेशनों पर वर्तमान मानदण्डों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । ये सुविधाएं इन स्थलों पर होने वाले यात्री यातायात का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

उपकेंद्रों का दर्जा बढ़ाया जाना और मिनी स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

596. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के

अन्तर्गत कुछ उप-केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया गया है और मिनी स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में छठी योजना के दौरान कितने मिनी स्वास्थ्य केन्द्र बनाए गए हैं और कितने उप-केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ग) उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर केन्द्रीय सहायता की कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपकेन्द्रों का उन्नयन करने अथवा मिनी स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की कोई योजना नहीं थी।

बम्बई तथा बनारस के बीच सुपर फास्ट रेल गाड़ी चलाना

597. **श्री गुरुदास कामत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा बनारस के बीच कोई सुपरफास्ट रेल गाड़ी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सप्ताह में कम से कम दो बार बम्बई तथा बनारस के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

भारतीय नौवहन उद्योग में घाटा

598. **श्री चिंत मोहन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन उद्योग में घाटा बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या श्रमिक असंतोष इसके मुख्य कारणों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या अपर्याप्त बन्दरगाह सुविधाएं भी घाटा होने का एक कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) संपूर्ण विश्व में अभूतपूर्व मंदी के कारण अधिकांश नौवहन कम्पनियां पिछले तीन साल से घाटा उठा रही हैं। नौवहन कम्पनियों में होने वाली घाटे का मुख्य कारण श्रमिक असन्तोष नहीं है इसका मुख्य कारण अत्यन्त मंदा भाड़ा बाजार है जो सीमित कार्गो के लिए अधिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम है।

(घ) और (ङ) पत्तन सुविधाओं के विकास की विभिन्न योजनाएं जो पत्तनों की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करती है उनका वर्तमान/प्रक्षिप्त ट्रैफिक और नौवहन प्रवृति की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए लगातार कार्यान्वयन किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की पुनरीक्षा की मांग

599. चित्त मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न व्यापारियों और उद्योग एजेन्टों ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की पुनरीक्षा की मांग की है; और

(क) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) सुझावों को नोट कर लिया गया है।

कैंसर के लिए बीमा योजना

600. श्री चित्त मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम, आदि के माध्यम से कैंसर के लिए एक बीमा योजना लागू की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी नागरिकों के लिए एक समग्र तथा मितव्ययी न्यूनतम स्वास्थ्य कार्यक्रम पर भी विचार करने का है, जो प्रारम्भ में निवारक औषधि के लिए "कवर" के रूप में प्रारम्भ किया जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अस्पतालों के कार्यकरण को सुधारने और उनका विस्तार

करने तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का सभी राज्यों की राजधानियों तक विस्तार करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कैंसर रोग के लिए बीमें की कोई योजना आरम्भ नहीं की है। समाचार पत्रों में हाल ही में छपे समाचार का सम्बन्ध न्यू इण्डिया इन्शोरेंस कम्पनी के सहयोग से इण्डिया कैंसर सोसाइटी द्वारा शुरू किये गये प्रस्ताव से है।

(ख) सरकार अपने अस्पतालों, औषधालयों तथा मन्त्रालय संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रह रहे गरीबों तथा जरूरतमन्द लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है।

(ग) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय देश में कार्यरत अस्पतालों की कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है। जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का सभी राज्यों की राजधानियों में विस्तार करने का सम्बन्ध है, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिवान (बिहार) के लिए वातानुकूलित बर्थ कोटा बहाल करना

601. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिवान के लिए दो-टीयर वातानुकूलित 2 बर्थों का कोटा था जो घटाकर अब एक कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई होती है और उन्हें बर्थ प्राप्त करने के लिए महीनों तक इन्तजार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सिवान के लिए दो-टीयर वातानुकूलित 2 बर्थों का कोटा बहाल करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) स्थान का म म उपयोग किये जाने के कारण 153 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस में सिवान के लिए 2 टीयर वातानुकूल दर्जे में 2 शायिकाओं के कोटे को घटाकर 1-7-85 से एक शायिका कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

सिवान स्टेशन पर रेल गाड़ियों के रुकने के समय को बढ़ाया जाना

602. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सिवान रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री रेल-गाड़ियों में चढ़ते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिवान में प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख रुपयों के रेल टिकटों की बिक्री होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां पर रेलगाड़ियां केवल 2 मिनट रुकती हैं जिसके परिणामस्वरूप सभी यात्रियों के लिए रेल गाड़ी पकड़ना बहुत कठिन होता है और अनेक यात्री रेलगाड़ी नहीं पकड़ पाते; और

(घ) यदि हां, तो क्या यात्रियों की सुविधा के लिए सिवान स्टेशन पर रेलगाड़ियों के रुकने के समय को 2 मिनट से बढ़ाकर कम से कम 5 मिनट तक करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी नहीं। गाड़ियां पहले से ही 5 मिनट से 25 मिनट तक के बीच ठहरती हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए भोपाल के डाक्टरों को अमरीकी चिकित्सा संस्थाओं का निमन्त्रण

603. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल के अनेक वरिष्ठ गैर-सरकारी और सरकारी डाक्टरों को भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु विचार-गोष्ठियों अथवा बैठकों में भाग लेने के लिए विभिन्न अमरीकी चिकित्सा संस्थाओं से निमन्त्रण मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार के पास प्राइवेट डाक्टरों को ऐसे आमंत्रणों के प्राप्त होने की कोई विशेष सूचना नहीं है। किन्तु किसी सरकारी डाक्टर को कोई ऐसा आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

12 00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण, विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण और रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, सिलचर के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, के 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, के 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाल एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०** 1155/85]

(3) (एक) विश्वभारती, शान्ति निकेतन, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) विश्व-भारती, शान्ति निकेतन, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

]**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०** 1156/85]

(5) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1157/85]

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : पूर्व इसके कि आप कार्यवाही आरम्भ करें मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर सूचना दी है। इस मामले का संबंध केन्द्र द्वारा वित्त पोषित धारवी स्थित गन्दी बस्ती सुधार योजना से है जहां बहुत अधिक भ्रष्टाचार बताया गया है...

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था, मैंने इसके बारे में सूचना मांगी है। सूचना प्राप्त होने पर ही हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप धारवी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई और प्रश्न हो तो; मैं विचार करूंगा... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता सामन्त, मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। इसका सम्बन्ध उच्चतम न्यायालय के निर्णय से है जिसपर हम यह चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप कानून में संशोधन करने के लिये प्रस्ताव रख सकते हैं। मैं विवश हूं। मैं कुछ नहीं करा सकता।

श्री दत्ता सामंत : ** ......

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप चाहें तो गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक या संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं किन्तु इस तरह नहीं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के नियमों से बंधा हुआ हूं। आप जो चाहें महसूस करें किन्तु आप जो कहते है, मैं वैसा नहीं कर सकता। इस मामले में मैं किसी की अनुमति नहीं दूंगा...

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से स्पष्ट कह देता हूं । श्री सामंत कृपया मेरी बात सुनिये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आपको विशेषाधिकार भंग करने के लिए दोषी ठहराया जायेगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सामन्त, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता । मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसे अवश्य सुनिये । आप यह महसूस करें की आप क्या कर रहे हैं । आपके पास और भी रास्ते हैं । आप गैर-सरकारी सदस्यों के संशोधन या इसी प्रकार का कोई अन्य प्रस्ताव ला सकते हैं जिस पर सभा में चर्चा की जा सकती है । यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि :

> "उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की विद्वत्ता के बारे में कोई प्रश्न नहीं रखा जा सकता । यह ठीक नहीं है । न्यायालय संसद द्वारा पारित विधि का केवल अर्थ लगाते हैं और यदि सदस्य ऐसा महसूस करते हैं कि उस विधि का अर्थ न्यायालयों द्वारा लगाये गये अर्थ से भिन्न है; तो वे विधि में संशोधन करा सकते हैं ।"

यह बात आपके समक्ष स्पष्ट है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूं । संशोधन लाने के लिये मैंने आप पर प्रतिबंध नहीं लगाया है । आप संशोधन ला सकते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम एक-एक कर सभी विषयों को ले रहे हैं । एक ही समय में हम सबको नहीं ले सकते । आप मेरे पास आयें, मैं आपको बताऊंगा । **(व्यवधान)** **

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता सामन्त, आप गैर-जिम्मेदार हो रहे हैं । आप कुछ गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भीं हो सकता है । मैं क्या कर सकता हूं । इसकी अनुमति नहीं । है

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : आप ला सकते हैं...श्री दत्ता सामन्त; यदि आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा । अब बहुत हो गया है ।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूं और मैं बाहर जाता हूं ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.05 म० प०

(तदनंतर डा० दत्ता सामन्त सदन से बाहर चले गये)

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबी चेत्तिपुलयम) : महोदय, भारत सरकार ने देश की सभी आधुनिक चावल मिलों को बंद करने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई नोटिस दिया है ?

श्री पी० कुलनदईवेलु : मैं नियम 197 के अन्तर्गत नोटिस दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसको देखेंगे । आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसे मैं देखूंगा। इस विषय पर मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य देने की अनुमति दे चुका हूं।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

[अनुवाद]

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा उसे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, मैं श्रीमती मोहसिना किदवई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1158/85]

12.07 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) किसी कर्मचारी को कोई जांच किए बिना जनहित में नौकरी से बर्खास्त करने के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के निर्णय को देखते हुए कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, आज के समाचार पत्रों में छपे उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय से कि सरकारी कर्मचारी को जनहित में बर्खास्त करना उचित है, एक करोड़ 20 लाख सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त हो गया है। यह कौन निश्चय करेगा कि क्या सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी जनहित में है या नहीं ? निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा अब नौकरशाहों की दया पर निर्भर करेगी।

सरकार को इस निर्णय और इसकी सरकारी कर्मचारियों पर होने वाली गम्भीर प्रतिक्रिया पर विचार करना चाहिए। सरकार को आवश्यक संशोधन के साथ आगे आना चाहिए ताकि 1 करोड़ 20 लाख सरकारी कर्मचारियों के सुने जाने के अधिकार से वंचित न किया जाए और उन्हें स्वभाविक न्याय मिले।

(दो) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कर्नाटक में तुमकुर के निकट देवरायणदुर्ग और कैडाला के कलात्मक महत्व के मंदिरों को अपने हाथ में लिए जाने और वहां पर्यटक रुचि के स्थलों का विकास करने की आवश्यकता

***श्री जी० एस० बसवराजू** (टुमकुर) : महोदय, कर्नाटक राज्य में तुमकुर के निकट देवरायर्णदुर्ग और कायडाला स्थान पर्यटक रुचि के सुन्दर स्थान हैं। अमर शिल्पी जनकाचारी का जन्म स्थान कायडाला है जो विश्व विख्यात बेलूर तथा हेलोबेडू मंदिरों का शिल्पी है। उपर्युक्त स्थानों पर उल्लिखित मंदिर स्थापत्य काल के स्मारक हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रही है।

देवरायणदुर्ग समुद्र स्तर से 5000 फुट सेभी अधिक ऊंचाई पर है और इसकी जलवायु स्वास्थ्यकर है। मध्य ग्रीष्म में भी इसका तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। इस पहाड़ी क्षेत्र में कई असाधारण औषधीय वनस्पति उगती हैं और यहां एक स्वास्थ्य केन्द्र आसानी से स्थापित किया जा सकता है।

पड़ोस की नन्दी पहाड़ी को प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। परन्तु देवरायणदुर्ग तथा कायडाला दोनों की उपेक्षा की गई और बहुत से मंदिर बन्द हो गए। इनकी

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

देखभाल के लिए कोई नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें अपने संरक्षण में लेने की आवश्यकता है।

इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपने पुरातत्व विभाग को इन मंदिरों के संरक्षण के लिए तुरन्त निदेश दे और भावी पीढ़ी के लिए उन्हें सुरक्षित रखे। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि इन दोनों स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करें।

12.09 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(तीन) केरल में उद्योगमण्डल स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने की मांग

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : महोदय, केरल में उद्योगमंडल स्थित एफ० ए० सी० टी० यूनिट बहुत पुरानी हो चुकी है। इसलिए इसका विकास तथा आधुनिकीकरण करने की बहुत आवश्यकता है।

देश के दक्षिण भागों में रसायन उर्वरकों की मांग के स्वरूप का अध्ययन बताता है कि यह अगामी वर्षों में बढ़ने वाली है। नाइट्रोजन के साथ-साथ फोसफेटिक उर्वरकों की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। कोचीन स्थित तेल शोधक कारखाना पर्याप्त मात्रा में नेप्था सप्लाई कर सकता है जो कि नाइट्रोजन उर्वरक के लिए कच्चा माल है।

इसलिए, 1350 टन अमोनिया निर्माण करने का कारखाना और इतनी ही मात्रा में यूरिया के लिए उद्योग मंडल में कारखाना तथा अम्बालामेडू में डी० ए० पी० परियोजना को स्थापित किया जाना चाहिए। इन कारखानों से उर्वरकों की बढ़ती मांग पूरी की जा सकेगी। जबकि उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में जोर दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये यूनिटें मुख्य भूमिका निभायेगी।

अतः इस बारे में तुरन्त कार्रवाई करने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं।

(चार) पाकिस्तान की आणविक शक्ति सम्पन्न होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत की रक्षा संबंधी तैयारियों की पुनरीक्षा की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आसूका) : यह बहुत चिंताजनक बात है कि पाकिस्तान परमाणु शस्त्रार्थ त्यागकर भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते में हस्ताक्षर करने का इच्छुक है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में पाकिस्तान के वैज्ञानिक ऐसे उपकरणों को चलाने में सफल हुए जिन्हें क्रेट्रान

*मलयालम में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्विच कहा जाता है और जिनकी मदद से गैर-परमाणु विस्फोट होता है। अमरिका ने पहले से ही पाकिस्तान को उसकी परमाणु गतिविधियों पर चिंता प्रकट की है। जापान में हिरोशिमा पर जो पहला यूरेनियम बम फैंका गया था उसका कभी परीक्षण नहीं किया गया था। केवल उपकरण उप-प्रणाली का सैद्धांतिक रूप से परीक्षण किया गया था जिससे कि यह विश्वास हो सके कि पूरी प्रणाली प्रभावी होगी। यह याद होगा कि गत नवम्बर में अमरीकी अधिकारियों ने टेक्सास से एक पाकिस्तानी व्यापारी को देश से बाहर भेजा था जिसके पाकिस्तानी आणविक ऊर्जा आयोग से सम्बन्ध थे और जिस पर यह आरोप था कि वह गैर कानूनी तरीकों से पाकिस्तान को 50 क्रेटान स्विच भेजने का प्रयास कर रहा था। ये स्विच ऐसे उपकरण हैं जिनकी मदद से एक सैकेंड के दस लाख से कम भाग के समय में स्विच को 'आन' या 'आफ' किया जा सकता है।

यदि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उस मामले में समूचे महाद्वीप में स्थिति बदल जाएगी। इन गतिविधियों को देखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अपनी रक्षा तैयारी की समीक्षा करे और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए।

(पांच) उड़ीसा में क्योंझर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग

श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : क्योंझर में खनिज संसधान बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इस जिले की कोयला खानों में उड़ीसा के सभी भागों से, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली से आए हुए हजारों की संख्या में लोग यहां काम कर रहे हैं। इस जिले में अनेक कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि और शिक्षा संबंधी कालेज स्थित हैं।

भारत सरकार ने छठी योजना के दौरान देश में कई दूरदर्शन केन्द्रों को स्थापित किया है। लेकिन उड़ीसा में कई ऐसे पिछड़े जिले हैं जहां अभी तक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। क्योंझर, उड़ीसा में एक ऐसा ही जिला है।

इस जिले का इतिहास बहुत पुराना है। क्योंझर के योगदान के बिना उड़ीसा का इतिहास तथा संस्कृति अपूर्ण होगी। इसलिए यह उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण जिला है। यदि इन सभी पहलुओं को विचार में रखा जाए तो क्योंझर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि क्योंझर जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाए तो इसके निकटवर्ती जिलों मयूरभंज, सुन्दरगढ़ और ढेंकानाल जिलों के लोगों की आवश्यकता भी पूरी होगी। इस नए दूर-दर्शन के माध्यम से स्थानीय जातियों के प्राचीन साहित्य, गीत, नृत्य तथा संस्कृति को उचित रूप से दिखाया जा सकता है।

इसको देखते हुए मैं मांग करता हूं कि क्योंझर में अविलंब एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाए।

(छः) भारतीय खाद्य नियम द्वारा माडर्न राइस मिल्स की प्रस्तावित नीलामी को रोकने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : ऐसा मालूम हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम समूचे देश में अपनी माडर्न राइस मिलों को इस तर्क पर नीलामी द्वारा बेचने की सोच रहा है कि वे भारी घाटे पर चल रही हैं। इससे दस हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हो जायेंगे। हाल में, दक्षिण और उत्तर में माडर्न राइस मिलों ने महंगी आयातित फर्नेस तेल के स्थान पर 'हू.श फर्नेस' का उपयोग प्रारम्भ किया और प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख रुपए की बचत की। इन मिलों में घाटे के कई कारण हैं, जैसे विद्युत में कटौती, मशीनरी या विद्युत उपकरणों में खराबी, पुर्जे उपलब्ध न होना, धान उपलब्ध न होना, श्रमिक तथा जगह आदि न मिलना। इन मिलों के संचालन के लिए उचित योजना नहीं है जिससे भारी हानि होती है। जब सरकार महत्वपूर्ण कारखानों आदि को अपने अधीन करने पर विचार कर रही है तो यह अजीब लगता है कि माडर्न राइस मिलों की नीलामी की जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए धान की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निजी व्यापारी स्थिति का अनुचित लाभ उठायेंगे और जनता को दैनिक आहार से वंचित करेंगे। भारतीय खाद्य निगम न केवल माडर्न राइस मिलों को वलिक द्रव्य निष्कर्षण सयंत्र और गोदाम प्रचालन को भी पट्टे पर देने का प्रस्ताव करती है। इन संयंत्रों के कार्यों की गहराई से अध्ययन करने से पता चलेगा कि अप्रभावी प्रबन्ध तथा अप्रभावी आधारभूत संरचना की सप्लाई के कारण ही उनका अलाभकारी कार्य हुआ है। मेरे विचार में तो और अधिक माडर्न राइस मिलें तथा गोदाम होने चाहिए। देश, जनता तथा कर्मचारियों के हित में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि राइस मिलों को भारतीय खाद्य निगम के अधीन रहने दिया जाए और इनकी प्रस्तावित नीलामी भाव को रोका जाए।

(सात) कृष्णा जिले के केसरा गांव में मनियेरु नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर द्विपक्षीय पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : कृष्णा जिले में कीसरा गांव के पास राष्ट्रीय राजपथ संख्या नौ पर मनियेरु नदी पर बना पुल 14 मई, 1985 को एक मेहराब के बह जाने से क्षतिग्रस्त हो गया जिससे यातायात में गम्भीर रुकावट उत्पन्न हो गई। यातायात को कोची-काचुला—मधीरा—नन्दीगामा के मार्ग पर मोड़ दिया जिससे 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। क्षतिग्रस्त पुल का मलबा हटा दिया गया है और मेहराब को बेली पुल से अस्थायी रूप से जोड़ा गया है। यह पुल इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर से औसतन चार हजार मोटर गाड़ियां प्रतिदिन आती जाती हैं जिनमें से लगभग तीन हजार कमर्शियल मोटर गाड़ियां होती हैं। अब केवल बसों और कारों को अनुमति दी जाती है जबकि ट्रकों, ट्रेक्टरों, ट्रक-ट्रेलर आदि के उपरोक्त लम्बे मार्ग से जाना पड़ता है जिससे समय तथा धन अधिक व्यय होते हैं। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पुराने एक लेन वाले पुल के स्थान एक-दो लेन वाले पुल का तुरन्त निर्माण कराए जिस पर चार करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है तथा जिसका राष्ट्रीय महत्व है।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश में सूखा और अकाल की स्थिति तथा केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, देश के कई भागों में भयंकर सूखे के कारण अकाल की स्थिति व्याप्त हो गई है मध्य प्रदेश के कुछ भागों में अकाल पीड़ित आदिवासियों द्वारा लूटपाट व हिंसा की घटनाएं भी घटित हुई हैं। इसी प्रकार की स्थिति उ० प्र० के भी कई भागों में पैदा हो सकती है। उ० प्र० सरकार द्वारा सूखे की स्थिति के अध्ययनार्थ गए अध्ययन-दल व केन्द्रीय सरकार के सम्मुख सूखे व अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए कुछ व्यापक प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें से कुछ प्रस्ताव तत्कालिक स्थिति का सामना करने के लिए तथा कुछ दीर्घकालीन उपाय हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद मांगी गई है। बहुधा देखने में आया है कि केन्द्रीय मदद समय पर प्राप्त न होने के कारण लोगों को सामयिक राहत नहीं मिल पाती है।

अतः मेरा केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उ० प्र० द्वारा सूखे व अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए मांगी गई आर्थिक मदद शीघ्र प्रदान की जाए।

12.18 म० प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1985-86

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में 1985-86 के लिए पंजाब राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा तथा मतदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, यह हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भविष्य में इस सदन को पंजाब के बजट प्रस्तावों पर विचार करने का मौका नहीं मिलेगा और इसके लिए हम सब लोग माननीय प्रधान मंत्री जी को तथा अकाली नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले कुछ वर्षों से पंजाब एक ऐसे चिंताजनक दौर से गुजर रहा था जिसका कुछ प्रभाव न केवल पंजाब की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा था बल्कि उस प्रभाव से सारा देश भी पीड़ित था। देश की आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि अखण्डता और एकता भी खतरे के दौर से गुजर रही थी। आज वह दुःखद दौर समाप्त हो गया है। हम सब आज एक राहत की सांस ले रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक योग्य राजनेता की तरह अपने निजी अहं को, राजनैतिक विद्वेष को और जितनी भी कठिनाइयां रास्ते में आ सकती थीं उन सबको पार करते हुए इस बात

[श्री हरीश रावत]

को साबित कर दिया कि आने वाला इतिहास राजीव जी को इस देश के महान प्रधान मंत्रियों में से गिनेगा। उनके प्रयत्नों से जिस चीज की हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी यह उपलब्धि हमको प्राप्त हो जायेगी, वह उपलब्धि हमको प्राप्त हुई। यह भी खुशी की बात है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयत्नों का और अकाली दल द्वारा दिखाए गए रुख का विपक्ष के मित्रों ने भी बराबर समर्थन किया। सारा देश उसका समर्थन कर रहा है। हम सबको उम्मीद है कि जो समझौता कल हुआ है और जिसकी घोषणा इस सदन में हुई है उसका बहुत अच्छा प्रभाव पंजाब में भी पड़ेगा। वे लोग, जिन पर आज भी लोगों को शक है कि किस तरीके से वे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे, हम भगवान से और वाहे गुरू से प्रार्थना करते हैं, उनको सदबुद्धि दे जिससे वे लोग आगे आकर इस समझौते का स्वागत करें विशेषतौर पर दूसरे अकाली दल के अध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह से भी उम्मीद है कि वे भी श्री लोंगोवाल के साथ खड़े होकर उसका स्वागत करेंगे। अकाली दल और पंजाब के कुछ लोग, जो अपने को अलग-थलग समझने लग गए थे, अब फिर से राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। पहले की तरह फिर से पंजाब देश के आर्थिक विकास में, देश को आगे बढ़ाने के कामों में, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। वहां के सिक्ख और हिन्दू आपस में मिल कर रहेंगे।

उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रधान मंत्री जी ने पंजाब की बहतरी के लिए हुसैनीवाला में अनेकों घोषणायें की थीं और उन घोषणाओं का परिणाम वहां के आर्थिक विकास पर बहुत अच्छा पड़ेगा। उन्होंने कोच फैक्टरी की स्थापना पंजाब में किए जाने की घोषणा की, जो कि पहले उत्तर प्रदेश के एक काफी पिछड़े भाग गोरखपुर में लगने वाली थी। उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति होने के नाते और पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी को विशेष तौर पर समझने वाला व्यक्ति होने के नाते, उन्होंने जो घोषणा की, वैसे मुझे दुख जरूर है मगर जहां राष्ट्र का सवाल आता है, जहां सारे देश का सवाल आता है और पंजाब के लोगों की भावनाओं की कद्र करने का सवाल आता है, वहां हम प्रधानमंत्री जी की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम ही नहीं, सारे उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत करते हैं।

इसके अलावा इन बजट प्रस्तावों में वैसे तो सामान्य सी बातें कही गई हैं जो मात्र औपचारिकतायें ही हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि पंजाब के किसानों को, पंजाब के उद्यमियों को, कुछ और ज्यादा राहत पहुंचाने की आवश्यकता पड़े, तो केन्द्र की सरकार को उस जरूरत को पूरा करना चाहिए। इसके बाद जब पंजाब में पोपुलर गवर्नमेंट बनेगी, लोकप्रिय सरकार की स्थापना होगी तो उसको जिस प्रकार की भी सहायता की जरूरत होगी, तब भी केन्द्र सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब का किसान कर्मठ है, मेहनती है, वहां का व्यक्ति कर्मठ है, मेहनती है। उनकी मदद के लिए वित्त मंत्री जी आपकी सरकार जो भी कदम उठाएगी, जो भी यत्न करेगी, सारा देश उसका स्वागत करेगा।

उपाध्यक्ष जी, जहां हम पंजाब की राजनैतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण

कर रहे हैं, वहां पर हम यह भी चाहेंगे कि हमारा जो समझौता हुआ है, उसका हरियाणा पर या उसके निकटवर्ती दूसरे किसी प्रान्त पर, जो इस समझौते से सीधे सम्बद्ध हैं, उस प्रान्त की जनता पर अनुकूल प्रभाव पड़े, इसकी मैं कामना करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी इन बजट प्रस्तावों के माध्यम से पंजाब में जो उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वे उपलब्धियां तो प्राप्त होंगी, साथ-साथ देश के आर्थिक विकास के साथ पंजाब पहले की तरह मजबूती से जुड़ेगा। इन शब्दों के साथ इन बजट प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आखिरकार पंजाब के मसले का हल निकला। मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमन्त्री को खास तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि उनकी जी-तोड़ कोशिशों की वजह से, उनके दरिया-दिली दिखाने की वजह से इस मसले का जल्दी ही हल निकल आया और कल समझौता हो गया। इसके साथ ही मुझे अकाली दल के नेता श्री लोंगोवाल को भी मुबारकबाद देनी है क्योंकि उन्होंने काफी अक्लमंदी से काम लेते हुए अन्ततः कल समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे पहले उनको कई बार बुलाया गया था और वे हर बार समझौते को मुसलसल इन्कार कर देते थे। आखिरकार वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए और उनको समझौता करना पड़ा।

मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो समझौता हुआ है उस पर अमल हो, उसको निभाया जाए। हो सकता है कि इससे खून-खराबा बंद हो जाए, मगर यह भी हो सकता है कि कुछ शर-पसन्द लोग गडबड़ करते रहें और इस बात की कोशिश करते रहें कि इस एग्रीमेंट पर किसी तरह से अमल न होने पाये। यह भी आशंका है कि शिरोमणि अकाली दल फिर से डर कर समझौते से पीछे न हट जाए। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सिर्फ समझौता कर लेने से ही इस समस्या का अन्त न समझ लिया जाए बल्कि जब तक मोडरेट अकाली दल की लीडर-शिप को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक मैं समझता हूं कि इस समझौते पर अमल होने में दिक्कत पेश आ सकती है और काफी झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब पंजाब की असैम्बली जून में बर्खास्त होने वाली है और फौरी इलैक्शन्स करना सम्भव भी प्रतीत नहीं होता है, 5-6 महीने और ठहर कर वहां इलैक्शन्स करवाये जायें। मगर इस बीच में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जिससे इलैक्शन शांतिपूर्ण हो सकें।

मेरा सुझाव यह है कि हुकूमत में अकाली दल के लोग शामिल होने चाहियें। हो सके, तो गवर्नमेंट को सत्ता उनके हाथ में देनी चाहिए और एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट, पापुलर गवर्नमेंट बनानी चाहिए और ऐसी गवर्नमेंट ही निभाए रह सकती है और एग्रीमेंट पर अमल कर सकती है। मैं समझता हूं कि हम लोग इस वक्त तंग नजरिए से नहीं देखेंगे और देश के हित में ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे अकाली दल मजबूत हो जाएगा और वह इस समझौते के ऊपर लोगों को तैयार कर सकेगा, उनकी रजामंदी ले सकेगा।

[श्री सी० माधव रेड्डी]

मैं टैररिस्ट्स भाइयों से भी अपील करूंगा कि वे अब टैररिज्म का रवैया छोड़ दें क्योंकि काफी खून-खराबा हो चुका है पंजाब में। इसलिए अब टाइम आ गया है कि इसे बन्द होना चाहिए और मुझे भी विश्वास है सब चीजों को भूल जायेंगे और एक नयी आवाज के साथ सब इकट्ठे होकर के काम करेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चेयरमैन और बादल साहब भी अपने साथ हैं, मगर दूसरे भी अकाली दल के साथ रहते हुए अकाली दल को मजबूत करके शान्ति स्थापित करनी चाहिए।

मैं फिर से प्रधान मंत्री महोदय को मुबारक देते हुए यह इल्तजा करूंगा कि वे इसके बारे में काफी सोचें कि क्या इन्टरिम गवर्नमेंट इस वक्त पर बनाई जा सकती है। क्योंकि इलैक्शन तो फौरी तौर पर होना जरूरी है, मगर इलैक्शन हो नहीं सकता है, उसके लिए प्रेसीडेन्ट रूल एक्सटेंड करना पड़ेगा। बजाय प्रेसीडेण्ट रूल एक्सटेंड करने के हम संविधान में कुछ ऐसी तब्दीली करें और पापुलर गवर्नमेंट को रिस्टोर करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी रामप्रकाश नहीं है। अतः श्री दास मुन्शी जी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : महोदय, आज का दिन कांग्रेस सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सदन तथा राष्ट्र के लिए एक महान दिन है। मेरा मतलब पंजाब के विषय में हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा कल की गई घोषणा से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शताब्दी वर्ष में हमारे दल और सरकार ने एक बार फिर इस महान देश के लोगों को दिखाया है कि हम काम करना जानते हैं, हम राष्ट्र की अखण्डता के लिए हैं और इसको प्राप्त करने के लिए हम किसी भी प्रकार बलिदान दे सकते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, महोदय, कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी और स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन की आहुति दी। देश की अखंडता के लिए उनका बलिदान बेकार नहीं गया; और जनता ने इसका जवाब दिया है।

इस अवसर पर अनुदानों की मांगों पर बात करते समय मैं पिछले मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं क्योंकि एक नया इतिहास शुरू हो रहा है और हम महसूस करते हैं कि सभा में सभी दलों का दायित्व है कि वे देखें कि किसी समस्या और अड़चन के बिना इस पर कार्यवाही करने के लिए घोषणा का समर्थन करें। आज मैं मुख्य रूप से पंजाब के उन युवा लोगों से अपील करता हूं जो बिना कारण हिंसा की कारंवाई में लगे हैं हुए और आतंकवाद को उत्साहित करते हैं।

हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान, आजादी के संघर्ष में आतंकवाद भी एक के बाद एक हिंसा का मार्ग छोड़कर महात्मा गांधी की पुकार पर उनके साथ शामिल हुए थे। मैं एक महान नेता के शब्द उदधृत करता हूं जो बाद में एक संत और दार्शनिक बन गये थे और जो भारत की वास्तविक

आत्मा वह थे—स्वामी अरबिन्द। कलकत्ता की गलियों में बन्देमातरम् समाचार पत्र का संपादन अरबिन्द ने अपने युवा जीवन में किया था। उन्होंने कलकत्ता बल्कि पूरे बंगाल के युवाओं को उस आवाज में सिखाने की कोशिश की जो किसी चीन नेता ने कही थी कि बगावत का औचित्य है और सशस्त्र बगावत ही इसका केवल हल है। बाद में, उन्होंने महसूस किया कि यह इसका समाधान नहीं है और शान्ति के रास्ते को पाने का प्रयास किया। इसने सभी लोगों के प्रेरित किया और वे राष्ट्र की पवित्र आत्मा की खोज में गए तथा बाद में वह महान दार्शनिक तथा संत बन गये जिनकी हम सभी आज पूजा करते हैं। इसी तरह का मामला भारत की सभ्यता के इतिहास में महान अशोक का था जिनका चिन्ह आज राष्ट्र का चिन्ह धर्म अशोक है। कलिंग युद्ध में वह चण्ड अशोक के रूप में जाने जाते थे। पर रक्त पात के बाद उन्होंने महसूस किया कि शांति यहां नहीं है और सभ्यता, जिसका मतलब हम वास्तविक रूप में समझते हैं, वह यहां नहीं है। उसमें भी परिवर्तन आया। अत: मैं महसूस करता हूं कि यह भारत की वास्तविक आत्मा है और यह वह आत्मा है जो हमें विरासत में मिली है।

श्रीमती इंदिरा गांधी के महान बलिदान के बाद हमारे नए नेता, प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और हमारे देश के महान लोगों ने उन पर अपना विश्वास प्रकट किया है। छ: महीनों के भीतर इतनी अच्छी तरह, सही और प्रभावी रूप में उन्होंने सभी राजनैतिक दलों तथा सदन के सभी दलों के साथ सहयोग के विषय पर विचार किया है। वह हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि भारत एक बार फिर सही रास्ते पर है। इसलिए मैं आज पंजाब के उन युवा लोगों से अपील करता हूं जो जोश में या अन्य भावनाओं या विश्वास के अन्तर्गत हिंसा में कई दिनों से लगे हुए थे। कि वे कांग्रेस पार्टी की न सही विविधता में एकता के लिए भारतीय दर्शन की भावना की पुकार को सुनें ताकि पंजाब के साथ-साथ देश को प्रदर्शित करने का कार्य आसान हो सके। मैं युवाओं के साथ-साथ सरकार से भी, विशेष तौर से जो पंजाब में गृह विभाग में कार्य कर रहे हैं अपील करता हूं कि दस्तावेज जिस पर कल हस्ताक्षर हुए थे, वास्तविक क्रियान्वयन बहुत कुछ अब प्रशासन पर निर्भर करता है। पंजाब में गृह विभाग के अधिकारी, पुलिस कार्मिक कम से कम अपने रवैया से विचारों के आदान प्रदान से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनायें और हिंसा में लगे हुए लोगों को यह महसूस करायें कि हम उन्हें अपना स्थायी शत्रु नहीं मानते हैं जेल के अन्दर और बाहर उनसे बातचीत के जरिये वे अच्छा वातावरण बना सकते हैं जिसके द्वारा वे महसूस कर सकते हैं कि हम उन्हें अपने स्थायी शत्रु के रूप में नहीं मान रहे हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में हिंसा के दिनों में जब तथाकथित राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था तब बहुत से युवाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और लड़ाई में शामिल हो गये थे और उन्होंने निर्दोष लोगों की जानें लीं थीं, उनमें से कई लोग बंगाल में ग्रामीण पुन:निर्माण के रचनात्मक कार्य में शांतिपूर्वक लगे हुए हैं। उन्होंने रास्ता बदल दिया है और यह महसूस किया तथा राजनैतिक दलों से समर्थन प्राप्त किया। जब वे पूरी तरह से अलग-थलग होते हैं तो वे यह भी आशा करते हैं कि प्रशासन उचित रूप से व्यवहार करेगा तथा उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगा। इसलिए, यह प्रधान मन्त्री का कार्य नहीं है। यह पंजाब में वित्त मन्त्रालय तथा गृह विभाग, शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे निचले अधिकारियों का कार्य है कि वह ऐसा वाता-

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

वरण बनाएं । इसके लिए वे उनके साथ जेल के भीतर भी बात करें, न्यायालय में उनके साथ बात करें मैं महसूस करता हूं कि हमें आज से ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिसके द्वारा वे महसूस करें कि वे हमारे स्थायी शत्रु हैं । यह पंजाब में सही स्थिति लाने में हमारी सहायता नहीं करेगा ।

दूसरा, हिंसा के दौरान पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की खेल-कूद गतिविधियों में पूरी तरह से रुकावट आई है । अनुदान में मैंने देखा है कि संभवतः पंजाब में उनके पास कोई अलग खेल-कूद मन्त्रालय नहीं है । मैं इसका कारण नहीं जानता हूं क्योंकि शिक्षा श्रेणी के अन्तर्गत अनुदान का उल्लेख किया गया है । खेल-कूद के बारे में कुछ नहीं बताया गया है ।

पंजाब में खेल-कूद के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस संस्थान केवल खेल-कूद के लिए प्रशिक्षण संस्थान है जो पटियाला में स्थित है तथा जिसके लिए भारत सरकार धन की व्यवस्था करता है । पिछले कुछ वर्षों के दौरान पंजाब में सभी खेल-कूद गतिविधियां पूर्णतः ठप्प हो गई चाहे यह हॉकी या फुटबाल या तैराकी हो । और पंजाब को जिस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए कहा गया था वह उसका वहां विद्यमान वातावरण के कारण आयोजन नहीं कर सकी ।

खेल-कूद के लिए अधिकतर खेल संबंधी सामान पंजाब के लुधियाना, पटियाला तथा जालंधर जैसे स्थानों पर तैयार होता था जो कि एक महत्वपूर्ण मद है । मैं वित्त मंत्री जी से जो कि इस समय पंजाब के बजट को सम्भाल रहे हैं अनुरोध करता हूं कि वह देखें कि पंजाब में लघु उद्योगों की उचित रूप से सहायता की जाए, इसके लिए संयुक्त रूप से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं ताकि हम देश में खेल-कूद संबंधी सामान के लिए नवीनतम तकनीकी प्राप्त कर सकें । अन्यथा एशियाई खेल-कूद के दौरान हमने देखा कि खेल-कूद सामान तथा उपस्कर का अधिक सामान पश्चिमी जर्मनी और इंग्लैंड से आयात किया गया था । खेल-कूद सामान भी हमारी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य है कि पंजाब खेल-कूद के सामान और उपकरणों में औद्योगिकी प्राप्त करे ।

हमें विश्व में उपलब्ध विदेशी सहयोग से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए । हमारा केवल एक लक्ष्य खेल कूद का सामान बनाना और बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए ताकि पंजाब में जो कुछ पहले से उपलब्ध है उसका पर्याप्त उपयोग किया जा सके अन्यथा उससे हमें केवल धन की ही हानि होगी ।

दूसरे, मैं दो महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करता हूं । जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में ऐसे जवानों की संख्या बहुत है जो सेना में अपना कार्यकाल पूरा करके पंजाब में अपने गांवों में आए हुए हैं । सामान्यतः यह समझा जाता है कि पंजाब में सबके पास कृषि भूमि है । परन्तु यह बात सच नहीं है । लुधियाना, जालन्धर और पटियाला जैसे शहरों में खेल का सामान बनाने वाले लघु उद्योग शुरू करने के लिए इन जवानों की सहायता की जानी चाहिए । मैं जानता हूं कि खेल

मन्त्रालय का प्रत्येक राज्य में एक कार्य-दल है। वह ऐसे भूमिहीन जवानों की सहायता कर सकते हैं। उन्हें कुछ भूमि दी जा सकती है और लघु उद्योगों का समन्वय या स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे कुछ ठोस कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि प्रधान मन्त्री द्वारा जिन विशिष्ट प्रस्तावों की कल घोषणा की गई है, उनसे इसको प्रोत्साहन मिलेगा। यदि हम वहां जाकर पता लगाएं तो हमें भूमि मिल जाएगी। परन्तु लोगों की क्षमता की भी अपनी एक सीमा होती है। वे कहां जाएं ? यदि हम अब कुछ नहीं करते हैं तो विघटनकारी ताकतें फिर उठ खड़ी होंगी और समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी।

तीसरे मैं केवल एक और पहलू का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करता हूं। वह गुरुद्वारों और अन्य बातों के बारे में है। मुझे यह कहते हुए खेद है—मुझ पर संकीर्ण होने का आरोप मत लगाइये, मैं देश का हित चाहता हूं। परन्तु तथ्य यही है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भारत के सभी भागों में महान कुर्बानियां दी गई थी, मैं इस पर सन्देह नहीं करता हूं। परन्तु देश छोड़कर और घटना को नया मोड़ देने का काम अधिकांशत: पंजाब और बंगाल द्वारा किया गया था। पाकिस्तान में यह अन्य लोगों द्वारा परन्तु यहां भारत में यह अधिकांशत: सिखों और हिन्दुओं द्वारा जिसमें अधिकांश बंगाली थे, किया गया था। स्वतन्त्रता के बाद भी वही सब हो रहा है। परन्तु अब उनके लिए कुछ करना होगा मेरे विचार में देश में जहां कहीं गुरुद्वारे हैं उनमें समाज कल्याण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आरम्भ की जानी चाहिए। प्रधान मन्त्री ने कल शिरोमणि अकाली दल और अन्य संबंधित लोगों के परामर्श से अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम बनाने की घोषणा की थी। समझौते के अन्तर्गत इसे तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार पंजाब में अनुसूचित जाति समुदायों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के लिए कुछ करने का आग्रह किया जा सकता है ताकि सम्बन्धित लोगों के परामर्श से गुरुद्वारों में कल्याणकारी कार्यक्रम आरम्भ किये जाएं। इससे पंजाब में हिन्दुओं और सिखों में परस्पर मधुर सम्बन्ध बनेंगे। यद्यपि मैं जानता हूं कि दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में गुरुद्वारों की स्थिति कुछ अलग रही हैं। कलकत्ता के गुरुद्वारों में बाढ़ और सूखे के दौरान जो काम किए जाते हैं उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे मुसलमानों, हरिजनों तथा अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। मैं उस समय महसूस करता हूं कि गुरु नानक साक्षात उपस्थित हैं। अत: मैं यह भी अनुभव करता हूं कि जब नया गुरुद्वारा अधिनियम आएगा तो उसमें कुछ ऐसे समाज के कार्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए जिनमें केवल सिख ही नहीं गैर-सिख भी भाग ले सकें। इससे न केवल पंजाब में बल्कि देश के अन्य भागों में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा।

निष्कर्ष के रूप में मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर पंजाब के युवकों को मैं प्रेरित करने का अनुरोध करता हूं। हो सकता है उनके पास कृषि योग्य भूमि हो। परन्तु खेलों को न तो भारत सरकार ने और ना ही पंजाब सरकार ने अपेक्षित प्रोत्साहन दिया है। मैंने आंकड़ों की तुलना की है। पंजाब में इस समय भी कोई स्टेडियम नहीं है जबकि हाकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पंजाब से ही आते हैं। राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान पटियाला को छोड़कर पंजाब में कोई ट्रेक और फील्ड नहीं है। परन्तु पंजाब सरकार ने कई बार उस पर खर्च करने का वायदा किया है। पंजाब सरकार की पहल पर वहां खेल-कूद के स्कूल व नर्सरियां स्थापित की जानी चाहिए। इनमें देश के विभिन्न

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

भागों से छात्रों को एकत्र करके स्कूल जाने वाले इन किशोरों को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फुटबाल के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एफ० आई० एफ० ए० ने भारत का दौरा करने की सिफारिश की है। भारत में केवल तीन स्थानों पर प्रशिक्षण हेतु फुटबाल खेलने लायक जलवायु हैं। एक पंजाब, दूसरा केरल और तीसरा बंगाल है। पंजाब को खेल-कूद के सामान का लाभ प्राप्त है। अत: मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि विशेष रूप से खेल के सामान के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए पंजाब में अधिक धनराशि व्यय की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब का जो बजट हमारे सामने पेश है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक पंजाब का सवाल है पंजाब सारे देश में सबसे अच्छा सूबा है और जितनी वहां प्रोडक्शन होती है अन्न की वह सारे देश को देता है। जहां तक पंजाब की स्थिति का सवाल था वह तो अब हल हो चुका है। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने अकालियों के साथ समझौता करके केवल उस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे राष्ट्र में शान्ति का एक माहौल पैदा कर दिया है।

लेकिन आज पंजाब के अन्दर पंजाब की फसलें बर्बाद हो रही हैं। ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां बाढ़ आ रही है। होशियारपुर और जालंधर जिले का कटाव हो रहा है। यह जो मैदानी इलाकों में बाढ़ आती है और उससे भूमि का कटाव होता है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र से नदियां निकलती हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा ईरोजन पंजाब में होता है। मैं हर बार सदन में कहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण पहाड़ी इलाकों में प्लान्टेशन का न होना है। यह राष्ट्र का काम है और राष्ट्रीय स्तर पर इसे लिया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि प्लान्टेशन न हो जिसकी वजह से हर साल बाढ़ आए और उससे निरन्तर भूमि का कटाव होता रहे। पंजाब के अन्दर होशियारपुर जिले में जो कंडी का इलाका है जहां पर छोटे-छोटे जमींदार हैं और उनकी छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्लान्टेशन करने की आवश्यकता है।

जहां तक उग्रवाद का ताल्लुक है मैं और जगहों के बारे में नहीं कह सकता लेकिन गुरुद्वारों में जो कुछ हमने देखा है कि जो आदमी अब गुरुद्वारों में जाता है वह आराम से जा सकता है। पहले जब वह जाते थे तो एक डर-सा उनके अन्दर पैदा हो जाता था कि कहीं हमें जान से खत्म न कर दें।

हमारी पंजाब की जो पुलिस है उसको भी जरा इधर ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग चलाते हैं, उनको भी इस बात की छान-बीन करनी चाहिए कि किस प्रकार से ये वारदातें होती रहीं, बेगुनाहों के खून होते रहे और तमाशबीन बनकर देखा जाता रहा। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बड़ी उदारता के साथ ठोस ढंग से इस मामले को हल करने की

कोशिश की है जो कि एक बहुत-सी सराहनीय कदम है। चाहे रेलवेज कोच फैक्ट्री की बात हो, चाहे कोई अन्य कारखाने लगाने की बात हो, हमारे प्रधान मन्त्री जी पंजाब का विशेष ध्यान रखते हैं। उन्होंने जो एलान किया है, उससे एक टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम बनाया है कि इतने अरसे में इस काम को होना है। मैं समझता हूं पंजाब के लोगों की ही नहीं, समस्त भारतवासियों की यह खुश-किस्मती है कि इस तरह का समझौता हो गया है। हमारा जो पंजाब का सूबा है उसमें सारे देश की दौलत लगी हुई है। वहां पर जो भाखड़ा डैम बना है उसमें हिमाचल प्रदेश ने सबसे बड़ा सहयोग दिया है। हिमाचल के लोगों ने राष्ट्र की खुशहाली के लिए अपनी जमीनें अर्पित कर दी हैं लेकिन इन लोगों ने रोपड़ के पास नहरें ही काट दीं जिससे किसानों की फसलें तबाह हो गईं।

उग्रवाद के सम्बन्ध में मैं अकालियों से और विपक्षी दलों से कहना चाहूंगा कि समझौता तो हो गया है लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि उग्रवाद जोर पकड़ सकता है और उसको दबाने के लिए सभी को अपना सहयोग देना पड़ेगा। हमारे हिमाचल प्रदेश का सारा बार्डर पंजाब के साथ लगता है और जितना भी यह बार्डर है वहां पर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। परन्तु कभी-कभी पंजाब के लोग कानून का उल्लंघन करते हैं जो समाज के दुश्मन हैं। जो अच्छे आदमी हैं वे तो हमारे साथ सहयोग करते हैं जो अकाली पार्टी है वह तो मास्टर तारा सिंह के टाइम से राष्ट्र-वादी पार्टी रही है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था परन्तु मैं कहूंगा कि वह भूला नहीं कहलाता जो शाम को घर वापिस आ जाए। जहां तक छात्रों की बात है, हमारे साथी ने भी कहा है कि छात्रों को उकसाया गया और इसीलिए सारा काम गड़बड़ हुआ। हमारी सरकार पंजाब में पूरी तरह से अमन कायम करना चाहती है। ला ऐंड आर्डर को वहां ठीक ढंग से कायम किया सकता है। मैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा कि दस लाख रुपए की बच्चों को अबोहर के लिए गाड़ी रेल विभाग ने अनुदान में दी थी। अबोहर जो कि स्पीकर साहब का गांव है वहां 3 लाख रुपए से बच्चों की गाड़ी के लिए ट्रेक भी बनाना था और वह गाड़ी चलती थी लेकिन वह खर्चा भी पंजाब सरकार ने नहीं किया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां के गवर्नर साहब से कहना चाहूंगा कि इस काम को वे बच्चों के लिए जरूर करवायें ताकि बच्चे उसका लाभ उठा सकें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में सिख तथा हिन्दू बड़े अमन के साथ रहते हैं। और कल से तो मन्दिर तथा गुरुद्वारों में पूजा-पाठ भी शुरू हो गया है कि भगवान उनको सदबुद्धि दे। पूरे राष्ट्र ने शांति का पाठ पढ़ा है और यह आशा की गई है कि सभी लोग भाइयों की तरह से रहेंगे। मैं पूरी आशा करता हूं कि अमन चैन के साथ रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश होगी। पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाया जायेगा। वहां के उद्योगपति बिल्कुल नाकारा हो गए थे उनको देश में कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं था। पंजाब के लोगों को कलकत्ते में दो रुपए का भी उधार नहीं मिल सकता था।

लेकिन अब एक अच्छा वातावरण पैदा होगा और पंजाब फलेगा और आगे बढ़ेगा—यही हमारी शुभकामना है।

इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आनन्दपुर साहब से मेरा चुनाव क्षेत्र लगता

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

है। वहां पर एक दभोटा गांव है, जिसकी काफी बरसों से एक पुल बनाने की मांग चली आ रही है। वहां पर एक बड़ा भारी गड्ढा है। मैं आशा करता हूं कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ भी ध्यान देगा। यह क्षेत्र रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के अन्दर आता है।

आखिर में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : मुझे खेद है कि कल सभा में जब प्रधान मन्त्री द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा की गई थी तो में सभा में उपस्थित नहीं था। मैं अपने दल की ओर से यह कहना चाहता हूं कि इससे एक बड़ी राहत मिली है। हम इस समझौते का स्वागत करते हैं जो एकाएक हुआ है और सुखद है। यह इसलिए और भी सुखद है कि जिन शर्तों पर यह समझौता हुआ है वे वास्तव में नई नहीं हैं। ये वही हैं जिसका हमने एक वर्ष पहले सुझाव दिया था परन्तु कभी या तो सरकार इन सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होती थी और कभी अकाली दल वाले इन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। परन्तु यह एक शुभ चिन्ह है कि अन्ततः एक समझौता हो ही गया है।

निस्सन्देह, इस सारे मामले में प्रधान मंत्री ने एक अत्यन्त सूझ-बूझ वाले राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाई है परन्तु हमें राज्यपाल श्री अर्जुन सिंह द्वारा चुपचाप और पर्दे के पीछे रहकर खेली गई भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि सारी तैयारी उन्होंने की थी। अन्यथा ऐसा समझौता 24 घन्टे के भीतर नहीं हो सकता था। मैं यह भी कहूंगा कि सन्त लोंगोवाल ने भी साहस का परिचय दिया है। यह इस बात का प्रतीक है कि अकाली शिविर में शक्ति सन्तुलन श्री लोंगोवाल के नेतृत्व वाले वर्ग की ओर झुका है। यह भविष्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि पंजाब के सभी वर्ग इसका स्वागत करेंगे।

परन्तु महोदय, इस समय इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज शाम या कल सुबह तक हमें इसके विरुद्ध असंगत बातें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। दोनों ओर उग्रवादी मौजूद हैं और मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि वे सब उग्रवादी इस समझौते को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। वे तत्व केवल यहां भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हैं। क्या हम इस पर विश्वास कर लें कि वे व्यक्ति जो पिछले तीन या चार वर्षों से इतने सक्रिय रहे हैं, और हमारे सिख भाइयों में आतंकवाद भड़काने और कटुता पैदा करने के लिए विदेशों से इतनी धनराशि खर्च करते रहे हैं और विदेशी तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते रहे हैं, चुपचाप बैठ जाएंगे और यह सब कुछ आसानी से स्वीकार कर लेंगे। यदि हम आतंकवादियों का समर्थन करने वालों द्वारा हिन्दू सुरक्षा समिति जैसे लोगो द्वारा तथा उन लोगों द्वारा जो तनाव बनाये रखने के लिए और साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए प्रयासरत हैं, अब भी कोई प्रयास किया जाता है और हम उसका सामना करने के लिए यदि जागरूक नहीं रहे और अपने पास उपलब्ध उपायों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारी नादानी होगी।

मुझे यह देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि श्री भजन लाल भी उन शर्तों से बहुत ही आसानी से सहमत हो गये हैं और उन्होंने कल मिलकर रसगुल्ले भी खाये हैं। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री भजन लाल यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे कि हरियाणा में लोगों की राय इस समझौते को स्वीकार करने के पक्ष में हो जाये।

निस्सन्देह इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं। मुझे विश्वास है कि संबंधित पक्षों द्वारा उनकी ओर ध्यान दिया जायेगा और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ये मुद्दे अनिर्णीत न रह जायें। उदाहरण के लिए, फाजिल्का और अबोहर का कोई जिक्र नहीं है। जहां तक हरियाणा के लोगों का संबंध है, उनके लिए यह अतीत में एक टेढ़ा प्रश्न रहा है और वे हमेशा यह कहते रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को देने से किसी भी राजनीतिक समझौते के साथ फाजिल्का और अबोहर हरियाणा को देने का समझौता भी होना चाहिये। यह स्पष्ट है कि फिलहाल उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि यह अब हरियाणा में कुछ लोगों द्वारा आन्दोलन चलाने का मुद्दा नहीं बनाया जायेगा बल्कि विवादास्पद अन्य मामलों को शीघ्र हल किया जायेगा। यह आखिर एकमुश्त समझौता है। यही दृष्टिकोण है। मेरा दल तथा इस ओर बैठे अन्य कुछ सदस्य इसी बात पर पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जोर देते आ रहे थे।

वे रियायतें चाहे कितनी स्वागत योग्य हों परन्तु उन्हें टुकड़ों में व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सारा प्रयास यही था कि सारा समझौता एक मुश्त होना चाहिए क्योंकि इसके बिना स्थिति का सामान्य होना असम्भव है।

मुझे प्रसन्नता है कि अब एकमुश्त समझौता हो गया है और इस एक मुश्त समझौते के पहलू, आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे, उन प्रस्तावों में देखे जा सकते हैं जो अधिकांश विपक्षी दलों ने सरकार के समक्ष रखे थे। सम्भवतः सरकार अब यह कहेगी कि दूसरा पक्ष उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। परन्तु मैं इसके साथ-साथ यह भी कहूंगा कि स्वयं सरकार उन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वे सभी प्रस्ताव इस एक मुश्त समझौते में विद्यमान हैं। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के प्रसारण में भी इन सभी मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई थी। परन्तु उस समय निस्सन्देह बहुत देर हो चुकी थी और सैनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका था।

अतः मेरे विचार में स्थिति अभी स्थिर होने दी जाये। इसके बाद और कई काम करने की आवश्यकता है। उनके विस्तार में जाना मेरे लिए आवश्यक नहीं है परन्तु कई काम अभी करने बाकी हैं। क्योंकि पिछले तीन या चार साल में जो कुछ हुआ है, मुझे विश्वास है उससे पंजाब के विभिन्न समुदायों पर काफी गहरे घाव हो गये हैं। उनके भरने में समय लगेगा और उन्हें इतनी जल्दी नहीं भरा जा सकता और उसके लिए सभी संबंधित पक्षों को विशेष रूप से सभा में उपस्थित सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और उन घावों को जल्दी से जल्दी भरने के लिए परस्पर सहयोग करना होगा।

विशेष रूप से मैं श्री दास मुन्शी की इस बात से सहमत हूं कि युवा वर्ग और युवा पीढ़ी को

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

सही रास्ते पर लाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे और उनकी आहत भावनाओं को और धार्मिक मामलों पर भड़काई गई भावनाओं को शांत करना होगा। उन भावनाओं को जल्दी से जल्दी शांत करना होगा। इसके लिए काफी परिश्रम की आवश्यकता होगी, काफी धैर्य की आवश्यकता होगी, काफी विनम्रता की आवश्यकता होगी तथा सरकार को और पंजाब में कार्यरत दूसरे दलों, को काफी चतुराई से इस सब को सम्भालना होगा।

सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह समझौता बिल्कुल उचित समय पर हुआ है और इसके परिणामस्वरूप हम स्थिति को और बिगड़ने से रोक सकते हैं। यह स्थिति बिगड़ कर वहां पहुंच सकती थी जिसकी हमें सर्वाधिक आशंका थी अर्थात सिखों और हिन्दुओं में साम्प्रदायिक झगड़े हो सकते थे। यदि ऐसा हो जाता तो एक लम्बे समय तक पंजाब उठ नहीं सकता था। कुछ लोग इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे और पंजाब में सिखों तथा हिन्दुओं में झगड़े कराने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे थे। उसे रोक दिया गया है। अच्छा हुआ सद्बुद्धि से काम लिया गया और हिन्दुओं और सिखों में विद्यमान भाई-चारे की भावना से ऐसा सम्भव हुआ है। इसकी एक पुरानी परम्परा है, एक लम्बा इतिहास है और सामाजिक जड़ें काफी गहरी हैं। पंजाब में समुदायों को परस्पर लड़ाने के सभी प्रयास विफल हो गए। अब यह समझौता हो गया है और मुझे विश्वास है कि इससे स्थिति और अच्छी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप अब घन्टी बजाना चाहते हैं ? मैं बैठने के लिए तैयार हूं।

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अब समाप्त कीजिए आपको चार मिनट का समय दिया गया था लेकिन में आपको दस मिनट दे चुका हूं। अतः आप जो कुछ कहना चाहें, कह कर समाप्त कीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहां तक समझौते की शर्तों का संबंध है, वे अत्यन्त उचित हैं। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के संबंध में अन्ततः जो निर्णय हो रहा है वह अत्यन्त सन्तोषप्रद है। यदि यह स्थिति बहुत पहले स्वीकार कर ली जाती, जिसकी सलाह हम भी देते रहे हैं अर्थात केन्द्र-राज्य संबंध से संबंधित प्रस्ताव के अंश को सरकारिया आयोग के पास भेज दिया जाये अब आप यह देखिये कि अकाली दल के नेताओं ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है जो पृथकतावाद अथवा अलगाववाद अथवा पृथक राज्य अथवा अन्य ऐसी किसी बात का समर्थन करती हो और इस प्रस्ताव को भारत के संविधान के अन्दर ही क्रियान्वित किया जाये। क्योंकि केवल एक सप्ताह या 10 दिन पहले एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था, वह सच है या नहीं, मैं नहीं जानता। उसमें श्री टोहरा ने कहा है कि भारतीय संविधान के अन्दर कोई हल नहीं निकल सकता। यह संविधान के बाहर ही होगा। मैं नहीं जानता कि उनका क्या आशय था परन्तु जिन नेताओं ने बातचीत की है और समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है कि उनका पृथकतावाद से या अलग राज्य से अथवा अन्य किसी ऐसी बात से कोई संबंध नहीं है। और वे सब संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। इसके अतिरिक्त आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव में

उल्लिखित केन्द्र-राज्य संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम भयभीत हों और न ही उसका केवल पंजाब से संबंध है। राज्यों के परस्पर संबंध एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर अनेक राज्य सरकारों तथा राज्य दलों में बहुत अशांति है जिनमें वे राज्य सरकारें शामिल हैं जहां कांग्रेस (आई) की सरकारें हैं। यह अलग बात है कि इसकी जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया जा चुका है। बहरहाल स्थिति को स्थिर होने दें। हमें बहुत खुशी है कि कुछ राहत मिली है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा ताकि कोई भी अब मार्ग में रोड़ा न अटकाये।

एक अन्तिम बात यह है कि इस समय पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसे हम अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भय है कि प्रेस भी इस बारे में कुछ भी नहीं छाप रहा है। मालूम नहीं वह ऐसा किसके आदेश से कर रहा है। उदाहरण के लिए समझौते में निर्णय लिया गया है कि सेना के भगोड़ों को पुनर्वास के लिए सभी संभव सहायता दी जाएगी। जिनका दोष सिद्ध नहीं हुआ है उन्हें सभी संभव सहायता दी जाएगी—इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन पंजाब में निर्माण परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों का पुनर्वास करने के बजाय उनकी छंटनी की जा रही है। पंजाब की बड़ी-बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक नांगल स्थित आनन्दपुर साहिब पन बिजली परियोजना का काम पूरा होने पर पिछले एक महीने में 6000 श्रमिकों की छंटनी की जा चुकी है। ऐसा कुछ समय से किया जा रहा हैं। हमने इसका उल्लेख किया। प्रतिवेदन दिया। हुसैनी वाला में प्रधान मन्त्री द्वारा थीन डेम का निर्माण कार्य तीव्र गति से पूरा करने की घोषणा के तुरन्त बाद मैं उनसे मिला था। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें निवेदन किया था कि पंजाब में जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए इन हजारों कामगारों को, जिनमें कुशल, अर्ध-कुशल कामगार, मकैनिक, कारीगर, क्रेन ड्राईवर, सभी तरह के पम्प ड्राईवर आदि शामिल हैं, की छंटनी नहीं की जाये। उन्हें बेरोजगार नहीं किया जाये। उन्हें पंजाब में अन्य बहुत-सी परियोजनाओं में रोजगार दिया जा सकता है, खपाया जा सकता है। पंजाब में थीन बांध, सतलुज, यमुना सम्पर्क नहर निर्माण कार्य, रोपड़ ताप बिजली परियोजना तथा मुकेरियां ताप बिजली परियोजना पर निर्माण कार्य जारी है और दूसरी तरफ अनुभवी तथा नांगल परियोजना में बहुत समय तक काम कर चुके 6000 कामगारों की छंटनी की जा रही है। उनकी छंटनी कर दी गई है। उन्हें छंटनी के आदेश महज इसलिए दे दिये गये हैं कि उन्होंने इस महीने की तीन तारीख को नांगल में एक मौन जलूस निकाला था और गंगवाल में एक बैठक आयोजित की थी जिसमें मांग रखी गई थी कि उन्हें अन्य परियोजनाओं में काम दिया जाए। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। उनमें से बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुझे कल ही पटियाला केन्द्रीय जेल में, इन कामगारों की यूनियन के एक बन्दी नेता का यह पत्र मिला है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उन पर कैसे लाठी चार्ज किया गया। दुर्भाग्य से इस समय मेरे पास पंजाब सरकार के सचिव श्री राजेन्द्र खन्ना द्वारा दिये गये पत्रों की प्रतियां हैं जिनमें उन्होंने लिखा है.........

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मन्त्री महोदय के पास भेज सकते हैं। आप मन्त्री महोदय के पास इसकी एक प्रति भेज सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उससे क्या होगा ? सेना के भगोड़ों का आप पुनर्वास नहीं कर सकते जबकि आप पंजाब में परियोजनाओं में काम करने वाले लोगों की छंटनी कर रहे हैं। ये दोहरे माप दण्ड क्या हैं? इनका भी पुनर्वास किया जाना चाहिए। ये लोग बेकार नहीं हैं। इन लोगों ने बड़ी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कुशलता तथा अपने हाथों से निर्माण कार्य किया है । प्रधान मन्त्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा । पंजाब में ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनमें उन्हें खपाया जा सकता है । अचानक एक ही बार में 6000 कामगारों की छंटनी कर दी गई । उनके परिवार भूखे मर रहे हैं । इससे कैसा माहौल बनेगा ? क्या समझौते के बाद इससे नया माहौल बनाने में सहायता मिलेगी । इससे एक विरोध पैदा होगा कि इतने सारे कामगारों को उनके काम से निकाल दिया गया है ।

इस समझौते पर सारा देश खुशियां मना रहा है और राहत महसूस कर रहा है पर मेरा अनुरोध है कि वे यह देखें कि जो लोग इन परियोजनाओं में काम कर रहे हैं उन्हें परियोजना पूरी होने पर इस तरह एकदम नौकरी से नहीं निकाला जाये बल्कि उन्हें थीन बांध, सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर और इसी तरह की अन्य परियोजनाओं में काम दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर कृपया विचार करें । मामले को अधर में नहीं लटकाएं । प्रकाशन के माध्यमों से भी इस खबर का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया गया है । मालूम नहीं क्यों ? लोगों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है जेल में डाला जा रहा है आदि-आदि । यहां तक कि उस दिन ट्रिब्यून के संवाददाता जो कि नांगल में उस मौन जलूस का विवरण ले रहे थे पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उन्हें मारा पीटा । इन बातों की खबर देश को नहीं दी गई । मुझे इन मामलों पर यहां बोलना ही है । मन्त्री महोदय के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन कामगारों के पुनर्वास के लिए शीघ्र कदम उठाए जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के लिए लोक सभा स्थगित करते हैं । लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत होगी ।

1.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.06 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.06 म०प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1985-86

[हिन्दी]

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं । वैसे तो बजट प्रस्तुति सामान्यतः विधान सभा का मामला है किन्तु राष्ट्रपति शासन होने के नाते यह विशेष परिस्थिति में प्रस्तुत हो रहा है । वैसे यह एक अच्छी बात है कि बजट के प्रत्येक पहलू पर गहराई से विचार किया गया है तथा बड़े ही व्यावहारिक ढंग से इसे

प्रस्तुत किया गया है। जहां तक बजट का सवाल है क्योंकि यह देश की सर्वोच्च संस्था है और यहां पर इसकी प्रस्तुति हुई है इसलिए एहतियात के तौर पर यह देखा जाए कि समुचित व्यवस्था बजट में हुई है या नहीं या और कोई कसर बाकी है। वैसे यह देखकर काफी संतोष हुआ कि काफी अच्छे तरीके से सारी फारमेलिटीज पूरी की गई हैं और जहां तक पंजाब के लोगों का सवाल है आप तो जानते ही हैं कि बहुत ही उत्साही, कर्मठ और एन्टरप्राइजिंग लोग हैं। जहां तक सरकार का सवाल है सरकार भी हमेशा ही पंजाब के लोगों के भविष्य को देखते हुए विशेष रुचि रखती आई है। आपने देखा होगा जहां तक बांध, सिंचाई, कृषि और छोटी इंडस्ट्रीज की बात है या फिर फौज में नौकरी इत्यादि की बात है, पंजाब हमेशा दूसरे राज्यों का अग्रज रहा है। वे सारी चीजें ज्यादातर पंजाब में उपलब्ध हैं जो दूसरे राज्यों में भी उपलब्ध नहीं हैं। यह देखने में आया कि जब पंजाब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर सबसे ऊपर निकल रहा था, कुछ लोग निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसे रवैये पर आतुर हुए जिसे हम आतंकवाद का रवैया कहते हैं। आपने देखा होगा, अपने देश को खण्डित करना भी उन्होंने उचित माना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार ने कई कारगर कदम उठाये। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और यहां तक कि हमारी जनप्रिय नेता इन्दिरा जी को अपने प्राणों का बलिदान इसी तारतम्य में देना पड़ा। उनकी शहादत के बाद राजीव जी मैदान में आये और उन्होंने भी अपने पूरे दम-खम के साथ, अपने पूरे टीम-वर्क के साथ, इस समस्या का निदान बड़े ही अच्छे और मुस्तैदी के साथ करने का प्रयास किया। जैसा आप सब जानते ही हैं, हमारे बड़े ही कर्मठ और सक्षम नेता श्री अर्जुन सिंह को वहां का राज्यपाल बनाया गया और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्थिति को काबू में लाने के लिए कई प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों का फल कल हुआ समझौता है जिसके कारण पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। आदरणीय सन्त लोंगोवाल जी से राजीव जी का जो अभूतपूर्व समझौता हुआ है, उससे ऐसा महसूस होता है कि अब पूरे देश में शान्ति और व्यवस्था कायम करने में सफलता मिलेगी और जिस प्रकार पहले पंजाब आगे बढ़ रहा था, पूर्ववत् वह आगे बढ़ता चला जाएगा।

जैसा कि सबको विदित है आजकल पंजाब में भीषण बाढ़ की स्थिति है और इससे लगभग 3 लाख हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है तथा 10 लाख व्यक्तियों पर बाढ़ का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ा है। यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए और भी गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है और बजट में समुचित मात्रा में प्रावधान किया जाना सर्वथा उपयुक्त होगा। इससे भी आप सब लोग भली प्रकार अवगत हैं कि कुछ वर्षों से हमारे देश में और खास कर पंजाब में आतंकवाद का वातावरण व्याप्त था जिसमें अनेक निरीह प्राणियों की हत्या हुई, उनके परिवार-जनों की संपत्ति को लूटा गया। यह सदन अपेक्षा करता है कि उन तमाम लोगों को समुचित कम्पैन्सेशन सरकार की ओर से दिया जाएगा और जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो लोग विस्थापित हुए हैं, उन्हें फिर से नई जिन्दगी शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इन बातों के लिए पंजाब के बजट में समुचित मात्रा में प्रावधान किया जाना लाजिमी बात है।

उपाध्यक्ष जी, पंजाब का जब हम इतिहास देखते हैं तो वह हमेशा ही विकासशील प्रान्त

(श्री लाल विजय प्रताप सिंह)

रहा है। अब चण्डीगढ़ उसकी राजधानी होगी। हमें इस दृष्टि से और भी ज्यादा धन का प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि उसकी नई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि पंजाब में फिर से पहले जैसा वातावरण स्थापित हो जाए, पहले जैसे हालात पैदा कर दिए जाएं, शान्ति व्यवस्था कायम हो जाए और वहां के लोग फिर से अपना परम्परागत कर्मठ रवैया अपनाते हुए काम करने लगें तो निस्संदेह पंजाब की स्थिति काफी सुधर जाएगी और वह अपनी पिछली शान को फिर से प्राप्त कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि सरकार पूरे दम-खम के साथ इस नई व्यवस्था में और चुस्ती लायेगी।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : जनाबे सदर मोहतरिम, ईश्वर जब दुनिया में सृष्टि की रचना करने जा रहा था और तब उसने दुनिया में पहला इंसान पैदा करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में अपना नायक बनाने जा रहा हूं तो फरिश्तों ने कहा था कि हम ही लोग काफी हैं जो आपके हम्द की तसबीक करते हैं और आपकी कुद्दूसीयत के गुण गाते हैं। आप एक ऐसी शै बनाने जा रहे हो जो दुनिया में फसाद और खूरेजी फैलाएगा। मैं बेहतर जानता हूं जो तुमको मालूम नहीं। इसके बाद उसके बावजूद इस दुनिया का पहला आदमी वजूद में आया जिसका कि नाम आदम था और हर मजहब में आदम अल्हेसलाम को अनेक नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं की औलाद में से, उनके लड़कों में से दो लड़के थे जिनका कि नाम काबील और हाबील था। काबील ने हाबील का खून किया था। वो नाहक खून के धब्बे आज भी दुनिया के मुंह पर चिपके हुए हैं और एक खित्ता-ए-अर्ज के बसने वालों ने दूसरे खित्ता-ए-अर्ज के ऊपर चढ़ाई करके नाहक लोगों का खून बहाया है। कैसरो कसरा ने भी खून बहाया, चंगेजखां ने खून बहाया और हलाकू ने भी खून बहाया है। लेकिन इस दुनिया में उनको मिला क्या ? मजहब के नाम पर लोगों ने ऐसे-ऐसे मुजालिम ढहाए हैं कि अगर उनको पढ़ें तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मजहब जिसकी कि तवक्को थी कि वह इंसानियत को इंसानियत का सबक पढ़ाएगा, लेकिन अफसोस कि मजहब खुद खूरेजी के अन्दर वाबास्ता और मुलव्विस था। लेकिन मजहब के मानने वाले वे लोग मजहब के नाम पर जंग करते हैं या मजहम को असली रूप में मानते नहीं हैं। मजहब यह नहीं सिखाता है कि उस मुक्कदस अल्लाह की मखलूक पर जुल्म किया जाए। कोई भी चमकती हुई तलवार इंसान के मांस और हड्डियों पर तो कब्जा कर सकती है, लेकिन इंसान के दिल पर कब्जा नहीं कर सकती और इंसानी दिल पर वही चीज कब्जा कर सकती है जिसका कि नाम मोहब्बत है यही एक शै है जो एक बंदे को खुदा से मिलाती है और यही वह एक शै है जो ऊंच और नीच का फर्क खत्म करती है और जब यही मोहब्बत का रिश्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहेब और पंजाब के नेताओं के बीच में कायम हुआ, तो आपने देखा कि एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय वजूद में आया जो कि आने वाली हमारी नस्लों के लिए एक मिसाल बन जायेगा और हमारी आने वाली नस्लें इसको याद करेंगी। इसके लिए अपने प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी साहेब की जितनी तारीफ की जाए और जितनी मुबारकबाद दी जाए उतनी कम है।

अब मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब जो हमारे मुल्क के एक दिल का मानिंद है, वह ऐसा

दिल है जिसकी हिफाजत करना हमारे मादरे वतन के हर फर्द की जिम्मेदारी है। मैं मास-कांटेक्ट में पंजाब में था। हम लोग दिन में दस-दस बार मीटिंग करते थे हर मीटिंग में हमने देखा कि 300 से लेकर 10 हजार आदमी तक आते थे जिससे लगा कि वहां के लोगों के अन्दर यह इच्छा थी और यह ख्वाहिश थी कि यह तस्फिया हो जाए। वहां के आवाम को यह मालूम नहीं था कि आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन क्या है। लोगों को यह पता भी नहीं था कि अकाली डिमाण्ड्स है क्या-क्या। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने अपने स्वार्थ के खातिर इतना बड़ा हौआ खड़ा किया कि इतना बड़ा खून खराबा हमें भुगतना पड़ा और एक ऐसी कुर्बानी हमको देनी पड़ी जिसकी कि मिसाल दुनिया की हस्ती में नहीं मिलती है। एक हमारी मरहूमा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने खून के हर कतरे से इस मादरे वतन की हिफाजित की है, लेकिन कोई भी कुर्बानी रायगां नहीं जाती है। उस कुर्बानी के बदले एक ऐसे होनहार और काबिल हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और सरपरस्त हमें मिले जिसकी बदौलत आज हम इस फैसले तक पहुंचे हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए हमें पंजाब के साथ हुस्ने सलूक का रिश्ता कायम करना है जिसकी कि उनको जरूरत है। पंजाब के अन्दर बेशुमार ऐसी बेरोजगारी है जिसको कि हमें गौर से देखना है। वह पंजाब और उसका हर इलाका हमारा है जिसका कि एक-एक कण देश भक्ति और प्रेम की भावना से ओत-प्रोत है और वफादारी का जज्बा हर पंजाबी में, चाहे वह किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो उसके अन्दर कूट-कूट कर भरा हुआ है।

हमने देखा है मैदानी जंग के अन्दर, पंजाब के रहने वाले लोग हमारे सिपाहियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उनकी खिदमत करते थे। इसकी यही मिसाल नहीं, अगर आप पंजाब में जायें और हुसैनीवाला को देखेंगे तो इस मादरे-वतन को आजादी दिलाने वालों के ताबूत हुसैनीवाला के पुल के ऊपर हैं जिनमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव और अर्जुनसिंह जैसों के ताबूत वहां पर लगे हुए हैं।

मैं सिफारिश करूंगा कि उन मुकद्दम ताबूत को हमारे मुल्क की पार्लियामेंट के सामने रखा जाये ताकि आने वाली नसलें उनसे इब्रात हासिल कर सकें।

अब वहां की समस्यायें जैसी भी हैं, बेरोजगारी की समस्या है, मौजूदा टाइम में वहां बाढ़ का बहुत बड़ा समुद्र के माफिक पानी का बहाव है। हमें चाहिए कि वहां के लोगों को हम जितना भी प्यार दे सकें, जितनी भी मदद कर सकें, वह हमें करनी चाहिए।

उन बेरोजगारों की, खासकर एक्स-सर्विसमैन की बहूबदी के लिए मैं सरकार का ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं। पंजाब के सबसे ज्यादा आदमी फौज में हैं। उनको प्रोपर सर्विस मिलनी चाहिए और उनकी देखभाल होनी चाहिए।

इसी के साथ मैं पंजाब के बजट के लिए अपनी तहेदिल से सिफारिश करता हूं और इसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं कि इस बजट के लिए सारा प्रावधान रखा जाये। जयहिन्द।

[अनुवाद]

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) उपाध्यक्ष महोदय कल माननीय प्रधानमंत्री ने पंजाब के सम्बन्ध में हुए समझौते की घोषणा की थी। अंततः सद्बुद्धि तो आई। प्रधानमंत्री द्वारा पढ़े गए ज्ञापन की अनेक बातें इस बात का परिचायक है कि इस सम्बन्ध में बहुत पहले निर्णय लिया जा सकता था। लेकिन कुछ न कुछ परस्पर संबंधित कारणों से समझौता नहीं किया जा सका। बहरहाल हमें भविष्य को देखना है। आशा करते हैं कि अब पंजाब में सभी वर्गों के लोग इस समझौते का स्वागत करेंगे। अन्यथा यह संघर्ष और लम्बे समय तक चल सकता है।

देश में इस समय ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां इससे भिन्न स्थिति नहीं है। असम में, अपेक्षाकृत इससे सरल समस्या है। यह भी वहां बहुत सालों से चली आ रही है। लगता है कि इस पर भी जल्दी ही ही समझौता हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने पंजाब समस्या के समाधान के लिए जो दृढ़ता दिखाई है आशा है वही दृढ़ता वह असम समस्या के समाधान के प्रति भी दिखाएंगे और किसी समझौते तक पहुंचेंगे ताकि असम की जनता द्वारा किए जा रहे संघर्ष का समाधान किया जा सके। कुछ और भी राज्य हैं जिनमें ऐसी स्थिति है। इनमें मेरा राज्य गुजरात भी शामिल है। मैं नहीं जानता कि वहां स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर मुझे मालूम है कि क्या किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के पास गुजरात की समस्याओं और कठिनाइयों पर ध्यान देने के लिए कुछ समय होगा। दूर बैठकर समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए समस्या पर बारीकी से विचार करने की जरूरत है। मेरे विचार से पंजाब समस्या का समाधान इसलिए किया जा सका क्योंकि बहुत से लोग इसके समाधान के इच्छुक थे। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पंजाब के राज्यपाल के इस दिशा में किए गए विशेष प्रयासों का उल्लेख किया है। उन्होंने विपक्षी दलों के बहुत से सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया है। ऐसे मामलों में समस्या के समाधान के लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। ये समस्याएं साधारण-सी समस्याएं हैं तथा इनमें पेश आने वाली कठिनाइयां बहुत जटिल नहीं हैं। लेकिन समय पर निर्णय न लेकर हमने उन्हें जटिल बना दिया है। इस पर बहुत खोजबीन करने की जरूरत नहीं है कि पंजाब समस्या के समाधान में इतनी देरी क्यों लगाई गई। हमें खुश होना चाहिए। कि समझौता हो गया है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि इस समझौते के लिए, बहुत से लोगों ने प्रयास किए हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चय से निस्संदेह इसमें सहायता मिली है। मैं चाहता हूं कि वह अब अपना ध्यान असम और गुजरात समस्या की ओर दें। गुजरात की अपेक्षा असम की ओर अधिक ध्यान दें क्योंकि असम समस्या बहुत सालों से चली आ रही है और वहां के लोग वास्तव में बहुत यातनाएं भुगत चुके हैं।

जहां तक पंजाब समस्या का सम्बन्ध है, आशा है सभी लोग इसका उसी गम जोशी से स्वागत करेंगे जैसा कि यहां सदन में सभी सदस्यों ने किया है। हम सब को चाहिए कि पंजाब में वैसा ही मेल-मिलाप और सौहार्दता का वातावरण बनाने के लिए प्रयास करें। पंजाब देश का सर्वाधिक सम्पन्न राज्य था। और गुजरात भी वैसा ही सम्पन्न राज्य था। मैंने "सम्पन्न राज्य था" इसलिए कहा क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वहां जो स्थिति है उससे इन राज्यों को बहुत धक्का पहुंचा है बहुत से लोगों की कठिनाइयां उनकी नौकरी समाप्त हो जाने के कारण बढ़ गई हैं। खासकर दिहाड़ी पर

काम करने वाले लोगों की नौकरियां समाप्त होने से उनकी रोजी रोटी ही छिन गई है। पेट की भूख शांत करने के लिए उन्हें रोज अनेक तकलीफें सहनी पड़ती होंगी। इस तरह की कठिनाई और समस्याओं के बारे में हम कल्पना या विचार भी नहीं कर सकते। इन समस्याओं के कारण सबसे अधिक तकलीफ कौन झेल रहा है ? असंख्य गरीब लोग। हम सभी बातों पर ध्यान देते हैं लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी की तकलीफों की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए पंजाब समस्या के समाधान से खुश होने पर भी मैं इस एक कारण से उतना खुश नहीं हूं। क्योंकि अन्य राज्यों में अभी भी असन्तोष व्याप्त है।

जब कभी ये प्रश्न उठाए जाते हैं तो कहा जाता है कि ये राज्यों से सम्बन्धित मामले हैं। हमारे यहां विशेष व्यवस्था है। हमारे देश की संघीय व्यवस्था है लेकिन हमारा देश राज्यों की इकाइयों से मिलकर भी बना है। यहां जो व्यवस्था की गई है उससे देश मजबूत होता है। लेकिन अगर लोगों की स्थिति में सुधार करना है, हर राज्य के गरीब लोगों की दशा सुधारनी है तो केन्द्र को इन आम लोगों की तकलीफों की ओर बहुत ध्यान देते रहना होगा। पंजाब के मामले में प्रमुख समस्या तथा कठिनाई केन्द्र-राज्य सम्बन्ध थे। बड़े संतोष की बात है कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को, जहां तक उसका सम्बन्ध केन्द्र-राज्य समस्या से है, सरकारिया आयोग के पास भेज दिया गया है। पंजाब में अब जिस समस्या की ओर सर्वाधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है वह यह है कि वहां शीघ्र चुनाव कराए जाएं और राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाए। कुछ एक परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करना वांछनीय है लेकिन इस सम्बन्ध में हमेशा स्वस्थ परम्परा का पालन नहीं किया गया। कानून और व्यवस्था भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही पड़ता है ऐसा करना अनिवार्य भी माना जाता है। लेकिन हमेशा हमने उस परम्परा का पालन नहीं किया है। हम राजनैतिक फायदों की बात सोचते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में अगर शुरू में ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया होता तो वहां के लोगो की तकलीफें कुछ हद तक कम की जा सकती थीं क्योंकि वहां कानन और व्यवस्था शुरू में ही भंग हो गई थी। उस समय इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत थी।

यह तथ्य कि तत्कालीन सरकार को बहुत अधिक बहुमत प्राप्त है संगत नहीं है। परन्तु यह सिर्फ इस बात का प्रश्न नहीं कि सरकार के पास बहुत अधिक बहुमत है अथवा नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि क्या सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में सक्षम है। अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो जाती है तो इस तथ्य के बावजूद कि तत्कालीन सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त है, केन्द्र को राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह बहुमत के शासन या सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। दुःख की बात यह है कि इतना अधिक बहुमत सरकार के पास होते हुए भी वह कानून और व्यवस्था को कायम करने के योग्य नहीं है। मेरे विचार में ऐसे मामलों में, सत्ता पक्ष को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गरीबों द्वारा क्या-क्या कष्ट झेले जा रहे हैं।

कम से कम मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, हम अब वास्तव में आशा कर सकते हैं कि लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे। थोड़ी सी अनिश्चितता अभी बाकी है परन्तु

[श्री एच० एम० पटेल]

इसमें शक नहीं है कि यह अनिश्चितता भी अलोप हो जाएगी जब आमतौर पर लोग यह देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कितना इच्छुक है कि ये अनिश्चितता और मुसीबत के दिन समाप्त हो जाएं। मैं आशा करता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसने जो वायदे किए हैं या वचन दिए हैं, उन्हें वह ईमानदारी से पूरा कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है। श्री ए० के० पटेल बोलना चाहते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : अगर यह वजह है तो मैं अवश्य ही अपना भाषण समाप्त करूंगा। एक पटेल दूसरे पटेल को मौका देगा। मैं किसी भी प्रकार की कटुता की भावना को पैदा नहीं करना चाहता। मैं अवश्य ही अपना भाषण समाप्त करूंगा। मुझे इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं कहना है कि मैं इस समझौते का स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि यह समझौता हो गया है। मैं उन सभी को, जिनके प्रयासों से इस समझौते तक पहुंचा गया अपनी बधाई देना चाहता हूं।

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से कल जब समझौते के ज्ञापन की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी तो मैं सदन में उपस्थित नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से तथा अपने दल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका स्वागत करता हूं और देश के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसे देश पिछले कई वर्षों से झेलता आ रहा था। ऐसा तो वर्षों पहले कर लेना चाहिए था। उस स्थिति में इतनी सारी बहुमूल्य जानें बच जातीं। मैं जानता हूं कि विरोधी दलों को आनन्दपुर साहिब संकल्प की तरफदारी करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब, बातचीत से देखा जा सकता है कि यह वही है, अगर पूरे रूप में नहीं हैं तो, कम से कम आंशिक रूप में इसे स्वीकार किया गया है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वह पंजाब समस्या को हल करने के लिए हर सम्भव प्रयास करे। जैसा आपको मालूम है कि पंजाब भी गुजरात की तरह प्रगतिशील राज्यों में से एक था परन्तु गत कई वर्षों से सभी उद्योग बन्द पड़े हैं, कृषि का भी विकास अच्छा नहीं है, बहुत से लोग बेरोजगार हैं। बहुत से बहुमूल्य जीवन गत चार वर्षों में गवां दिए गए। देश में सामान्य स्थिति तथा शांति कायम करने के लिए राज्य सरकार की हर सम्भव सहायता की जानी चाहिए। जैसा आपको पता है कि उन दिनों केन्द्रीय सरकार पंजाब के लोगों में अधिक रुचि ले रही थी क्योंकि चुनाव का समय आ रहा था। अब चुनाव हो चुके हैं और आनन्दपुर साहिब संकल्प को स्वीकार करने की बात लोग भूल चुके हैं।

बजट के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वास्तव में बजट को पास करने का अधिकार पंजाब के लोगों का था। परन्तु क्योंकि वर्षों से, वहां स्थिति सामान्य नहीं थी और इस समस्या को हल नहीं किया गया इसलिए हमें उनका बजट पास करना पड़ता है। पंजाब में आतंकवाद, जो कई वर्षों से चल रहा है, उसने राष्ट्र को भी प्रभावित किया है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, गुजरात देश का सबसे अधिक शान्तिप्रिय राज्य था। गत कई माह में वहां जो घटित हुआ है उसकी वजह से

उसने अपनी वह छवि गवां दी है और कितनी निजी सम्पत्ति को प्रतिदिन नष्ट किया जा रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि गुजरात के मामले में हस्तक्षेप करें ताकि उस राज्य में शान्ति स्थापित हो सके।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो पंजाब का बजट प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च मन्दिर में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है पंजाब बजट पास करने का अधिकार पंजाब विधान सभा का था पर पिछले दिनों में कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद दो वर्षों से हमारे न चाहते हुए भी इस बजट को पास करने का मौका हमें मिल रहा है। मैं भी अपने पूर्ववक्ताओं की राय से इत्तफाक करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतनी बड़ी समस्या को हल किया है जो समस्या अकेले पंजाब की नहीं, पूरे देश की बन गई थी। और अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बनने जा रही थी। बाहर के मुल्क इस तेजी के साथ इस समस्या में रुचि ले रहे थे, यह चीज पिछले दिनों जाहिर हुई। किस तरह से हिन्दुस्तान के दुश्मन इस समस्या की आड़ में अपना खेल खेल रहे थे, इस चीज को भी हिन्दुस्तान ने देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के लोगों ने राजीव जी के नेतृत्व को उसी दिन स्वीकार कर लिया था, जिस दिन वे पहली बार प्रधान मंत्री बने। विश्व के इतिहास में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, जिसके तहत हम पाएं कि किसी की मां को गोलियों से मार दिया गया हो, जिसने अपनी आंखों से अपने खून को बहते हुए देखा हो; जिसने अपनी आंख से अपनी मां के छलनी बदन को देखा हो और उसके बाद भी धीरज रखे और प्रधान मंत्री के पद की शपथ लेने के बाद, अपनी मां की अर्थी को घर पर छोड़कर, देश जो जल रहा था, दिल में जो आग लगी थी, वहां जाकर उस आग को बुझाने का प्रयास करे। उसी दिन इस देश के लोगों ने राजीव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। अपना नेता स्वीकार कर लिया था। कल के ऐतिहासिक फैसले के बाद कहीं कोई शक नहीं रह गया है। मैं विरोधी दल के सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कल के फैसले का बड़ी हिम्मत के साथ स्वागत किया है।

मुझे पिछले दिनों पंजाब जाने का मौका मिला और मैं वहां पर बहुत से लोगों से मिला। वहां पर मैंने देखा कि उस हरे-भरे पंजाब को, जो कि इस देश का शान था, जो कि इस देश का मुकुट था, कैसी नजर लग गई है। वहां के लोगों ने दुखी होते हुए कहा कि हमारा काफी सुखी जीवन था, हर गांव में बिजली थी, हर गांव में पानी था, हर गांव को सड़कों से जोड़ा गया था, हर गांव में बहुत अच्छी खेती की पैदावार थी, जहां दूध की नदियां बहती थीं, उस पंजाब को पिछले दिनों एक ऐसी नजर लगी कि तमाम आतंकवादियों ने वहां पर खून की होली खेली। वहां मुझे एक ऐसी मां से मिलने का मौका मिला, उसने दुखी होते हुए कहा कि जब मैं अस्पताल में थी और मेरा बेटा दवाई लेकर आ रहा था, तो आतंकवादियों ने उसको गोली से मार दिया। ऐसे परिवार जो कि अपने पति,

[श्री रामेश्वर नीखरा]

अपने पुत्र की इन्तजार करते रहे थे, लेकिन उनका बेटा या पति लौटकर वापिस नहीं आ पाए; क्योंकि उनको आतंकवादियों ने मार दिया था। यह चक्र जो पिछले दिनों पंजाब में चलता रहा; इसकी कितनी बड़ी शहादत इस मुल्क के लोगों ने दी है, उसकी जितनी चर्चा की जाए, उतनी ही कम है।

पंजाब में बटाला गांव जो कि पूरे देश को मशीनें सप्लाई करता था, जहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार की मशीनें बनती थीं, उस बटाला में करफ्यू लगा हुआ था। उस बटाला के सारे कारखाने बन्द थे। उस बटाला के व्यापारी लोग हमसे कह रहे थे कि पूरे देश से हमारे पास कोई नहीं आता है, न हमारे ऊपर कोई विश्वास करता है। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह से स्तब्ध हो गया था। लेकिन कल के फैसले के बाद, मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्वास हो गया है कि पंजाब में फिर से वही चहचाहट, वही मुस्कान आएगी। बटाला फिर से पूरे देश को मशीनें सप्लाई करेगा। फिर से पंजाब का गेहूं पूरे देश में जाएगा। फिर से वहां पर दूध की नदियां बहेंगी और फिर से वहां पर खुशहाली लौटेगी। इन सब बातों के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी बधाई के पात्र हैं।

इस मौके पर मैं दो-तीन बातों की ओर माननीय राज्य वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल के फैसले को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अपने बजट में कोई संशोधन करेंगे, क्योंकि उस फैसले में यह बात लाई गई है कि घटनाओं में जिन लोगों की जान व माल की हानि हुई है, जिनकी सम्पत्ति नष्ट हो गई है, उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा? इसके लिए क्या कोई बजट में प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि कल जो प्रधान मंत्री महोदय ने फैसला किया है, उस फैसले को सही ढंग से कार्यान्वित किया जा सके?

इसी प्रकार कल प्रधान मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि मिलिटरी के जवान, जिन्होंने कि भावना में आकर गड़बड़ियां की थीं, उन जवानों के नौकरी से निकलने के बाद उनको अच्छे रोजगार दिए जाएंगे। इस घोषणा को पूरा करने के लिए क्या मंत्री महोदय ने अपने बजट में कोई इस तरह का प्रावधान किया है जिससे कि उनको अच्छे रोजगार दिलाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा सके? पिछले दिनों पंजाब में इण्डस्ट्री पूरी सिक हो चुकी थी और उसमें बड़ी तोड़फोड़ हुई है। क्या मंत्री महोदय अपने बजट में कोई प्रावधान करेंगे कि उस सिक इण्डस्ट्री को चलाने के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जा सके? पिछले दिनों पंजाब में कई स्कूल और अस्पताल जल गए, कई जगह तोड़फोड़ हुई, ट्रांसपोर्ट सारा डिस्टर्ब हो गया, ब्रिजेज को तोड़ दिया गया, नहरों को तोड़ा गया—क्या मंत्री महोदय बजट में विशेष प्रावधान करेंगे, जिससे इन तमाम चीजों को पुनः सही किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं पंजाब के बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो कल घोषणा हुई है और जो पहले नुकसान हुआ है, उसके लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था इस बजट में करें, जिससे कल के फैसले को सही रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

श्रीमती प्रेमला बाई चव्हाण (कराड़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मुझे पंजाब के बजट पर बोलने का जो मौका मिला है इसके लिए मैं अपने आपको बड़ा भाग्यवान समझती हूं। पंजाब के सम्बन्ध में कल जो फैसला हुआ है वह हमारे देश के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे देश को 1980 से बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था और वह उनका मुकाबला बड़ी बहादुरी से करता आ रहा था। हमारी श्रेष्ठ नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन समस्याओं का मुकाबला करते हुए जो बलिदान दिया उसकी मिसाल पिछले पांच हजार सालों के इतिहास में भी देखने को नहीं मिलेगी और आगे भी इसकी सम्भावना नहीं है। आज भी उन कठिनाइयों का सामना बहादुरी से किया जा रहा है। आज के हमारे युवा नेता श्री राजीव गांधी ने भी उस इतिहास को फिर से दोहराया है। अंग्रेजी का— (History repeats itself) बिल्कुल सही मायनों में देखने को मिल रही है। राजीव गांधी जी ने जबसे कारोबार सम्भाला है तबसे हर तरह की कठिन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा है—इस बात को सारी दुनिया दांतों तले अंगुली दबाकर देख रही है। देश की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। भारत का क्या होगा? भारतीयों की सारी संस्कृति, देश की महानता, देशवासियों का पुण्य क्या खत्म हो गया है? जिस देश में एक से एक महान् बहादुर, कुशल विद्वान, नर-रत्न पैदा हुए हैं, इसी का उदाहरण आज हमारे राजीव गांधी हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है— (Nothing Succeeds like success) और यही है आज की पंजाब समस्या का हल। राजीव जी अपने भाषणों में कहते थे कि इस समस्या का हल निकलेगा और सबके हित को निगाह में रखते हुए निर्णय होगा। उनकी कथनी और करनी में ऐसी मिसाल कम पाई जाती है—

"Great persons are born, not made."

यह फैसला करके उन्होंने इस उक्ति को सच्चा साबित कर दिखा दिया है। पंजाब अब बड़े गौरव के साथ भारत का राज्य बनकर दिखायेगा। पंजाब हमारे देश का सघन, उन्नत और बहादुर राज्य है। मैं चाहती हूं कि वहां पर जल्दी इलेक्शन कराये जाएं और दुष्टों से इस राज्य को बचाया जाए। मेरी प्रधान मंत्री जी से यह विनती है कि वहां पर जो हानि हुई है, उसको पूरा करने के लिए उनको विशेष सहूलियतें दी जाएं।

इस काम में वहां के गवर्नर श्री अर्जुन सिंह जी ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। उनके बन्धु भाव से पंजाब को बहुत फायदा हुआ है और वह एक कामयाब गवर्नर साबित हुए हैं। इसलिए मैं राजीव जी के साथ उनको भी बधाई देती हूं। आज इस फैसले से जिसे सबसे ज्यादा खुशी है वह इस देश की नारी है। क्योंकि जब-जब हम पंजाब में वहां की महिलाओं से मिलते थे, तब-तब उनके अन्दर की 'मां' बोल उठती थी। वह कहती थी कि मेरा एक बच्चा सिख है और दूसरा हिन्दू है, मां को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। दोनों भाइयों में जुदाई की जो भावना पैदा हो गई थी उसको मिटाने के लिए वह भगवान से प्रार्थना करती थीं और पंजाब आज खतरे से बचा लिया गया है। अभी तक वहां जो हानि हुई है, जो तरक्की रुक गई थी, उसका कारण था कि वहां के नौजवान गलत रास्ते पर चले गए थे। लेकिन अब राज्य फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यह देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यहां के लोग बहुत मेहनती हैं, मुझे उम्मीद है कि यह राज्य फिर से आगे तरक्की करके बढ़ेगा। मैं अपनी

[श्रीमती प्रेमला बाई चव्हाण]

सारी शुभकामनाएं इस राज्य को देती हूं। इसके साथ-साथ ही मैं राजीव जी को भी अपनी शुभेच्छाएं दे रही हूं—वे सर्वशक्ति के साथ देश का भार संभालें और जुग-जुग जीएं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में, पंजाब बजट पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने सोचा था कि पंजाब के पूरे प्रश्न पर चर्चा के लिए हमें एक और अवसर प्राप्त होगा। परन्तु चूंकि प्रत्येक व्यक्ति इस पर बोल रहा है। अतः मैंने सोचा मुझे भी इसमें अवश्य हिस्सा लेना चाहिए।

महोदय शुरू ही में, मैं खुले दिल से, जो कल शाम समझौता हुआ है उसका स्वागत करता हूं। इसी दिन के लिए हम बहुत समय से तत्परता से इंतजार कर रहे थे। इस खुशी के मौके पर हमारे लिए यह संगत नहीं होगा कि हम बीती हुई बातों को कुरेदें। परन्तु मैं नहीं समझता कि हम बीते समय को पूरी तरह से भूल सकेंगे अथवा नहीं क्योंकि अगर हम बीते समय को भुला देते हैं और उसकी उपेक्षा कर देते हैं तो हमने पहले जो गलतियां की हैं हम उन्हें फिर से दोहरा सकते हैं।

हैरानी होती है—यह देखकर खुशी भी होती है कि किस सरलता के साथ यह समझौता किया जा सका। इससे केवल एक मूलभूत प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार का समझौता पहले, 'ब्ल्यू स्टार आप्रेशन' से पहले, संभव था। मेरा अपना विचार यह है कि यह समझौता बिना किसी 'ब्ल्यू स्टार आप्रेशन' से पहले संभव था। अतः हमें जांच करनी चाहिए कि यह उस समय से पहले इसे क्यों संभव नहीं बनाया गया था।

अगर हम उस समझौते पर, जो कल हुआ है गौर करें तो आपको पता लगेगा कि यह एक ग्यारह-सूत्री ज्ञापन है, जिसमें से सूत्र नम्बर 5 को छोड़कर पहले छः सूत्र उन मामलों तथा घटनाओं से संबंधित हैं जो ब्ल्यू स्टार आप्रेशन के बाद घटित हुए। दूसरे शब्दों में, ग्यारह सूत्रों में से केवल छः सूत्रों का संबंध वास्तविक मामलों से है जिनके कारण यह सम्पूर्ण संकट पैदा हुआ।

अब मैं इस पर बताना चाहूंगा कि ब्ल्यू स्टार आप्रेशन से पहले यह समझौता क्यों नहीं किया जा सका। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो यह हक्का बक्का कर सकता है। अवश्य ही वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री को यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या वह इसका जवाब देने में सक्षम होंगे। यह संभव नहीं था क्योंकि उस समय कांग्रेस (आई०) को आठवीं लोक सभा के चुनाव कराने और जीतने बाकी थे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आप उनसे पूछिए यह क्यों संभव नहीं था। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसे असंभव बनाया गया था क्योंकि उस समय भारत सरकार यह कहा करती थी कि हरियाणा और राजस्थान कई आपत्तियां उठा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि

वास्तव में कल भजनलाल को क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि सत्ताधारी दल यह महसूस करे कि इस पंजाब के मामले को लेकर उन्होंने गत लोक सभा के चुनावों में जो जीत हासिल की है उसके लिए इस देश को कितना मूल्य चुकाना पड़ा है। मुझे मालूम है कि यह जो मामला चला है वास्तव में वह 1982 में शुरू हुआ था।

पहली बार अकाली दल ने शुरूआत 45 मांगों वाले चार्टर से की थी। बाद में उन्होंने कम करके उन्हें दस मांगों में कर दिया। इन दस मांगों में से 4 धार्मिक थीं तथा 6 पंजाब के बारे में थीं। क्या मैं बता सकता हूं कि सभी चारों धार्मिक मामलों को एक पक्षीय तौर पर भारत सरकार द्वारा मान लिया गया था परन्तु गलत तरीके से तथा गलत स्थान पर? स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने इन रियायतों की दिल्ली में घोषणा की थी जिससे स्थिति और खराब हुई थी। बाकी की पंजाब की छः मांगों के बारे में एक आम राय बनाई गई थी। वास्तव में कम से कम तीन बार ऐसा हुआ था जब समझौते पर पहुंचा गया था और मसौदे भी तैयार किए गए थे। वास्तव में 17 नवम्बर, 1983 को वी० आई० पी० लोगों को अमृतसर ले जाने के लिए एक जहाज तैयार रखा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय कौन अपनी बात से पीछे हट गया था। क्या कारण थे जिनकी वजह से तत्कालीन सरकार को उससे मुकरने के लिए मजबूर होना पड़ा था?

यहां पर आनंदपुर साहिब संकल्प के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमन्त्री ने लोक सभा चुनावों में ही नहीं बल्कि विधान सभा के चुनावों में इससे बहुत लाभ उठाया। जब जनता दल के नेताओं ने, जिसमें दल के अध्यक्ष; श्री चन्द्रशेखर भी शामिल हैं, कहा था कि आनंदपुर साहिब संकल्प की हरेक बात गलत नहीं है तब इस सत्ताधारी दल ने अनुभवी विरोधी नेता को राष्ट्र-विरोधी रंग में रंगने का नैतिक उतावलापन तथा दुःसाहस दिखाया था।

मैं आशा करता हूं कि यह समझौता पंजाब के सिख और हिन्दुओं के बीच हमेशा के लिए सद्‌भावना पैदा करने के लिए रास्ता खोलेगा। मुझे विश्वास है कि यह समझौता भारत की एकता तथा अखंडता की नींव को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा।

मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि वह सद्‌भावना पैदा करने की दृष्टि से वह अपने उन अभद्र तथा देश विरोधी आरोपों के लिए जो उन्होंने विरोधी नेताओं की नेकनीयती पर लगाये थे, राष्ट्र के समक्ष खेद व्यक्त करें। मैं चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री में शिष्टता हो, मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष शिष्ट हो क्योंकि वे जानते हैं कि किसने क्या कीमत चुकाई है, किसको इतनी भारी हलचल से, जिससे देश को गुजरना पड़ा है फायदा पहुंचा है। देश ने खून और धन से तथा दो बड़े समुदायों के बीच आपसी सम्बन्धों की बलि देकर इसकी कीमत चुकाई है। अतः हमारे लिए यह याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि हम वास्तव में किस संकट से गुजरे हैं।

यद्यपि समझौता हो चुका है और हमारी अपनी यह खबर है कि पंजाब में लगभग सभी संयमी और जिम्मेदार क्षेत्रों में इस समझौते का बहुत स्वागत किया गया है, फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस मुसीबत को बनाए रखना चाहेंगे। अतः सरकार को सावधान रहने की आवश्यकता है। यह आराम करने का समय नहीं है। वास्तव में यह समय हमारे लिए चौकसी करने का है।

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

मैं संत लोंगोवाल द्वारा इस समझौते पर पहुंचने के लिए दिखाए गए भारी नैतिक साहस की सराहना करता हूं। वास्तव में, मैं इस समझौते पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो महान देश भक्ति का प्रदर्शन किया है उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। किसी भी समय संत लोंगोवाल जी, प्रकाश सिंह बादल, एस० एस० बरनाला जैसे नेताओं ने अपनी शान्तिप्रियता को नहीं त्यागा। कभी भी उन्होंने, जान-बूझकर कम से कम, किसी भी समय ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इस देश की अखंडता को कोई खतरा पहुंचता हो। मेरा विचार यह है कि सरकार और विरोधी दलों द्वारा समस्या को हल करने में सही भूमिका निभाने के लिए जहां उनकी तारीफ की जाए वहां सारी सभा को संत लोंगोवाल जी का जिन्होंने इस संकट में जो सकारात्मक रोल अदा किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए।

हमें इस संकट से एक बात सीखनी होगी। ऐसे मामले हैं जिनका सारे देश को सामना करना है। ऐसे नाजुक मामलों पर हमें परम्पराएं, प्रथायें तथा प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए जिसके द्वारा बहुदलीय चेतना पैदा की जा सके। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सत्ता पक्ष प्रत्येक राष्ट्रीय मामले पर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करती है।

3.00 म० प०

यह प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या को पक्षपातपूर्ण रंग देने की कोशिश करती है। मैं आशा करता हूं कि सत्ताधारी दल, जिसे अब विशाल जनादेश प्राप्त हो गया है, फिर आगे ऐसी नासमझी वाली राजनीति में संलग्न नहीं होगी। अगर केवल यही एक शिक्षा सत्ताधारी पक्ष ग्रहण कर लेता है तो मुझे वास्तव में पंजाब को लेकर जो उन्हें हमारी तथा देश की कीमत पर बहुत बड़ी जीत प्राप्त हुई है उसके लिए अफसोस नहीं होगा।

——— ———

3.01 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक प्रकोपों के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत मद संख्या 8 पर चर्चा —को लेंगे। मैं प्रो० के० वी० थामस से चर्चा को शुरू करने का निवेदन करता हूं।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष द्वारा मुझे हाल की प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा के बारे में बोलने की अनुमति देने के लिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में पिछले दस पन्द्रह वर्षों से बाढ़, धरती के धंसने और समुद्र से कटाव की ऐसी

अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदायें नहीं आई थीं, जैसी कि पिछले दो महीनों में हमने देखी हैं। कोई राज्य या क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी मानसून की चपेट से नहीं बचा है। आसाम से शुरू होकर पंजाब तक और फिर केरल तक सभी राज्यों को बहुत हानि हुई है। अकेले पंजाब में ही 55 लोगों की मृत्यु हो गई है। जलंधर शहर में ही 2000 परिवार असहाय हो गए तथा 100 घर धराशायी हो गए। बिहार में, कोसी नदी जो 'सौरो आफ बिहार' के नाम से प्रसिद्ध है, खतरे के निशान से 100 से 130 से० मी० ऊपर तक बह रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ी नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति है।

3.03 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

अब मैं अपने केरल राज्य के बारे में बताता हूं। पिछले 60 वर्षों में यह पहला अवसर है जब कि हमारे राज्य को ऐसी अभूतपूर्व बाढ़, धरती धंसने और समुद्र कटाव की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष केरल राज्य ने बहुत ही भयंकर सूखे का सामना किया जो सौ वर्षों के दौरान पहली बार पड़ा था और अब इस वर्ष हमें अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। भौगोलिक तौर पर, केरल के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में पश्चिमी घाट है। आमतौर पर अरब सागर शान्त रहता है परन्तु इस वर्ष जब मई माह के मध्य के आसपास मानसून शुरू हुआ, हर चीज ठीक ठाक तथा सामान्य थी परन्तु जून माह के अन्त में, मानसून ने विकट रूप धारण कर लिया और अरब सागर ने विकराल रूप धारण कर लिया। तथा दो मंजिल ऊंची इमारत के बराबर लहरें समुद्री तट से टकराकर भूमि को काटने लगी, घरों को बहाने लगी और हजारों नारियल के पेड़ों को जड़ों से उखाड़ने लगी। इस नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती है।

पूर्वी क्षेत्र के दूसरी तरफ पहाड़ियां नीचे आ रही थीं और चट्टानें नीचे गिर रही थीं जिसके फलस्वरूप बागान, कृषि को भारी क्षति हुई जिससे सड़कें टूट गई और कई लोग मर गए। और मुख्य भूमि पर समूचे स्थान पर बाढ़ आ गई थी। एल्लीपी में जो कि सभापति जी का निर्वाचन क्षेत्र है तथा जो केरल का उपजाऊ प्रदेश कहा जाता है, पूरा क्षेत्र पानी में डूब गया था और हरे धान के खेतों की जगह केवल पानी ही पानी दिखाई देता था।

जो हानि हुई है मैं उसके विस्तृत ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं केवल कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे बताने का प्रयास कर रहा हूं। 102 लोगों की अभी तक जानें गई हैं, 7400 लोग जख्मी हुए हैं और 146 लाख लोग इन आपदाओं से प्रभावित हुए हैं जो कि केरल की कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत है।

कृषि के मामले में 93.36 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है। जब हम कृषि की क्षति के बारे में सोचते हैं तो इसे दो पहलुओं से देखा जाना चाहिए। पहला कम अवधि की क्षति और दूसरा लम्बी अवधि की क्षति। केरल में हमारे पास मौसमी फसल जैसे धान और केला हैं। इन फसलों की क्षति कम अवधि की क्षति है। परन्तु नारियल, रबड़, इलायची आदि नकदी फसल हैं जहां कि क्षति लम्बी अवधि तक की है एक बार नारियल का पेड़ नष्ट हो जाए तो नए पेड़ को बढ़ने में 5 से

[प्रो० के० वी० थामस]

10 वर्ष लगते हैं तथा तब उसमें फल आते हैं अत: जब भारत सरकार हमारे कृषकों की सहायता के बारे में सोचती है तो इन दोनों पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हमारे कृषक वे लोग हैं जिनके पास छोटी काश्तकारी, जैसे एक एकड़, दो एकड़ या तीन एकड़ भूमि है अत: इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

वहां घरों को भारी नुकसान हुआ है। कुल 4.78 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें से 1.2 लाख घरों को नई जगहों पर बनाना होगा; 0.5 लाख घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2.08 लाख घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्कूली बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। लगभग 20 लाख स्कूली बच्चों की पुस्तिकाएं कपड़े वर्दी आदि नष्ट हुई हैं।

सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके लिए लगभग 178 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह 16.13 करोड़ रुपये के मत्स्य उत्पादों का नुकसान हुआ।

दूसरा मुख्य क्षेत्र जिस पर केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए वह केरल का तटीय क्षेत्र है केरल में कुल 560 किलोमीटर की तट सीमा है। यह अनुमान है कि वहां 320 किलोमीटर का सुरक्षित तट क्षेत्र है। 320 किलोमीटर के सुरक्षित तटीय क्षेत्र में से हमने 290 किलोमीटर के लिए समुद्र तट बंध बना लिया है। वर्तमान बाढ़ और भारी वर्षा के बाद 110 किलोमीटर तट क्षेत्र प्रभावित हो गया है। कुल 140 किलोमीटर तट क्षेत्र की रक्षा करनी है।

अब मैं यहां आपके ध्यान में एक महत्त्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। केरल का कुल जनसंख्या 254 लाख है जिसमें से 35 लाख लोग तट क्षेत्र में रहते हैं पूरे विश्व में हमारा तट क्षेत्र अधिकतम घनिष्ठ जनसंख्या वाला स्थान है। अब इस संकट के दौरान 50 से 100 मीटर भूमि का कटाव हुआ था। समुद्री तटबंध की निर्माण लागत प्रति किलोमीटर 5 से 6 लाख रुपये है। अत: इस दर से 140 किलोमीटर के लिए 840 लाख रुपये लगेंगे। मैं यहां एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। समुद्री तटबंध के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता 2:1 है। मरम्मत के लिए यह 1:1 है। मेरा यह निवेदन है कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। यहां समुद्र है जिसे बाहरी आक्रामक के रूप में विचार करना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को इसका पूरा खर्चा स्वयं उठाना चाहिए। केरल जैसा राज्य जो बहुत सी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वह समुद्र तटबंध के निर्माण के लिए एक नये पैसे का भी इन्तजाम नहीं कर सकता।

इस संबंध में मैं भारत सरकार और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को हमारे राज्य को दिए गए सामयिक और प्रभावी मदद के लिए बधाई देता हूं। इस वर्ष जुलाई के आरम्भ में राज्य को भारी वर्षा और भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। हमारे मुख्य मंत्री श्री करुणाकरन 5 जुलाई को दिल्ली आए और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा कृषि मंत्री जी से मिले और उनको हमारी समस्याओं के बारे में बताया तथा वे संतुष्ट हुए थे। 8 तारीख को हमने 10 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त की। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह 'सामयिक' तथा 'प्रभावी' सहायता है। 11

तारीख को हमारे अपने सदस्य तथा मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि श्री नारायणन् केरल आए और हमारे राज्य का दौरा किया। 13 और 14 तारीख को हमारे अपने दोस्त तथा निकट संबंधी श्री बूटा सिंह जी कोचीन आए और कुट्टानाडू, इदुक्की तथा अन्य जिलों का दौरा किया और वह वहां दो दिन रुके थे।

महोदय, बूटा सिंह जी और केन्द्रीय अधिकारी दोनों ने जिनका नेतृत्व श्री सिकदार ने किया, केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गए ज्ञापन पर विचार किया जो यह बताता है कि कुल 743.36 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। यह एक वास्तविक तथ्य है जिसे दिया गया है। एक बात जो मुझे स्पष्ट करनी है। वह यह है कि आम तौर पर जब केन्द्र राहत कार्यों के लिए सहायता देता है जो 75 प्रतिशत के अनुदान के रूप में दिया जाता है और बाकी बची 25 प्रतिशत राशि का राज्यों द्वारा प्रबन्ध करना होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि केरल जैसा राज्य जो भारी वित्तीय अड़चनों से घिरा हुआ है, 25 प्रतिशत का प्रबन्ध नहीं कर सकता है। अत: मेरा बार बार यह अनुरोध है कि केन्द्र को शत प्रतिशत सहायता देनी चाहिए और केन्द्र इसे वहां कर सकता है जहां स्थिति बहुत खराब हो।

महोदय ये प्राकृतिक आपदाएं, हालांकि ये ऐसी नाजुक नहीं होतीं जितनी इस वर्ष थीं फिर भी हर वर्ष होती हैं। हमें कुछ लम्बी अवधि के उपाय करने चाहिएं। मैं केवल कुछ पहलूओं के बारे में बताना चाहता हूं। पहला सड़क है केरल में हमें प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम में भारी वर्षा का सामना करना पड़ता है। हमें सड़कों की मरम्मत करनी पड़ती है। अब जो प्रौद्योगिकी उपयोग की जा रही है उसे बदलना होगा। इस समय 'चिपिंग कारपेट' प्रक्रिया अपनायी जाती है, इसके स्थान पर दूसरी प्रक्रिया जिसे 'स्प्रे ग्राउटिंग' प्रक्रिया कहते हैं जो कि 'चिपिंग कारपेट' प्रक्रिया से 5 गुना महंगा है लेकिन 20 गुना प्रभावी है, का उपयोग किया जा सकता है। अत: उसका उपयोग किया जाना चाहिए और भारत सरकार को पूरी सहायता करनी चाहिए।

दूसरी पहलू है भू-स्खलन। भू-स्खलन वनों की कटाई और जल-ग्रहण क्षेत्रों के नजदीक खेती करने के कारण होता है। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे वनों की कटाई रोकी जा सके। बाढ़ सामान्यत: होती ही है। बाढ़ों को रोकने के लिए वर्तमान नहरों और जलमार्गों को गहरा करना होगा। अधिक बांध बनाने होंगे। विशेष रूप से मैं अनुरोध करता हूं कि केरल राज्य को सहायता देते समय तीन नगरों अर्थात् त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट को अलग-अलग सहायता दी जानी चाहिए। कोचीन शहर समुद्र स्तर से नीचे हैं। हर वर्ष जब वहां वर्षा होती है तो पूरा शहर बाढ़ में घिर जाता है अत: हमने प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को अलग से ज्ञापन दिया है कि अकेले कोचीन नगर को 5.21 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि वहां सड़कों और पुलों का निर्माण करके इस समस्या का स्थाई समाधान निकाला जा सके।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं श्री करूनाकरन के कुशल और योग्य नेतृत्व के अन्तर्गत चल रही केरल सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, जुलाई के पहले सप्ताह में जब यह अभूतपूर्व बाढ़ आई तो हमारी विधान सभा स्थगित हो गई। विधान सभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गए। मंत्रियों को प्रत्येक जिले का प्रभार लेने के लिए कहा गया और राहत कार्य शुरू किए गए। यह कोई आसान बात नहीं थी। राहत कार्यों

[प्रो० के० वी० थामस]

पर एक नजर डाली जाए। 120 लाख लोगों को निशुल्क राशन दिया गया। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध दिया गया और केवल इस पर ही कुल खर्चा जो किया गया था वह 23.45 करोड़ रुपये है। 1,922 राहत कार्य केन्द्र और अर्ध राहत कार्य केन्द्रों से शुरू किया गया और इसके लिए 7 करोड़ रुपये के खर्चे की आवश्यकता थी। चिकित्सा सहायता और राहत कार्यों पर 8 करोड़ रुपये खर्च हुआ इसके बाद कपड़े और जो बर्तन शिविरों में दिए गए थे उनकी लागत 6 करोड़ रुपये थी। जल पूर्ति संस्थापन की मरम्मत और संक्रामक रोगों की सम्भावना वाले क्षेत्रों पर ही 6.1 करोड़ रुपये खर्च किया गया।

केरल सरकार ने इस तरह के प्रभावी उपाय उठाए हैं कि एक भी शिकायत नहीं मिली। हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री बूटा सिंह जी और श्री के० आर० नारायणन् ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। केन्द्रीय दल ने भी सभी स्थानों का दौरा किया था। वहां कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि राज्य सरकार ने प्रभावी उपाय उठाए थे। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर भारत सरकार श्री राजीव गांधी और हमारे अपने दोस्त श्री बूटा सिंह जी तथा श्री नारायणन् जी को प्रभावी कदम उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं एक बार अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए हमें लम्बी अवधि के उपाय लेने चाहिए।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण सूखा है। दूसरा बाढ़ और तीसरा चक्रवात है। हालांकि भूस्खलन जैसी अन्य आपदाएं हैं जो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : गैस त्रासदी।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : यह मानव निर्मित संकट है। मानव द्वारा कई तरह के संकट बनाए गए हैं।

भारत को इन तीन प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने पहले से ही सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगा लिया है। यह समय-समय पर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम और योजनाएं शुरू करती रहती है। परन्तु दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी योजना कारगर सिद्ध नहीं हुई है। वे केवल अस्थायी होती हैं और केवल अस्थायी राहत देती हैं। ऐसा लगता है कि सूखे का मुकाबला करने के लिए कोई स्थायी उपाय नहीं सोचा गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मानसून की अनिश्चितता पर निर्भर करता है। मानसून के बारे में सही पूर्वानुमान लगाने की प्रौद्योगिकी की हमें अभी भी निपुणता हासिल करनी है और अपने कृषकों को शिक्षा तथा अनुदेश देना है कि वे स्वयं को मानसून की अनिश्चितता के अनुकूल ढालें। इसे अभी तक नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि रूस के वैज्ञानिकों ने भारत में मानसून का पता लगाने

की अपनी प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव किया है। अतः सूखा प्राकृतिक आपदा है। मैं आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र से आया हूं। जिसे सतत सूखे की सम्भावना वाला क्षेत्र कहा जाता है। हम बहुत पहले से यह सुझाव देते आ रहे हैं कि इन प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिए जहां कहीं वे होती हैं, कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का एक स्थायी कोष होना चाहिए और एक ऐसी योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे इस कोष में से धन सदैव मिल सके चाहे इसमें केन्द्र का योगदान हो या राज्य का योगदान हो या कुछ अन्य तरीके का हो ताकि यह आवर्ती स्थायी कोष इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। हमें इन प्राकृतिक विपदाओं को प्रकृति के लाभों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। शुष्क जलवायु कुछ वस्तुओं के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है। इसलिए सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में जहां शुष्क जलवायु रहती है वहां हमे ऐसे उद्योगों का पता लगाना चाहिए जिन्हें आसानी से स्थापित किया जा सके या ऐसे लघु उद्योग जिन्हें आसानी से लगाया जा सके तथा जो प्रभावित ढंग से कार्यान्वित हो सकें। उदाहरण के लिए सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में मुर्गी पालन शुरू करना मुश्किल नहीं है। आखिरकार, मुर्गी पालन के लिए पानी या ऐसी ही किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। शुष्क जलवायु मुर्गी पालन में सहायता भी देगी। अतः हमें सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए और हमें ऐसे व्यावसायों, व्यापार तथा उद्योगों का पता लगाने के लिए अनुसन्धान भी करना चाहिए। जिसे इन सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में लाभकारी ढंग से लगाया जा सकता है।

सभी सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या मुख्य है। हमें मनुष्यों और साथ में पशुओं के लिए भी पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं। भूमितल पानी को उपयोग में लाने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश भूमितल पानी नीचे जा रहा है। अतः हमें कुछ और उपायों को ढूंढना होगा जिससे कि इस भूमितल के पानी को उपयोग में ला सकें।

आई० सी० आर० आई०, एस० ए० टी० यह जानने की कोशिश कर रहा है कि वे शुष्क फसलें कौन सी हैं जिनकी इन सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में लाभकारी ढंग से जोताई की जा सके। सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में ली जाने वाली शुष्क फसलों में इस अनुसंधान को और गहन किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी नई फसलें पाई गई हैं जो मामूली वर्षा में भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। वास्तव में वनरोपण को लेना चाहिए। मामूली वर्षा से कुछ प्रकार के जंगल हो जाते हैं। वे सूखे को सहन कर सकते हैं तथा फिर भी फल देते हैं। इस प्रकार के वन विज्ञान के वैज्ञानिक पहलुओं की भी जांच करनी चाहिए ताकि हम इस सूखे का मुकाबला कर सकें।

बाढ़ के बारे में मेरे अनुसार वे कई समस्याओं को पैदा करेगी। इनमें से एक समस्या एक बार वही पीने के पानी की है। "पानी, पानी हर जगह पानी है लेकिन पीने का पानी कहीं नहीं है" ऐसी स्थिति वहां हो जाएगी जहां बाढ़ एक विशेष क्षेत्र को प्रभावित करती है। मेरे अनुसार बाढ़ प्राकृतिक विपदा नहीं है बल्कि उन्हें वरदान बनाया जा सकता है बशर्ते हम भारी वर्षा का इस्तेमाल करने की तकनीक जानते हों। हमें ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा जहां प्रायः बाढ़ आती है और हमें इन बाढ़ों

[श्री ई० अय्यापु रेड्डी]

को उन क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में ले जाने के तरीकों को ढूंढ निकालने होंगे जहां सूखा पड़ता रहता हो। इस बाढ़ के पानी को जमा करने के लिए कई संतुलनकारी जलाशयों की आवश्यकता है जिससे कि उस पानी को सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में ले जा सकें या वहां ले जा सकें जहां सिंचाई सुविधाओं की कमी है। महोदय मैं निवेदन करता हूं कि इस पहलू पर पर्याप्त अनुसंधान नहीं किए गए हैं। उदाहरणार्थ हम हर वर्ष सुनते हैं कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई है, गंगा में बाढ़ आई है और पानी किनारों से ऊपर बह रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ब्रह्मपुत्र को अन्य क्षेत्रों में भी मोड़ा नहीं जा सकता और भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए जीवन को बचाने में पानी के साधनों को देने के लिए बाढ़ को बदला नहीं जा सकता।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्री रेड्डी, क्या आपने कभी ब्रह्मपुत्र नदी देखी है?

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : जी नहीं, इसलिए मैं चकित हो रहा हूं कि इसे अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं मोड़ा जा सकता है।

श्री बूटा सिंह : यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ सकते हैं तो हम वर्षा को बन्द कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि हम यह करने की कोशिश करें तो हम ही मुड़ जाएंगे।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : आखिर में महोदय, चक्रवात। महोदय, आन्ध्र प्रदेश में 6000 किलो-मीटर का वह क्षेत्र है जो चक्रवात के अन्तर्गत है और हम विनाशक चक्रवात का सामना कर रहे हैं। वास्तव में, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि विद्युत और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तटी क्षेत्रों में पवन चक्कियों की स्थापना की जाए। यह वह क्षेत्र है जहां वायु को ऊर्जा में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र पाया जाता है। सभी तट क्षेत्रों को पवनचक्कियों में ऊर्जा स्रोत को बदलने के लिए बदला जा सकता है। बशर्ते हमारे पास प्रौद्योगिकीय संसाधनों के साथ-साथ उसे करने के लिए उपकरण हों। महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये का एक स्थायी कोष स्थापित करना चाहिए। धन्यवाद

सभापति महोदय (प्रो० पी० जे० कुरियन) : कई लोगों को बोलना है। आपको केवल पांच मिनट दिए जाते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति के लिए धन्यवाद। एक बार फिर यह देश विनाशक बाढ़ और मूसलाधार वर्षा में फंस गया है। कई व्यक्ति मर गए हैं। यह कहा गया है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 55 से अधिक जानें गईं। केवल केरल में 102 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यह नवीनतम रिपोर्ट है जिसे हमने प्राप्त किया है और अभी भी हम इस तबाही से सम्भल नहीं पाए हैं।

महोदय, बड़े दुःख की बात है कि छः पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम बाढ़ों पर नियंत्रण करने में सफल नहीं हुए हैं। प्रत्येक योजना में बाढ़ को नियन्त्रण करने के लिए बड़ी रकम रखी जाती है। लेकिन यह देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष के बाद बाढ़ों तथा प्राकृतिक विपदाओं के कारण विनाश और क्षति बढ़ती गई हैं। महोदय, 1954 में बनाई गई बाढ़ों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में बाढ़ों से बचने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया था। उन्होंने कहा था कि 12 वर्षों की अवधि के भीतर हम इस विनाश को रोक सकेंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश पिछले 12 वर्षों के दौरान इसकी विनाशी प्रभावों में केवल वृद्धि हुई है। महोदय, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1956 में बाढ़ के कारण 523 करोड़ रुपये की हानि हुई; जबकि यह पिछले वर्ष में 2459 करोड़ रुपये बढ़ गई। इससे पता चलता है कि बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष हानि बढ़ रही है। अब जब कभी बाढ़ें या प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो हम कुछ राहत कार्य, कुछ तदर्थ या अन्तरिम सहायता के बारे में सोचते हैं। हमारे पास वास्तव में कोई स्थायी उपाय नहीं है जिससे कि हम बाढ़ों को नियन्त्रित कर सकें। अतः मैं सुझाव देता हूं कि भारत सरकार को कुछ स्थायी मुख्य योजना के बारे में सोचना चाहिए जिससे बाढ़ों पर काबू पाया जा सके।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : बाढ़ नियन्त्रण आयोग बना हुआ है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आयोग है लेकिन कोई कारंवाई नहीं है। कुछ समय पहले भारत की सभी मुख्य नदियों को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का प्रस्ताव था। मैं जानता हूं कि यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। परन्तु विश्व बैंक से सहायता मिल सकती है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। हमें ऐसे उपायों को सोचना चाहिए जो बाढ़ों से होने वाले विनाश पर हमेशा के लिए काबू पा सकें। मुझे बहुत खुशी है कि इस समय जैसे ही प्राकृतिक विपदाएं हुई तथा जैसे ही समाचार मिला तो भारत सरकार ने तुरन्त कार्रवाई की। मेरे राज्य केरल के विषय में मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसे ही प्रधान मन्त्री जी को मामले से अवगत कराया गया, उन्होंने प्रधान मन्त्री राहत कोष से धन दिया और भारत सरकार ने तुरन्त 10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी तथा कुछ ही दिनों में और 15 करोड़ रुपये मेरे राज्य को मंजूर किए। केवल यही नहीं जैसा कि प्रो० थामस ने कहा कि माननीय मन्त्री श्री बूटा सिंह, श्री के० आर० नारायणन् ने हमारे राज्य का दौरा किया और भारत सरकार ने केरल राज्य के प्रति सभी प्रकार की सहानुभूति दिखाई। भारत सरकार की इस सहायता के लिए और केरल सरकार द्वारा समय पर की गई कारंवाई के बिना हानि बहुत अधिक हुई होती, विशेषकर जानें बहुत गई होतीं।

केरल राज्य की समस्याओं के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस राज्य में तीन तरह के क्षेत्र हैं। पहला पहाड़ी क्षेत्र, इसके बाद निम्न भूमि प्रदेश तथा समुद्री तट। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी क्षेत्रों में एक या अन्य तरह की विपदा आने की सम्भावना बनी रहती है। पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन आम बात है। मैं इडुक्की निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जो कि पहाड़ी क्षेत्र है और वहां कई बार भूस्खलन होता है जिससे 280 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा चार परिवार पूरी तरह से बह गए। इसके बाद निम्न भूमि प्रदेश है। इसके बाद समुद्री तट पर समुद्री कटाव होता है और यह समस्या अन्य राज्यों में नहीं होती है। (व्यवधान) यह बंगाल में होती है। मैं जानता हूं। यह आन्ध्र प्रदेश में होती है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में नहीं होती क्योंकि वहां समुद्र नहीं है। इन बाढ़ों

[प्रो० पी० जी० कुरियन]

और भूस्खलन के कारण 102 व्यक्ति मर गए। 78,000 व्यक्तियों को चोटें आई और 1900 गांव प्रभावित हुए। एल्लेपी राज्य में 4 लाख घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और 80,000 परिवार बेघर हो गए। यह बहुत ही विनाशक क्षति है जिसके लिए कम समय होने के कारण मैं विस्तार में नहीं जा सकता।

मैं केवल कृषि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वार्षिक फसलों को तथा बहुवर्षी फसलों जैसे काली मिर्च, केला, अदरक और अन्य फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है···

सभापति महोदय : कृपया इदुक्की के सम्बन्ध में बोलकर अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इदुक्की पर ही आ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अलप्पी आपका निर्वाचन क्षेत्र है। मैं इदुक्की के सम्बन्ध में ही कहूंगा।

नकदी फसलों के सम्बन्ध में, जो कि अधिकांश मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में होती है, मैं कहूंगा कि 5000 हैक्टेयर भूमि की काली मिर्च पूरी तरह नष्ट हो गई है, और अन्य 5000 हैक्टेयर भूमि भी अंशतः नष्ट हुई है। इलायची के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि 4500 हैक्टेयर भूमि पर उगाई गई इलायची पूर्णतः नष्ट हो गई है तथा अन्य 4000-5000 हैक्टेयर भूमि भी अंशतः नष्ट हुई है। इसी तरह रबड़, अदरक और अन्य नकदी फसलों को भी नुकसान हुआ है। अदरक के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। 4800 हैक्टेयर की अदरक की फसल को क्षति पहुंची है। केवल इदुक्की जिले में जहां नकदी फसलें उगाई जाती हैं, कुल 50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा। इस नुकसान का प्रभाव कई वर्षों तक रहेगा। यदि धान अथवा अन्य कुछ वार्षिक फसलों का नुकसान होता है, तो उसका प्रभाव केवल 1 वर्ष तक रहता है और 1 वर्ष के भीतर आप नुकसान पूरा कर सकते हैं। किन्तु रबड़ के मामले में, यदि रबड़ का पौधा नष्ट हो जाता है तो पुनः लगाए गए रबड़ के पौधे से सात वर्ष बाद कुछ लाभ होता है। यदि नारियल का पेड़ नष्ट हो जाता है तो इसमें भी सात-आठ वर्ष लग जाते हैं। अतः सात वर्ष की अवधि तक नुकसान रहेगा। इससे हमारे विदेशी मुद्रा के अर्जन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार को सहायता देते समय इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए।

अब मैं समुद्री कटाव पर आता हूं। यह विशेष रूप से कुछ ही राज्यों में होता है। रक्षा व्यय की तरह समुद्र कटाव पर व्यय भी राष्ट्रीय आधार पर किया जाना चाहिए।

महोदय, भारत सरकार कुछ मानदण्डों के अन्तर्गत प्राकृतिक विपदाओं के सम्बन्ध में राज्यों को सहायता दे रही है। उन मानदण्डों के अन्तर्गत 75% सहायता अनुदान के रूप में तथा 25% ऋण के रूप में दी जाती है। कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और इसलिए वे इन राहत कार्यों के लिए प्रयोग किए जा सकने योग्य धन नहीं जुटा सकते केरल एक ऐसा ही राज्य है। मैं यह कहना नहीं चाहता कि आठवें वित्त आयोग द्वारा केरल को आवंटित की जाने वाली धनराशि के मामले में भेदभाव किया गया है। मानदण्ड ऐसे हैं कि हमारी स्थिति अनुकूल नहीं है : अतः हमारे पास पर्याप्त

धन नहीं है जो कि हम राहत कार्यों के लिए जुटा सकें। अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह केरल और पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों को भी, जहां बाढ़ों और प्राकृतिक विपदाओं के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, शतप्रतिशत सहायता दें।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, आज हम देश में प्राकृतिक आपदाओं के कई उदाहरण देख सकते हैं। भारत के उत्तर और दक्षिण में बाढ़ें आई हैं और मध्य भारत में भारी सूखा पड़ा है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में भारी सूखा पड़ा है। वहां पानी और चारे की भारी कमी है। मैं इस सम्मानित सदन में इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि चारे की कमी के कारण उस क्षेत्र में 20% पशुओं की मृत्यु हो गई है और लोगों ने अपने पशुओं को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास अपने पशुओं के लिए न चारा है और न ही पानी।

माननीय, प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने सूखा राहत के लिए हमें कुछ धन देने की कृपा की है किन्तु उसके बावजूद हमारी राज्य सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को अतिरिक्त धनराशि दी जाए। हमारी राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों, विशेषकर गुजरात से कुछ चारा मंगवाया है लेकिन अब मुझे कहा गया है कि गुजरात सरकार ने अपने राज्य से चारा आयात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। ऐसी बातों के परिणाम स्पष्ट ही हैं। किसानों की हालत बहुत खराब है और इनमें से कुछ जिलों में मुख्यत: राजगढ़ और शाजापुर, जहां बहुत पशु होते हैं किसानों की रोजी रोटी भी छिन रही है। मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उन जिलों के किसानों को पशुओं की हानि के लिए कुछ मुआवजा देने पर विचार करें।

महोदय, इन जिलों में सूखा नियमित रूप से पड़ने लगा है। ये जिले रेगिस्तानी क्षेत्र का रूप धारण करने लगे हैं। वहां अत्यधिक भूमि कटाव हो रहा है। यद्यपि सूखा प्रणय क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी समय पहले 1963-64 में मध्य प्रदेश में 6 जिलों को चुना गया था। दुर्भाग्य से उन जिलों, जिन्हें सूखा प्रवण क्षेत्र के अन्तर्गत लिया गया था, को छोड़ दिया गया है और उन जिलों को जो सूखाग्रस्त नहीं थे, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है।

अत: मैं ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री श्री चंदूलाल चंद्राकर से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया पहले वाले जिलों, जिन्हें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाना था, विशेषकर राजगढ़ जिले को शामिल करने के बारे में विचार करें और देखें कि इन जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। वे वास्तव में सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं और उन जिलों में यह कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, भूमिगत पानी का स्तर और नीचे होने के कारण उन जिलों में पेय जल की कमी हो गई है और पेय जल की कमी के कारण, इन जिलों में पेय जल में मिनी-कृमि हो गए हैं जिनसे वहां के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। पेय जल में ये कृमि होते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 750 गांव मिनी-कृमि से प्रभावित हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इन कीटाणुओं को नष्ट करने और इस समस्या का समाधान करने के लिए न तो राज्य सरकार ने और न ही भारत सरकार ने कोई कार्यक्रम शुरू किया है।

[श्री दिग्विजय सिंह]

योजना आयोग और कृषि मंत्रालय को उन क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर ऊपर उठाने के लिए कोई योजना शुरू करनी होगी। निर्माण और आवास मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृत की थी और उन जिलों में हैंड-पम्प लगाए गए थे। लेकिन वे सूखे पड़े हैं क्योंकि जल का स्तर इतना नीचे हो गया है कि लोग भूमिगत पानी के स्तर से पानी प्राप्त नहीं कर सकते। मुझसे पहले के एक वक्ता ने गंगा-कावेरी नहरों को जोड़ने के बारे में जिक्र किया था। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि गंगा-कावेरी नहर की दस्तूर परियोजना बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे देश को प्राकृतिक विपदा का सामना करना पड़ता है अर्थात् कभी बहुत से क्षेत्रों में भारी सूखा पड़ जाता है अथवा देश के अन्य भागों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। जल संसाधनों के विकास के लिए कोई एकीकृत कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्ता (जम्मू) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ें आती हैं, जिनसे बहुत काफी नुकसान होता है। पिछले सत्र में शायद आपको याद होगा, इसी खुश्कसाली पर मेरा एक रैजोल्यूशन था, जिस पर काफी बहस हुई थी और शायद इस सैशन में भी बहस होगी। उस वक्त भी चूंकि बारिश नहीं हुई थी, बरफबारी नहीं हुई थी, बहुत से प्रान्त ऐसे थे जहां सूखा पड़ा था और उससे काफी नुकसान हुआ था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, काश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे ऐसे अनेक राज्य थे, जहां काफी नुकसान हुआ। इस वक्त मैं अपने हल्क-ए-इन्तखाब की बात कहना चाहता हू। सारी जम्मू-काश्मीर रियासत में पिछली बार बर्फबारी न होने से, बारिश न होने से काफी सूखा पड़ा, अभी तक वहां पर लोगों को रिलीफ नहीं मिला। वह जख्म अभी भरने ही नहीं पाया था कि अब बहुत ज्यादा बारिश होने से बाढ़ें आ गई हैं। बाकी प्रान्तों में भी काफी नुकसान हुआ है। पंजाब में भी हुआ और बिहार में भी हुआ बाकी दूसरे एरियाज में हुआ लेकिन जम्मू व काश्मीर में और खास तौर से जम्मू व काश्मीर के उस एरिया में, जो मेरा हल्का-ए-इन्तखाब है, दरिया चिनाब में बाढ़ आने से काफी नुकसान हुआ है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कम से कम 50 आदमी मर गए और 300,400 कुनबाजात जो थे, उनको बेघर होना पड़ा। इसी तरह से पंजाब में काफी नुकसान हुआ। मैं अजीम रहनुमान प्राइम मिनिस्टर साहब का मशकूर हूं कि पिछली बार जब सूखा पड़ा था, तो हमें 12 हजार टन की बजाए 4 हजार टन गल्ला महीने में ज्यादा मिलता रहा, जिससे हम दूरदराज पहाड़ी जगहों पर रहने वाले लोगों को गल्ला पहुंचा सके और फसल न होने की वजह से जो दिक्कत आ रही थी, उससे उनको राहत मिली, उनको सुविधा मिली।

अब आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं एक-दो सजेशन्स ही देना चाहता हूं। मेरा पहला सजेशन तो यह है कि वहां पर कोई न कोई टीम एक्सपर्ट्स की भेजनी चाहिए, जो वहां पर जाकर एसेस करे और सिर्फ यही एसेस न करे कि कितना नुकसान हुआ, अलबत्ता यह भी कहे कि आगे आने वाले वक्त में इसके लिए क्या किया जा सकता है। मुझे यह पता है कि कोई 5-7 साल पहले जब ऐसा

हुआ था वहां पर एक एक्सपर्ट गए थे, जिनका नाम मिस्टर उप्पल था। वे उस जगह पर गए जहां बाढ़ आती थी और उससे नुकसान होता था। उन्होंने उस जगह को इस तरह से काबू किया कि दोबारा उस जगह पर बाढ़ नहीं आई। मैं यह समझता हूं कि हमारी जो ब्यूरोक्रैटिक मशीनरी है, उनकी यह कमी है कि वे होम वर्क नहीं करते हैं और उसी वक्त वहां पहुंचते हैं जब कोई नुकसान हुआ हो या बाढ़ आ जाए। लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए और दूसरे एक्सपर्ट्स की टीम वहां भेजी जाए और ज्यादा फंड्स देने चाहिए ताकि आगे आने वाले वक्त में हम बच सकें।

एक बात आपकी इजाजत से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। अगर सूखा पड़ता है, तब भी गरीब आदमी मरता है और बाढ़ आती है, तब भी गरीब आदमी, जिसके पास झुग्गी-झोपड़ी है या कच्चा मकान है, वह मरता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त जब हमारे रहनुमान राजीव गांधी जी ने, जो हमारे मुहतर्म प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वह बात करके दिखा दी जो बिल्कुल गैर-मुमकिन थी और लोग यह कहते थे कि पंजाब का मसला कभी हल नहीं हो सकता। एक नामुमकिन चीज को उन्होंने मुमकिन करके दिखा दिया और अपनी बुर्दबारी और अपनी स्टेट्समैनशिप दिखाकर सारी दुनिया में हिन्दुस्तान का सिक्का जमा दिया और यह साबित कर दिया कि हिन्दुस्तान ही दुनिया को लीड कर सकता है, तो एक छोटी सी बात उन लोगों के लिए भी कर दी जाए जो बेघर हो जाते हैं, जो गरीब लोग हैं और झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं और हर साल दरिया के पानी से उनके घर बह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी कोई एरेंजमेंट किया जाए ताकि उनका यह मसला हल हो सके।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी जनता की कठिनाइयों के बारे में कुछ कहने का अवसर दिया।

मैं केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम का प्रतिनिधित्व करता हूं। केरल की विशेष भौगोलिक स्थिति है। इसके एक ओर 40 किलोमीटर लम्बा तटीय क्षेत्र है तथा पूर्व में करीब 20 किलोमीटर शियादरी पहाड़ी क्षेत्र है। इसके एक तरफ समुद्र है और दूसरी ओर पहाड़ी इलाका। इसके एक तरफ तो समुद्री कटाव होता है और दूसरी तरफ भू-स्खलन होता है वास्तव में लोग यहां बड़े धर्म-संकट में हैं। केरल राज्य में तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र के साथ-साथ सड़क है और कई लाख लोग इस सकरे क्षेत्र हैं, में जो करीब 50 से 200 फुट चौड़ा है, 1981 की जनगणना के अनुसार यह बताया गया है कि करीम-कुलम, जो इस सकरे तटीय क्षेत्र में एक स्थान है, इस देश का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है और आप उन अमानवीय दशाओं को समझ सकते हैं जिनमें वे लोग रहते हैं। मैं इन लोगों को होने वाली कठिनाइयों का विस्तार में बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के बारे में कुछ रचनात्मक प्रस्ताव देना चाहता हूं।

पहली बात तो यह कि चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार समुद्र के किनारे एक दीवार बनाई

[श्री ए० चार्ल्स]

जाए। इससे समुद्र द्वारा और भूमि के कटाव को रोक कर इन लोगों की सहायता की जा सकती है।

आवास भी एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिसका मुझसे पहले के किसी वक्ता ने जिक्र नहीं किया है। हाल ही में हुए समुद्री कटाव के कारण हजारों झोपड़ियां बह गई हैं तथा वहां की भूमि भी बह गई है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने घर और जगह दोनों से हाथ धोना पड़ा है। उन लोगों के पुनर्वास का एकमात्र उपाय यही है कि वहां बहुमंजिले मकान बनाए जाएं ताकि उनका स्थाई रूप से पुनर्वास किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय वे लोग शिविरों, राहत केन्द्रों, (स्कूल और एन्टीडिजास्टर सेंटर) में रहते हैं। लोगों को पेड़ों की तरह लगाया और हटाया नहीं जा सकता। उनका स्थायी रूप से पुनर्वास किया जाना होगा। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह देखें कि वहां कुछ बहुमंजिले फ्लैट बनाए जाएं।

एक अन्य मुद्दा इन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उनके पास जो कुछ था, सब नष्ट हो गया है। उनके घर बह गए हैं। मछुओं के जाल और नावें भी नष्ट हो गई हैं। नारियल जटा बनाने वालों का फूस और अन्य सामान बह गया है। अतः उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

अन्य मुख्य मुद्दा पेय जल की समस्या है। तटीय क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी है। इस तटीय क्षेत्र में पानी कुछ अन्य संसाधनों से लाना पड़ता है। अतः इस तटीय क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

लगभग सारे क्षेत्र में सड़कें टूट-फूट गई हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इन सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष प्रावधान किया जाए।

मुझे खेद है कि कम समय दिए जाने के कारण मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाया हूं। खैर, मैं सभापति महोदय का आभारी हूं। और मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने शुरू में ही बहुत कुछ किया है। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने सही समय पर समुचित कार्य किया है। मैं श्री बूटा सिंह जी का भी आभारी हूं जिन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा करने की कृपा की है। वहां के लोग विपदाओं का सामना कर रहे थे और वे बहुत दुःखी हैं। मुझे खुशी है कि उनकी इस यात्रा से उन लोगों में अपनापन और सुरक्षा की भावना आई है। मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह लोगों को पुनर्वास के लिए इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दें।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : हम यहां प्राकृतिक आपदाओं, जो कि बहुत गम्भीर समस्या है, के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। कभी हमें भयंकर बाढ़ों का सामना करना पड़ता है तो कभी भारी सूखे तथा अन्य विपदाओं का जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भू-स्खलन आदि का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है। ऐसी आपदाओं से लोगो के जान-माल को हानि पहुंचती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा विशेष-

कर हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ और तूफान से 1984 में कुल 1,651 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और 1983 में 2,460 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

नवम्बर 1984 में तूफान और भारी वर्षा से आंध्र प्रदेश के कई भाग प्रभावित हुए जिससे जान-माल का काफी नुकसान हुआ। महोदय, उसी दौरान वर्षा और बाढ़ के कारण तमिलनाडु के 16 जिले प्रभावित हुए थे।

4.00 म० प०

महोदय, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, राज्यों के कई भागों तथा अन्य स्थानों पर भयंकर बाढ़ें आईं जिनसे जान-माल का भारी नुकसान हुआ।

इसी प्रकार से कई राज्यों में सूखा पड़ने से जान-माल का बहुत नुकसान हुआ।

हिमाचल प्रदेश में हाल ही के वर्षों में सूखा पड़ने से 1980 से 9 फसलों को नुकसान हो रहा है। इससे लोगों की दशा दयनीय हो गई है। मुख्य रूप से किसे नुकसान हो रहा है? सीमांत, लघु और जनजातीय किसानों को ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहां सूखे से प्रति व्यक्ति लगभग 1500 रुपये का नुकसान हुआ है।

महोदय, उड़ीसा में भी पिछले दो दशकों से कालाहांडी जिले के ग्रामीण सूखे से बहुत प्रभावित हैं। पीड़ित और बेरोजगार लोग भूखे मर रहे हैं और उनमें से कुछ लोग पिछले 20 वर्षों से भोजन न मिलने के कारण अपने बच्चों को 30 रुपये से 50 रुपये में बेच रहे हैं और ऐसा बराबर हो रहा है। ऐसे दुःखी और दयनीय लोगों की लम्बी सूची रखी जा सकती है। महोदय, मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता। महोदय, इन सब उदाहरणों का उल्लेख करके ही उनकी सहायता नहीं की जा सकती। किंतु प्रश्न यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्षों के पश्चात् भी क्या हमारे देश के लोगों को ऐसी आपदाओं का सामना करते रहना पड़ेगा। मुझे कहना चाहिए कि हमने इसे रोकने की कोई वास्तविक योजना नहीं बनाई है। वह दोषपूर्ण योजना है। इसीलिए हमें प्रति वर्ष इतने सारे धन, जन और संपत्ति की हानि उठानी पड़ती है। महोदय, प्रकृति ने तो लोगों के कल्याणार्थ हमें बहुत-सी चीजें प्रदान की हैं, परन्तु हमारे भाग्य-विधाता उनका उपयोग करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। जब ऐसी आपदाएं आती हैं तो मुट्ठी भर कर्ता धर्ता लोग लोगों की कीमत पर भारी धन इकट्ठा कर लेते हैं। कोई राहत और पुनर्वास कार्य किया ही नहीं जाता है। न तो पर्याप्त धन आबंटित किया जाता है और न ही आबंटित धन का उचित वितरण हो पाता है। मेरा आरोप यही है।

हाल ही में, समाचार-पत्रों में बिहार के मिथिलांचल में राहत राशि के हड़पने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप का समाचार छपा है। महोदय, हम देखते हैं कि राहत कार्यों में लोगों का सहयोग कभी नहीं लिया जाता है, लेकिन महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। 1978 में जब पश्चिम

[श्री आनन्द पाठक]

बंगाल में अभूतपूर्व भयानक बाढ़ आई थी तो सारा राहत कार्य नये चुने गए पंचायत निकायों को सौंप दिया गया था और उन्होंने बचाव एवं राहत कार्य की प्रशंसनीय सेवा की जिसकी देश और विदेश में बड़ी प्रशंसा की गई थी। एक भी व्यक्ति को घर छोड़कर नहीं जाना पड़ा था और उन्हें भोजन, कपड़ा और आवास प्रदान किया गया था। महोदय, सभी पंचायत निकाय सक्रिय हो गए और उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य किया। इसीलिए मुझे कहना चाहिए कि उचित वैज्ञानिक योजना बननी चाहिए तथा इस योजना के कार्यान्वियन हेतु लोगों का सहयोग लेना चाहिए।

डा०के०जी० अदियोडी (कालीकट) : महोदय, मैं केरल और देश के अन्य भागों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए तीन घन्टे का समय प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। दुःख की इस घड़ी में केरल का दौरा करने और अपनी आंखों से सभी संभव क्षेत्रों अर्थात् इदुक्की तथा उन अन्य स्थानों को देखने जाने के लिए मैं श्री बूटासिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं। जहां समुद्र के किनारे रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है, जिन लोगों के घर नष्ट हो गए हैं और शरण गृहों में रहकर अपना राशन, चिकित्सा सहायता और ऐसी सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए बाढ़ें और प्राकृतिक विपदाएं कोई नई बातें नहीं हैं। हर साल हमें उनका सामना करना पड़ता है और उन्हें रोकने हेतु सभी संभव उपाय न करके, हम यों ही पीड़ितों को सहायता देने लगते हैं। निस्सन्देह, प्राकृतिक आपदाओं को रोकना सम्भव नहीं है, परन्तु हमें जो कुछ संभव है वह करने का प्रयास तो करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे साथ हैं।

प्राकृतिक विपदाओं के समय जरूरतमन्द लोगों की सहायता करने के लिए बहुत से मानदंड निर्धारित किये जाते हैं। सहायता देते समय जो कठोर मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं जैसे कि 75% खर्चा अनुदान के रूप में दिया जाए और 25% का भार राज्य को वहन करना पड़ेगा, वे इन दिनों में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हैं। विशेषकर केरल में भूमि की आकृति विचित्र है। हमारे यहां नीची भूमि है ऊंची भूमि है और समुद्री किनारा है। हमारे यहां समुद्र तल से 5,000 फुट ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं और हमें सदैव समुद्री तूफानों जैसी हवाओं का सामना करना पड़ता है। वहां पर तो घास भी पैदा नहीं होती है। भूमि की भूख के कारण लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए भूमि को खोदना पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप भूमि में कटाव पैदा हो जाता है और वह समुद्रों और नदियों में बहकर चली जाती है और नदियों के तल ऊंचे हो जाते हैं। जब पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है तो 5 या 6 घन्टे में पानी समुद्र में पहुंच जाता है। जल-विद्युत और सिंचाई हेतु बनाए गए कुछेक जलाशयों में जमा पानी के अतिरिक्त शेष पानी नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है।

केरल की गाथा यह है कि एक बार भगवान परशुराम समुद्र का प्रचण्ड रूप देखते हुए क्रुद्ध हो गए। उन्होंने भूमि प्राप्त करने के लिए अपना फरसा फेंका जो गहरे समुद्र में जा गिरा और इस प्रकार से उन्होंने समुद्र से लगभग 100 मील भूमि प्राप्त की। मेरे विचार से इस वर्ष समुद्र केरल में समुद्र के किनारे सभी दीवालों के प्रति बहुत निर्दयी रहा है। इस वर्ष तो हम अभूतपूर्व विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। लगभग 60 वर्ष पूर्व अर्थात् मलयालम सम्वत 90 में इस प्रकार की विनाशकारी बाढ़ आई थी।

सहायता का मानदण्ड ऐसा होना चाहिए कि केरल और अन्य स्थानों को 100% अनुदान दिया जाये। अभी भी पंजाब, असम और अन्य स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब तक हम यथा सम्भव इस विपत्ति को रोकने हेतु वैज्ञानिक उपाय नहीं करते हैं, तब तक हम प्रति वर्ष ऐसा होने से रोक नहीं सकेंगे।

मेरा यह निवेदन है कि हमें बाढ़ों से बचने हेतु नदियों के मुहानों से गाद निकलवा देनी चाहिए और युद्ध-स्तर पर समुद्र के किनारे दीवारें भी उन क्षेत्रों में बनवानी चाहिए जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग अल्लप्पी, एर्णाकुलम, माहे, तेलीचेरी, आदि जैसे समुद्र तट के समानान्तर बना हुआ है।

कासरगोडे से त्रिवेन्द्रम तक एक अन्तर्देशीय जलमार्ग भी है जो कि रेत मे पटा पड़ा है और उसमें जो कुछ भी जल है वह पूर्व की ओर बहता है और पश्चिम में समुद्र की ओर नहीं बहता है जिससे बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है।

अत: यह अनुभव किया जा रहा है कि भारी वर्षा और पानी भारी हानि पहुंचा रहे हैं। उन्हें कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और श्रम का भी वैज्ञानिक रूप से प्रबन्ध करना चाहिए, जिससे कि जनता के कमजोर वर्ग और मछुवारे तथा आदिवासी अपने भविष्य के लिए अधिकतम सहायता प्राप्त कर सकें।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : प्राकृतिक विपदाओं के एक अंश के रूप में बाढ़ों की पुनरावृत्ति से यह सभा भली-भांति परिचित है और इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। इस वर्ष हुआ यह है कि अभूतपूर्व सूखे के बाद अभूतपूर्व बाढ़ें आई हैं। जब 19 जुलाई को भारी वर्षा आरम्भ हुई तो, मैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में था और कुछ ही घण्टों में पंजाब की होशियारपुर-जालन्धर सड़क पर और हिमाचल प्रदेश के उस सीमावर्ती भाग में बाढ़ आ गई। परिणामस्वरूप कई लोग मर गए और जब हम सड़क से आ रहे थे तो हमने सड़क पर मरे पड़े हुए पशुओं को देखा। होशियारपुर से जालन्धर तक केवल 38 किलोमीटर की ही दूरी है और सड़क काफी ऊंची है तथा यहां बाढ़ का कोई मतलब ही नहीं है, परन्तु उस स्थिति से उस बात की कल्पना की जा सकती है कि सड़क के आठ जगहों पर पानी बहुत तेजी से बह रहा था जो कि 6-8 फुट तक गहरा था और सभी यातायात ठप्प पड़ गया था। पुल का एक भाग बह गया था और एक सड़क भी बह गई थी तथा लगभग छ: व्यक्तियों की जानें चली गई थीं, जबकि उपायुक्त अभी स्थिति का जायजा ले रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही का कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह ने हवाई सर्वेक्षण किया। उन्हें ऊना जिले की स्थिति पर भी दृष्टिपात करना चाहिए था। अत: जबकि यह बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने तुरन्त ही पंजाब को दस करोड़ रुपये की सहायता भिजवाई। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह हिमाचल प्रदेश सरकार को भी तुरन्त सहायता भिजवाएं और हिमाचल प्रदेश के लिए 5 करोड़ रुपये और स्वीकृत करें जिससे कि विभिन्न निर्माण कार्यों को तुरन्त शुरू किया जा सके। यदि वर्षा जारी रही तो नुकसान और भी हो सकता है, और भी सड़कें टूट सकती हैं, यहां तक कि पठानकोट और जालन्धर के बीच की रेलवे लाइन कट गई है और रेल यातायात अमृतसर से हो रहा है। अत:, जालन्धर के लोगों ने मुझे बताया कि 1955 से लेकर इस बार रिकार्ड वर्षा हुई है और 12 घंटे में उस क्षेत्र में 88 मि० मि० रिकार्ड की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक नहर कट गई जिससे हिमा-

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

चल प्रदेश के कुछ भाग और ऊना जिले के अतिरिक्त दो या तीन जिलों— कपूरथला, होशियारपुर और जालन्धर में बाढ़ आ गई।

इस अवसर पर अधिक महत्त्व इस बात का है कि भारत सरकार को एक स्थायी तन्त्र बनाना चाहिए। बाढ़ें बार-बार आ रही हैं और सूखा भी हर साल पड़ रहा है। अतः, हम आवश्यकता क्यों अनुभव करें और क्यों हम दिल्ली से किसी दल के जाने की प्रतीक्षा करें ? कभी-कभी एक दल गठित किया जाता है और इसमें समय लगता है तथा अधिकारियों के अपने कार्यक्रम होते हैं। अतः, प्रायः किसी दल को उस स्थल पर पहुंचने में कई-कई सप्ताह और कई-कई महीने का समय लग जाता है।

आपका राज्य सरकारों से इतना अधिक सम्पर्क रहता है। आपके यहां अनेक अधिकारी हैं जो डाक-तार, रेलवे, परिवहन और बहुत सी बातों से अपनी गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं। आप प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक स्थायी कार्यालय स्थापित क्यों नहीं कर देते हैं जिससे कि प्राकृतिक आपदा के आते ही राहत के लिए और राहत की परियोजना पर तुरन्त कार्यवाही की जा सके। मैं मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह कोई ऐसा तन्त्र बनाएं जिससे कि प्रत्येक उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट के पास कुछ धन रहे जिससे कि वह तुरन्त राहत भेज सके। कभी-कभी कोई बांध रातोंरात बनाना पड़ता है। यदि राज्य सरकार से या केन्द्र सरकार से धन लेना हो तो इसमें लम्बा समय लगेगा। इसलिए मैं सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं—चाहे सूखा हो या बाढ़—की सहायता के लिए एक स्थायी तन्त्र के लिए निवेदन करता हूं। जिला स्तर पर कुछ प्रावधान तो होना ही चाहिए जिससे कि अविलम्ब प्रबन्ध किया जा सके और इसी प्रकार की अन्य बातें भी की जा सकें। कुछ सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, हर जिला स्तर पर कुछ अन्य चीजों की व्यवस्था की जा सकती है। जिससे कि उनका उपयोग किया जा सके और उन्हें सेना या किसी अन्य अभिकरण की उनके सहायतार्थ आने की प्रतीक्षा न करनी पड़े।

4.15 म० प०

[श्री एम० वेंकटरामन पीठासीन हुए]

महोदय, एक और भी विचार नोट करने लायक है कि हमारे यहां एक बड़ा आयोग या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, जिसने एक बड़ा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु जैसे ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाते हैं उन्हें भुला दिया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तुरन्त आवश्यकता किसी आयोग, किसी समिति की नहीं होती, केवल तुरन्त कार्यवाही ही लोगों की सहायता कर सकती है। मैं संकट की इस घड़ी में, निवेदन करूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरन्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए तथा सर्वाधिक प्रभावित जिलों को आवश्यक धन तुरन्त प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि उन सड़कों को बनाया जा सके जो बह गई हैं, उन पुलों को फिर से बनाया सके जिन्हें प्राकृतिक आपदा ने नष्ट कर दिया था तथा आवश्यक धन और अन्य सुविधाएं जुटाई जा सकें।

महोदय, चाहे सुदूर दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, आपदा तो आपदा ही है। किन्तु सरकार को सहायता और धन लेकर आगे आना चाहिए। हम कह सकते हैं कि जबकि बाढ़ें तो लोगों के लिए विपदा लेकर आई हैं परन्तु यदि कोई स्थायी तन्त्र इस समस्या के लिए बनाया जा सके कुछ भला भी किया जा सकता है जिससे कि भविष्य में मानव जीवन बचाया जा सके और प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं वह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की तुरन्त ही राहत और बचाव कार्य में सहायता करें क्योंकि उसे धन की बहुत ही आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द को कहा था पाटलीपुत्र के बारे में, जिसे अब पटना कहते हैं कि इस शहर को बाढ़ और आग तथा आपसी फूट ही घेरे रहेगी……

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : ये तीनों चीजें वहां अभी भी मौजूद हैं…

डा० गौरी शंकर राजहंस : जो बात पटना के लिए सही है, वही बात सारे बिहार के लिए सही है। आग और आपसी फूट की बात तो मैं नहीं जानता हूं, गफूर साहब जानते हैं, बाढ़ की बात मैं जानता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : इन्हीं के अखबार में सब छपता है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : हुजूर जो आप कहते हैं, वही अखबार में निकलता है।

आजादी के 38 साल के बाद भी आज बिहार उसी तरह से बाढ़ से पीड़ित है जैसे पहले था। एक मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि मैं आपको एक रेडियो न्यूज सुनाता हूं। आप बता नहीं सकेंगे कि ये जुलाई-अगस्त, 1 47 की है, 1950 की है, 1965 की है, 1970 की है या। 1982 की है या 1984 की है ? जिसमें आप सुनेंगे कि बिहार भारी बाढ़ से घिर गया है और हजारों लोग बेघर-बार हो गए हैं। चूंकि अब बिहार की बात है, महोदय, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब जाड़ा होता है, तो जाड़े के कारण देश में यदि कहीं लोग मरते हैं, तो वह बिहार है। गर्मी जब हो और गर्मी के कारण देश में जब लोग मरते हैं, तो वह स्थान बिहार है और जब बाढ़ आए और बाढ़ के कारण देश में जब लोग मरते हैं, तो वह स्थान भी बिहार ही है। नैचुरल कैलेमिटीज तो हैं ही लेकिन उससे ज्यादा मैन मेड कैलेमिटी है। करोड़ों अरबों रुपया आजादी के बाद बिहार के बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर खर्च किया जा चुका है। लेकिन यह रुपया कहां गया, यह सभी को पता है। कहने का अर्थ है कि बाढ़ से बिहार तबाह है, चाहे कोसी की बाढ़ हो, कमला, गंडक, बागमती या महानदी की बाढ़ हो।

बाढ़ की क्या स्थिति है ? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के जितने एम० पीज० हैं, उनको यदि अपने-अपने क्षेत्र से वीडियो टेप करके लाने का और यहां दिखाने का मौका मिले

[डा० गौरीशंकर राज हंस]

तो आपकी आंखें खुल जायें कि आप किस प्रकार के हिन्दुस्तान में रहते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है ।

साल में 4 से 6 महीने जिस देश के लोग पेड़ों पर या नाव पर बिताते हों, वहां सभ्यता नाम की चीज नहीं है, उनकी कौन सी गलती है कि वह हर साल बाढ़ से पीड़ित हों? आपने इतना रुपया खर्च किया, वह रुपया कहां गया, कभी इसका पता लगाने का आपने प्रयास किया, कोशिश की ?

बाढ़-पीड़ित लोग तबाह हो जाते हैं, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, मलेरिया, कालाजार, कौलरा फैल जाता है। लोग कहते थे कि यह पहले जनक की मिथिला थी, आज कहते हैं कि यह नरक की मिथिला है।

नेपाल से पानी गिरता है, उसे कोई देखने वाला, बांधने वाला या रोकने वाला नहीं है। सैकड़ों लोग बह जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं, फसल खत्म हो जाती है, लोग तबाह हो जाते हैं, यह बिहार की हालत है।

आज 6 लाख लोग उत्तरी बिहार से तबाह होकर दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद और आस-पास के क्षेत्रों में आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो घरों के अच्छे थे, लेकिन साल-दर-साल बाढ़ से उनकी हालत खराब होती गई, वह गरीब से गरीब और बद से बदतर हालत में आ गए। लोग और जगहों पर गरीबी की रेखा से उठते होंगे। लेकिन उत्तरी बिहार में, मिथिला में लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं। इसका सबूत आपके ये मजदूर हैं जिन्हें आप पूर्वी भइया या बिहारी कहते हैं, जिनको देखकर आप हंसते हैं। वह सारे लोग लाचार होकर यहां आए हैं, कोई शौक से नहीं आया है।

ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि बिहार में बाढ़ का कोई परमानेन्ट सोल्यूशन हो। हर साल लोग बाढ़ से पीड़ित हों और मरें, बीमारी से पीड़ित हों और तबाह हो जायें, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिहार का, खासकर उत्तरी बिहार का दुर्भाग्य है कि हर साल वहां लोग तबाह होते हैं और हर साल एक ही बात दोहराई जाती है। थोड़ी बहुत सेंटर से सहायता दी जाती है और थोड़ी बहुत स्टेट सहायता देती है, लेकिन कोई परमानेन्ट सोल्यूशन नही हैं, समाधान नहीं है।

पंडित नेहरू ने अपने समय में कोसी के प्रोजेक्ट को तैयार कराया था श्री ललित नारायण मिश्र के कहने पर, लेकिन अब कोई ऐसा कहने को तैयार नहीं है। क्या कमला, गंडक पर बांध नहीं बन सकता, बागमती और महानन्दा का समाधान नहीं हो सकता ? सारी बीमारी और सारी तकलीफों के लिए क्या उत्तरी बिहार के लोग बचे हैं ?

उत्तरी बिहार की ही बात नहीं, अभी आप गंगा का लेवल भी देखें, वह इतना अधिक ऊंचा उठ जाएगा कि भागलपुर आदि के लोग भी तबाह हो जाएंगे। चाहे दक्षिणी बिहार हो या उत्तरी बिहार हो, वहां की हालत बहुत खराब है और समय रहते इस हालत को सुधारना चाहिए।

[अनुवाद]

* श्री ए० सी० षण्मुगम (वेल्लोर) : सभापति महोदय, मुझे आवर्ती प्राकृतिक आपदाओं के

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

बारे में और मेरे मित्र श्री थामस द्वारा पेश किए गए संकल्प के समर्थन में कुछ शब्द बोलने का जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रकृति का प्रकोप हमारे देश के अनेक भागों पर हुआ है जैसा कि केरल के माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि विनाशकारी बाढ़ों से लगभग 146 लाख लोग पीड़ित हुए हैं और सहस्रों मकान बह गये हैं। केरल राज्य सरकार ने 700 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार हो सकता है 700 करोड़ रुपये की सहायता न दे सके, परन्तु केरल राज्य को कम से कम 400 करोड़ रुपये की सहायता तो दी ही जानी चाहिए जिससे वह बाढ़ राहत कार्य कर सके। दक्षिणी राज्यों की ओर से मैं मांग करता हूं कि400 करोड़ रुपये की राशि केरल राज्य को तुरन्त दी जानी चाहिए।

महोदय, आप सिंचाई मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों में बाढ़ की विनाश लीला के बारे में नीरस बातों को बार-बार देखेंगे बाढ़ों के कारण 800 करोड़ रुपये की औसतन वार्षिक हानि का अनुमान लगाया गया है। इस वर्ष अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण नुकसान 1800 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। श्री थामस और श्री रेड्डी ने बताया है कि बार-बार आने वाली बाढ़ों का कोई दीर्घकालीन हल ढूंढा जाना चाहिए। बार-बार आने वाली बाढ़ों के हल हेतु उन्होंने भावी योजना की आवश्यकता पर बल दिया है। वर्ष दर वर्ष हम इस सभा में देश में सूखे और बाढ़ के बारे में चर्चा करते हैं। मन्त्री भी यह आश्वासन देते रहते हैं कि बाढ़ की विनाशलीला और सूखे की स्थिति से बचने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं। परन्तु बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं राष्ट्रीय जीवन का अंग बनकर रह गई है। इस वर्ष हमने देखा है कि केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम के लोग भयानक बाढ़ों के कारण परेशान हो रहे हैं। जबकि उत्तर बाढ़ों से पीड़ित हैं, दक्षिणी राज्य सूखे से पीड़ित हैं। हमारे देश में यह एक आम बात बन गई है।

यह विचार किया गया है कि केवल 30% कृषि योग्य भूमि में ही सिंचाई सेवाएं उपलब्ध हैं और 70% कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर करती है। श्री रेड्डी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया है, कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा का जल समुद्र में बेकार चला जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम राष्ट्रीय जल संपत्ति को बरबाद कर रहे हैं। हमने सिंचाई के लिए उपलब्ध जल के उपयोग करने की कोई प्रभावी योजना तैयार नहीं की है मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य ने गंगा-कावेरी को जोड़ने की योजना का उल्लेख किया है जो कि उत्तर की आवर्ती बाढ़ों का स्थायी समाधान है दक्षिणी राज्यों के लोग दशकों से यही मांग करते चले आ रहे हैं कि इस योजना को आरम्भ किया जाए, क्योंकि इससे दोहरे लाभ होंगे—उत्तरी राज्य बाढ़ के विनाश से बचेंगे और दक्षिणी राज्यों को लगातार पड़ने वाले सूखे से छुटकारा पाने के लिए पानी मिल जायेगा। सहस्रों करोड़ रुपये के भारी निवेश के प्रश्न को इस योजना के कार्यान्वयन के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इस योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यह योजना ही राष्ट्र को प्राकृतिक विपदा से बचा सकती है।

हाल ही में बिहार और उड़ीसा में बाढ़ की चेतावनी दी गई थी। और हमने अब तक बारहमासी नदियों में से गाद नहीं निकाला है। यदि हम गाद और कीचड़ को निकाल कर नदियों को गहरा कर दे तो बाढ़ की विपत्ति को कम किया जा सकता है। मैं सुझाव देता हूं कि राष्ट्रीय नदियों से गाद

[श्री ए० सी० षण्मुगम]

निकालने की एक सुविचारित योजना बनानी चाहिए।

सिंचाई आयोग ने 1972 में अपने प्रतिवेदन में तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के कतिपय जिलों को बारहमासी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। उन्होंने उस सम्बन्ध में तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के कुछ तालुकों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यदि मदुरई, कोयम्बटूर, रामनाथपुरम और तिरुनेलवेल्ली जिलों को हरा-भरा बनाना है तो इसका एक मात्र हल यह पश्चिम की ओर बहने वाले पानी को, जो केरल में बाढ़ का प्रकोप फैलाते हुए अरब सागर में जाकर गिरता है और बेकार जाता है पूर्व की ओर मोड़ना है। सिंचाई आयोग ने इसका उल्लेख किया है। बाद में सिंचाई मन्त्रालय और योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति ने भी इसकी सिफारिश की है। मैं मांग करता हूं, कि तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के लोगों को जो साल भर सूखे से पीड़ित रहते हैं, राहत देने के लिए इस परियोजना को आरम्भ किया जाये।

महोदय, तमिलनाडु के एक मात्र बड़े बान्ध-मेटूर बांध को वर्ष में आठ महीने पानी मिलता है कावेरी नदी की सहायक नदियों पर कर्नाटक सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना से बाहर गैर योजना मद के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपये की लागत से बान्ध बनाये जाने के कारण कावेरी नदी की जल पूर्ति में कमी आई है। यदि कावेरी का जल नहीं दिया गया तो तमिलनाडु का अन्नभण्डार के नाम से जाना जाने वाला तंजावूर जिला शुष्क क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा मैं माननीय प्रधान मन्त्री और केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वे लम्बे समय से विचाराधीन कावेरी जल विवाद को हल करने में पहल करें। यदि इसमें और विलम्ब किया जाता है तो सारा तमिलनाडु रेगिस्तान बन जाएगा। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने विभिन्न अन्तर्राज्यीय जल विवादों का जिक्र किया है। जैसा कि हमारे अद्वितीय नेता डा० एम० जी० आर० बार-बार जोर देते रहे हैं, सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। उन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर दिया जाए। इस समय अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अन्य शब्दों में लोगों को पेय जल और सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया जाता है इसका नवीनतम उदाहरण कर्नाटक सरकार द्वारा तेलुगू गंगा परियोजना के क्रियान्वयन पर आपत्ति करना है। नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किए जाने के बाद ही ऐसी बाधाओं को दूर किया जा सकता है।

समाप्त करने से पूर्व केन्द्रीय मैं सरकार के काम करने के अस्पष्ट ढंग का उल्लेख करूंगा बाढ़ राहत के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अनुदान कहा जाता है जबकि सूखा राहत के लिए दी जाने वाली राशि को अग्रिम योजना राशि समझा जाता है। यह गलत है दोनों ही प्राकृतिक विपदाएं हैं और बाढ़ राहत और सूखा राहत के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। श्री रेड्डी ने प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखे के लिए विशेष रूप से 1000 करोड़ रुपये आबंटित करने की जरूरत पर जोर दिया है यदि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के आबंटन का एक प्रतिशत भी आबंटित करता है तो यह 800 करोड़ रुपये हो जाते हैं। बाढ़ से राहत पहुंचाने के लिए वित्तीय सहायता देने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मानवीय विपत्ति का प्रश्न है काश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी भाग बाढ़ या सूखे से प्रभावित हो उसे तत्काल केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। बाढ़ राहत कार्य करने के लिए राज्यों के पास राजस्व के सीमित स्रोतों की विवेचना करने

की आवश्यकता नहीं है इसके साथ-साथ दुखी लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ही निकटतम साधन है महोदय, इस प्रकार केन्द्र के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि वह बाढ़ या सूखा से ग्रस्त राज्यों को तत्काल सहायता पहुंचाए। केन्द्र को बाढ़ और सूखा ग्रस्त लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक ऐसी ही योजना बनानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अल्लेपी) : महोदय, यह अत्यन्त दुःख की बात है कि देश के कुछ राज्यों में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई है। केरल राज्य के अधिकांश भागों में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के कारण दो सप्ताह तक भारी वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप बाढ़, भूस्खलन और समुद्र-क्षरण हुआ है। उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम आदि में बाढ़ के कारण चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो गई और कई लोग मारे गये।

जहां तक केरल में बाढ़ की स्थिति का संबंध है मेरे मित्र श्री थामस ने इसकी गम्भीरता का सही चित्रण किया है। जैसा कि उन्होंने कहा है इससे 146 लाख लोग जो कि राज्य की आबादी का 52 प्रतिशत है, प्रभावित हुए हैं।

कुल 102 व्यक्ति मरे और 7,400 घायल हुए।

राज्य की सारी अर्थव्यवस्था कृषि और मत्स्यपालन को हुई भारी क्षति के कारण अस्त-व्यस्त हो गई है।

महोदय, मैं केरल सरकार द्वारा पीड़ित लोगों को खाद्यान्न, कपड़ा और चिकित्सा सुविधा तथा आश्रय देने जैसे राहत कार्य तत्काल करने के लिए उसको बधाई देता हूं। 1922 भोजन शिविर और राहत शिविर खोले गये। 120 लाख लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। सरकार के अनुसार कुल 743.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अल्लेपी राज्य में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 60,000 व्यक्ति भोजन शिविरों में ले जाये गये। और भी बहुत से व्यक्ति बेघर हो गये। वे अपने संबंधियों और मित्रों के घर रहने चले गये।

कुट्टानाड, जो केरल में सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है, पूर्णतया बाढ़ से प्रभावित है। जिससे धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। केवल कुट्टानाड में डेढ़ लाख एकड़ में फैले धान के खेत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह स्थिति का जायजा लेने केरल आये थे। उन्होंने कुट्टानाड का हवाई सर्वेक्षण किया और पानी से भरे क्षेत्र देखे। इससे पहले हमारे माननीय मंत्री श्री चन्द्राकर जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था और स्थान की विशिष्ट स्थिति का अध्ययन किया। सम्पूर्ण कुट्टानाड क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है और बांधों से रक्षित है। सभी बांध टूट गये हैं और सम्पूर्ण क्षेत्र पानी से भर गया है। हजारों लोग बांधों के ऊपर झोपड़ियां बना कर रह रहे हैं और वे सब बेघर हैं। भोजन केन्द्रों में या अपने मित्रों या सम्बन्धियों के घरों में रह रहे हैं।

इन निर्धन लोगों की स्थिति सामान्य समय में भी दयनीय थी। उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन]

उपलब्ध नहीं था। नदी के जिस पानी का शौचादि के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को पीने और नहाने के काम भी लाया जाता है। फसलों के संरक्षण के लिये इस्तेमाल किये गये कीटनाशक दवाइयां पानी में मिल जाती हैं और नदी में चली जाती है। उस क्षेत्र के लोगों की रहन-सहन की दशा इतनी दयनीय है कि वहां का दौरा करने वाले केंद्रीय दल के सदस्यों को भी उनकी स्थिति देखकर भारी अचम्भा हुआ। यहां तक कि चन्द्राकर जी भी यह देखकर हैरान हो गये कि ये लोग इतनी दयनीय दशा में कैसे रहते हैं।

श्री बूटा सिंह : वे पानी नहीं पीते हैं वे वहीं पर निकाली गयी ताड़ी (अर्क) पीते हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, राज्य सरकार ने कुट्टानाड के बाहरी बांध को पक्का करने और ऊंचा उठाने के लिए 25 करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुरोध किया था। मेरा यह निवेदन है कि प्रकृति से सदा संघर्ष करने वाले इन निर्धन किसानों को बचाने के लिए इस राशि को स्वीकृत किया जाए क्योंकि यह सारा क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है।

अकेले कुट्टानाड में 40,000 से अधिक लोगों को भोजन केन्द्रों में ले जाया गया। अब सब उस क्षेत्र के विकास की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। कुट्टानाड के लोग इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए एक लम्बे समय से कुट्टानाड विकास प्राधिकरण की स्थापना की मांग कर रहे हैं। अब मुझे पता चला है कि केरल सरकार इस संबंध में कुछ कदम उठाने के लिए तैयार है। मैं केन्द्र सरकार से भी इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

मेरे राज्य में पूर्व में पर्वत है जहां लोग भू-स्खलन से मारे जाते हैं और पश्चिम में समुद्र है जहां समुद्र क्षरण इतना भयंकर होता है कि लोग बेघर हो जाते हैं। उनकी सम्पत्ति और नारियल के पेड़ सब समुद्र में समा जाते हैं। समुद्र और पहाड़ियों के बीच भयंकर बाढ़ तबाही लाती है। जहां तक मेरा संबंध है मेरा आधा निर्वाचन क्षेत्र पानी से भरा पड़ा है।

यदि हम इन निर्धन लोगों का उचित ढंग से पुनर्वास चाहते हैं तो उसके लिये हमें केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी और वह भी तत्काल तथा काफी बड़ी मात्रा में।

तत्काल हमारे बचाव हेतु आगे तथा राहत कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिये मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। परन्तु यह राशि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए बहुत कम है।

अन्त में मैं केन्द्र सरकार से केरल के संसद सदस्यों तथा अपने राज्य के लोगों की ओर से ऐसे समय में बड़े पैमाने पर सहायता करने का अनुरोध करता हूं जबकि हम वास्तव में अभूतपूर्व बाढ़, भूस्खलन और समुद्र-क्षरण के कारण विवश हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में बाढ़ और सूखा हर समय खड़ी रहती है और वह क्षेत्र है उत्तरी बिहार। जहां पर हर साल बाढ़ के साथ प्राकृतिक विपदायें

भी आती रहती हैं, जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ और सूखा। इनका काल चक्र वहां पर हर समय चलता रहता है। वहां की जनता को धन्यवाद देना चाहिए, जो कि हर साल इतने बड़े कष्ट को भुगत करके भी वहां पर रह रहे हैं।

सभापति महोदय, आपको पता होगा कि उत्तर बिहार में बाढ़ एक साल नहीं हर साल वहां की जनता के लिये स्थायी कष्ट बन गई है। इसका असर यह होता है कि हमारे उद्योग, कृषि व आवागमन की क्षति होती है। मानव के लिये तीन तरह के कष्ट होते हैं—उदर कष्ट, व्याधी-कष्ट और गृह कष्ट। गरीब जनता के घर टूट जाते हैं, खड़ी फसल बह जाती है और वे लोग भूखों मरने लग जाते हैं। बाढ़ के बाद भयंकर भयंकर बीमारियों का वहां की जनता को शिकार होना पड़ता है। जान व माल के नुकसान के साथ-साथ जानवरों से भी हाथ धोना पड़ता है। इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। सरकार इन विपदाओं पर नियंत्रण करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकल पाता है। अभी हाल में मेरे ही प्रश्न के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि अरबों रुपए का अनुदान दिया गया है और इसके लिए चार-पांच स्कीमें भी हैं। यदि वे स्कीमें पूरी हो जाती हैं, तो निश्चय ही मानव जो कि प्राकृतिक प्रकोप के शिकार होते हैं, उससे सुरक्षित हो जायेंगे, लेकिन अधिकारियों द्वारा वहां की जनता के साथ मखौल हो रहा है। किसी के लिए बाढ़ और किन्हीं के लिए बहार। एक तरफ जनता बाढ़ में डूबी जाती है और दूसरी तरफ अधिकारियों के बड़े-बड़े महल बनते हैं और रिलीफ लेकर उनको ठगा जाता है। रिलीफ के नाम पर सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। रिलीफ वहां की जनता को नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीफ वहां तक नहीं पहुंच पाता है। रिलीफ अब जनता के लिए नही रहे, रिलीफ हो गए हैं वहां के अधिकारियों के लिए। इन स्कीमों के तहत जो बांध बन्धता है, वह सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। बांधों को बांधते हुए कहीं बीच में ही ले जाकर छोड़ दिया जाता है। उसको जहां तक ले जाना चाहिए, वहां तक नहीं ले जाया जाता है। कमला-बलान बांध को कोठराम तक छोड़ दिया गया है, जिसको कि फुहुया तक ले जाना चाहिए था। लेकिन उसको बीच में ही छोड़ दिया गया है। पिछले साल आपने सुना होगा कि पूर्वी कोसी तटबन्ध टूट गया था और इसकी वजह से एक रात में हजारों घर बह गये थे। कितने ही लोगों की जान-व-माल का वहां नुकसान हुआ, इन्जीनियर्स लोग भी वहां पर गए और सरकार की तरफ से भी आदेश जाता है कि जहां-जहां तटबन्ध टूटे हुए हैं, उनको सुखाड़ के समय में ही मरम्मत हो जाना चाहिए। धन एलॉट कर दिया जाता है, टेंडर ठेकेदार लोग लेकर बैठ जाते हैं और बाढ़ के समय में ही उनको बांधने के लिए आते हैं। प्रवाहित धारा जहां बह रही हो, उस वक्त बांध बांधने के लिए जाना जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर ही है। उनको सुखाड़ के समय में ही बांध बांधना चाहिए, जबकि वहां पर मिट्टी उपलब्ध होती है। भगवानपुर बन्ध टूटा हुआ है, रजवाड़ा बन्ध टूटा हुआ है, कमला-बलान बन्ध टूटा हुआ है और बन्ध कई जगहों पर कमजोर भी है, उसकी मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया दिया जाता है, लेकिन उसका सही रूप में प्रयोग न करके जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि इन बातों पर नियंत्रण रखा जाए तो इसका परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है।

वहां मजबूत बांध दोनों तरफ बनाया जाय, बाढ़ एरिया को सुखाड़ एरिया से कनेक्ट किया जाय नहर का पानी सुखाड़ एरिया में जाय, तब वहां सुखाड़ की प्राबलम नहीं रहेगी। हमारे यहां

[श्री राम भगत पासवान]

जितनी भयंकर बाढ़ है उतनी ही भयंकर सूखाड़ है। इस समय हमारे यहां समुद्र बना हुआ है, बाढ़ के पानी से त्राही मची हुई है। यह प्राकृतिक का प्रकोप है। जितने पानी की हमको आवश्यकता है प्रकृति उस पानी का सौ गुना पानी हमको दे रही है, फिर भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। उत्तर बिहार की जनता की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वहां पर किसान खेती करना छोड़ चुके हैं। कुशेशर स्थान, सिंघिया, बिरउल, घनश्यामपुर, सभी स्थानों पर समुद्र का दृश्य उपस्थित है।

बहाव के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए थी लेकिन वह भी नहीं की गई है। जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहां पानी की निकासी की व्यवस्था की जा सकती थी। मुकामा, कुशेशर स्थान का इलाका उस पानी को गंगा में प्रवाहित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है कि कमला-बालन बांध, गण्डक, कमला, बागमती योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराइये जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके। प्रकृति के इस प्रकोप से हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है। हजारों घर बरबाद हो जाते हैं। घरों की बात को जाने दीजिये, हजारों गांव बरबाद हो रहे हैं। अन्दाजा है कि 20 करोड़ रुपये की क्षति तो अकेले उत्तर बिहार में हो चुकी है। इसलिए इनका कोई परमानेन्ट साल्यूशन निकालिए, रिलीफ देकर जनता को मत ठगिये, रिलीफ से तो अफसरों का रिलीफ हो रहा है। आप जितना धन देते हैं, आप उसको देखिये कि उसमें से कितना खर्च हुआ है, जनता को कितना फायदा हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त कीजिये।

सूखाड़ इतनी बड़ी विपत्ति है जिसकी चपेट में हर साल हजारों एकड़ जमीन आ जाती है। आप वहां पर लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन ऐसा न करके स्टेट ट्यूबवेल देते हैं। मैं स्टेट ट्यूबवेल का विरोध नहीं कर रहा हूं, वह भी जरूरी है। लेकिन वहां पर नाले नहीं हैं और सब कुछ वैसे ही बेकार पड़ा हुआ है। इसलिए स्टेट ट्यूबवेल भी होने चाहिये, नाले भी होने चाहिये और लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिये। एक मील, डेढ़ मील, पर नदी बह रही है, यदि सरकार चाहती तो यह श्राप न बनकर आशीर्वाद हो सकती थी। वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है, लेकिन आज श्रापमय बनी हुई है। आप चाहते तो वह आशीर्वाद बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप बिहार को बहुत धनराशि देते हैं, लेकिन उसका जो उपयोग होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे कि परमानेंट सोल्यूशन कीजिये। कमलाबलान बांध तटबन्ध को बढ़ाइए, गण्डक योजना को पूरा कीजिये और ऐसा बांध बंधाइये जो मजबूत हो और टूट न पाये। वहां के अधिकारी और इन्जीनियर्स कहते हैं कि बांध की मरम्मत कर दी है, इसलिए सब पैसा उसमें खर्च हो गया है। हम काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वे लोग कुछ करना नहीं चाहते खुले आम वहां का स्टाफ जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मैं आशा करता हूं कि आप इस तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि आपके दिये हुये धन का लाभ जनता तक पहुंचे, धरातल तक पहुंचे।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकारा) : सभापति महोदय, सातवें वित्त आयोग ने कहा है कि यदि किसी राज्य में आई विपत्ति अत्यन्त उग्र है तो केन्द्र सरकार को 100 प्रतिशत मुआवजा देना चाहिए।

जहां तक केरल की हाल ही की बाढ़ का सम्बन्ध है, इसे अत्यन्त उग्र समझा जाना चाहिये और शत प्रतिशत मुआवजा दिया जाना चाहिये।

मैं माननीय कृषि मन्त्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे राज्य का दौरा किया। और यदि आप शत प्रतिशत मुआवजा दें तो मैं दोहरा धन्यवाद दूंगा।

केरल की विशिष्ट जलवायु है। मैं अप्रैल में जब वहां था तब सूखे की स्थिति थी। मैंने लोगों को पेय जल के लिए प्रदर्शन करते हुए देखा और आयुक्त या केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा भी किया था जो इस समय बाढ़ और सूखे से अत्यन्त प्रभावित है। परन्तु जब अधिकारी वहां आये उस समय वर्षा हो रही थी। वे सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन बाद वहां आये। वहां मई के प्रारम्भ में बाढ़ आती है जब कि अप्रैल के अन्त तक भयंकर सूखा होता है ? मई और जून तक भयंकर बाढ़ आ जाती है। वे अचानक एक के बाद एक आते रहते हैं। अत: जब केन्द्रीय सरकार के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र का दौरा किया वे समझ नहीं पाये कि वास्तव में क्या नुकसान हुआ है और इसका राज्य की अर्थ व्यवस्था पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा। यह मेरे राज्य की विशिष्ट स्थिति है।

मेरे विचार में कुछ क्षेत्रों को स्थायी रूप से दुर्घटना ग्रस्त अथवा प्राकृतिक विपदा ग्रस्त घोषित करना होगा और इनसे निपटने के लिये कुछ स्थायी उपाय करने होंगे। चाहे यह दशक में एक ही बार क्यों न हो।

इस सम्बन्ध में मैं दो सुझाव दूंगा। एक तो मेरा राज्य अभाव की स्थिति का सामना कर रहा है वहां एक किलो चावल की कीमत पांच रुपये और एक किलो मछली की कीमत 35 रुपये है और बाढ़ तथा अकाल की स्थिति के कारण सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं। इस प्रकार की स्थिति का सामना व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर करना होगा। सबसे पहले अन्य क्षेत्रों से आवश्यक वस्तुएं वहां भेजनी होंगी ताकि कीमतों में कमी लाई जा सके। यह सबसे बड़ी सेवा है। यह बहुत बड़ा काम है जो सरकार अधिक धन खर्च किये बिना पूरा कर सकती हैं। सड़कें अब क्षति ग्रस्त हैं जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है बाढ़ हो या सूखा सड़कें तो बनानी पड़ेंगी। मेरे राज्य में प्राकृतिक विपत्तियां तो आती रहती हैं साथ ही मानव निर्मित चीजों के कारण अन्य दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आधी जनसंख्या बांध के टूटने की आशंका से और क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या के बह जाने की आशंका से भयभीत रहती है। इसे एक प्रमुख समाचार के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है वहां पर कालड़ा नाम का एक बांध है। उसमें इस समय 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 136 फुट की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। समाचार है कि बांध रिस रहा है। यह भोपाल से भी बड़ी दुर्घटना होगी। यह भारी वर्षा कीप्राकृतिक विपदा और साथ ही पानी के वहां जमा होने के कारण हुआ है। परन्तु इसमें मनुष्य का भी योगदान है उसने उचित सीमेंट और सामग्री का समुचित ढंग से उपयोग किये बिना बांध बनाया है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है।

मैं एक और मामले का भी उल्लेख करना चाहता हूं। वहां एडामल्यार बांध है। यह एक

[श्री तम्पन थामस]

पन बिजली परियोजना है। लोग इसकी जांच करने गए थे। इस प्रकार की स्थिति में यह किसी भी समय टूट सकता है क्योंकि पानी चट्टानी क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है जिससे विस्फोट की आशंका है। उस क्षेत्र में पानी के दबाव के कारण यह ज्वालामुखी की तरह बाहर निकल आया है। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि केरल में पूर्वी क्षेत्र में अत्यन्त खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है।

इन बांधों की स्थिति अत्यन्त खतरनाक है। पानी रिसने की बात हमारे सभी समाचार पत्रों में चित्रों के साथ प्रकाशित हो चुकी है। मैंने एक चित्र देखा था जिसमें केरल का एक मन्त्री वहां आकर क्षेत्र का मुआइना कर रहा है। वहां एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। यह मनुष्य और प्रकृति दोनों द्वारा पैदा की गई है। इन सबके लिये कौन जिम्मेवार है? वे लोग कौन हैं जिन्होंने सप्लाई किये गये सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया? उन सरकारी धन को लूटने वालों का पता लगाया जाय और उन्हें दण्डित किया जाये मैं यह सुझाव देता हूं। इसके साथ ही जांच दल को जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसा देश के किसी भी भाग में फिर न हो।

मैं यह माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में ला रहा हूं कि केरल में यह एक अत्यन्त खतरनाक स्थिति है जिसके साथ अत्यन्त सावधानी और ईमानदारी से निपटना होगा। महोदय, क्या मैं एक और सुझाव दे सकता हूं? वर्तमान हालात में भारत में कहीं भी अकाल की घोषणा करने का मापदण्ड ब्रिटिश संहिता में निर्धारित मापदण्ड से भिन्न नहीं है। इसमें अभी परिवर्तन नहीं किया गया है। यहां तक कि स्वतन्त्रता के बाद भी हम किसी क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित करने के लिये ब्रिटिश प्रणाली का पालन कर रहे हैं। वे मापदण्ड आजादी से पहले निर्धारित किये गये थे। महोदय, सबसे पहले उनमें परिवर्तन करना होगा। मौजूदा संदर्भ में किन्हीं क्षेत्रों को अकाल ग्रस्त घोषित करने के लिए एक नई संहिता बनानी होगी। महोदय, इसके बाद मैं दो शब्द इसके राजनीतिक पहलू के बारे में भी कहूंगा। यह मानवीय महत्व का विषय है। इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना होगा। महोदय, इन घटनाओं को कभी-कभी तो राजनीतिक प्रचार और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया है। महोदय, मैं सुझाव देता हूं कि जहां कहीं भी अकाल पड़े तत्काल कार्यवाही की जाए। मैं सुझाव देता हूं कि एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए जिसमें प्रत्येक राजनीतिक दल को सम्मिलित किया जाए और राहत कार्य में सहयोजित किया जाए।

महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। ऐसे मामलों में अफसरों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा न की जाए। जब मुख्य मन्त्री का कहना है कि स्थिति गम्भीर है तो तत्काल कुछ किया जाए। मैं यह बात खुशी से कहता हूं कि 1978 में जब जनता पार्टी सत्ता में थी। उसने तमिलनाडु और आन्ध्र में तत्काल कार्यवाही की थी।

दोनों मुख्य मन्त्री, जो जनता पार्टी के नहीं थे, ने इस बात की प्रशंसा की कि राहत कार्य के लिए शीघ्र ही मौके पर कार्यवाही की गई। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें सूखे के मामले में अफसरों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस देश में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरे यही सुझाव हैं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : श्रीमन्, भारत के विभिन्न राज्यों में चक्रवात, बाढ़ और सूखा

जैसी प्राकृतिक विपदायें लगातार आती रहती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाये जिससे सूखा और बाढ़ आने का पहले से पता लगाया जा सके। हालांकि अस्थायी सहायता दी जाती है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित राज्यों की समस्याओ को स्थायी रूप से किस प्रकार अच्छे ढंग से हल किया जा सकता है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, जहां गरीबी अधिक है। इस राज्य में करीब हर वर्ष प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। प्राकृतिक विपदाओं से उड़ीसा में भारी जन-धन की क्षति हुई है। वास्तव में इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को ही खतरा पैदा हो गया है। पिछले वर्ष, उड़ीसा के सात जिले सूखे से प्रभावित थे। जिसकी वजह से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उड़ीसा का गंजम जिला और मेरा निर्वाचन क्षेत्र आस्का, पिछले वर्ष और इस वर्ष, बाढ़ से सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। किसानों ने या तो चारों तरफ फैलाकर या क्यारियां बनाकर बीज बोये हैं। वर्षा के लिए अब वे आसमान की तरफ देख रहे हैं, और पौध और धान के पौधे बुरी तरह से नष्ट हो गए हैं। केन्द्रीय सरकार उड़ीसा के प्रति काफी उदार रही है। स्व० प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमेशा ही राज्य की सहायता की थी। यहां तक कि अपने जन्म दिन पर भी वह उड़ीसा में थीं और प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों से बात-चीत कर रही थीं। हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री कल उन जिलों का दौरा करने जा रहे हैं जोकि सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं और जहां ज्यादातर हरिजन और आदिवासी रहते हैं। ये हैं कालाहाण्डी, पुल-बानी और सम्बलपुर जिले के कुछ क्षेत्र।

5.00 म० प०

मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, राज्य के एक क्षेत्र के लोग तो सारी रात इसलिए नहीं सोते कि नदी में बाढ़ आई है और उन्हें बाढ़ से होने वाले नुकसान का खतरा है, जबकि उड़ीसा के अन्य भाग में लोग वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान इन्द्र से पानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि कई बड़ी नदियां हैं किन्तु उनका सारा पानी समुद्र में चला जाता है और सिंचाई के काम में नहीं आता। अतः इस समस्या को सुलझाने के लिए नदियों को, छोटी पहाड़ियों को काटकर आपस में जोड़ा जाना चाहिए। बड़ी, मध्यम, छोटी सिंचाई योजनाओं और लिफ्ट सिंचाई परियोजना को महत्त्व दिया जाना चाहिए और उनकी देखभाल की जानी चाहिए। राज्य को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए ताकि वह सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग कर सके और नदियों में बह रहे पानी का पूरा इस्तेमाल कर सके, जोकि अन्यथा नहरों और नदियों के तटबंधों को तोड़कर तबाही मचाता रहता है। केन्द्रीय सरकार को, राज्य द्वारा उसे मंजूरी के लिए भेजी गई बड़ी सिंचाई परि-योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। सर्वप्रथम केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

1983-84 के दौरान कृषि मंत्रालय ने उड़ीसा को भूमि कटाव को रोकने और जल संचय व्यवस्था के लिए 3 करोड़ रुपये की धनराशि दी थी। इस जल संचय व्यवस्था द्वारा भूमि कटाव को रोका जा सकेगा और रबी की फसल नहीं तो खरीफ की फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस वर्ष जल संचय व्यवस्था जोकि काफी सफल रही है के लिए कम से कम छः करोड़ रुपये की धनराशि दें।

[श्री सोमनाथ रथ]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, गंजम जिला, सूखे से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। हाराभंगी की बड़ी सिंचाई परियोजना के निर्माण में जो बहुत धीमे चल रहा है, तेजी लाई जानी चाहिए। छोटी सिंचाई परियोजनाओं और नहरों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, जब तक ऋषिकुल्य नदी पर जलाशय का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक पूरे जिले के रेगिस्तान बन जाने की आशंका है। गेल्लेरी के नजदीक नुपल्ली में जलाशय बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। लंडई, बिल्लुमेम्स और कुप्पटी की छोटी परियोजनाओं का कार्य भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए भी शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिएं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं प्रधान मन्त्री को धन्यवाद अदा करता हूं, जोकि कल हमारे राज्य का दौरा करने वाले हैं और आदिवासियों की स्थिति और सूखे से बुरी तरह प्रभावित कालाहांडी और अन्य क्षेत्रों का मौके पर जायजा लेंगे। इससे निश्चय ही उड़ीसा के लोगों को सान्त्वना राहत मिलेगी और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए हिम्मत मिलेगी।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : बड़े दुःख और व्यथा के साथ मैं सभा और मन्त्री महोदय को अपने छोटे से प्रदेश केरल की दुर्दशा, जोकि हाल में हुई वर्षा के कारण आई बाढ़, समुद्री जल से धरती का कटाव और भू-स्खलन से हुई है, के बारे में बताना चाहता हूं। मैं नुकसान का ब्यौरा नहीं बताने जा रहा, क्योंकि मेरे अन्य सहयोगियों ने इस बारे में पहले कह दिया है। लेकिन इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल की बाढ़ से सभी क्षेत्रों में राज्य की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है।

नुकसान बहुत अधिक हुआ है और पुनः सामान्य स्थिति लाने में कई वर्ष लग जायेंगे। भयंकर वर्षा के कारण वहां अभूतपूर्व बाढ़ आई है और समुद्री जल से भूमि-कटाव और भू-स्खलन हुआ है। इस प्राकृतिक विपदा की भयंकरता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि राज्य की 52 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है। 1416 गांवों में से 900 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। करीब 5 लाख बैरकें और पक्के भवन गिर गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वे अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। सारे राज्य में किसानों की फसल नष्ट हो गई है। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र में कुल 161 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित लोग मछुआरे हैं। उनकी पारम्परिक नावें, जाल आदि नष्ट हो गये हैं। उनकी आजीविका समाप्त हो गई है। केरल सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, खाद्यान्न, कपड़े, चिकित्सा, आवास आदि की हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

हम केन्द्रीय सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने स्थिति की नजाकत को देखते हुए तेज गति से इस कार्य में सहायता प्रदान की। माननीय मन्त्री श्री बूटासिंह जी और श्री के०आर०नारायणन ने केरल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केन्द्रीय-दल पहले ही वहां पहुंच गया है और वे बहुत जल्द अपनी

रिपोर्ट पेश कर देगा। राज्य में सभी क्षेत्रों में हुई क्षति को पूरा करने के लिए, राहत देने के लिए और पुनर्निर्माण करने के लिए लगभग 743 करोड़ रुपये का खर्चा आने का अनुमान है। केरल सरकार ने इस बारे में एक ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में क्षति का विस्तृत ब्यौरा दिया है और निवेदन किया है कि राहत और पुनर्निर्माण के लिए शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

श्रीमन्, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के विभिन्न भागों में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति को राष्ट्रीय संकट माना जाए। मैं इस बारे में जोर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का एक सामान्य ढांचा है—75:25 का, अर्थात् 75% केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान देना और 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा। लेकिन केरल राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस सन्दर्भ में सारा खर्चा वहन करे। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इस सन्दर्भ में सातवें और आठवें वित्त आयोग ने ऐसी ही सिफारिशें की थीं।

श्रीमन्, मेरे कुछ मित्रों ने केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद दिया है। मैं इस बारे में अपनी राय सुरक्षित रखता हूं। इस स्थिति के लिए उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए हम निश्चित ही उनके कृतज्ञ हैं। मुझे आशा है कि रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी।

इस सन्दर्भ में, मैं सभा पटल पर कुछ क्षेत्रों में आई बाढ़ से सम्बन्धित फोटो रख रहा हूं।

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, गत तीन वर्षों से लगातार हम कर्नाटक में भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष स्थिति ने और भी अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया है। 173 तालुकों में से केवल 100 तालुकों में खरीफ की बुआई का काम हुआ है। और शेष 73 तालुकों में बुआई का काम नहीं हुआ है। यह वर्तमान स्थिति है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में भी वर्षा बहुत कम हुई है। मलांड क्षेत्र में चिकमगलूर जिला में पीने के पानी की भारी कमी है। राज्य के लगभग सभी जलाशय पूरी तरह भरे हुए नहीं हैं। मुख्य लिंगानमक्की बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है और यह बांध मुख्य रूप से पूरे कर्नाटक राज्य के लिए बिजली पैदा करता है। पिछले वर्ष, केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए करीब 30 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की थी। राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही 167 रुपये की राशि व्यय कर ली है। वित्तीय कठिनाईयों का सामना करने के कारण राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए इस वर्ष कुछ खर्चा नहीं कर सकती है। मैं सरकार के विचारार्थ कुछ स्थायी सुझाव देना चाहती हूं, ताकि राज्य में सूखे की स्थिति से निपटा जा सके।

कर्नाटक में सभी चालू सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखा जाना चाहिए तथा सातवीं योजना में उसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करांना चाहिए, ताकि सिंचाई की व्यवस्था और अधिक क्षेत्रों में की जा सके। दूसरे, 'लोकेशन' तालाबों के निर्माण के लिए कुछ और धन आबंटित किया जाना चाहिए, ताकि कुओं और वेध कुओं के साथ भूमिगत पानी के स्तर को भी बढ़ाया जा सके। तीसरे, छिड़काव और ड्रिप' सिंचाई को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि छिड़काव सिंचाई योजना के लिए बड़े किसानों को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आर्थिक सहायता बन्द की जा रही है और केवल छोटे किसानों को यह सुविधा मिल सकती है। यदि

[श्रीमती बासव राजेश्वरी]

छिड़काव सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाएगा तो इससे विभिन्न प्रयोजनों के लिए कम पानी की व्यवस्था करके उपयोगी सुविधा ही नहीं मिलेगी बल्कि इस तरह की सिंचाई अधिक सस्ती तथा किफायती होगी। इसलिए छिड़काव और 'ड्रिप' सिंचाई को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि राज्य के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति का सामना किया जा सके।

किसानों को मुख्य नहरों और शाखा नहरों से जहां कहीं संभव हो जल लेने की अनुमति होनी चाहिए। ऊंचा स्तर होने के कारण मुख्य नहरों से दाहिनी ओर की बजाए बाईं ओर से पानी लिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि कुछ राज्यों ने पहले से ही दाईं ओर से भी नहरों से किसानों को पानी लेने की अनुमति दे दी है मेरा यह निवेदन है कि सभी राज्यों में उसी तरह की प्रणाली लागू की जानी चाहिए। महोदय, कई स्थानों में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए चारे का इस्तेमाल हो रहा है। इसको पूरी तरह से रोका जाना चाहिए, क्योंकि लघु कागज मिलें और अन्य उद्योगों की तरह कुछ उद्योग चारे को अपने कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए चारे के उपयोग को पूरी तरह से बन्द कर दिया जाना चाहिए।

जैसाकि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि कर्नाटक में बिजली की स्थिति बहुत गंभीर है। हम भारत सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि कर्नाटक को महाराष्ट्र और केरल जैसे पड़ोसी राज्यों से जहां पर बिजली की बहुतायत है, उचित दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। कृषि और उद्योगों के लिए बिजली एक मुख्य आदान है। पिछले वर्ष ग्रीष्म ऋतु में बिजली में कटौती किए जाने के कारण ग्रीष्म की फसल ठीक तरह से नहीं उगाई जा सकी। इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि पड़ोसी राज्यों से कर्नाटक को बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस वर्ष कर्नाटक के लिए अधिक खाद्यान्न आवंटित किया जाना चाहिए। कर्नाटक राज्य ने भारत सरकार से पहले ही एक प्रस्ताव किया है कि सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अधिक धन और खाद्यान्न आवंटित किया जाए। इस समस्या को मानवीय आधार पर समझा जाना चाहिए और युद्ध स्तर पर हल किया जाना चाहिए।

इसके बाद, ऐसे बहुत से समस्या ग्राम हैं जहां खारा या अन्यथा पानी न होने के कारण हमारे सभी प्रयासों के बावजूद पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और कुछ गावों में 300-400 फीट तक नीचे खोदने पर भी हमें पानी प्राप्त नहीं होता है। समस्या वाले गांवों में पानी के लिए खुदाई करने हेतु कुछ प्रतिबंध हैं जैसे केवल 2 किलोमीटर के दायरे में केवल एक लाख रु० खर्च करना है। इन सब पाबंदियों को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए अन्यथा हमें ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां हम योजना के अन्तर्गत पीने के पानी की संभावनाओं का पता लगा सके। इसलिए इन प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। जहां कहीं पीने के पानी के प्रयोजन से समस्या वाले गांव हैं उन्हें उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी स्रोत से पानी प्राप्त करने के लिए अधिक राशि खर्च की जानी चाहिए।

बड़े पैमाने पर वन रोपण किया जाना चाहिए। केवल यही नहीं, जो कोई पेड़ काटता है उसे कठोर सजा दी जानी चाहिए। पेड़ों के कटने के कारण वर्षा कम होती जा रही है। इसलिए हमें वन रोपण के बारे में उचित रूप से योजना बनानी चाहिए।

5·18 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है हमारे पास समुचित योजना होनी चाहिए। आजकल किसान वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल, जो भी लाभदायक हो, की खेती करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। एक समुचित योजना होनी चाहिए उदाहरणार्थ खाद्यान्न, वाणिज्यिक फसलों और तिलहन प्रत्येक के लिए एक तिहाई भूमि रखी जानी चाहिए। खाद्यान्न की कमी और उपलब्धता की निर्भरता पर हमें समुचित योजना बनानी चाहिए, ताकि खाद्यान्न या चारा किसी प्रकार की समस्या का सामना न कर सकें।

अन्त में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 200 करोड़ रुपये की धनराशि के मुकाबले में वह कम से कम 50 करोड़ रुपये आवंटित करे। हमें केन्द्रीय दल के वहां जाने, स्थिति का मूल्यांकन करने, और उसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसमें काफी समय लगेगा। तब तक तो लोग राहत कार्य न होने के कारण भूखों मर जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम प्राकृतिक विपदा पर बात कर रहे हैं। यह हमारे यहां का एक स्थाई स्वरूप बन गया है इसने एक ऐसी जड़ जमा ली है जिससे हमारे राष्ट्र को बहुत ही नुकसान हो रहा है।

हमारे राष्ट्र के किसी हिस्से में बाढ़ है तो किसी में सुखाड़ है। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कई जगहों का जिक्र किया है, जैसे केरल में बाढ़ है। तो उड़ीसा सुखाड़ है। बिहार में अगर बाढ़ है तो उत्तर प्रदेश में सुखाड़ है। इस तरह से बाढ़ और सुखाड़, दोनों ने हमारे यहां जमाव कर लिया है और एक स्थाई डेरा बना लिया है।

हम इस बात के लिए आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चीज का जब तक आप परमानेन्ट कोई रास्ता नहीं निकालते हैं, तब तक हमारे देश में जो अच्छे किसान हैं, वह कंगाल होते जा रहे हैं और अन्न के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह बाढ़ हमारे यहां अभिशाप के रूप में, राक्षस के रूप में बनकर बैठी है।

हमारा पड़ोसी देश चीन जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा था। वहां इस तरह के बाढ़ और सुखाड़ आते रहते थे जिससे वहां के लोग जर्जर हो गये थे, कंगाल हो गये थे, और लोगों के बदन से बू आती थी। वहां की नदी ह्वांग राक्षस कहलाती थी। वह नदी वहां के लिए अभिशाप ही नहीं, बल्कि लोग उसे शोक कहते थे। च्यांगकाई शेक जब तक सत्ता में रहा, वह उस पर काबू नहीं पा सका। हमसे उसकी आजादी 2 साल पीछे मिली है। वहां 1949 में आजादी मिली और वहां पर समाजवादी सरकार का गठन हुआ और उस सरकार ने इस राक्षस पर काबू पाया और आज वह नदी चीन में देवता के स्वरूप में मानी जाती है।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

हम बाढ़ सुखाड़ की बात को 10 साल विधान सभा में बोलते रहे हैं और आज लोक-सभा में बोलने का मुझे मौका मिला है। इस तरह के सवाल जवाब बराबर होते रहे हैं। 38 साल इस देश में आप की एक ही पार्टी की हुकूमत रही है, आप ने इस 38 साल में क्या किया ? अभी दो माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने करोड़ों रुपया बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया है लेकिन वह रुपया कहां गया ? वह रूपया राजनेताओं, अधिकारियों या इंजीनियरों की जेब में गया, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि इतने करोड़ रुपया आपने जनता की कमाई का खर्च किया है, उसका क्या हो रहा है। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आज हमारे देश की क्या हालत हो रही है, इस पर हम नहीं सोचते।

देश में अभी अकाल है जो देश को कमजोर बनाता है, बेकारी ज्यादा लाता है। आज बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है ? उत्तरी विहार में दरभंगा, मोतिहारी और मधुबनी में सब जगह लोग बाढ़ से घिरे हैं। बाढ़ कुछ नये-नये क्षेत्रों में आ रही है। यह बाढ़ कोई ऐसी विपदा नहीं है कि 10,20 बरस में आ गई। यह प्राकृतिक प्रकोप है कि जो कि बराबर स्थायी है।

आप देखें, हरियाणा और पंजाब में क्या था ? आज 30 बरस के बाद सुना है कि वहां नये-नये क्षेत्र पैदा कर रहे हैं।

जमुई सुखाड़ के नाम पर प्रसिद्ध था, लेकिन अपर बडुवा बांध था टूट गया है, उससे आज वहां बाढ़ का सवाल पैदा हो गया है। बिहार में जो हालत है, बिहार के हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री के सामने बाढ़ आई थी, तो पटना शहर में लोग नाव पर चलते थे। यह 1974 की बात है, हमने आंखों से देखी है। एम० एल० ए० फ्लैट में सब में पानी था। बाढ़ की समस्या ऐसी है जिस पर आप काबू नहीं पा सके हैं।

आप की सैंट्रल टीम आती है, देखती है बाढ़ से काफी नुकसान हो गया है। वह टीम हवाई जहाज से सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट देती है। उससे क्या होता है कि आप कुछ करोड़ रुपये दे देते हैं। लेकिन जिनकी जान माल सारी चीजें नष्ट हो गई, जैसे कनिष्क विमान के खत्म हो जाने से उसमें सवार जो परिवार सदा के लिए खत्म हो गये, उन्हें अब इस देश से क्या लेना है, उसी प्रकार बाढ़ से जो परिवार खत्म हो जाते हैं, उन्हें इससे क्या लाभ हो सकता है ? अगर आप रुपया देते हैं तो आप को सही मायने में उस पर नजर रखनी चाहिए कि उसका सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं।

आपने कई ऐसी स्कीम बनाई हैं। जो बाढ़ सुखाड़ को रोकने के लिए बनाई हैं। वह स्कीम मुहाना डैम है। यह दक्षिण बिहार के लिए वरदान स्वरूप बनेगी।

वह आज अभिशाप के रूप में हैं। बाढ़ और सुखाड़ को रोकने के लिए स्कीम बनाते हैं, लेकिन वह 10-10 साल तक यूं ही पड़ी रहती है। उसको कोई देखने वाला नहीं है। आपका यही उत्तर होगा कि हमारे पास रुपये की कमी है, इसलिए आप उसे नहीं बना सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देता हूं कि जहां पर वह स्कीम बनने वाली है, वहां 70 फीट ऊंची जमीन और 70 फीट ऊंची जमीन से पानी आना है। अगर पक्का बांध नहीं बांधते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहर निकाल देते हैं वहां पर तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों समाप्त हो जायेंगी।

गत वर्ष बाढ़ से कुछ गांव ऐसे बरबाद हो गए हैं कि अभी तक वहां उन गांवों को बचाने का काम नहीं किया गया है। बिहार में गया जिले में जो पिरोथा गांव है, यह बाढ़ से नष्ट हो गया है अगर इसको रोका न गया तो बहुत से लोग और जानवर मर जायेंगे। यह बहुत कलंक की बात है कि अभी तक उस गांव को बचाने का काम नहीं किया गया है। आप कहेंगे कि यह राज्य सरकार का काम है। अगर यह राज्य सरकार का काम है तो सर्वेक्षण के लिए क्यों यहां से टीम भेजी जाती है।

हम लोग ऐसी जगह से आते हैं जहां बाढ़ का प्रकोप होता है। कुर्था प्रखण्ड जो हमारे जिले में पड़ता है, गत वर्ष बाढ़ से उसका पूरा इलाका बरबाद हो गया। एक महीने तक पूरा गांव जल मग्न रहा और वहां की फसल नष्ट हो गई। एक पुनपुन परियोजना भी पड़ी हुई है, अगर उस परियोजना को स्वीकृति देकर भेज देते हैं तो सदा के लिए बाढ़ और सुखाड़ समाप्त हो जाएंगे। इसी बाढ़ और सुखाड़ की वजह से जो किसान खेती छोड़ रहे हैं, वह फिर से खेती में लग जायेंगे उनके बच्चे बेकार नहीं होंगे, देश हर मामले में समृद्धिशाली बनेगा और देश की आजादी भी मजबूत होगी।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि देश के विभिन्न अंचलों में करोड़ों इंसान परेशानी में पड़े हुए हैं। जहां तक पिछले वर्षों का प्रश्न है, उसमें चाहे कर्नाटक आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा हो, सबको प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ा।

पिछले वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में सूखे का प्रकोप रहा। इस साल इन दो महिनों में हमारे उत्तर प्रदेश के पहाड़ी, पश्चिमी और पूर्वी अंचल इस तरह से सूखा से प्रभावित हो गये कि पेय जल का संकट उत्पन्न हो गया। कहीं कहीं पर तो पानी के लिए मर्डर तक हो गए। हमारे यहां डाला एक ऐसा स्थान है जहां पर दो रुपये का एक टीन पानी मिलने लगा।

यह बड़ी कठिन समस्या रही है और हमें तो याद आ जाती है दुनिया के अन्दर इथियोपिया और सूडान की हालत की अभी बी० बी० सी० ने उसकी जो रिपोर्ट टी वी पर दिखायी उसको देख कर कौन ऐसा होगा जिसके अन्दर इंसान का दिल होगा और वह मर्माहत न हो जाय ? यह विभिषिका किसी न किसी रूप में सर्वदा से रही है।

इससे बचने के लिए दो उपाय होते हैं--एक तो तात्कालिक और एक लांग रेंज स्कीम। हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जी ने ड्राउट प्रोन एरियाज के लिए डी० पी० ए० पी० का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन मुझे दुख है कि जो योजनाएं उन्होंने दीं उनको सफलता आज तक नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में योजना के अन्तर्गत बहुत सी स्कीम्स बनीं···(व्यवधान) मैं अपने जिले मिर्जापुर की बताऊं कि जिन परियोजनाओं का उन्होंने अपने हाथ से शिलान्यास किया था, सोन लिफ्ट परियोजना, बकहर बेलन डाई-वर्जन परियोजना और अदवा बांध परियोजना, इन सबका शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 36 बन्धियों के निर्माण का उनके द्वारा आदेश हुआ था, वह सारी की सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। कुछ बन्धा बन गए। किसानों की जमीन भी ले ली गयी। मगर धनाभाव के कारण या पता नहीं किन कारणों से केन्द्रीय सरकार ने उनको पीछे ढकेल दिया। यही नहीं देश में जो छः प्रकार के विशेष इलाके हैं ड्राउट प्रोन एरिया, फ्लड एरिया, हिली एरिया, ट्राइबल एरिया और साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज इन सारे इलाकों के लिए छठी पंच वर्षीय योजना में विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई थी। लेकिन

[श्री राम प्यारे पनिका]

सातवीं पंच वर्षीय योजना का जो प्रारूप मैंने देखा उसमें वह कहीं नहीं दिखा। इसलिए सब से ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि बाढ़ और सूखा इन दोनों विभिषिकाओं से छुटकारा पाने के लिए जो योजनाएं ली गई हैं उनको तत्काल पूरा किया जाय और ऐसे इलाकों का विशेष सर्वेक्षण करके जो नदियां वगैरह हैं उन पर बन्ध बनाया जाय। यह देखा जाय कि सूखा क्षेत्र में कौन ऐसी नदियां हैं जो एवर-फ्लाइंग हैं? अगर उनका पानी लिफ्ट कर के इन क्षेत्रों में पहुंचाया जाय तो इन की समस्या खत्म हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की माननीया प्रधान मन्त्री ने सोन लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया था, अगर उसका पानी उठा द तो निश्चित तौर से सारा मिर्जापुर जो अब तक ड्राउट प्रोन एरिया रहा है उसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाय और उसको अब तक पूरा हो जाना चाहिए था क्योंकि 1974 में उसका काम शुरू हुआ था। तो देश में मैं चाहता हूं कि जहां भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं चाहे वह आन्ध्र के हों, चाहे कर्नाटक के हों, तमिलनाडु के हों या देश के और किसी हिस्से के हो उन सभी क्षेत्रों के लिए आप लांग रेंज पालिसी बनाएं। अब समय आ गया है कि सातवीं पंच वर्षीय योजना जो आप ने काफी लम्बी चौड़ी 1 लाख 80 हजार करोड़ की बनायी है उसमें कुछ पैसा निकाल कर इन योजनाओं को पूरा करें और यह हर साल जो करोड़ों करोड़ रुपये इंसानों को बचाने के लिए खर्च करते हैं उसको इनके लिए स्थायी हल निकालने के ऊपर खर्च करें। उसके लिए आप को इन सब योजनाओं को पूरा करना होगा।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारा एक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बना है, लेकिन जो योजनाएं हमारे पास आईं, विभिन्न राज्य सरकारों ने यह कह कर कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं उनको हाथ में नहीं लिया जिससे जहां पर बन्ध बनाए जा सकते थे वह नहीं बनाए गए, जहां पर बाढ़ को रोका जा सकता था वह नहीं रोका जा सका जैसे एक स्कीम थी गंगा जमुना के सारे बेल्ट्स में जो डिफारे-स्टेशन हुआ है बड़े पैमाने पर वहां पर जंगल लगाए जायं और बांध वगैरह बनाए जायं, वह काम भी नहीं हो रहा है। निश्चित तौर से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स पर इसके लिए निर्भर करेंगे तो कभी भी बाढ़ और सूखा इन दोनों विभीषिकाओं से छुटकारा नहीं पा सकते। 82-83 का सूखा, बाढ़, ओला देश को याद होगा जब कि भारत के 31 करोड़ इंसान उससे परेशान थे और करीब 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन बाढ़ से घिरी हुई थी। उस जमाने में भी कुछ राज्य ऐसे लापरवाह थे जिन्होंने जो पैसा उनको दिया गया उसका सदुपयोग नहीं किया। माननीया प्रधान मन्त्री ने 7 सौ करोड़ रुपया हमारे उत्तर प्रदेश को दिया। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश ने मेमोरेंडा समय से नहीं दिया। वह सब से बुरी तरह एफेक्टेड एरिया था। लेकिन उसको एक पैसा भी इस टेकनिकल ग्राउन्ड पर नहीं मिला कि उसने मेमोरेंडा बाद में दिया। इसलिए उसकी मांग खारिज हो गई। तो आज समय आ गया है कि हमको राज्यों पर निर्भर करना है। निश्चित तौर से केन्द्रीय सरकार को बड़ी मजबूती से इन दोनों पहलुओं पर विचार करके स्कीम बना कर उनको लागू करना है। यह भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोध पक्ष के लोग बैठे हैं।

जब यह मामला आता है। तब सेन्टर-स्टेट का मामला उठा दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की खातिर, भगवान के खातिर, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जो कि राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में आप सेन्टर स्टेट का झगड़ा न उठायें और सरकारिया कमशीन के पास

न जायें। आज जो साधन इकट्ठा किए जा रहे हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, मैं देख रहा था कि विभिन्न राज्य कितने संसाधन इकठ्ठा कर रहे हैं तो मैंने पाया कि वे मजबूर हैं, राज्य संसाधन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज निश्चित तौर से जरूरत इस बात की है कि आज इरीगेशन एग्रीकल्चर,फ्लड्स इत्यादि जो सब्जेक्ट हैं उनको आप स्टेट सब्जेक्ट न कहें। मैं तो कहूंगा कि इस संबंध में यदि आवश्यकता हो हमारे संविधान में संशोधन करने की तो उसको भी कर देना चाहिए। हमने टी वी पर बड़ा मर्माहत चित्र देखा था कि इथियोपिया में क्या दशा हुई है। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है, हमें गर्व है कि पिछले 30-35 सालों में सरकार की कार्यवाहियों के कारण ऐसी दैवी आपदाओं के बाद भी किसी व्यक्ति के भूखे मरने की बात नहीं आती है। 1982-83 में कोई भी नहीं कह सकता है कि भूख से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। लेकिन मेरा निवेदन है कि भले ही तत्काल कोई भूख से न मरे लेकिन उनके जीवन पर तो असर पड़ता ही है।

मैं अधिक समय नही लेना चाहता। इस वर्ष सूखा और बाढ़ की मद में राज्यों को पैसे मिले हैं। खास तौर से 1982-83 में उत्तर प्रदेश को पैसा नहीं दिया गया था। जब इस देश में प्लानिंग आरम्भ हुई तब उत्तर प्रदेश का नम्बर सारे देश में दूसरा था या पहला था लेकिन धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में विकास गति बहुत धीमी हो गई। 15-20 साल में सूखे और बाढ़ से वह तबाह हो गया तथा आवश्यक इन्फ्रा-स्ट्रक्चर वहां पर नहीं तैयार हो सका। वैसे तो हमारा प्रदेश बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियां पैदा करता रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ अन्याय हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि मन्त्री जी को स्टेट गवर्नमेंट्स पर निर्भर नहीं करना चाहिए। केरल में तो ऐसे समय में बाढ़ आई जब कोई सोच भी नहीं सकता था। आज हमारे देश में मेटेरियोलाजिकल स्टडी भी गलत सिद्ध हो जाती है। हम रेडियो पर सुनते हैं कि यहां पर पानी बरसेगा और बादल रहेंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। सूखा और बाढ़ के सम्बन्ध में जो पूर्वानुमान होते हैं। वह सही नहीं होते हैं इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं हमारे वैज्ञानिकों को और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनके हम बड़े आभारी हैं क्योंकि उनके प्रयास से ही एग्रीकल्चर में इतनी उन्नति हो सकी है और इतना प्रोडक्शन बढ़ सका है लेकिन मैं समझता हूं उनको अभी और अधिक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि सूखा और बाढ़ के सम्बन्ध में भी वे ठीक प्रकार से पूर्वानुमान दे सकें तथा समय से देश की जनता एवं सरकार को सावधान कर सकें।

आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम प्यारे पनिका, एक ओर तो आप बाढ़ के बारे में बात करते हैं और दूसरी ओर सूखे के बारे में। इसके बाद आपने मौसम कार्यालय तथा उनकी भविष्यवाणी के बारे में उल्लेख किया है। इसका समाधान केवल नदियों के जल मार्ग में परिवर्तन करना है यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। अन्य बातों का समाधान नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय सदस्य पनिका जी ने यू पी के सम्बन्ध में जिक्र किया

[श्री हरीश रावत]

है यू पी गवर्नमेंट ने डिटेल्स भेज दी हैं, कृपा करके मन्त्री जी जल्दी से जल्दी पैसा वहां भिजवा दें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प आदि सभी राष्ट्रीय आपदायें हैं। इन राष्ट्रीय आपदाओं का मुकाबला करने के लिए जब तक केन्द्रीय सरकार सहायता नहीं देगी तब तक इन आपदाओं का मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे। आज कोई भी राज्य इस प्रकार से सक्षम नहीं है कि वह अकेले इस प्रकार की आपदाओं का मुकाबला कर सकें। आज केरल में इस प्रकार की आपदा आई, पहले बिहार में भूकम्प आया था और इसी प्रकार से रेगिस्तानी क्षेत्रों में जिस प्रकार की अकाल की स्थिति पैदा होती है, इन राष्ट्रीय आपदाओं का मुकाबला करने के लिए मेरा सुझाव है कि एक नेशनल कैलेमिटी फंड स्थापित किया जाए। एक राष्ट्रीय विपदा कोष की स्थापना होनी चाहिए और उसमें हर राज्य से-पापुलेशन के आधार पर, इनकम के आधार पर या जो भी क्राइटीरिया आप इवाल्व करें, उसके आधार पर पैसा जमा करके नेशनल कैलेमिटी फंड बनाया जाए। कोई भी राज्य यदि संकट में पड़ जाए तो उस नेशनल कैलेमिटी फंड से उसको मदद दी जाए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। हम किसी भी सूरत में इन बड़ी विपदाओं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मेरे ही क्षेत्र में, बाड़मेर-जैसलमेर, अकाल भी एक साल नहीं दो साल, तीन साल, चार साल लगातार आता रहा है, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए राज्य की सरकार के पास पूरी क्षमता नहीं होती है। केन्द्र द्वारा जो सहायता दी जाती है, वह बहुत ही अल्प सहायता होती है। सहायता देती है मार्जिन-मनी की, एडवांस प्लान की और फिर थोड़ी सीलिंग फिक्स करके मदद देती है, जो पर्याप्त नहीं होती है। उन लोगों को कोई एम्प्लायमेंट नहीं मिलता है। राजस्थान को सरकार द्वारा राहत कार्य दिसम्बर में खोलना चाहिए, लेकिन वह दिसम्बर में नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी में नही, अप्रैल और मार्च में जाकर वह खोलती है और बाद में लोगों को मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। हरियाणा जाना पड़ता है, पंजाब में जाना पड़ता है या गुजरात जाना पड़ता है। इस प्रकार उनकी कोई सहायता नहीं हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक और जरूरी है कि जिस प्रकार बाढ़ के लिए 75 प्रतिशत नॉन-प्लान के लिए एक्सपेंडिचर दिया जाता है, उसी प्रकार फैमिन में भी मदद दी जानी चाहिए फैमिन में जो मदद दी जाती है, वह बहुत ही अल्प होती है। एडवांस में जो सहायता दी जाती है, वह हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं करती है, क्योंकि राजस्थान का बहुत छोटा प्लान है। जब भयंकर अकाल हो तो उस एडवांस प्लान से क्या कार्य हो सकता है। मार्जिन-मनी भी बहुत कम दी जाती है। इस प्रकार की स्थिति होने से हम लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, जिससे लोगों में भयंकर असन्तोष फैलता है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि उसको इस सम्बन्ध में अवश्य सोचना चाहिए और नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को रिलीफ देना चाहिए।

दूसरी बात राजस्थान कैनाल के बारे में है। यदि इस कैनाल को सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का लक्ष्य रख लिया जाए, तो राजस्थान के पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। राजस्थान कैनाल से चरागाह की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे जानवरों के लिए फॉडर की परमानेंट व्यवस्था की जा सकती है। जब अकाल पड़ता है, तो हमारे कैटल गंगानदी के किनारे चले जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में, गुजरात में चले जाते हैं और 75 प्रतिशत तक कैटल मर

भी जाते हैं। कैटल पर हमारी इकानामी डिपेंड करती है। हमारे यहां बहुत अच्छे कैटल हैं इनको बचाने के लिए राजस्थान कैनाल का काम अपने तीव्र गति से करना चाहिए। जिस प्रकार से हिल्ली एरियाज डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी और दस प्रतिशत लोन देकर सहायता दी जाती है, उसी प्रकार डैजर्ट डवेलपमेंट प्रोग्राम को लेना चाहिए। वहां की जनता की गरीबी को मिटाना चाहिए। जब अकाल पड़ता है, तब एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी० ई० पी० वर्क्स के अन्दर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नार्म्स को चेंज कर देना चाहिए, ताकि अकाल की स्थिति में एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी०ई० पी० में कोई परमानेंट सोल्यूशन हो। अभी जो फैमिन में वर्क्स होते हैं, ऐसे रोड्स के वर्क्स हुए, तो इसमें मिट्टी का काम किया, लेकिन उसके बाद का ग्रेवल काम छोड़ दिया जाता है। लाखों रुपया खर्च करके काम बीच में ही छोड़ दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि जो भी कार्य हाथ में लिया जाए, चाहे सड़क का काम हो, सोयील कन्जरवेशन का काम हो, वह काम पूरा हो जाना चाहिए। यदि उसी वर्ष में काम पूरा नहीं किया जाता है, तो वह पैसा वेस्ट चला जाता है। ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हो, फॉडर की समस्या हो, इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। एडवांस प्लान के अन्दर जो भी पैसा दिया जाता है, वह अच्छी तरह से खर्च नहीं होता है, जिससे प्लान का पैसा वेस्ट चला जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एडवांस प्लान में जो प्रोवीजन रखा गया है, उसमें किसी प्रकार की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में केवल 50 परसेन्ट एरिये में बरसात हुई है, तब भी हमारी सरकार ने अकाल राहत कार्य बन्द कर दिया है। इस समय यह स्थिति है कि अब वे लोग कैसे गुजारा करें। बरसात हो तो किस प्रकार खेती करें। उनके पास साधन नहीं हैं। इसलिए उन लोगों के वास्ते तकावी लोन की व्यवस्था होनी चाहिए, को-आपरेटिव लोन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे खेती कर सकें।

इन शब्दों के साथ नैचुरल कैलेमिटीज के बारे में जो विचार मैंने प्रकट किए हैं उनके बारे में राष्ट्रीय दृष्टिकोण लेकर इस समस्या का स्थायी हल करने का प्रयास होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, यह कहा गया है कि इलाज से परहेज अच्छा है। लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि जहां तक प्राकृतिक विपदाओं का सम्बन्ध है वहां यह लागू नहीं हो सकता। सूखे की स्थिति को समाप्त करने तथा बाढ़ों को रोकने के लिये खर्च किये गये धन पर यदि आप विचार करें तो उपलब्धि निराशाजनक है। जहां तक बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का संबंध है तो उपलब्धि और भी निराशाजनक है। लोगों को सूखे और बाढ़ दोनों से काफी हानि होती है। बाढ़ में सारी फसल की क्षति होती है। सम्पत्ति नष्ट हो जाती है और जानें जाती हैं। सूखे में भी फसलें नष्ट हो जाती हैं और पशुओं की जानें जाती हैं। अतः जब तक इन मामलों में उपलब्धि अच्छी नहीं होती। या शत प्रतिशत सफलता नहीं मिल जाती है तब तक तीनों श्रेणियों अर्थात फसल सम्पत्ति और लोगों का रियायती प्रीमियम पर बीमा किया जाना चाहिये। यदि सारी फसल की हानि होती है तब अधिक से अधिक सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और राहत अर्थात अल्प-अवधि के ऋण को मध्यम अवधि के ऋण में बदल दिया जाता है। यदि फसल का बीमा होता है तो उसे

[श्री डी० बी० पाटिल]

लाभ होगा। जहां तक सम्पत्ति का सम्बन्ध है। यदि मकान नष्ट हो जाता है तो सरकार अधिक से आर्थिक सहायता और ऋण देती है। यदि उसका मकान बाढ़ में नष्ट हो जाता है तो इसमें उसका अपना कोई कसूर नहीं है। नये मकान को बनाने में उसे खर्च क्यों करना चाहिये ? इस समय सरकार लोगों को प्रति मकान दो हजार रुपये के हिसाब से सहायता और आठ हजार रुपये ऋण के रूप में देती है जो पर्याप्त नहीं है।

अतः मेरा सुझाव है कि बाढ़ की सम्भावना वाले इलाकों में सभी सम्पत्तियों का बीमा किया जाए। अगर बाढ़ के कारण सम्पत्ति नष्ट हो तो उन्हें बीमें की पूरी राशि मिले। जहां तक उन क्षेत्रों का सम्बन्ध है जहां बाढ़ें अधिक आती रहती हैं वहां तो लोगों का भी बीमा किया जाना चाहिए। बाढ़ वाले इलाकों की पहचान तो की ही जा चुकी है लेकिन इस क्षेत्र में जो सफलता मिली है वह बहुत सन्तोषजनक नहीं है। मेरा सुझाव है कि ऐसे क्षेत्रों में सभी तरह की फसलों का बीमा किया जाए। कृषक तथा खेतीहर मजदूर भूमि पर ही आश्रित होते हैं। अगर फसल-बीमा किया जाए तो कृषकों को फायदा होगा। जहां तक खेतीहर मजदूरों का सम्बन्ध है सूखा तथा बाढ़ की स्थिति में उनकी जीविका का साधन ही मारा जाता है।

महाराष्ट्र में रोजगार गारन्टी योजना है यह योजना उस हर क्षेत्र में लागू की जानी चाहिए जहां बाढ़ें आती हैं। इस योजना को लागू करने से यह गारन्टी रहेगी कि फसलें नष्ट होने की स्थिति में खेती हर मजदूरों और यहां तक कि कृषकों को भी कुछ आपकी गारन्टी होगी। अतः उक्त योजना हर जगह लागू की जानी चाहिए।

इस समय महाराष्ट्र में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां बैलगाड़ी या ट्रकों द्वारा पेय जल की सप्लाई की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों में पानी की कमी है। कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। हम बारिश को तो वहां बरसने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा हम कर नहीं सकते। अतः सरकार को ही उपलब्ध साधनों के माध्यम से उन क्षेत्रों तक जल पहुंचाना होगा और ध्यान रखना होगा कि फसलें जल-संकट से प्रभावित न होने पाएं। अगर पानी के स्रोत किसी दूर स्थान पर स्थित हों तो भी पीने तथा सिंचाई कार्यों के लिए उसे नलों द्वारा पहुंचाना होगा। ऐसा करने पर ट्रकों या बैलगाड़ियों से पेय जल की सप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। जुलाई आ गया है। महाराष्ट्र में मानसून आमतौर पर जून महीने में आ जाता है लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण वहां पेय जल की कमी है।

जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा, इस समय राज्यों को सहायता देने का सूत्र यह है कि केन्द्र सरकार 75% अनुदान देती है तथा 25% अनुदान राज्य देता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। सीमा यह है कि अगर यह किसी राज्य विशेष को एक वर्ष के लिए आबंटित धनराशि का 50% या उससे अधिक होगा तो पांच प्रतिशत तक के बाद की सारी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को ही करना होगा। यह ठीक नहीं है। मुझे यह बात समझ नहीं आई। बाढ़ या सूखा पड़ता है तो राज्यों का क्या दोष है ? यह तो प्राकृतिक आपदा है। अतः मेरा सुझाव है कि उपरोक्त सूत्र को बिना कोई सीमा निर्धारित किए लागू किया जाए।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति के दो प्रकोप, बाढ़ और सूखा, ये ऐसे प्रकोप हैं जो किसी एक राज्य की समस्या नहीं रह गए हैं बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है और बहुत गंभीर समस्या है लेकिन अभी मैं अपने क्षेत्र तक ही अपने को सीमित करना चाहती हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र मे 6 विधान सभा क्षेत्र हैं. जिनमें 4 ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, जहां बाढ़ की बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुआ करती हैं और अगर आप उधर जाएंगे, तो देखेंगे कि एक छोटा सा समुद्र चारों ओर लहराता है। 1972 और 1977 में मैंने विधान सभा के सदस्य के रूप में जिस समस्याओं की ओर बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, आज भी संसद में, 1972 के बाद अब 1985 है और 1980 में जब मैं संसद में आई थी, इन्हीं समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। फर्क इतना है कि उस समय मैंने पंचायत समिति से लेकर जिला स्तर तक की समस्याओं की तरफ मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था और यहां आने के बाद, हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री बूटा सिंह बैठे हुए हैं और मैं समझती हूं कि श्री बूटासिंह का ध्यान इस ओर जाएगा। इसके पहले भी जब राव बीरेन्द्र सिंह या गनी खां चौधरी साहब मंत्री थे. मैंने बार-बार अपने संसदीय क्षेत्र की दो समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

नं० 1 समस्या जो है, वह कटाव की समस्या है। गंगा से, बयूल से और हरोहर नदी, इन तीन नदियों से भयंकर कटाव होता है। एक नदी ही पर्याप्त है किसी को डुबाने के लिए और जन, धन और सम्पत्ति की क्षति के लिए लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन नदियां हैं, जिनसे 10 पंचायतें अभी भी कटती चली आ रही हैं और ऐसा लगता है कि नदी के गर्भ में ये विलीन हो जाएंगीं।

भारत सरकार की राशि हो या बिहार सरकार की राशि हो, सिंचाई परियोजनाओं के ऊपर अपार और बेशुमार धन व्यय होने के बाद भी जनता सूखे में सूखती ही रहती है और जब बाढ़ आती है तो जनता पानी में डूबती ही है। मंत्री महोदय से मै इस समय इतना ही कहना चाहती हूं कि कटाव की जो योजनाएं हैं उनको पूरा कर के मेरे क्षेत्र की दस पंचायतों को जल में डूबने से बचाईये।

इसके लिए अल्पकालीन नहीं बल्कि दीर्घकालीन योजनाएं बननी चाहिएं। तब जा कर लोगों को लाभ पहुंच पायेगा नहीं तो योजनाएं बर्बादी ही करेंगी। क्यों नहीं सरकार कोई दीर्घकालीन योजना बना कर उसको पूरा करती है ? हमारी तरक्की तो जरूर हो गई है कि हम विधान सभा से संसद में पहुंच गये हैं लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा वह क्षेत्र बैलगाड़ी के युग में ही है। वहां टापू बना हुआ है। न वहां दवा पहुंच पाती है, न बीज, न उर्वरक और न खाद्य पदार्थ ही पहुंच पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं, जैसा कि पहले हमारे एक माननीय सदस्य ने भी कहा कि बाढ़ नियंत्रण आयोग और सिंचाई आयोग बनाये गये। बाढ़ नियंत्रण पर 1954-55 में जहां दस लाख रुपया खर्च हुआ था और उससे 1.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ था वहां छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 129.76 लाख रुपया खर्च हुआ और उससे 120.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। बाढ़ के कारण जो क्षति हुई वह 1951 में 11 करोड़ रुपये की हुई थी जो कि 1982 में आ कर 1734.9 करोड़ रुपये की हो गई। मेरा सुझाव है कि इस

[श्रीमती कृष्णा साही]

सम्बन्ध में बड़ी गंभीर स्थिति है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि मानव निर्मित जल-अभाव की स्थिति से भी मेरे क्षेत्र के वासियों को गुजरना पड़ रहा है।

मैं कहना चाहती हूं कि भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्री ने 15 जुलाई, 1980 को बिहार सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें यह बताया था कि भारत सरकार ने पेयजल पूर्ति के लिए एडवांस्ड प्लानिंग के लिए 7.04 करोड़ रुपये की बिहार सरकार को असिस्टेंस दी है। उसके बाद से आज मैं पुनः आप से अनुरोध कर रही हूं कि 16 मई, 1985 को वहां के एक मंत्री ने मुझको पत्र लिखा और उसके बाद 21 मई, 1985 को वहां के एक जिला अधिकारी ने हमको एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है –

"भौगोलिक कारणों के फलस्वरूप, जलस्तर नीचे चले जाने के कारण अन्य वर्षों के सदृश इस वर्ष भी ग्रामीण क्षेत्रों में कूपों में पानी बहुत कम हो गया है। इस वर्ष भी ग्रामीण क्षेत्रों के कुओं में पानी नहीं होने से हम जलपूर्ति की योजनाएं पूरी करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। चापा कल की खराबी के कारण लोगों को पेयजल की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं।" स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग की इसमें उदासीनता है जिसके कारण हम लोग पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकते।

हमारे लिए कितने दुःख की बात है कि 1964 से, 1967 से सिंचाई की योजनाएं लम्बित चली आ रही हैं। वे योजनाएं चाहे मध्यम योजनाएं हों या बड़ी योजनाएं हों। अगर ये योजनाएं लम्बित चली जाती रहीं तो इसका अर्थ होता है कि इन पर राशि व्यय बढ़ता चला जाता है और जो लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है।

मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि सबसे बड़ी समस्या जो कटाव की है इसको आप दूर कीजिए। हमारे क्षेत्र में पर्यावरण का बड़ा असंतुलन है। अभी मैं बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक में गई थी। उसमें मैंने पूछा कि फोरेस्ट आफिसर कहां हैं। तो एक व्यक्ति खड़े हुए। मैंने उनसे पूछा – "बताइये की वनों की कटाई कैसी हो रही है?" उन्होंने कहा कि हम तो वनरोपण के लिए हैं। जब हमने उनसे उत्खनन अधिकारी के बारे में पूछा तो कहने लगे कि वे चार महीनों की छुट्टी पर गये हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारी सरकार कहती है, हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि पर्यावरण में संतुलन बनाये रखना बहुत आवश्यक है और इसके लिए उन लोगों को बार-बार आगाह करते हैं फिर भी इस तरह का कार्य होता है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी पर्यावरण असन्तुलन की बड़ी दुखद स्थिति की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाते हुए मैं सरकार से अपेक्षा करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठायेगी और बिहार सरकार को निर्देश देगी।

6.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य केरल को चक्रवात, बाढ़, समुद्री-कटाव तथा भू-स्खलन के कारण बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हमारे प्रिय मुख्य मन्त्री तथा उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के नेतृत्व में केरल सरकार ने समय पर कार्रवाई करके पीड़ित लोगों की सहायता की है।

महोदय, दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत में पैदा की जाने वाली फसलों में यह अन्तर है कि केरल में रबड़, इलायची, नारियल आदि जैसी नकदी फसलें पैदा की जाती हैं। नारियल के पेड़ से

8-10 साल बाद आमदनी होनी शुरू होती है। एक बार उस पर नारियल लगने शुरू हो जाएं तो अगले 30-40 सालों तक उससे आमदनी होती रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया कुछ देर के लिए अपनी सीट पर बैठ जाए। छः बज गए हैं। बहुत से माननीय सदस्यों को अभी बोलना है।

एक माननीय सदस्य : कितने सदस्यों को ?

उपाध्यक्ष महोदय : 10-15 को। आज हम इसे समाप्त करना चाहते हैं। आपको समय-सीमा का पालन करना होगा। मैं घंटी बजाता रहता हूं लेकिन कोई नहीं सुनता।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : कम से कम कुछ समानता तो होनी चाहिए। किसी को पांच मिनट मिलते हैं तो किसी को 10 मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : समय तो निर्धारित है अर्थात् 3 घंटे। सचेतकों द्वारा सूचियां दे दी हैं। बहुत से सदस्य बोलने के इच्छुक हैं। अतः आप लोगों को सहयोग करना होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे समान मुद्दों को नहीं दोहराएं।

श्री हरि कृष्ण शास्त्री (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया एक घंटा समय और बढ़ा दीजिए। उसके बाद माननीय मंत्री जवाब दे देंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : कुछ सूखे पर बोलेंगे और कुछ बाढ़ पर।

उपाध्यक्ष महोदय : तथा सदन की सहमति से मैं एक घंटा और बढ़ा दूं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को सहयोग देना होगा अन्यथा अन्य सदस्य भाग नहीं ले सकेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, अगली बार आप शुरू में बोलने वालों को कम समय और बाद में बोलने वालों को अधिक समय दीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : महोदय, केरल में उगाई जाने वाली सालाना फसलें दीर्घावधि वाली फसलों से भिन्न हैं। अगर रबड़ या नारियल की फसल नष्ट हो जाए तो उत्पादक की जिन्दगी ही बर्बाद हो जाती है क्योंकि वह दोबारा उसे लगाकर आय प्राप्त करने के लिए अगले 10 सालों तक इन्तजार नहीं कर सकता। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि उन लोगों को अधिक सहायता दें जिनकी दीर्घ अवधि वाली फसलें नष्ट हो गई हैं। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसे कृषकों के लिए फसल बीमा शुरू करें तथा उन्हें दीर्घावधि तथा ब्याज रहित ऋण दिए जाएं। सहकारी समितियों को और अधिक पैसा दिया जाए जिससे वे उसे कृषकों में वितरित कर सकें। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषकों को निःशुल्क खाद वितरित की जाए। केरल में 740 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 100 लोगों की जानें गई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केरल में एक ही बार अर्थात् दो साल पहले सूखा पड़ा था। अब वहां यह दूसरी आपदा है। दिल्ली के समीप के राज्यों को केन्द्र सरकार से अधिक सहायता मिल रही है। लेकिन केरल जैसे राज्यों जोकि दिल्ली से दूर स्थित

[श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल]

है को इस सहायता का उपयुक्त हिस्सा नहीं मिल रहा है। मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पता लगा सकें कि पिछले 38 सालों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए केरल को अन्य राज्यों की तुलना में कितनी धनराशि दी गई। अगर आप इन आंकड़ों की तुलना करें तो पाएंगे कि केरल राज्य को हो रही भारी हानि के मुकाबले इसे बहुत कम धनराशि दी जाती है। मंत्री जी ने इस प्राकृतिक आपदा तथा उसके फलस्वरूप हुई हानि का जायजा लेने के लिए हमारे क्षेत्र का दौरा किया था। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। वहां सारी सड़कें टूट गई हैं। उनकी मरम्मत के लिए सौ करोड़ से भी अधिक रुपयों की जरूरत है। यही नहीं समुद्री-कटाव को रोकने के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। केरल में बहुत अधिक भू-स्खलन होने के कारण फसलें नष्ट हुई हैं और लोगों की जानें गई हैं। अतः केन्द्र सरकार को एहतियाती उपाय करने चाहिए और केरल राज्य को अधिक सहायता देनी चाहिए। केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में यथासंभव किया जाए। इसके लिए उसे केरल को 100% अनुदान देना चाहिए।

आशा है मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा। मैं मंत्री श्री बूटा सिंह जी को हमारे क्षेत्र का दौरा करने तथा वहां जो कुछ हुआ है उसका जायजा लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। केरल को और अधिक सहायता देने के लिए मैं उनसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। कम से कम मुझे बोलने का मौका तो मिला। (**व्यवधान**)

हर साल हम बाढ़, सूखा या चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा करते हैं। इस साल हम खासकर तटीय क्षेत्रों में विशाल पैमाने पर हुए समुद्री कटाव के बारे में सुन रहे हैं। यह किसी एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं रह गई है। यह तो राष्ट्रीय समस्या बन गई है जो असम से कन्याकुमारी और अण्डमान से निकोबार तक फैली हुई है।

इस साल आई बाढ़ का सीधा शिकार केरल हुआ है। मेरे ख्याल से इससे उसे सर्वाधिक नुकसान हुआ है।

एक माननीय सदस्य : केरल बाढ़ के मामले में पहले नम्बर पर है।

श्री पी० एम० सईद : जी हां, बाढ़ के मामले में।

मैं केरल में श्री करुणाकरन की सरकार को समय पर कार्यवाही करने के लिए बधाई देता हूं। मेरे विचार से इस कार्यवाही के कारण कम से कम और आने वाली आपदाएं तो टल गईं। केन्द्र ने भी केरल को समय पर सहायता दी।

जहां तक केरल की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है, वाद-विवाद शुरू करने वाले मेरे सहयोगी प्रोफेसर थामस तथा उसके बाद इस में भाग लेने वाले अन्य सदस्य इस सम्बन्ध में विस्तार से बता चुके हैं। आपने कहा है कि भाषण संक्षिप्त रखें। अतः मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि केरल को 100 प्रतिशत सहायता दी जाए क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि वहां स्थिति बहुत खराब है। कई बार उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं होती कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें। अगर मेरी जानकारी सही है तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि 700 करोड़ रुपये सहायता के

तौर पर दिए जाने चाहिए। केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए और इस राशि की वापसी की आशा किए बिना इसे शत-प्रतिशत सहायता के रूप में मंजूर करना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में – मैं संक्षिप्त रूप से कहूंगा क्योंकि आप मुझे चेतावनी दे चुके हैं— अभूत-पूर्व समुद्री कटाव हो रहा है। पिछले दो-तीन दिनों से मुझे सैकड़ों टेलिग्राम मिल रहे हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र देश में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। यह 32.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। आर्थिक जोन के साथ मिलाए जाने पर यह 50 हजार किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह आबादी वाला सबसे छोटा द्वीप है। यहां 27 करोड़ लोग रहते हैं।

बहुत से नारियल के पेड़, मछली पकड़ने के शेड बह गए हैं तथा बहुत सारी भूमि का कटाव हुआ है। मेरा दुर्भाग्य यह है कि जब बूटा सिंह जी ने दौरा किया, जिनके साथ मेरी दो दशकों से दोस्ती है, उस समय पर ··

प्रो० मधु दंडवते : आप दुर्भाग्यवान कैसे हो सकते हैं ?

श्री पी० एम० सईद : मैं दुर्भाग्यवान था क्योंकि जब इन्होंने केरल का दौरा किया था, लक्षद्वीप में यह विपत्ति नहीं आई थी।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इनके चुनाव क्षेत्र में यह दुर्घटना मेरे केरल के दौरे के बाद हुई थी।

श्री पी० एम० सईद : अभी तक मैं उन्हें लक्षद्वीप ले जाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका हूं। अगर ये वहां गए होते तो स्थिति को अच्छी प्रकार से समझ सकते। स्थिति यह है कि जैसे ही आप इसे भूलेंगे तो एक-एक करके ये द्वीप लुप्त हो जाएंगे। इस 27 एकड़ भूमि में 200 से भी अधिक लोग रह रहे हैं। विकराल समुद्र तथा मानसून के कारण पोत सरलता से हर समय वहां नहीं जा सकते ! एक पोत वहां गया था और नष्ट हो गया। स्थिति बहुत ही गंभीर है। मैं माननीय मन्त्री से, जो मेरे परम मित्र हैं, आग्रह करूंगा कि इस दुर्घटना के कारण द्वीप को कितना नुकसान हुआ है इसका जायजा लेने के लिए एक दल भेजें। सौभाग्य से जो लोग भीतरी क्षेत्रों में रह रहे हैं वे कुशल हैं और वहां जन-जीवन की हानि नहीं हुई क्योंकि उनके पास सदियों से बचाव के तरीके हैं तथा अनुभव है। सरकार को जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि यह समस्या वहां पिछले दस वर्षों से है। हमें इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढ़ना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर, कुछ वर्ष पहले, उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ने की कुछ समस्या थी। अब बाढ़ से केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। जैसाकि तमिलनाडु के एक सदस्य कुछ समय पहले कह रहे थे, तमिलनाडु और कर्नाटक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित हैं। अतः इन बातों का समाधान किया जा सकता है। अगर हम उत्तर की नदियों से जल दक्षिण की तरफ ले जाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। मुझे बताया गया था कि यह 10,000 करोड़ रुपये की योजना थी। परन्तु अगर इसे पूरा करना है तो सभी राज्यों को कुछ अंशदान देना चाहिए और हमें अपने बजट कसकर बनाने चाहिएं ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके।

[श्री पी० एम० सईद]

दूसरे, जैसा कि श्री जैन ने अभी-अभी उल्लेख किया है कि एक आवर्ती कोष बनाना चाहिए। हमें अध्ययन करना चाहिए कि दस वर्षों में प्रत्येक राज्य में कितनी राशि राहत के रूप में खर्च की गई हैं। उसी के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए कुछ प्रतिशत अंशदान निश्चित करना चाहिए जिसे इस आवर्ती कोष में उनके द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि इस स्थायी कोष का तुरन्त इस्तेमाल उन सभी आपदाओं से प्रभावित लोगों तथा राज्यों को सहायता पहुंचाने के लिए किया जा सके।

मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल सरकार से यही कहना चाहूंगा कि एक आवर्ती कोष बनाना चाहिए और उत्तर की नदियां को दक्षिण की नदियों से जोड़ने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : अगर ऐसा होता है तो कर्नाटक बह जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कर्नाटक राज्य को भी अब जल समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, देश भर में व्याप्त प्राकृतिक विपदाओं के सम्बन्ध में आज इस सदन में चर्चा हो रही है। सवाल चाहे बूढ़ी गण्डक का हो, अकाल का हो या बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान का हो, प्राकृतिक विपदायें निश्चित रूप से हिन्दुस्तान में हैं। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं, जहां बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से प्रभावित हैं, वहीं दक्षिण छोर अकाल से प्रभावित है। उसी बिहार के उत्तरी छोर पर मेरा संसदीय क्षेत्रीय गोपालगंज स्थित है। मेरे बगल में पश्चिमी चम्पारन का इलाका भी है, पूर्वी चम्पारन का इलाका भी है।

हम आजादी के पूर्व यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि हम आजाद होंगे तो इन विपदाओं से हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन आजादी के 38 वर्षों के बाद भी इसका स्थाई समाधान हम नहीं ढूंढ़ सके हैं। हर वर्ष बिहार का आधा बजट बाढ़ पर ही खर्च होता है, लेकिन आज तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। 1970 में प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खासकर चम्पारण और उत्तर प्रदेश के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए पीपरासी पिपरा बांध की योजना बनाई थी लेकिन हुआ क्या उस बांध पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, हम लोग उस समय बिहार विधान सभा के मेम्बर थे, वहां पर हमने इसके ऊपर प्रश्न उठाए, अंजाम यह हुआ कि जहां करोड़ों रुपयों की वह स्कीम थी वहां अब वह अरबों रुपयों की हो गई और इतने रुपए खर्च होने के बाद भीजब बाढ़ आती है तो वह बांध बहकर चला जाता है।

आज परिस्थिति यह है कि एक तरफ हमारे ऊपर प्राकृतिक विपदायें लदी हैं तो दूसरी तरफ सरकार की विपदाएं भी हमें कष्ट दे रही हैं। खासकर के गोपालगंज में जहां कि विजया दिवौली प्रखंड है, वहां पर बूढ़ी गण्डक के भयंकर कटाव से हजारों घर गंगा की बाढ़ में बह गए हैं और हजारों की फसल बर्बाद हो गई है। स्कूल भी नदी में बह गए हैं। लेकिन जब मैं वहां के लोगों से मिला तो उन्होंने मुझे रो-रोकर बताया कि एक तरफ हम नदी के पानी के कटाव से प्रभावित हैं और दूसरी तरफ हमारे परिवार के सदस्य पकड़-पकड़ कर जेल में बन्द किए जाते हैं। जब मैंने गहराई से जानना चाहा कि आखिर मूल प्रश्न क्या है, तो मैं छानबीन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वहां पर

हर साल लोन की वसूली की जाती है, चाहे वह बैंक का लोन हो या राजस्व की वसूली हो। सभी लोगों को वारण्ट जारी किए गए हैं। वहां पर एक तरफ कटाव से लोग प्रभावित हैं और दूसरी तरफ वे लोग सरकार से परेशान हैं। जो उनकी जमीन थी वह तो बूढ़ी गंडक की गोद में विलीन हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हम किस जमीन का लोन वसूल कर रहे हैं। वह जमीन है भी या नदी में विलीन हो गई है।

महोदय, बिहार ऐसी भूमि है जहां पश्चिम चम्पारण है, जहां से बापू ने आन्दोलन शुरू किया था, जहां सिवान है जहां के डा० राजेन्द्र प्रसाद जी थे, मौलाना मजऊलहक जैसी महान् विभूतियों को वहां की धरती ने जन्म दिया है। लेकिन आज बूढ़ी गण्डक, गंगा, कोसी, बागमती और घाघरा के भयंकर कटाव से लोग त्रस्त हैं। लेकिन सरकारी सहायता अभी तक वहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए मैं खासकर कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां के लिए तुरन्त धनराशि आबंटित की जाए और एक केन्द्रीय अध्ययन दल वहां पर भेजा जाए।

मैंने बिहार में देखा है कि वहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बाढ़ नियंत्रण विभाग और सिंचाई विभाग में है। अगर आप हिन्दुस्तान का इतिहास उठाकर देखें और यह देखना चाहेंगे कि सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा कहां है, तो आप पायेंगे कि वह बिहार का बाढ़ नियंत्रण विभाग और सिंचाई विभाग है कि जहां कि हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और वहां पर हिन्दुस्तान इतिहास में सबसे ज्यादा इंजीनियर इन विभागों के मुअत्तिल हुए हैं। मैं एक इन्जीनियर से बात कर रहा था और मैंने उससे कहा कि साहब कम से कम भगवान पर भरोसा रखकर जो इस प्रकार की सरकारी राशि की लूट आप लोगों द्वारा की जाती है। उस पर तो गौर किया करें। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पैसा रहेगा, तो मैं फिर छूट जाऊंगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि केन्द्रीय सरकार बाढ़ से वहां के लोगों को बचाने के लिए जो धनराशि प्रदान करे, उसका सदुपयोग हो। बाढ़ के प्रकोप से खासकर गोपालगंज, पश्चिम चम्पारण का जो बूढ़ी गण्डक का नौतन प्रखंड है गोपालगंज का जादोपुर, दिघवा-दियोली, कुचाई कोट प्रखण्ड है जहां कि सबसे ज्यादा हजारों की संख्या में गांव बह गए वहां राहत के नाम पर अभी तक कोई भी सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। उसके लिए प्रधान मन्त्री महोदय को वहां की जनता ने मेरे माध्यम से और मैंने स्वयं भी खासकर दिघवा दियोली प्रखंड, पश्चिम चम्पारण जिलों के लोगों को बाढ़ से बचाने की अपील की है। लेकिन उसका अंजाम यही हुआ कि बाढ़ के पूर्व जब सूचना दी गई, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन जब वहां बाढ़ आई तो करोड़ों रुपया वहां पर खर्च किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि बाढ़ पर आप समय पर नियंत्रण करने हेतु अपने स्तर से कोई ठोस कदम उठायें जिससे कि बिहार की बाढ़ का स्थायी समाधान हो सका।

[अनुवाद]

*श्री जी० एस० बसवराजू (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक देश में विनाशकारी बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पर बहुत से माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। अत मैं कर्नाटक राज्य में चल रहे अप्रत्याशित सूखे पर ध्यान केन्द्रित करूंगा।

*कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जी० एस० बसवराजु]

एक मेरे राज्य में अभूतपूर्व सूखा पड़ रहा है। राज्य में 172 ताल्लुकों में से 75 ताल्लुकों में बीजरोपण का काम नहीं किया जा सका है कई ताल्लुकों में तो इस वर्ष आधा इन्च वर्षा भी नहीं हुई है। केन्द्र सरकार ने राज्य में सूखा राहत कार्यक्रम के लिए 29 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। परन्तु यह राशि वास्तविक सहायता के लिए बहुत कम है। अब राज्य को खाद्य सामग्री, जल तथा बेरोजगारी संकट का मुकाबला करना पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारा तथा जल उपलब्ध नहीं है। लोगों को तथा पशुओं को भुखमरी से बचाने के लिए तुरन्त कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।

अप्रत्याशित सूखे का बंगलौर, टुमकुर, कोलार, बेलारी, चिकमंगलूर, हसन तथा गुलबर्गा जनपदों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किसान बिना काम के खाली बैठे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे राज्य के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए की सहायता दी जाये। तुरन्त राहत उपाय के तौर पर 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की जानी चाहिए बाकी को दूसरे चरण में स्वीकृति दे दी जाए।

संसद के सत्र में भाग लेने के लिए यहां आने से पहले मैंने अपने सारे चुनाव क्षेत्र का 15 दिन तक दौरा किया है। मैंने गरीब ग्रामीणों तथा किसानों की दशा को देखा है। इसलिए केन्द्र को तुरन्त राहत उपाय करने चाहिए। इसी समय, मैं अपनी केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि सूखा राहत कोष के समुचित उपयोग पर नजर रखने के लिए एक 'निगरानी समिति' का गठन किया जाना चाहिए। अन्यथा, मुझे डर है कि कहीं उस राशि का कर्नाटक राज्य सरकार के एजेंटों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए। आजकल हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री "महा भारत के दान शूर कर्ण" बन गए हैं। वह गैर योजना कार्यक्रमों पर धन खर्च कर रहे हैं। धन बहुत से एजेंटों की जेब में जा रहा है और यह जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने किसानों की उपेक्षा कर दी है। वह अमीर लोगों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। केन्द्र द्वारा भेजे गए अधिकारी भी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः केन्द्र को सूखा राहत कार्यक्रम हेतु काम करने के लिए अच्छे अधिकारियों के एक दल का चयन करना होगा।

हमारे देश में बाढ़ और सूखे की समस्या एक स्थायी समस्या है। अतः मैं कुछ स्थायी हलों का सुझाव देना चाहता हूं। नदियों के जल का ठीक से प्रयोग करने से मेरे राज्य में 40 लाख एकड़ सूखी भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों के जल का ठीक से प्रयोग करना होगा। हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री सिंचाई पर खर्च करने के पक्ष में नहीं हैं। कर्नाटक एक समृद्ध तथा खुशहाल राज्य था परन्तु अब दुर्भाग्य से देश में एक सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल पूर्व की ओर मोड़ा जाए तो कम से कम 16 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। नेत्रवती नदी की सिंचाई परियोजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। अपर भद्र परियोजना और अपर तुंग परियोजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। उपरोक्त परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। यह स्थायी हल होगा और इससे राज्य प्रति वर्ष कई सौ करोड़ रुपए कमा सकेंगे।

एक बार फिर से मैं केन्द्र सरकार से 50 करोड़ रुपये अग्रिम राहत कोष के तौर पर देने की प्रार्थना करूंगा और मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री कर्नाटक राज्य को 200 करोड़ रुपये की कुल राशि इस अप्रत्याशित सूखे की स्थिति के संकट से निपटने के लिये स्वीकृत करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : प्राकृतिक आपदाओं से हमारे देश के कई भागों में जो नुकसान हुआ है उस पर मैं बड़े भारी दिल से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हर वर्ष इस सभा को बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हुये विनाशों पर चर्चा करनी पड़ती है। यह मुनासिब समय है कि ज्यादा जोर निवारक कार्यवाहियों पर दिया जाए। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि निवारक कार्यवाहियों पर जोर देने में और देरी नहीं की जानी चाहिये। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जाये।

इसके अलावा यह जानकर भी बहुत चिन्ता हुई कि हमारी सरकार के पास किसी राज्य में हुई क्षति का अनुमान लगाने तथा उसके लिये सहायता की आवश्यकता के बारे में बताने के लिये कोई तन्त्र नहीं है। ऐसे तन्त्र की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि राहत या कोई सहायता तुरन्त पहुंचाई जा सके। राहत प्रबन्धों की यह देरी अपने लोगों के संकट तथा मुसीबत को और भी अधिक कर देती है। समय की कमी के कारण मैं स्वयं को केरल राज्य तक सीमित रखूंगा।

केरल में भारी वर्षा के कारण बाढ़ें आई हैं, भूस्खलन हुये हैं और समुद्री तट का कटाव हुआ है। केरल राज्य में अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर हम यह महसूस करें कि लगभग 52 प्रतिशत जनता इन आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हुई है तो हम क्षति का अन्दाजा लगा सकते हैं। अतः अब आवश्यकता यह है कि केन्द्र बड़े पैमाने पर केरल राज्य की सहायता करें, विशेषकर इसलिये क्योंकि केरल राज्य वित्तीय स्थिति की वजह से भी स्वयं को कठिनाई में महसूस कर रहा है। अब केरल राज्य के लिये और आंतरिक संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव है। अतः एक तरफ तो हमारे केरल राज्य को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा दूसरी तरफ हमारे यहां अभूतपूर्व तबाही हो रही है— पिछले 60 वर्षों अभूतपूर्व है। 1926 से हमने ऐसे संकट के बारे में नहीं सुना है। जिस संकट से आजकल हम अपने राज्य केरल में गुजर रहे हैं। अतः सहायता देने का यह आम तरीका है कि 75 प्रतिशत केन्द्र तथा 25 प्रतिशत राज्य देगा इन हालातों में केरल राज्य पर नहीं लागू किया जा सकता क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो केरल राज्य की अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी।

अतः मैं प्रबलता के साथ बल देकर सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुसीबत के इन दिनों में केरल को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाना चाहिए।

हमारे देश में आई वर्तमान प्राकृतिक आपदाओं से केरल सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। कुल 743.63 करोड़ रुपये की हानि प्राक्कलित की गई है और इसलिए मैं कहता हूं कि यह पूर्णतया आवश्यक है कि केन्द्र द्वारा शतप्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।

महोदय, केन्द्र को उसके द्वारा 25 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि तुरन्त वहां भेजने के लिए

[श्री जी० एम० बनातवाला]

हार्दिक धन्यवाद। केरल सरकार के प्रयास भी प्रसंशनीय हैं। मुख्य मन्त्री श्री करुणाकरण के योग्य नेतृत्व में केरल सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्य का वहाव्यापक अभियान चलाया था समय के अभाव में मैं आप को यह नहीं बता पाऊंगा किस प्रकार सरकार ने लोगों के दुख और संकट की घड़ी में उन तक पहुंचने में कोई कसर नहीं उठा रखी। 1.20 लाख लोगों को सामयिक राहत प्रदान की जानी थी। यह बड़ा ही कठिन कार्य था। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के सभी विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए है। यदि आप मकानों को ही लें तो 4.78 लाख मकानों को क्षति पहुंची है। बहुत से मामलों में तो केवल मकान नष्ट हो गये हैं बल्कि जमीन भी बह गई है, अतः लगभग 1.20 लाख घरों को नई जगहों पर फिर से बसाने की आवश्यकता है। इस भारी वर्षा के कारण राज्य के लगभग 98 प्रतिशत मछुए बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बन्दरगाह पर बने भवन नष्ट हो गये हैं और उनकी मरम्मत के लिए 2.19 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। मल्लपुरम जिले में बन्दरगाह पर बने अनेक भवन प्रभावित हुए हैं। पोन्नानी बन्दरगाह पर 12 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है जिसका कारण भारी गाद का जमा होना है और 5 लाख का नुकसान घाट और भवनों को हुई क्षति के कारण हुआ है। सड़कों को भारी क्षति पहुंची है।

महोदय, जहां तक केरल का सम्बन्ध है, एक महत्त्वपूर्ण बात समुद्र का कटाव भी है। केरल का समुद्र तट बड़ा ही नाजुक है। अतः समुद्र तट पर दीवाल बनाना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, परन्तु पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है और समुद्र तट पर जहां दीवालें नहीं हैं वहां इतना भारी नुकसान हुआ है कि इन समुद्री कटावों के कारण सभी पेड़, मकान और भूमि बह गयी हैं। समुद्र तट पर दीवाल बनाने के काम को गति प्रदान करनी होगी इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता भी है तथा नौ जिलों में 27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि चाहिए। अकेले मल्लापुरम जिले में इस विशेष परियोजना के लिए 4·5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

जब अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा है बुरी तरह से प्रभावित इन लोगों के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था करना दूसरे शब्दों में हमें रोजगार जन्य कार्यक्रम चाहिए। अतः इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत सी धनराशि की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अन्त में यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जब आप धन की स्वीकृति देते हैं तो कभी-कभी स्वीकृति प्राप्त धनराशि और दी जाने वाली धनराशि में अन्तर होता है। उदाहरण स्वरूप, स्वयं केरल में, वर्ष 1982-83 में केन्द्र सरकार ने वहां सूखे के मामले में 4.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी और उसमें से मुश्किल से 2.0 करोड़ रुपया ही दिया गया था। फिर 1983-84 में, 42.46 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति दी गई थी और वास्तव में 38.35 करोड़ रुपये ही दिये गये थे। अतः जब शतप्रतिशत अनुदान की स्वीकृत दी जाती है तो इसे प्रदान भी किया जाना चाहिए और इसलिए मैं आशा करता हूं कि केरल के लिए केन्द्रीय सहायता किसी भी तरह कम नहीं होगी।

* श्री बी०एस० विजय राघवन : (पालघाट): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं, प्राकृतिक आप-

* मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बाढ़ों पर चर्चा जो लगभग 4 घंटे से हो रही है, की अनुमति देने के लिए, अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं। केरल के मेरे कई मित्र, बाढ़ों और उससे केरल में हुए विनाश के बारे में विस्तार से बोले हैं, अतः मुझे और विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है मैं इस अवसर पर अपने प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को, केरल की इस दुख की घड़ी में सामयिक सहायता दिये जाने के लिए, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जैसे ही बाढ़ आई, उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। उन्होंने कृषि मन्त्री, श्री बूटा सिंह और योजना मन्त्री महोदय, श्री के० आर० नारायणन को भी वहां जाकर बाढ़ों द्वारा किए गये विनाश का स्थल पर अध्ययन करने के लिए केरल भेजा। बाद में एक केन्द्रीय दल भेजा गया और वह दल अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत ही करने वाला है। कृषि मन्त्री महोदय ने स्वयं भी केरल में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा किए गए विनाश को देखा है। अतः जो कुछ वहां पर हुआ है मुझे वह सब बताने की आवश्यकता नहीं है।

फिर भी, मैं एक या दो बातें सभा को बताना चाहूंगा। गत 30 वर्षों के दौरान, केरल को इतनी विनाशकारी बाढ़ों का सामना नहीं करना पड़ा था। केरल के कुल 1416 गांवों में से 900 गांव प्रभावित हुए हैं। 146 लाख लोग गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जो कि केरल की कुल जनसंख्या का 52% हैं। 7400 लोग घायल हुए हैं और लगभग 4.8 लाख मकान नष्ट हुए हैं।

नकदी फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। 145761 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बाढ़ों से प्रभावित हुई है। अधिकांश नकदी फसलों से उपज प्राप्त करने में कई वर्ष का समय लगता है। अतः इन फसलों के नष्ट होने का अर्थ है कि हानि काफी लम्बी अवधि तक उठानी पड़ेगी। हानि केवल किसानों को ही नहीं हुई है परन्तु राजकोष को भी हुई है, क्योंकि इन नकदी फसलों में से अधिकांश जैसे रबड़, इलायची, खोपरा आदि हमारे लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा कमाती हैं। इस सन्दर्भ में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुएं किसानों को निःशुल्क देकर उनकी सहायता करे। इसी प्रकार ऋणों के भुगतान को स्थगित किया जाना चाहिए।

इससे केरल के मछुवारे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वे समुद्र-तट पर रहते हैं। जब कभी समुद्री कटाव होता है तो उनकी झोपड़ियां तत्काल बह जाती हैं, क्योंकि ये समुद्र-तट के निकट होती हैं। यहां तक कि सामान्य स्थिति में भी उन्हें अपनी आजीविका कमाना बहुत कठिन पड़ता है। उनकी दुर्दशा वर्णनातीत है, मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी समस्याओं पर अधिक गम्भीरता से ध्यान दे। सरकार को उन्हें समुद्र-तट से थोड़ा हटकर मकान देने हेतु की एक योजना बनानी चाहिए और उसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार को उठाना चाहिये।

महोदय, केरल में प्रतिवर्ष समुद्री कटाव होता है। यद्यपि समुद्री तट पर दीवाल बनाने की एक योजना है, परन्तु इसमें अधिक प्रगति नहीं हुई है। समुद्री कटाव भूमि को भारी खतरा पैदा करता है, क्योंकि समुद्र प्रति वर्ष भूमि के टुकड़े को अपने में अंकित कर लेता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह समुद्री कटाव को राष्ट्रीय संकट समझे! समुद्री कटाव को रोकने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाई जानी चाहिये और इसे केन्द्रीय योजना का ही एक अंग होना चाहिये। केन्द्र के वार्षिक बजट में, इसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिये।

एक अन्य समस्या सड़कों की मरम्मत और उनके पुनर्निर्माण की है। हाल की बाढ़ों में, 6300

[श्री वी० एस० विजय राघवन]

किलोमीटर सड़कों में खराबी आई है। मानसून के दौरान केरल की अधिकांश सड़कें पानी में डूब जाती हैं। अत:, सड़कों की सतह को कड़ा बनाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाये जाने चाहिए जिससे कि वे बाढ़ के पानी के प्रभाव को झेल सकें। इस सम्बन्ध में, एक दीर्घकालीन योजना तैयार करके लागू की जानी चाहिये।

अन्त में मैं केरल के अपने मित्रों द्वारा उठाई गई उन मांगों का समर्थन करूंगा कि केन्द्र को केरल को आपदाओं से निपटने के लिए शतप्रतिशत अनुदान देना चाहिये। केरल सरकार ने शत-प्रतिशत गैर-योजना अनुदान के रूप में 743.36 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की है। मैं केन्द्र सरकार से केरल सरकार की प्रार्थना को स्वीकार करने का निवेदन करता हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं केरल सरकार द्वारा मुख्य मंत्री श्री के० करुणाकरन के योग्य नेतृत्व में किये गये उत्तम कार्य की सराहना में दो शब्द कहना चाहूंगा। कम से कम समय के भीतर सभी प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई है। इस प्रकार केरल सरकार ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। जब पीड़ित लोगों को राहत पहुंचा दी गई तो विपक्ष में बैठे हमारे कुछ मित्रों ने इसकी आलोचना की और इसमें भी राजनीति देखने का प्रयास किया। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि वे तो लोगों के संकट में भी केवल राजनीति ही देख सकते हैं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। इसपर चर्चा की अनुमति प्रदान करने के लिये मैं एक बार फिर अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर में बाढ़ और दक्षिण में सूखा पड़ता है। इस समस्या के समाधान में तालमेल न होने के कारण इस सदन में हर सत्र में नेचुरल कैलेमिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। केरल और महाराष्ट्र के कई क्षेत्र जलमग्न हो गये, जबकि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई स्थानों पर सूखा पड़ा हुआ है। वहां पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पशुओं के लिए घास भी नहीं मिल पा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए श्री के० एल० राव ने एक सुझाव दिया था कि उत्तर और दक्षिण की नदियों को मिलाने से समस्या दूर हो सकती है।

जमीन में पानी न होने के कारण घास पैदा नहीं होती है और इसकी वजह से पशु मर रहे हैं और ज्यादा पानी की वजह से जनता मर रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा बाढ़ आने की वजह से बीमारियों पैदा हो सकती है। कुछ लोग तो पेट दर्द की वजह से मर रहे हैं और कुछ पेट में खाना न होने के कारण से मर रहे हैं। इनमें तालमेल करने के लिए हमको एक प्लान बनाना होगा। वह प्लान यह है कि गंगा-कावेरी को मिलाने की जरूरत है। जब ज्यादा बाढ़ आती है, तो वहां पर तालाब बनाकर उसको फील्ड में जाने से रोकना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें जो सेन्टर से ऐड मिलती है, वह कम होती है, लेकिन हमें फिर भी बाढ़ और सूखे का मुकाबला करना पड़ता है। हमें आज सेन्टर से जो भी सहायता मिल रही है, वह प्लान एडवांस है इसके सिवाय कोई एसिस्टेंस नहीं दी जा रही है। इसलिये मेरा सुझाव है कि रिवालविंग फण्ड बना कर उसमें पैसा जमा करना चाहिए, ताकि बाढ़ और सूखे का मुकाबला करने के लिये राज्यों को एसिस्टेंस दी जा सके। मेरी दृष्टि में इस तरह

का प्लान एडवांस नहीं होना चाहिए। जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, वहां के लिये ड्राउट रजिस्टेंस बीज तैयार करने चाहिए। इसकी तैयारी एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीचूट में की जानी चाहिए। इस तरह की रिसर्च करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार से जहां ज्यादा पानी या बाढ़ आ जाती है, वहां हमारी पैडी की फसल को बचाने के लिए 5-10 दिन पानी में रह सके और खराब न हो, इसके बारे में रिसर्च होनी चाहिए।

1982-83 में आन्ध्र में सेन्ट्रल एस्सिटेंस के लिए आप लोगों ने 369 करोड़ रुपया असेस किया, लेकिन कुल 54 करोड़ रुपया दिया और वह भी अनुदान नहीं दिया, बल्कि लोन-एस्सिटेंस दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें हिचकिचाने की क्या जरूरत है। जैसा अभी केरल और कर्नाटक के साथियों ने बतलाया, आप प्लान एडवांस दे रहे हैं, एस्सिटेंस नहीं दे रहे हैं। 20 या 25 परसेन्ट अस्सिटेंस और 75 परसेंट प्लान एडवांस देते हैं।

आन्ध्र में जहां प्लान-वर्क्स होता है, वहीं पर ड्राउट रिलीफ वर्क्स भी किया जाता है। जहां ज्यादा बारिश होती है, वहां प्लान वर्क्स चलता है लेकिन जहां ड्राउट होता है, वहां एम्पलायमेंट को जनरेट करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जाहिर बात है कि जहां पानी ज्यादा होगा, वहां प्लान वर्क्स चलेंगे, लेकिन जहां पानी नहीं होगा, वहां काम कैसे चलेगा। आपको इस पॉलिसी को बदलना चाहिए।

1984-85 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 342 करोड़ की एसिस्टेंस मांगी थी, लेकिन आपने सिर्फ 50 परसेंट दिया, ऐसा क्यों होता है, मेरी समझ में नहीं आता है। इतना फर्क क्यों है? आप पैसा देने में क्यों हिचकिचाते हैं। ऐसी हालत में प्रान्त सरकार का काम कैसे चलेगा? अभी मेरे मित्र ने बतलाया कि कर्नाटक में जो पैसा दिया गया, वह जनता तक नहीं पहुंचा। बिहार के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है। इन परिस्थितियों को बदला जाना चाहिए। फैमिन कोड बदलना चाहिए। गंगा-कावेरी को मिलाना चाहिए। रिवाल्विंग फण्ड क्रिएट करना चाहिए। अगर आप ये सब काम करेंगे, तब परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आज हम यहां पर प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में हाल ही में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर ही अधिकांश चर्चा हुई है। अभी भी, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के कुछ प्रदेशों में विशाल क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। परन्तु प्राकृतिक आपदाएं केवल बाढ़ से ही सम्बद्ध नहीं हैं। सूखा, तूफान, चक्रवात और अन्य ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं हैं।

उड़ीसा जहां का मैं प्रतिनिधि हूं, प्राकृतिक आपदाओं का घर है। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं यथा तूफान, बाढ़, सूखा— उस अभागे राज्य में प्रायः आती ही रहती हैं और कभी-कभी तो एक ही वर्ष में सारे की सारी आ जाती हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से गरीबी पनपती है। वे तो बहुत ही अच्छे और अन्तरंग मित्र हैं। इसीलिए, उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत देश भर में सर्वाधिक है। और इसीलिए राष्ट्रपिता को भी वहां की गरीबी ने

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

प्रभावित किया था। गांधी जी उड़ीसा के अपने भ्रमण के दौरान इसकी भयंकर गरीबी से द्रवित हो उठे थे तथा उन्होंने अपनी आम लम्बी पोशाक को उतार फेंकने तथा घुटनों तक की धोती और शरीर के ऊपर के अंग पर चादर ओढ़ने का निर्णय लिया था। उड़ीसा के एक लब्धप्रतिष्ठ सुपुत्र एक महात्मा श्री उत्कलमणिगोपाल बन्धु दास जी ने उड़ीसा के बाढ़ पीड़ितों के कष्टों को दूर करने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया। वह पहले ऐसी ही पोशाक पहना करते थे और उसी से उड़ीसा की गरीबी के सन्दर्भ में, उसे अपनाने के लिए राष्ट्रपिता गांधी जी भी प्रभावित हुए थे।

महोदय, अब मैं कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा कि वह राज्य प्राकृतिक आपदाओं से आजकल कैसे ग्रस्त है। उड़ीसा में कुल 314 सामुदायिक विकास खण्ड हैं। उनमें से 201 खण्डों के, 14025 ग्राम उड़ीसा के विभिन्न जिलों में भीषण सूखे की चपेट में हैं। महोदय, हमारे लिए यह चर्चा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज हम संसद में प्राकृतिक आपदाओं पर, अपने प्रिय प्रधान मन्त्री की उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे की पूर्वसंध्या पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे प्रधान मन्त्री कल और परसों आदिवासी बहुल सूखाग्रस्त कालाहांडी, सम्बलपुर और फूलबनी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसी पृष्ठभूमि में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि देश के विभिन्न भागों में बवन्डर कभी-कभी ही आता है।

परन्तु यह चिन्ता की बात है कि इस वर्ष इस बवण्डर ने पन्द्रह दिनों में हमारे राज्य के अनेक भागों को प्रभावित किया। हम समुद्री-तूफानों के आदी हैं। उड़ीसा में हम प्राकृतिक विपदाओं के बीच रहकर प्राकृतिक विपदाओं के आदी हो गए हैं। इसी कारण आज वह राज्य देश में सबसे अधिक निर्धन है।

जैसाकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वाधिक प्रतिशत हमारे राज्य में है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि बवण्डर की चेतावनी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि समुद्री तूफान की, लोगों को पूर्व सूचना देने की व्यवस्था है। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि बवण्डर चार या पांच जिलों—सम्बलपुर, कटक, क्योंझर, बालासोर में आ चुका है और इससे काफी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। हम जानते हैं कि बवण्डर स्थानीय रूप से थोड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हुए भी जान-माल की भारी तबाही लाता है।

जब मैं उड़ीसा सरकार में राजस्व मंत्री था, तब मैंने स्वयं एक बार देखा था कि तालाब में एक नौका बवण्डर के कारण उड़कर पेड़ पर जा पहुंची थी। इतना तेज बवण्डर था वह। इमारतें पूर्णतया नष्ट हो गई थीं। हजारों एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी और हजारों एकड़ में खड़ी फसल, जिस पर किसानों की मेहनत और उर्वरकों पर काफी राशि लगी थी, पूर्णतया नष्ट हो गई थी।

इस बार इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। यह उड़ीसा का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। परन्तु महोदय, यह हमारे लिए अत्यन्त हैरानी की बात है कि दुर्भाग्यवश सहकारी ऋणों को अल्पअवधि से मध्यम अवधि में बदलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की सुविधा न होने के कारण कृषकों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। रिजर्व बैंक इस प्रकार के परिवर्तित करने के प्रस्तावों को

स्वीकार नहीं करता। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे कृपया इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करें। अन्यथा उड़ीसा के सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र में खरीफ की फसल पुनः प्रभावित होगी।

मैं अब अकाल संहिता के संबंध में कुछ सुझाव दूंगा। प्राकृतिक विपदा की समस्या के दो पहलू हैं। इनमें से एक प्रतिरोधक है। दूसरा, हमारे सभी प्रयासों के बावजूद जब कभी किन्हीं क्षेत्रों में प्राकृतिक विपदा आती है, तो हमें उसका मुकाबला कैसे करना है और प्रभावित लोगों को अविलम्ब कैसे राहत पहुंचानी है? राहत के रूप में जो कुछ उपलब्ध कराया जाता है तो वह केवल हमदर्दी का प्रतीक है। हम वास्तव में क्षतिपूर्ति कर ही नहीं सकते। अकाल संहिता के प्रावधानों के अनुसार राहत कार्य चलाया जाता है। अकाल संहिता पुरानी हो चुकी है। यह ब्रिटिश काल से चली आ रही है और इसमें कोई विशेष संशोधन भी नहीं किए गए है। मैं कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सभी राज्यों के राजस्व मंत्रियों की, जो राहत कार्य चलाते हैं, एक बैठक बुलायें। आवश्यक और समय अनुरूप संशोधनों का सुझाव दिया जाए। इसके स्थान पर एक नई राहत संहिता बनाई जाए जो देश भर में लागू हो। मंत्री महोदय को विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। मानसून आरंभ होने से पहले जिला और राज्य स्तर पर प्राकृतिक विपदा समिति की बैठकें होती है। मैं सुझाव देता हूं कि हमारे केन्द्रीय मन्त्री भी इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए साल में एक बार राजस्व मंत्रियों की बैठक बुलाएं।

अब राहत के लिए दी जाने वाली राशि के संबंध में। उड़ीसा में एक मकान जब पूर्णतया नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है तब आप जानते हैं सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है?

यह 500 रु० है। अंशत: क्षतिग्रस्त मकानों के लिए, जो बड़ी संख्या में हैं और जहां गरीब लोग रहते हैं, यह राशि 25 रु० से 100 रु० है। आज के जमाने मं, जिस व्यक्ति का घर क्षतिग्रस्त हो गया हो उसे 100 रुपये की सहायता दी जाती है। इससे वे मकान की क्या मरम्मत कर पायेंगा?

सहकारी ऋणों की अवधि को भी अल्पावधि से मध्य अवधि के ऋण में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक को इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और उसे इस परिवर्तन के मामले में सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आखिरकार वे ऋण को समाप्त तो नहीं कर रहे। यह तो मात्र उन्हें कुछ और समय दिये जाने की बात है, जिससे वे ऋण अदा कर सकें ताकि उनकी फसल तैयार हो जाए और वे एक या दो वर्षों के पश्चात बिना ब्याज ऋण अदा कर सकें। कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए।

अब पीने के पानी का प्रश्न है। उड़ीसा के हजारों गांवों में इसकी समस्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा है। भारत एक विशाल देश है। यह एक प्रकार का छोटा-विश्व है। निश्चय ही इसके विभिन्न भाग प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित हो सकते हैं। भारत के कुछ राज्यों में पीने के पानी की समस्या है तो उसी समय कुछ अन्य भागों में भयानक बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारे देश में विचित्र स्थिति है इस तरह हमें एक एकीकृत रवैया अपनाना होगा, नदियों को नियंत्रित करना होगा, जलाशय बनाने होंगे और इस प्रकार बाढ़ों पर नियंत्रण करना होगा। इस तरह हम किसानों को फसल पैदा करने के लिए पानी उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे वे सिंचाई कर सकते हैं।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

अब कुछ बातें चक्रवातों के बारे में। हमें चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधों का रोपण करना चाहिए। चक्रवात और बवंडरों को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके कारणों का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे देश के कुछ भागों में ही क्यों बार-बार बवंडर आते हैं, और इस बारे में क्या किया जा सकता है। हमें चक्रवातों को समाप्त करने या उनकी आवृत्ति कम से-कम करने के बारे में कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार बाढ़-नियंत्रण एकीकृत कार्यक्रम, और सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने पर अधिक जोर दिया जा सकता है, जिससे कि बाढ़ की पुनरावर्ती रोकने में सहायता मिलेगी।

अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि योजनाबद्ध रवैया अपनायें और यह कह कर न टाल दें कि यह राज्य का विषय है। अब समय आ गया है जब क्रांतिकारी और व्यावहारिक रवैया अपनाने की आवश्यकता है। हम यहां भाषण देकर चले जाते हैं। लेकिन परिणाम क्या निकलता है ? कई दफा हमें मात्र मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि मिलती है।

7.00 म० प०

केरल के एक सदस्य कह रहे थे कि केरल सरकार को प्रभावित लोगों को सहायता या ऋण देने के लिए 25 करोड़ रुपये की अनुदान की राशि दी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हुआ है। सीमांत राशि वहां है, अगर प्रत्येक राज्य को आवंटित सीमांत राशि समाप्त हो जाती है और वे राज्य केन्द्रीय सहायता के बिना व्यय-भार और नहीं उठा पाते हैं तो वे केन्द्रीय दल को वहां दौरा करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। केन्द्र क्या करता है ? केन्द्र सरकार केन्द्रीय योजना की सिफारिशों पर ही कुछ ऋण सहायता प्रदान करता है। कुछ अग्रिम राशि दी जाती है जिसे बाद में समायोजित किया जाता है। जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, जहां बार-बार प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हैं और यह एक गरीब राज्य है, वह इस व्यवस्था से उन्नति नहीं कर सकता। यह तभी उन्नति कर सकता है, जब इसे 100 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाए। अगर आप वर्तमान व्यवस्था को ही बनाये रखना चाहते हैं, तो ये राज्य भविष्य में गरीब ही बने रहेंगे और इससे न तो देश को कोई लाभ होगा और न ही देश में समान विकास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले ही इस चर्चा का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। अब वह समय समाप्त हो गया है। क्या सभा की यह राय है कि इस चर्चा का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय, ताकि जितने भी सदस्यों के नाम सूची में हैं और इस विषय पर बोलना चाहते हैं, चर्चा में भाग ले सकें ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं सभा को मात्र यह बताना चाहता हूं कि सूची में अभी भी कई सदस्यों के नाम बाकी हैं। हमने रात 8.40 बजे कमरा संख्या 7 में रात्रि भोज की व्यवस्था की है, क्योंकि यह विषय राज्यों में बाढ़ आदि विषयों से संबंधित है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि सदस्यगण इस पर अपने विचार रखना चाहेंगे। अतः मंत्री रात 8 बजे अपना उत्तर देना आरम्भ करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः हमने चर्चा का एक घण्टा और या जब तक चर्चा जारी रहेगी, तब तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हमें रात्री भोज नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मंत्री अभी उत्तर देना आरम्भ करें, ताकि हम जल्द घर वापस जा सकें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मन्त्री कल भी उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उनकी संख्या 10 है। 10 वक्ता हैं। प्रत्येक सदस्य 10-15 मिनट लेना चाहता है। अतः इसे जल्द समाप्त कर पाना असम्भव है। हम मन्त्री के उत्तर को आगे नहीं डाल सकते। कल हमने एक मद को स्थगित किया था। प्रतिदिन हम इस प्रकार मदें स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्री बाद में उत्तर नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहस करने के लिए मैं 3 लाख 42 हजार स्क्वायर किलोमीटर की जमीन राजस्थान से बोल रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके यह सरकार और श्री बूटा सिंह जी एक काम कर दें, जितना पैसा फेमिन पर खर्च हुआ है, उसकी जांच करवा लें। सब जगह इसकी जांच करवा लें। आप देखिये कि यह फेमिन का पैसा कहां जाता है। यह एक बड़ा अच्छा काम हो गया है। चीफ मिनिस्टर अपने क्षेत्र में इसके द्वारा अपनी नींव मजबूत करता है, एक मंत्री होता है, वह भी अपने क्षेत्र में पैसा खर्च करता है। यह क्या तरीका है काम करने का ? पहले सेन्ट्रल स्टडी टीम जाती है, जब हम आकर के कहते हैं कि हमारे यहां अकाल हुआ है, हमारे यहां सेन्ट्रल स्टडी टीम भेजिये। सेन्ट्रल स्टडी टीम 15 दिन, एक महीना डाक बंगलों में बैठकर अपनी रिपोर्ट देती है, अच्छा खाना खाती है, अध्ययन कौन करता है। मैं कहता हूं कि जब वे अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस समय क्या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई सेक्रेटरी, कोई रेवेन्यू आफिसर उस रिपोर्ट को बनाने में भागीदार बनता है ?

वह रिपोर्ट हाई लेवल बॉडी के पास जाती है। वह हाई लेवल बॉडी यह नहीं पूछती है कि केरल में क्या हुआ। वह कमेटी उस रिपोर्ट को देखती है और एक महीने के बाद उसकी मंजूरी हो जाती है सेन्ट्रल स्टडी टीम को जब इक्जामिन करने भेजें तो उसमें गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी या रेवेन्यु सेक्रेटरी होना चाहिए। वह उसका मैम्बर होना चाहिए। जब स्टडी टीम रिपोर्ट दे तो उसको मालूम होना चाहिए कि यह रिपोर्ट दी गई। हाई लेवल कमेटी केरल की स्टडी करती है तो उसमें कोई केरल का एम० पी० या कोई केरल का रिप्रेजन्टेटिव या फाइनेन्स और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक आदमी होता है। स्टडी करने के बाद किसी को यह हक नहीं है कि स्टेट का कोई प्रतिनिधि उस रिपोर्ट को देख ले।

[अनुवाद]

नहीं वे इस रिपोर्ट पर टिप्पणी मांग सकते हैं।

[श्री मूल चन्द डागा]

[हिन्दी]

माननीय बूटा सिंह जी को कहना चाहता हूं कि जो स्टडी वह कमेटी करती है उसकी रिपोर्ट को देखने का अधिकार सरकार को होता है। जहां पर ड्राट या फ्लड आता है, उसके बाद जो कमीशन बैठता है उसमें तीन या चार व्यक्ति होते हैं। वे कह देते हैं कि इतने लाख रुपये ग्रांट किये गये। जो होशियार होते हैं, वे पहले से ही हाथ मिला लेते हैं। यह भी बता देना चाहता हूं कि रुपया कैसे खर्च होता है। यह कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर राजस्थान की कास्टीच्युएंसी है, वहां पर 18 रिग मशीनें लगेंगी। यह डागा की कास्टीच्युएंसी है यहां पर एक मशीन लगेगी। फैमीन की आड़ में लोग अपना शिकार खेलते हैं। मेहरबानी करके जांच कराइए जिससे पता लग सके कि यह रुपया कहां जाता है। डी० डी० ए० का जो पर्दाफाश हो रहा है, उसे देखकर गर्दन नीची होती है। फैमीन के नाम पर देश में अरबों रुपया खर्च हुआ है। ड्यूरेबल असेसट्स नहीं बनी है। प्रापर्टी या सड़कें भी नहीं बन पाई। मिट्टी डाली गई, सड़कें बह गई। मैं चैलेन्ज करना चाहता हूं कि अरबों रुपया गवर्नमेंट ने दिया फिर भी ड्यूरेबल प्रापर्टी नहीं बन पाई। कोसी बांध पिछले बीस साल से नहीं बना। राजस्थान कैनाल 1960 में बननी थी, वह आज तक नहीं बन पाई। श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने उसका शिलान्यास किया था। केरल के लोग बड़ी हिम्मत के साथ बोलते हैं कि 75 परसेंट नहीं बल्कि सौ परसेंट ग्रांट चाहिए क्योंकि अखबार में नाम आयेगा कि कुरूप साहब ने यह कहा था। क्या आप यह बतायेंगे कि फैमीन और फ्लड में जो रुपया दिया गया, उसकी जांच करवाई है। और वह रिपोर्ट वहां पर डिस्कस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

क्या इस संसद ने कभी इस रिपोर्ट पर चर्चा की है कि इतनी धन राशि खर्च करने के पश्चात क्या उपलब्धि रही।

[हिन्दी]

आज तक करोड़ों रुपया हम इन कामों पर खर्च कर चुके हैं। क्या मंत्री जी सदन में यह आश्वासन देंगे कि इस साल फैमीन और ड्रौट पर जो भी पैसा खर्च किया जाएगा, बांध बनाने पर जो पैसा खर्च होगा, उसकी वे जांच करवायेंगे। उसकी जांच यह होगी कि बड़े-बड़े इंजीनियरों के बंगले बनेंगे। जांच यह होगी कि बड़े-बड़े मिनिस्टरों के घरों में पैसा जायेगा। जांच यह होगी कि उस पैसे का दुरुपयोग होगा। घन्टी बजाने से क्या होगा···मेरे पास तो टाइम नहीं है, वरना मैं तो आपको सारे आंकड़े दे सकता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : डागा साहब, रात तो अपनी है·········

श्री मूलचन्द डागा : रात तो हो जायेगी अगर भ्रष्टाचार का अंधेरा इसी तरह से बढ़ता चला गया तो, और फिर हिस्ट्री में लोग लिखेंगे कि हम लोग एम० पीज० थे और हमारे जमाने में यहां फलां-फलां भ्रष्टाचार हुए। हमारे नाम भी हिस्ट्री में लिखे जायेंगे। हम भी नहीं बचेंगे।

अब मैं कुछ बातें राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं। इसी साल वहां फैमीन से 33 हजार गांवों को खतरा है :

[अनुवाद]

एक समाचार के अनुमार :

24 करोड़ रुपये का घाटा : जांच की मांग कांग्रेस (आई) के सदस्य श्री सी० पी० जोशी ने की और आरोप लगाया कि इस 'काण्ड' से राजकोष को 24 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुएं खोदे जाने का ठेका 240 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर दिया गया, जबकि बाजार दर 140 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

सीमेंट प्लेटफार्म निर्माण का ठेका 12.50 प्रति पम्प आबंटित किया गया, जबकि प्रचलित-दर 350 रुपये प्रति पम्प ही थी।

[हिन्दी]

इस तरह 24 करोड़ रुपये का लॉस हो गया। कर्नल साहब, आपने मिलिट्री में, फौज में काम किया है, जरा इस फील्ड में भी आइये, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा मैदान-ए-जंग है। यह भी स्कैंडल है।

आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ही ले लीजिए। जब मैं यह कहूंगा कि स्कैंडल है तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार प्राकृतिक विपदाओं के लिए जो पैसा खर्च करती है, उस पैसे की जांच की जानी चाहिए कि वह किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया। सरकार की ओर से ऐसी कोई जांच नहीं हो पाती। हमारे फैमीन मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को फ्लड या फैमीन होने से पहले उसकी जानकारी होती है। क्षमा कीजिएगा, मैं आपके लिए नहीं, जो भी हिन्दुस्तान में फैमीन मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनता है, उसका काम यह होता है कि वह मौके पर जाकर देखें, जब हम पैसा मांगते हैं, उस समय नहीं, जब काम चल रहा हो, तब आप वहां जाकर देखें कि वास्तव में काम चल भी रहा है या नहीं। मेहरबानी करके, आप इसके लिये समय निकालें और दिल्ली में न बैठे रह कर, उन कननों पर हवाई जहाज से नहीं, धरती पर आकर देखें कि क्या काम हो रहा है, कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। हाई कमीशन या दूसरी लम्बी चौड़ी बातें तो सिर्फ प्रोसीजर मात्र हैं। मैं तो सिर्फ दो ही बातें चाहता हूं कि आप अपनी रिपोर्ट सदन में लाकर रखिये। सदन को बताइये कि हमने केरल में इतना रुपया खर्च किया और इस-इस काम पर। उसके बाद केरल के मैम्बर्स यहां उस पर वार्ता करेंगे और देखेंगे कि रुपया ठीक खर्च हुआ है या नहीं। यहां पर कुछ लोगों ने फैमीन कोड बनाने की बात भी कही, लेकिन फैमीन कोड बनाने की बात तो आज से नहीं काफी समय से चली आ रही है, यह कन्सैप्ट नया नहीं है। फिर भी अभी तक कोई फैमीन कोड नहीं बन पाया। अभी भी हिन्दुस्तान में कई जगहों पर फैमीन चल रही है और राजस्थान में तो इतना बड़ा ड्रौट होते हुए भी क्या पैसा मिला है, आप खुद देख लीजिये। चाहे फ्लड हो या ड्रौट हो, दोनों को आप नेचुरल

[श्री मूल चन्द डागा]

कैलेमिटी तो मानते हैं लेकिन फ्लड के लिए 75 परसैंट और ड्रौट के लिए 50 परसैंट की बात करते हैं ।

यह एक बड़ा अजीब प्रकृति का तकाजा है । हमारे यहां पर पानी की बूंद नहीं, आंखों में पानी है, और कहते हैं कि तुमको सौ रुपये में से पचास मिलेंगे, जहां फ्लड है, वहां कहेंगे कि 75 परसेन्ट मिलेगा, क्योंकि तुमने गुनाह किया है ।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विशाल देश है और देश के विभिन्न भागों में हम भिन्न-भिन्न जलवायु पाते हैं । अगर देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो देश के दूसरे भाग में सूखा पड़ सकता है । और हमें अपने जीवनकाल में इन की बारम्बारता का अनुभव हुआ है, उससे केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे हर समय इन विपदाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें । हालांकि हम चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि न कहीं बाढ़ आये और न ही सूखा पड़े और हम खुशहाल भारत की कामना और आशा करते हैं ।

मेरे विचार से, इस समस्या का मुख्य पहलू यह है कि हमें प्राकृतिक विपदाओं द्वारा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का मूल्यांकन करना चाहिए और उसके बाद सहायता का समुचित वितरण करना चाहिये । जहां तक नुकसान के मूल्यांकन का संबंध है, मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भाग्यवश वे कर्मशील भी हैं और बात ध्यान से सुनते हैं और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ हम कहेंगे उसे वे ध्यान में रखेंगे । नुकसान का मूल्यांकन कैसे किया जाता हैं ? समाचारपत्रों द्वारा काफी शोर मचाने के पश्चात्—यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक राज्य कितना शोर मचा सकता है, और जैसे ही वह दल राज्य का दौरा करता है, वे सीधे सचिवालय चले जाते हैं और नौकरशाहों तथा अफसरों के साथ लम्बी बातचीत करते हैं। अब श्री डागा ने हमें बताया है कि राजस्थान में निर्वाचन क्षेत्र को चुना जाता है या वे यह जानना चाहते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र से कौन निर्वाचित हुआ है, और निश्चिय ही अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए उसके निर्वाचन क्षेत्र में अधिक सहायता दी जायेगी । लेकिन मेरे राज्य में... (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : यह सत्य नहीं है कि जब केन्द्रीय दल ने केरल का दौरा किया तो उसने सभी प्रभावित क्षेत्र नहीं देखे । आप श्री तम्पन थामस से पूछिए कि क्या उनके निर्वाचन क्षेत्र में दल ने दौरा नहीं किया, आप पास बैठे श्री कुरूप से पूछिए कि क्या उनके दल ने उनके निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं केरल पर चर्चा नहीं कर रहा हूं । आप कृपया बैठ जाइए । श्री डागा, राजस्थान की चर्चा कर रहे थे । मैं जम्मू और काश्मीर राज्य की बात कर रहा हूं ।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : क्या आप केरल में दिलचस्पी नहीं रखते ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं भारत के प्रत्येक भाग में रुचि रखता हूं लेकिन मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि कैसे केन्द्रीय दल दौरा...(व्यवधान)...मैं केरल में रुचि लेता हूं, लेकिन मैं अब जम्मू और कश्मीर राज्य की चर्चा कर रहा हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्रीमन् वे आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कौन आरोप लगा रहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने कहा कि केन्द्रीय दल उन्हीं स्थानों का दौरा करता है जहां महत्वपूर्ण संसद सदस्य रहते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आपने श्री डागा का भाषण सुना है, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां काफी भ्रष्टाचार है? इस देश में काफी अव्यवस्था है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है उसका स्वयं मंत्री उत्तर देंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन्, जहां तक मेरे राज्य का संबंध है—यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जब श्री डागा बोल रहे थे, तो मैं भी यही अनुभव कर रहा था कि जम्मू और काश्मीर का ड्रामा राजस्थान के ड्रामे से भिन्न नहीं है। लेकिन मेरे राज्य में, जब मैंने कृषि मंत्रालय को सात तारें भेजी, उस समय राव बीरेन्द्र सिंह इसके मंत्री थे—जम्मू और काश्मीर में हिमाचल प्रदेश के साथ ओलावृष्टि हुई है, भारी वर्षा हुई है और समय से पूर्व हिमपात हुआ; तब कहीं जाकर केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया और जब यह दल वहां पहुंचा तो, यह सचिवालय से बाहर नहीं आया और न ही इसने संसद सदस्यों को बातचीत के लिए बुलाया। आखिरकार हम जनता के प्रतिनिधि हैं। मुझे उनसे निमन्त्रण नहीं मिला। जब मुझे पता चला कि दल श्रीनगर आया हुआ है, तो मैं मुख्य-सचिव के पास गया। मुझे बताया गया कि दल आया था और अब वापस दिल्ली चला गया है। ऐसे दल का क्या लाभ? मैं सात लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे वहां की स्थिति बताने का अवसर नहीं दिया गया। विशेषकर उस स्थिति में जब मैंने खुद सात तारें भेजी थी। सरदार साहिब खुद जांच कर सकते हैं कि मैंने तारें भेजी थी कि नहीं।

जब केन्द्रीय दल राज्य की राजधानी में जाता है तो वे उस स्थान का दौरा करते है जहां विपदा आई हो। इस दल में शायद नौकरशाह ही होते हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें कोई जनता का प्रतिनिधि या मंत्री भी होता है। छोटे अधिकारी ही वहां जाते है। वे कुछ ग्राफों की सहायता से एक कमरे में नुकसान का मूल्यांकन करते हैं और वी जान वाली केन्द्रीय सहायता का फैसला करते हैं। जम्मू और काश्मीर में भी यही हुआ। इस दल ने केवल 1984 में वहां का दौरा किया। यह दल 1982, और 1983 में वहां नहीं गया। माननीय मंत्री जी इस बात को नोट करें कि 1982, और 1983 के दौरान सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर के महीनों

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

में हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर का सारा क्षेत्र लगातार ओलावृष्टि, भारी वर्षा और समय-पूर्व हिमपात से पीड़ित था।

उस साल के लिए हिमाचल प्रदेश को 5.96 करोड़ रुपए मिले जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को राहत नहीं दी जानी चाहिए। वहां प्राकृतिक आपदाएं आईं थीं इसलिए राहत दी गई अच्छी बात है। लेकिन उस साल के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ भी क्यों नहीं मिलना चाहिए था? मैं रिकार्ड पेश कर सकता हूं। माननीय मंत्री का कार्यालय भी जानता है कि उस समय जम्मू और कश्मीर में कैसी स्थिति थी। इस मामले को मैं अनेक बार उठा चुका हूं। यहां तक की वित्त मंत्री महोदय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था और मुझे बताया गया था कि राज्य सरकार ने यह मामला केन्द्र के पास नहीं भेजा था।

[हिन्दी]

मुझे उर्दू में बताया गया कि गोश्वारे, नहीं आये हैं, तफसील नहीं आई है।

[अनुवाद]

यहां एक मित्र जो कि उड़ीसा के राजस्व मंत्री थे, ने अभी-अभी कहा कि इस मामले को पूर्णतया: राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता है राज्य सरकार काहिल हो। अंतत: मंत्री जी को डेस्क कार्य करना होता है। इसमें उनकी सरकारी अधिकारी सहायता करते हैं। अगर ये अधिकारी काम नहीं करें तो मंत्रालय नहीं चलेगा और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर हमारी प्रेस ने भी चर्चा की थी कि हिमाचल प्रदेश को 6 करोड़ रुपए मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर को उस साल के दौरान कुछ भी क्यों नहीं मिलना चाहिए था ? अब मैं वितरण की बात करूंगा। मैं इसकी विशेष रूप से चर्चा इसलिये कर रहा हूं ताकि कृषि मंत्री महोदय जान सकें कि राज्य में क्या हो रहा है। 1984 में और 1985 में भी कुछ राहत की मंजूरी दी गई थी पर उसमें भी बहुत 'घपला' हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि घपला शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है।

श्री बूटा सिंह : घपला तो घपला ही है। इसका कोई अनुवाद नहीं होता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आप वितरण का काम राज्य सरकार पर नहीं छोड़ सकते। क्योंकि पैसा दे रहे हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि यह पैसा पीड़ित व्यक्तियों को मिले। मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा उन्हें नहीं मिलता। जम्मू-कश्मीर राज्य के वर्तमान......**......का निर्वाचन क्षेत्र ......**......है। बड़े शर्म की बात

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि उन्होंने उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने समर्थकों को खाद्यान्न वितरित किया और डंगीवाचा तथा अड़ोस-पड़ोस के गांवों को कुछ भी नहीं मिला। उन लोगों ने इसकी शिकायत बारामूला के उपायुक्त को की। इस संबंध में हम गृह मंत्री जी को लिख चुके हैं। हमारे राज्यपाल को भी इसकी पूरी जानकारी है। मंत्री जी ने डंगीवाचा के निवासियों से कहा कि फारूख को वोट दिया है तो राहत के लिए भी उनके ही पास जाओ। चूंकि तुम लोगों ने को*वोट नहीं दिया इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आज मैंने इस मामले को सदन में उठाया है तो मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति बहुत खराब है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस दिशा में हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ गया है। यहां तक कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि जी० एम० शाह की सरकार...**...सरकार है। यह...**...सरकार है। वहां हर तरफ भष्टाचार का बोलबाला है। वहां के लिए जो भी राहत मंजूर की जाती है वह पीड़ितों तक नहीं पहुंचती। मैं यह बात बताना चाहता हूं। मंत्री जी अगर श्रीनगर का दौरा करने का कष्ट करें तो मैं उन्हें इसके प्रमाण में कागजात दे सकता हूं। उनसे इस बात का पता चल जायेगा। ओलावृष्टि के नाम पर जो भी राहत मंजूर की गई थी वह वास्तविक पीड़ितों तक नहीं पहुंची। बल्कि...**...को खुश करने या उनके समर्थन में चली गई।

मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि राज्य का दौरा करने के लिए वह वहां एक केन्द्रीय दल भेजे। इस दल के साथ विचार विमर्श करने के लिए सभी दलों के विधायकों तथा संसद सदस्यों को आमंत्रित किया जाए। जब तक माननीय मन्त्री ऐसा नहीं करेंगे हमें संतुष्टि नहीं होगी।

[हिन्दी]

मेरी दरख्वास्त यह है कि 84-85 का डैमेज असेस करने के लिए एक कमैटी फिर से जाय जो वहां के एम० एल० एज० को बुलाए, उनमें कांग्रेस के भी होंगे नेशनल कान्फरेंस के भी होंगे, सभी पार्टियों के एम० एल० ए० होंगे।

[अनुवाद]

उक्त दल जहां भी जाए वहां कम से कम उससे मिलने के लिए संसद सदस्यों को तो आमंत्रित किया जाए। होता क्या है। एक दल श्रीनगर या किसी भी राज्य को राजधानी में आता है है और लोगों के प्रतिनिधियों से मिले बगैर दिल्ली लौट जाता है। आशा है मंत्री जी क्षति का अनुमान लगाने तथा पर्याप्त राहत की मंजूरी देने के लिए जम्मू-कश्मीर में भेजने के लिए एक नया दल बनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आई० रामा राव (कासरगोड) : महोदय केरल के मामले में वहां का प्रतिनिधित्व

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री वाई० रामा राव]

करने वाले मेरे मित्र बहुत अच्छी तरह तर्क दे चुके हैं। मैं वही बातें दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा किन्तु उस तरफ बैठे मेरे माननीय मित्र ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानियों का उल्लेख किया है। केरल में इन आपदाओं को राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है वहां 44 नदियों तथा असंख्य झरनों में बहाने वाले पानी में से कुल 2% पानी का ही उपयोग किया जाता है। शेष पानी समुद्र में चला जाता है। शेष 98% पानी, कोई उपयोग नहीं किए जाने के कारण बेकार चला जाता है। अतः अनुसंधान करके इसे राष्ट्रीय परिसम्पत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है।

महोदय गाद-जमा हो जाने के कारण केरल में नदी तल ऊंचे हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण भूमि कटाव तथा भूस्खलन है तथा भूमि-कटाव और भूस्खलन का कारण वनों को समाप्त किया जाना है। हम इन सबका सामना कर रहे हैं।

जहां तक सड़कों का संबंध है, मैं बताना चाहता हूं कि केरल में हाल ही में आई बाढ़ के कारण 70,000 कि० मी० कच्ची सड़कें तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 18,000 कि०मी० लम्बी सड़कें टूट-फूट गई हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम कार्यान्वित करते समय हर राज्य की जलवायु पर विचार किया जाए। ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम के अनुसार सड़कें बनाते समय उन पर उसी समय तारकोल भी बिछा दिया जाता है। केरल में यह सड़कें धीरे-धीरे टूटती जा रही हैं क्योंकि यह जरूरी है, कि इन्हें कम से कम एक साल तक स्थिर होने देना चाहिए। सड़कों को टूट-फूट से बचाने के लिए पानी के निकास की भी सही व्यवस्था की जानी चाहिए।

मछली पालन के संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। समस्त भारत की कुल तट सीमा 10% अर्थात् लगभग 590 कि०मी० तट सीमा केरल में है। फिर भी केरल से 40% मछली निर्यात की जाती है। इसलिए केरल की सीमा पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 1.25 लाख मछुआरे हैं और भी बहुत से लोगों की जीविका का साधन मछली ही हैं।

590 कि०मी० में से 320 कि०मी० तट सीमा समुद्र-कटाव से प्रभावित है। इस तटीय सीमा क्षेत्र में घनी आबादी है तथा कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रेलों को खतरा बना रहता है। केरल में समुद्री-कटाव को रोकने के लिए अगर उपाय नहीं किए गए तो रेल-लाइनों को खतरा हो सकता है। तटसीमा पर बसे अधिकतर महत्त्वपूर्ण शहर तथा 9 जिला मुख्यालय सभी खतरे में हैं सूचनाओं के अनुसार केवल 90 कि० मी० लम्बी तट सीमा के लिए उपाय किए हैं। शेष के लिए नहीं करीब एक कि० मी० सीमा को बचाने के लिए 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि समूची तट सीमा की रक्षा के लिए कितनी अधिक धनराशि की जरूरत होगी।

महोदय, मैं बहुत शीघ्र समाप्त करना चाहता हूं। हालैंड में बच्चों के मध्य एक कहावत

मशहूर है "ईश्वर ने सारी भूमि की सृष्टि की लेकिन डच लोगों ने हालैंड की सृष्टि की। यह सच है कि डच लोगों ने शताब्दियों लगाकर अपसे कौशल पूर्ण ढंग से भराव के द्वारा हालैंड का निर्माण किया है। किन्तु हम केरल में प्रति वर्ष भूमि गंवा रहे हैं। कोचीन के पास एक जगह है जहां मीलों लम्बी तट भूमि बह गई है। 25 सालों में लगभग 2 सौ किलोमीटर लम्बी भूमि बह चुकी है। केरलवासी चाहते हैं कि केन्द्र उनकी सहायता करे। वैसे उसने समय पर उसकी सहायता की है। इसके लिए हम केन्द्र सरकार का, खासकर माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह जी का उस क्षेत्र का दौरा करने तथा बाढ़ पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए धन्यवाद देते हैं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय इस दुर्घटना के कारण केरल किस हद तक प्रभावित हुआ है, इसका उल्लेख मेरे सहयोगी कर चुके हैं। अतः मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा और कुछ मुद्दों तक ही सीमित रहूंगा।

केरल में स्थिति बहुत दुःखद है। यह तीसरा साल है जब हमारा राज्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ है। दो साल पहले वहां अभूतपूर्व सूखा पड़ा था जिससे लगभग 1000 करोड़ रुपए की नकदी फसल नष्ट हो गई थी।

इस साल मानसून से अभूतपूर्व बाढ़ आई है। हर साल हमें इन बाढ़ों का सामना करना पड़ता है और इन बाढ़ों की दो-तीन विशेषताओं का उल्लेख यहां किया जाता रहा है ये विशेषताएं हैं—कि धान के खेत, खासकर मध्य ट्रावनकोर में अर्थात् कुट्टानाड क्षेत्र जिसे केरल का 'धान का कटोरा' कहा जाता है, पानी में डूब जाना, ऊंचे स्थानों अर्थात् विनाड तथा इडुक्की जिलों में भू-स्खलन का होना तथा अन्तिम विशेषता समुद्री कटाव का होना है। केरल में मानसून से आने वाली बाढ़ की ये तीन विशेषताएं हैं। कुट्टानाड में हर चीज की मंजूरी दे दी गई है। वहां धान के खेत के अधिकांश भाग में स्थिर जल का उपयोग किया जाता है अर्थात् जल के इर्द-गिर्द बड़े-बड़े बांध बनाए जाते हैं और उसमें से पम्प द्वारा पानी निकाला जाता है। इस तरह धान के अधिकांश खेत तैयार किए जाते हैं। जब ये मानसूनी बाढ़ें आती हैं तो उनसे बांध में दरारें पड़ जाती हैं। इस साल अभूतपूर्व बाढ़ आई जिससे बांध में हर जगह दरारें पड़ीं और धान के खेत पूरी तरह पानी में डूब गए। माननीय मंत्री इस बारे में जानते हैं क्योंकि वे स्वयं वहां आए थे। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी कुट्टानाड क्षेत्र की दुर्दशा को सुधारने में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें। वहां बाढ़ की स्थिति की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समिति का गठन किया जाए। किसी स्वैच्छिक वैज्ञानिक संगठन ने अध्ययन किया है। उदाहरण के लिए केरल की शास्त्र साहित्य परिषद् तथा पीपुल्स साइंस फोरम ने वहां कुछ अध्ययन किया है। केन्द्रीय सरकार को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए तथा एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समिति का गठन करना चाहिए।

दूसरी बात भू-स्खलन के बारे में है। दूसरे पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया कि भू-स्खलन होता क्यों है। मैं योजना मंत्री की सराहना करता हूं कि वे इडुक्की जिले का दौरा करने के लिए स्वयं केरल आए। उस समय उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि भू-स्खलन बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने के कारण होता है। परिस्थिति की वैज्ञानिकों तथा

[श्री सुरेश कुरूप]

वैज्ञानिकों ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर विनाड तथा इडुक्की जिलों में पेड़ों को इसी तरह काटा जाता रहा तो इन सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में भू-स्खलन होगा। लेकिन केरल सरकार इस सबको अनदेखा कर रही है। अतः मेरा दूसरा अनुरोध है कि केरल की इस दुखद स्थिति में केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करें। वहां बड़ी संख्या में वनों को काटा जा रहा है। हिमालय का उदाहरण हमारे समक्ष है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। विनाड तथा इडुक्की जिलों में भू-स्खलन का यही प्रमुख कारण है।

अब मैं समुद्री-कटाव की चर्चा करूंगा। सभी आंकड़ों का यहां उल्लेख किया जा चुका है। जहां तक मुझे समझ आता है, दो साल पहले तक......

प्रो० पी० के० कुरियन : क्या मैं एक पल के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं। केरल सरकार एक भी पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे रही। यह मौजूदा स्थिति है। लेकिन आप तो दो साल पहले की बात कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप : मैं विस्तार में नहीं जा रहा। केरल में बच्चा-बच्चा जानता है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या हो रहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह कहना सही नहीं है कि वर्तमान सरकार पेड़ों को काटने की पनमति दे रही है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सुरेश कुरूप : चलिये केरल में वनों के काटने की जांच के लिए एक केन्द्र सरकार एक समिति का गठन कर ले।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उन्हें पता लगाने दें कि कितने पेड़ आपके दल ने काटे और कितने दूसरे दल ने।

श्री सुरेश कुरूप : सभी जानते हैं कि इसके पीछे किन दलों का हाथ है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि समय बहुत कम है। सरकार को इसकी जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन करने दें।

समुद्री-कटाव के बारे में जहां तक मुझे मालूम है, इसे रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय का 3/4 केन्द्र सरकार देती थी। लेकिन अब इसमें कटौती कर दी गई है और कुल लागत का 1/2 ही दिया जाता है। मेरा विनम्र अनरोध है कि पूर्व स्थिति को ही बनाये रखा जाये।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दरबार) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महाराष्ट्र में धूलिया और नासिक जिले में सूखा पड़ा है। ट्राइबल जिलों में पशुओं को चारा नहीं है। पीने के पानी की कठिन परिस्थिति है। अभी 16 जुलाई को बारिश हुई है। सिंचाई का काम हमारे महाराष्ट्र में 2.5 प्रतिशत है। धूलिया जिले में ढाई परसेंट हुआ है। हमारे धूलिया जिले में सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम है। सिंचाई का काम बढ़ाने के लिए बड़े बांधों का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहां नदी-नाले का पानी बह जाता है और लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है।

इसीलिए मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र के धूलिया जिले में सिंचाई के प्रोजैक्ट को मंजूर करें। जैसे अपर-ताप्ती प्रोजैक्ट है, जो कि 303 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। उसको मंजूरी दी जाए, उससे धूलिया और जलगांव जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद, आपने समापन की बेला में मुझे समय दिया। करीब पौने चार घन्टे से जो बहस सदन में चल रही है, उसके बाद मुझे दो-तीन वाक्य ही बोलने हैं, क्योंकि सब कुछ बोला जा चुका है।

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने जो राष्ट्र गीत हमको दिया है, उसका एक-एक शब्द आज घायल है। पीड़ा से छटपटा रहा है। हमारे कृषि मंत्री जी नोट्स ले रहे हैं, इसलिए मैं दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूं। पहले मनुष्य प्रकृति के साथ जितना क्रूर हुआ, आज प्रकृति उससे ज्यादा क्रूर हो गई है। 25-30 साल से जिस तरह से एशिया और अफ्रीका के जंगल काटे गए, उसका अभिशाप आज हमको भुगतना पड़ रहा है। भारतवर्ष में ऋतुएं बदली हैं, प्रत्येक मौसम 40-45 दिन इधर-से-उधर हो गया है। हर साल बाढ़ें आती हैं और सूखे पड़ते हैं। हम समझते हैं कि इस देश में हम राज्य कर रहे हैं, जनता राज्य कर रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो इस देश में प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत देश पर प्राकृतिक विपदा राज्य कर रही है। चाहे बाढ़ें हों, सूखा हो, देश की 40 प्रतिशत जनता प्राकृतिक विपदाओं से घिरी पड़ी है। अभी हमने केरल से लेकर काश्मीर तक, कच्छ से लेकर कामख्या तक के सदस्यों के भाषण सुने और उन भाषणों से यह स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत लोग इन प्राकृतिक विपदाओं से घिरे हुए हैं।

कर्नल मुशरान साहब बैठे हुए हैं, इनके यहां जबलपुर के दो सौ गावों में सूखा पड़ा हुआ है। जहां तक मेरे क्षेत्र मन्दसौर-जावरा का संबंध है, दो हजार गांवों में सूखा पड़ा हुआ है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : बिहार की भी यही स्थिति है।

श्री बालकवि बैरागी : सब जगह यही स्थिति है, लेकिन मैं सब का प्रवक्ता नहीं बनना

[श्री बालकवि बैरागी]

चाहता हूं। मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि हम इस विपत्ति को किसी भी सरकार के भरोसे डालें, उससे पहले हमारे विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या जो समस्या को समझ कर और दूरदृष्टि रखकर लड़ने वाले लोग हैं, उनके ज़िम्मे इस प्रोग्राम को डालना चाहिए। हम वहां पहुंचे उससे पहले वैज्ञानिक वहां पहुंचे और समस्या का सही समाधान होना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक "दो हज़ार करोड़" रुपये की स्थाई निधि बनाई जाए, जिसको सुनियोजित तरीके से इस समस्या के समाधान पर व्यय किया जाए। मैं बूटा सिंह जी से एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। यद्यपि यह आपके दायरे से बाहर की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री जी तक हमारी इस प्रार्थना को पहुंचायें। जब देश के 40 प्रतिशत भाग पर प्राकृतिक विपदा राज्य कर रही है, तो इसका एक स्वतन्त्र विभाग, अलग से मंत्रालय कायम करें ताकि समन्वित आधार पर यह लड़ाई लड़ी जा सके।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्राकृतिक विपदा के कारण एक नया उत्पात हमारे देश में पैदा हो रहा है राजस्थान के जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है, वहां आदिवासियों की एक जाति, प्रजाति है, जिनके यहां रिवाज है कि यदि बारिश नहीं होती है, तो वे ऐसा मानते हैं कि व्यापारियों, व्यवसाय करने वाले लोगों ने बादलों को अपनी तिजोरियों में बन्द कर रखा है। अखबार इस बात के गवाह हैं, राजस्थान में हजारों की तादाद में हमारे आदिवासी भाई भाले और बर्छियां लेकर उदयपुर और जयपुर के बाज़ारों में टूट पड़े और उनकी तिजोरियों से बादल छुड़वाने के लिए आन्दोलन किया। भूरिया जी यहां बैठे हैं, झाबुआ में भी ऐसी ही भगदड़ मची। वहां पर ऐसा होता है और हुआ है, इसलिए मैं आप से यह कह रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश का हूं लेकिन राजस्थान से लगा हुआ मेरा जिला है। तिजोरियों से बादल बाहर निकाल लाने की कोशिश वे करते हैं, ऐसी हालत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप उन तीन बातों पर ध्यान दें जो मैंने कही हैं।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि केरल के हर सदस्य ने यह कहा कि बूटा सिंह जी वहां पधारें। आप ने बड़ी कृपा की। मैं बूटा सिंह जी से कहना चाहता हूं कि मुसीबत आए और आप जाएं, तो इससे बेहतर तो यह होगा कि मुसीबत आए और उससे पहले ही आप हमारे यहां आ जाएं। हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं। आप हमारे यहां पधारें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह वहां आते हैं तो भारी वर्षा होगी, क्योंकि केरल में उनके दौरे से हर चीज ठीक हो गई है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : मैं इनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अखबारों में लिखा है कि सरदार बूटा सिंह तो वे हैं ही लेकिन हमारे लिए वे संत बूटा सिंह आजकल हो गये हैं। आप

वहां पर आएं, तो शायद आप के चरण पड़ने से वहां से अकाल और महामारी दूर हो जाये।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और उम्मीद करता हूं कि सदन ने 4 घंटे तक इस विषय पर बहस की और बहस का परिणाम हमारे लिए नहीं, तो कम-से-कम हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शुभ होगा और हम अगले साल छः महीने में यहां पर एक ऐसा मंत्री अलग से देखें, जो इस विभाग का अलग से मंत्री हो और वह केवल प्राकृतिक विपदाओं से लड़ने के लिए इस देश में संलग्न रहे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम रतन राय (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी नेचुरल केलेमिटीज पर जो बहस हो रही है, उस संबंध में हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे।

बिहार का उत्तरी हिस्सा, जो उत्तर बिहार कहा जाता है, आज से नहीं सदियों से बाढ़ से प्रभावित रहा है और हमेशा से बाढ़ से सफर करता रहा है। कोसी वहां पर एक नदी है, जिसे रीवर आफ़ सोरो यदि कहा जाए, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। अभी डागा साहब ठीक ही कह रहे थे और मैं उनकी राय से सहमत हूं। बाढ़ के नाम पर उत्तरी बिहार में जितनी रकम खर्च हुई है, वास्तविकता में अगर आप जाएं, तो देखेंगे कि वह पैसा खर्च नहीं हुआ है। उस सारे पैसे को इकठ्ठा करके हम ईमानदारी से अगर बाढ़ को कन्ट्रोल करना चाहते, तो आसानी से बहुत कम रुपये में वह कन्ट्रोल की जा सकती थी लेकिन आज भी बाढ़ के प्रकोप से उत्तरी बिहार सफर करता रहता है और हर एक साल वहां अनेकों जानें जाती हैं और माल का नुकसान होता है और कितने ही मवेशी वहां मर जाते हैं और बह जाते हैं। वहां की भूमि इतनी अच्छी है कि अगर बाढ़ को कन्ट्रोल कर सकें,तो बिहार हमारा एक सरप्लस एरिया होने के साथ-साथ दूसरे प्रान्तों को वहां से अनाज दे सकता है, दूसरे प्रान्तों के लोगों को हम खिला सकते हैं और पंजाब की तरह बिहार को भी बना सकते हैं लेकिन बिहार में बाढ़ का प्रकोप हमेशा रहता है, जिससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ने बहुत से बोर्ड बनाए, आप ने फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड बनाया और बहुत काफ़ी पैसा खर्च करने की कोशिश की लेकिन फिर भी आप कन्ट्रोल नहीं कर सके। हम आप से निवेदन करना चाहते हैं कि उत्तर बिहार की उस भूमि को आप देखने की कोशिश करें। यही नहीं इतनी उर्वरा शक्ति वहां की जमीन में है कि अगर आप बाढ़ को कन्ट्रोल कर दें, तो वहां की जमीन से बहुत ज्यादा उपज हो सकती है। बाढ़ के बाद हमारा सारा धान डूब जाता है और कितने ही मवेशी मर जाते हैं। अगर हम बाढ़ को कन्ट्रोल कर लेते हैं, तो वहां जान व माल की रक्षा हम कर पाएंगे। हाजीपुर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां गंगा और गंडक दोनों का छोर है और गंगा और गंडक का छोर होने के कारण दोनों नदियों में जो बाढ़ आती है, उससे सारा हाजीपुर जिला, वैशाली जिला डूबा रहता है। हर साल वहां के लोग परेशान रहते हैं और वहां पर अन्न की समस्या के साथ-साथ पीने के पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। पानी जो वहां रहता है, वह गन्दा पानी होता है और

[श्री राम रतन राय]

उससे लोगों में बीमारियां होती हैं। इसलिए हम सरकार का जरूर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि हमारे यहां जो रिलीफ का काम हो रहा है वह बाढ़ के कारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। वहां हमारे निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर में कई टापू बाढ़ के कारण बन जाते हैं क्योंकि हाजीपुर का राघुपुर दियार गण्डक और गंगा के बीच में है वहां हर साल टापू बन जाते हैं। इसी तरह से मन्नार, पातेपुर, जंदाहा भी ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ से घिर जाने के कारण टापू बन जाते हैं। इस प्रकार हमारे क्षेत्र के कई हिस्सों में करीब-करीब एक दर्जन टापू बन जाते हैं। टापू बने रहने से वहां रिलीफ का सामान नावों से पहुंचाना पड़ता है। नावों की स्थिति भी खराब होती है। हर जगह नाव भी हम नहीं दे पाते हैं। अगर हम उन इलाकों को नाव भी न दे पायें, उन इलाकों में अनाज भी न पहुंचा पायें तो हम किस तरह से यह दावा कर सकते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारी सरकार जनप्रतिनिधित्व करती है ? मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम-से-कम नार्थ बिहार के लिए जहां कि हर साल बाढ़ का प्रकोप रहता है, एक वृहत् योजना बनाएं। कोसी जो कि रीवर आफ सोरो कही जाती है उस पर हम अरबों रुपये खर्च कर चुके हैं लेकिन फिर भी उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाये हैं। आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि हम कोसी और गण्डक को कंट्रोल कर सकें और उत्तर बिहार को हर साल आने वाली बाढ़ से राहत पहुंचा सकें। गंगा के पानी को भी कंट्रोल करना चाहिए।

हम बाढ़ पीड़ित लोगों को तो अनाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां जानवरों को रिलीफ पहुंचाने की भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी रक्षा करने का भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। बाढ़ में जानवर भूख से मर जाते हैं। इसलिए जानवरों को चारा पहुंचाने की भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए।

जब हम जानते हैं कि बाढ़ हर साल आती है तो हमें इसके लिए पहले से ही योजना बना कर रखनी चाहिए जिससे कि हम समय पर मनुष्यों के लिए अनाज और जानवरों के लिए चारा पहुंचा सकें जिससे कि उनको राहत मिल सके।

डागा साहब ने ठीक कहा है कि अगर हम एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दें जो इसकी जांच करे कि जो हमने अरबों रुपया रिलीफ के काम के लिए खर्च किया है उसका सही ढंग से इस्तेमाल हुआ है या नहीं तो आपको सही स्थिति का ज्ञान होगा। हम भी यह चाहेंगे कि जो हम अरबों रुपया राहत के काम के लिए खर्च कर रहे हैं वह सही ढंग से खर्च हो।

हमारे यहां दक्षिण बिहार में आदिवासी एरिया है जो कि पहाड़ी एरिया है। वहां कई जगह पर सुखाड़ का प्रकोप भी होता है। सुखाड़ होने से वहां अनाज पैदा नहीं होता। वहां अनाज की कठिनाई होने कारण वहां के आदिवासी वहां से निकल कर बाहर चले जाते हैं। आपने इस सदन में सुना होगा कि वहां के आदिवासी रोजी-रोटी के लिए पंजाब और हरियाणा तक जाते हैं। उस छोटानागपुर की धरती में अनाज की काफी उपज हो सकती है अगर वहां के लिए माइनर इरीगेशन और मीडियम इरीगेशन की योजनाएं आप बना कर पूरी कर दें। उस इलाके में सुखाड़ के कारण जो रिलीफ का काम होता है, वह भी सही ढंग से नहीं होता है।

हमारे उत्तर बिहार में कोसी, गण्डक और गंगा नदियों में जो बाढ़ आती है और जो हमारे क्षेत्र में टापू बन जाते हैं उनसे लोग काफी कठिनाइयों में रहते हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे राहत दिला कर कम-से-कम हमें यह कहने का मौका दें कि हमने उन्हें राहत पहुंचाई है। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक दफा वे बाढ़ के समय हमारे उत्तर बिहार आएं और हमारे साथ चलें तब उन्हें स्थिति का सच्चा ज्ञान होगा।

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की तीन-चार बातें आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ की अवधि में आज तक मुरैना क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं पहुंची है जिसकी कि जनता द्वारा सराहना हो।

मुरैना निर्वाचन क्षेत्र एक रिज़र्व्ड सीट है। मैं भी हरिजन हूं। उस निर्वाचन क्षेत्र से ज्यादातर विरोधी पार्टी के लोग आते रहे हैं। इसका कारण यही है कि वहां के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। इसलिए मेरा सुझाव है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि बाढ़ के बारे में जांच कराई जाये, कई लोग अन्य बातें कह रहे हैं, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई के लिए गांधी सागर कैनाल है, जहां पर गांधी सागर से केवल 25 परसेंट पानी मिलता है, जिससे मुरैना क्षेत्र के लिए पूरा पानी नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि चंबल कैनाल जो दो-तीन किलोमीटर में बह रही है, उससे पानी को लिफ्ट करके कैनाल में डाला जाए, ताकि मुरैना क्षेत्र को पानी मिल सके। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में विद्युत की परेशानी होती है, जिसकी वजह से वहां के किसान बहुत परेशान हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुरैना जिले में चंबल नदी पर विद्युत के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाया जाए, ताकि हमको बिजली मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि धौलपुर और मुरैना के बीच में काफी जंगल है, लेकिन उस क्षेत्र में 6-7 नदियां बहती हैं और जंगल का कटाव होता है। उस कटाव को रोकने के लिए कृष्यकरण करने की आवश्यकता है। इससे हजारों लोगों को जमीन मिल सकती है और लोगों को रोजी-रोटी मिल सकती है।

बाढ़ों की चर्चा यहां पर काफी हुई है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में दो विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंचाई तो क्या पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ये दोनों आदिवासी क्षेत्र हैं, यहां पर कुएं और हैण्डपंप भी सफल नहीं होते हैं, कराहल, विजयपुर, गिरधरपुर आदि गांवों में पीने के पानी का अभाव है। वहां पर नदी बहती है। अगर सरकार वहां से पानी लिफ्ट करके आदिवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करे तो इससे उनको काफी लाभ हो सकता है। इन शब्दों के साथ आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं उस क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा हूं जो कि लगातार 15-20 साल से

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

अपनी रोटी-रोजी के लिए जूझ रहे हैं। वहां पर हर साल सूखा पड़ता है और सरकार हर साल 4 से 5 करोड़ रुपया हर साल स्केयरसिटी के नाम से वहां पर खर्च करती है। अभी भी वहां पर सूखा पड़ा हुआ है और वहां पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, जानवरों के लिए घास नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पर गए, उनके घरों में जाकर देखा और कहा कि आप लोग किस तरह से जिन्दा रहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री आदिवासी क्षेत्र में गए और उनकी झोपड़ियों में जाकर देखा कि वे लोग किस तरह से अपना जीवनयापन करते हैं। वह ऐसी जगह है जहां कंटीन्यूअसली हर साल सूखा पड़ता है। वहां पर कहीं कोई छोटा नाला या तालाब बनाने से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको बड़ी-बड़ी योजनाएं देनी होंगी, ताकि लोगों को 10-20 साल के लिए काम मिल सके। रेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने लोगों ने वहां पर मांग की थी कि इंदौर से दाऊद रेलवे लाइन का काम राहत कार्य के लिए दिये गए पैसे से शुरू किया जाए, ताकि लोगों को 10-12 साल तक काम मिल सके, इसी तरह से बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाएं बनानी होंगी, माही नदी, जोबट परियोजना, इस तरह की योजनाएं हाथ में लेनी होंगी और जहां हर साल सूखा पड़ता है, जहां पर लोग जूझ रहे हैं, उन लोगों को राहत पहुंचानी होगी। अभी बैरागी जी बोल रहे थे कि लोगों को दो-तीन रोज तक खाने को नहीं मिलता है, इसके कारण जहां पर अनाज मिलता है, वहां पर लोग जाते हैं और एक-एक मुट्ठी अनाज उठाकर लाते है। वहां पर आदिवासी लोगों को खाने को नहीं मिलता है। इसलिए यह रेलवे लाइन तैयार करना बहुत जरूरी है।

अभी जंगल के कटाव की बात कही गई, आज जंगल को बढ़ाने की जरूरत है। आदिवासी जंगल में ही रहते हैं और उसी के सहारे अपना गुजर-बसर करते हैं, आज जंगलों के कटने से उनकी आर्थिक अवस्था गड़बड़ा गई है।

8.00 म० प०

आदिवासी लोग जंगल से लकड़ी काटकर बेचते थे या शिकार करते थे। लेकिन आज तो जंगलों में यह बात देखने को नहीं मिलती है। जो लोग मुसीबत में हैं उनके लिए भारत सरकार कोई स्पेशल योजना बनाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लोगों द्वारा सूखा, बाढ़, भूमि कटाव, भू-स्खलन आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं के परिणामस्वरूप बहुत ही कठिन स्थिति में गंभीर समस्याओं का जो सामना किया जाता है, उसके बारे में इस सम्मानित सदन में मुझे चर्चा करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष के प्रति अपनी

कृतज्ञता प्रकट करता हूं। महोदय, इस सदन के लगभग तीन दर्जन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में हमारे लोग कष्ट उठा रहे हैं और जो लोग मुश्किल में हैं उनकी ओर से उन्हें अवश्य बोलना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन का कटु सत्य है कि प्रत्येक वर्ष देश में गंभीर बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तथा कुछ क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और हिमपात होता है, तटीय क्षेत्रों में भूमि कटाव, तथा समुद्री कटाव होता है, तूफान आता है और कुछ अन्य क्षेत्रों में चक्रवात, आदि आते हैं लेकिन महोदय, वर्तमान पद्धति में जिसमें हम काम कर रहे हैं, प्रक्रिया तथा नियम बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारें इन समस्याओं को हल कर रही हैं। मुख्य संगठन, जिसने हमें मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये हैं, हमारे देश का वित्त आयोग है। पिछले वित्त आयोग ने हमें मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए हैं जिनके आधार पर भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में कठिन स्थिति में लोगों की सहायता कर रही है। आठवें वित्त आयोग के परिणामस्वरूप सहायता राशि, जो इस तरह की स्थिति से उत्पन्न तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए होती है सातवें वित्त आयोग की पहले की सिफारिशों से अब बढ़ा दी गई हैं। यह 100.55 करोड़ रुपए थी और इसे अब 240.75 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए आठवें वित्त आयोग ने कुछ मानदंडों में संशोधन किया है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि जो माननीय सदस्य बोले हैं और जो नहीं बोले हैं उनकी ओर से मैं सबसे पहले अपनी गहरी सहानुभूति उन लोगों के प्रति व्यक्त करता हूं जो सूखे की स्थिति या बाढ़ की स्थिति के कारण पीड़ित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे विशेषरूप से निदेश दिया है कि मैं पूरे देश में लगभग सभी प्रभावित क्षेत्रों में यह देखने के लिए दौरा करूं कि स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और केन्द्रीय सरकार उन लोगों, जो कठिनाइयों में हैं की स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार से कोशिश कर रही है। महोदय, आज तक सभी क्षेत्रों का दौरा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ है। परन्तु जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करता हूं। मैं केरल गया और मैं पंजाब गया और मेरा पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने का विचार है। मैंने वहां दो या तीन बार जाने की कोशिश की। लेकिन मौसम की वजह से मैं नहीं जा सका। मैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार के सभी भागों तथा अन्य भागों का दौरा करने जा रहा हूं जो कठिन स्थिति में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ चाहे यह सूखा या बाढ़ है अनिश्चित मानसून के कारण होता है जब मानसून नहीं आता है तो सूखा पड़ता है और जब मानसून जोर से आता है तो बाढ़ आती है और हम भारी बाढ़ से प्रभावित होते हैं इस सदन के लगभग सभी सदस्य सहमत हैं कि वर्ष बार, मौसम बार इन स्थितियों से निपटने की कोशिश करने की बजाय देश को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक दीर्घकालीन नीति तैयार करने पर विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन प्राधिकरणों द्वारा बहुत गंभीर प्रयास किये गए हैं जिनके हाथ में इन समस्याओं को निपटाने का काम है। अधिकांश कार्य सिंचाई मंत्रालय के पास है जो बाढ़ नियंत्रण स्थिति से निपटने के लिए दीर्घावधि योजनाओं

[श्री बूटा सिंह]

का कार्य देखता है और मुझे बताया गया है कि वह हमारे देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एक दीर्घावधि नीति के बनाने का प्रयास कर रहा है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कई वर्ष तक नियमित रूप से ध्यान रखा जाता है। इसके बाद गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और केन्द्रीय जल आयोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति से किस प्रकार अच्छी तरह से निपटा जा सकता है और कुछ ऐसे विधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दीर्घावधि के आधार पर इन समस्याओं को निपटाया जा सके। महोदय, केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय बाढ़ आयोग ने एक आदर्श कानून बनाने का प्रयत्न किया है जिसके द्वारा उन मैदानी, क्षेत्रों का, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बेहतर उपयोग करने में मदद मिल सके। उन्होंने एक देश-व्यापी योजना तैयार की है जिसके द्वारा उन नदियों के प्राकृतिक मार्ग तथा इनके जल प्रवाह, जिनसे मैदानी इलाके प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं, का पता लगाया जा सके और विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों के दल द्वारा सुझाए गए वैज्ञानिक आधार पर उन मैदानों का विकास करके कुछ सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष लगभग 505 करोड़ रुपए की हानि होती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 340 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने लगभग 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का अनुमान लगाया है जिसमें से 320 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की रक्षा की जा सकती है, हमारे देश में इस हद तक बाढ़ें हर वर्ष आती हैं और कुछ राज्यों में एक से अधिक बार आती हैं। अत: केन्द्रीय जल आयोग ने एक आदर्श कानून का सुझाव दिया था। अभी तक केवल मणिपुर राज्य ने इसे लागू किया है। कई राज्यों ने उस कानून को लागू नहीं किया है जो बाढ़ प्रवण मैदानों के वैज्ञानिक उपयोग पर विचार करने में राज्यों की सहायता कर सकता है। मुझे बताया गया है कि कुछ राज्य सरकारें भी इस कानून को लागू करने के बारे में गम्भीर रूप से विचार कर रही हैं। एक माननीय सदस्य, शायद जो उड़ीसा से हैं, ने कहा है कि हमें राजस्व मंत्रियों की वार्षिक बैठक बुलाये जाने की कोशिश करनी चाहिए। हां, राजस्व मंत्रियों की बैठक प्रतिवर्ष होती है। परन्तु इससे पहले फसल उत्पादन, भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून को लागू करने और मिट्टी और भूमि संरक्षण पर अधिक महत्व दिया जाता था लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं विभिन्न राज्यों के राजस्व मंत्रियों से उनके राज्यों में बाढ़ और सूखे की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जाने पर अवश्य मिलूंगा और हम राजस्व मंत्रियों की बैठक कम-से-कम वर्ष में एक बार आयोजित करेंगे ताकि राज्यों में समय पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वार्षिक योजना को बढ़ावा मिल सके।

कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सुधारात्मक उपाय क्या हैं। जहां तक भारत में तूफान की चेतावनी देने वाली प्रणाली का संबंध है, हमारे मौसम विभाग ने दो चरण वाली तूफान चेतावनी प्रणाली का विकास किया है। संबंधित राज्य में राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को चेतावनी जारी की जाती है। पहले चरण में समुद्रीय राज्यों में तूफान चेतावनी केन्द्रों से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तार द्वारा मुख्य

सचिवों और तटीय कलक्टरों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को तूफान के आने के लगभग 48 घण्टे पहले तूफान के बारे में चेतावनी दी जाती है। इसे आकाशवाणी के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों की जानकारी के लिए भी प्रसारित किया जाता है। दूसरे चरण में, मुख्य सचिवों, तटीय कलक्टरों, तटीय और मत्स्य अधिकारियों को तूफान आने से लगभग 28 घण्टे पहले तूफान की चेतावनी बार-बार दी जाती है। आकाशवाणी के माध्यम से स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में बार-बार इसकी जानकारी दी जाती है।

महोदय, मौसम विभाग में वर्तमान पद्धति पर हमारे पास कलकत्ता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम्, मद्रास और बम्बई में तूफान चेतावनी केन्द्र हैं। इन चेतावनियों का समन्वय महानिदेशक, मौसम मुख्यालय द्वारा किया जाता है और परंपरागत वेधशालाओं के अलावा सरकार द्वारा चेतावनी केन्द्रों को अतिरिक्त सुविधा, दी गई हैं तूफान का पता लगानेवाले राडार 400 किलोमीटर की रेंज पर कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम्, मछलीपट्टनम्, मद्रास, कराईकल, गोवा और बम्बई में लगाये गये हैं। ये नवीनतम छोटी मशीनें हैं जो चेतावनी संस्थानों की मदद कर सकती है और प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बारे में पूर्ण चेतावनी दे सकती है ताकि लोगों को बचाया जा सके। हम इनसेट-1 (बी) का भी उपयोग करते हैं जो तूफान की लगातार निगरानी रखता है और तूफान की भीषणता का अनुमान बताकर तूफान का सामना करने में उपयोगी है। इन उपायों से हम उन राज्यों को पहले से सूचना देते हैं जिनकी तूफान से प्रभावित होने की संभावना होती है।

इसके बाद अधिकतर सभी राज्यों से कई सदस्यों द्वारा सूखे की स्थिति के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गत तीन वर्षों से हमें सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है लेकिन कई राज्यों में सूखे का भयंकर प्रकोप है। उदाहरण के लिए हमारे पास सूचना है कि 1 जून से 17 जुलाई तक गुजरात क्षेत्र में कुछ डिविजनों में वर्षा की न्यूनता (—) 58 प्रतिशत तक की थी। केवल सौराष्ट्र में यह (—) 83 प्रतिशत है। पूर्वी राजस्थान में कमी (—) 38 प्रतिशत है। पश्चिम मध्य प्रदेश में (—) 50 प्रतिशत; मध्य महाराष्ट्र में (—) 41 प्रतिशत; रायल सीमा में (—) 31 प्रतिशत; पश्चिम उत्तर प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों में (—) 20 प्रतिशत है। ये वे क्षेत्र हैं जहां भयंकर सूखे की स्थिति से नुकसान हुआ है। इसके साथ मुझे यह भी कहना चाहिए कि हम कृषि मंत्रालय में भयंकर सूखे का सामना करने के लिए दोहरा प्रयास कर रहे हैं। पहला तो राहत कार्य करना है। इस बारे में काफी आलोचना की गई है। मैं यह नहीं कहता कि यह आलोचना पूर्णत: गलत है। माननीय सदस्यों द्वारा सदन के भीतर और बाहर तथा जब कभी वे मौका पाते हैं ये शिकायतें की जाती है। वे हमें सूचना देते रहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेषरूप से ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आ॰ई॰ आर॰ डी॰ पी॰, एन॰ आर॰ ई॰ पी॰ और आर॰ एल॰ ई॰ जी॰ पी॰, टी॰ आर॰ वाई॰ सी॰ ई॰ एम॰, आदि जैसी परियोजनाओं में काफी अव्यवस्था धन का और दुरुपयोग है। मैं प्रो॰ सोज के शब्दों के अनुसार यह कहूंगा कि धन का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि देश के कुछ भागों में इसका दुरुपयोग होता है।

[श्री बूटा सिंह]

महोदय, आपने स्वयं देखा और सुना होगा कि प्रधान मंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश के उन कुछेक भागों का दौरा किया था जो कि घोर गरीबी में फंसे हुए हैं। लोगों ने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री महोदय को बताया कि वहां चल रहे 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन कितना धीमा विलम्बकारी से किया जा रहा और बेढंगेपन का है। हमें इस बारे में सब पता है और प्रधान मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप हम स्थानीय सांसदों विधायकों और जन-प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वे विभिन्न राज्यों में चल रहे कार्यक्रमों पर बहुत ही सतर्कतापूर्ण निगाह रख सकें। महोदय, माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री थामस कह रहे थे कि हम 20-सूत्री कार्यक्रम और राहत कार्य को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। महोदय, मुझे दुख है कि मुझे इस पर टिप्पणी करनी पड़ रही है। माननीय सदस्य जिस राज्य के हैं; वहां पर यह देखा गया है कि 20-सूत्री कार्यक्राम के अन्तर्गत बनाए गये उपबन्धों का उस उद्देश्यार्थ उपयोग नहीं किया गया है जिसके लिए कि उन्हें बनाया गया था; बल्कि इसके विपरीत नाम तक बदल दिये गये थे। उस राज्य में लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिये कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली, अर्थात् केन्द्रीय सरकार से आने वाला यह धन, वास्तव में उस राज्य में सत्तारूढ़ स्थानीय दल द्वारा दिया जा रहा है, उसे कुछ स्थानीय नाम दे डाले, जिससे कि यह लगे कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी वह धन दे रही है। महोदय, आप इसी बात से अनुभव कर सकते हैं कि राजनीतिक रूप कौन दे रहा है। महोदय, हम ऐसी बातों से लज्जित हैं, क्योंकि ये सब बातें उन्हीं लोगों के साथ घट रही हैं, जो निस्सहाय हैं, निराश्रित हैं। उनके लिए सहायता भेजी जाती है पर यदि कोई उनके जीवन से खेलता है, यह रुपये-पैसे आदि से खेलना न होकर, उन लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। वे तो बहुत ही मुसीबत में हैं और हमें इस बात पर शर्म आनी चाहिये। महोदय, यदि यह सरकार इसका विरोध नहीं करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब कभी हमने राज्य सरकारों की कुछ बातों के कार्यान्वयन में कुछ गहराई से झांका तो मुख्य मन्त्री महोदय बरस पड़े कि केन्द्र भेद-भाव कर रहा है। अब मुझे उस माननीय सदस्य का नाम तो याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने बताया था कि कर्नाटक ने एक नदी पर बांध का निर्माण किया है जिसका सारा जल बह गया और अब तमिलनाडु भी ऐसा करने जा रहा है। इसी प्रकार, तेलगू देशम् में उस जल को उपयोग में लाया जा रहा है जिससे कर्नाटक को कष्ट सहना पड़ेगा। महोदय, क्षेत्रीय दलों के साथ यही तो समस्या है। वे सम्पूर्ण देश के परिपेक्ष्य में नहीं देख सकते हैं। वे तो धरती के बेटे वाले दर्शन का पालन करते हैं और वे यह परवाह नहीं करते हैं दूसरे राज्यों का क्या होगा। इसीलिए यह सम्मानित सदन और राष्ट्रीय दल तथा धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के व्यक्ति सदैव इन बातों की ओर संकेत करते हैं, मुझे क्षेत्रीय दलों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु आप देखिये हो क्या रहा है,एक ही पंक्ति में स्थित तीन राज्य प्राकृतिक संसाधनों यथा जल और विद्युत उपयोग करने का प्रयास इस प्रकार करना चाहते हैं और वे अपने निकटतम पड़ोसी की भी परवाह नहीं करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में भी झगड़े होते हैं जैसा कि नागालैण्ड और असम में हुआ।

श्री बूटा सिंह : लेकिन वह प्राकृतिक संसाधनों का शोषण तो है नहीं। स्वाभाविक मत-भेद, हो सकते हैं, परन्तु इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है कि मुख्य मंत्री महोदय जानबूझ कर किसी प्रदेश के जल संसाधनों को ही काट दें, जिससे कि जनता को कष्ट हो। मैंने इसी बात का उल्लेख किया था। मेरा कहना यह है जब कोई राज्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने का प्रयास करता है तो उन्हें इतना आत्म केन्द्रित नहीं होना चाहिये, इतना संकुचित हृदय···

श्री वसुदेव आचार्य : इन बातों को यहां मत उठाइये।

श्री बूटा सिंह : मैं नहीं उठा रहा हूं। आपके राज्य उठा रहे हैं। मैं तो केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी बातें नहीं होने देनी चाहिये।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपना अभिमत प्रकट करते समय स्वाभाविक रूप से अपने राज्यों और अपने चुनाव क्षेत्रों की वकालत की है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की बात करना मेरे लिये तो कठिन होगा परन्तु मैं कह सकता हूं कि हम स्थानीय भावनाओं को कभी कोई महत्व नहीं देते हैं। जैसा कि प्रो० सोज ने उल्लेख किया है, भारत सरकार से जब भी कोई दल आता है तो इसका काम केवल सचिवालय में ही लोगों से मिलना नहीं होता है। मैं जानता तो नहीं हूं, परन्तु मैं अनुभव से कह सकता हूं कि मैं इन मन्त्रालयों में रहा हूं और जब कभी दल जाता है, उसके जाने से पूर्व मैं स्वयं एक बैठक बुलाता हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि मंत्रालय को तो यह सूचना मिली है और सांसदों से मुझे अमुक सूचना मिली है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि केरल के सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि इस बार वहां पर जो केन्द्रीय दल गया था वह केवल मेरे मन्त्रालय का दल नहीं था। मैं जब सागर-कटाव क्षेत्रों और भूमि-कटाव क्षेत्रों तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुका तो वहां पर मैंने स्वयं जन-प्रतिनिधियों को यह वचन दिया था कि मैं उनके पास एक ऐसा दल भेजने का प्रयास करूंगा जो कि ऐसा होगा कि वे सरकार के हर विभाग से बातचीत कर सकते हैं। मैंने वाणिज्य मंत्रालय के लोगों को भी सम्मिलित किया क्योंकि वृक्षारोपण का भी मामला था जैसे, रबड़, इलायची और कोको के पेड़ आदि। अतः, मैंने यह सोचा कि एक ऐसे दल को वहां जाना चाहिए जो कि उसी स्थल पर ही नुकसान का पता लगा सके और स्थानीय प्रशासन तथा उस क्षेत्र की जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी निपटा सकें। इसी प्रकार उसमें वित्त, निर्माण और आवास, परिवहन तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों के लोग भी सम्मिलित थे। वे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान सूचना लेकर आए। मैं भारत सरकार की नीतियों को जिस प्रणाली के अन्तर्गत कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा हूं वह वित्त आयोग की बनाई हुई है और मुझे लिखित में दी गई है।

माननीय सदस्य प्रो० सोज हमसे इसलिए नाराज थे कि हम अन्य लोगों को हमराज नहीं बनाते हैं। पहली बात तो यह है कि हम राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त करते हैं और जैसे ही कोई क्षेत्र बाढ़ या सूखे से प्रभावित होता है तो हमारे यहां के जिलाधिकारी स्थानीय जनता तथा राजस्व अधिकारी जो कि स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और राज्य में अपने मुख्यालय को भेज

[श्री बूटा सिंह]

देते हैं और फिर स्वाभाविक है कि यह हमें भेज दी जाती है। इसके मिलने के बाद, दो तरीके हमारे पास हैं, एक तो स्थिति की गम्भीरता पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य को सीमान्त धन तो पहले ही मिला होता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : केवल मामूली-सी राशि।

श्री बूटा सिंह : वह इस विचार से दिया जाता है कि विपदा के कुछ ही घन्टों में तात्कालिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके। राज्य यह नहीं कह सकता है कि 'खेद ! है हमारे पास धन नहीं था।' राज्यों को यह निर्देश दिए गये हैं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय को यह धन उपलब्ध कराया जाये।

एक माननीय सदस्य ने कहा था—मेरे विचार से यह प्रो० पाराशर थे—कि बोर्ड होना चाहिए। जी हां, प्रत्येक जिले में, जिला मजिस्ट्रेट जानता है कि ऐसी परिस्थिति में उसे किसके पास जाना चाहिये, चिकित्सा सहायता के लिए, अग्नि-शमन दल आदि। राज्यों को भी अनुमति दी होती है और समय पर सीमान्त धन् दिया जाता है जिससे कि किसी एस० ओ० एस० बुलावे पर स्थिति से निपटा जा सके। जैसे ही राज्य सरकार हमें खबर करती है—अधिकतर 'टेलक्स' द्वारा आती है—मैंने कृषि और सहकारिता मन्त्रालय के सचिव को पहले से ही निर्देश दिया है कि यदि मैं यहां पर न भी होऊं तो भी उसे राज्य से मिले सन्देश पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये और जो कुछ भी राहत उपलब्ध हैं या जो कुछ भी हो सके उसे भेजा जाये। तुरंत भेजा जाए। परन्तु हम यह नहीं होने देंगे कि लोग केन्द्रीय सरकार द्वारा तुरन्त ध्यान न दिए जाने के कारण कष्ट उठायें और मैं भी माननीय सभा से सहमत हूं और जैसा सदस्यों ने कहा है एक अकाल बोर्ड बनाया जाये। मैं कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक छोटी-सी समिति पहले ही नियुक्त कर चुका हूं जो सारी स्थिति का जायजा लेगी और भारत सरकार को यह सुझाव देगी कि हम उस मानदण्ड में किस प्रकार श्रेष्ठरूप में संशोधित करें ताकि वास्तविक परिस्थिति की सच्चाई का सामना कर सकें। माननीय सदस्यों ने सूखे का भी उल्लेख किया है। बाढ़ की बात करने से पहले—क्योंकि सूखा बाढ से पहले पड़ा था, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि हम इन समस्याओं पर दो दृष्टिकोणों से ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। (1) सूखे और इसकी कठिनाइयों को उस क्षेत्र में कुछ ऐसी योजनाएं लागू करके कम किया जा सकता है जिससे कि लोग स्वयं को कार्यरत रख कर कुछ कमा सकें, हम भूमि की नमी को भी बनाये रखने का प्रयास करते हैं। परन्तु, सर्वाधिक आशाजनक बात, जो मैं सदन को बताना चाहता हूं, यह है कि हमारे वैज्ञानिक फसलों तथा बीजों की कुछ ऐसी किस्में विकसित करने में सफल रहे हैं, जो कि सूखे जैसी कठिनाइयों को सह सकती हैं। अपनी बात को मैं सोदाहरण समझाना चाहूंगा कि 1979-80 में सूखे की स्थिति के दौरान क्या हुआ था। मैं कोई जनता सरकार के समय का उदाहरण नहीं दूंगा। यह तो प्राकृतिक विपदा है और हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, परन्तु 1979-80 में यही हुआ था। (व्यवधान) ठीक है प्रधान मन्त्री महोदय किसान का बेटा था। 1979-80 में भयंकर सूखा पड़ा था

और उस वर्ष हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन 1319 लाख टन के गत वर्ष के उत्पादन से घटकर 1094 लाख टन रह गया था और 1982-83 और 1984-85 में भी भारी सूखा पड़ा। अब मैं कृषि उत्पादन में गिरावट के आंकड़े भी उद्धृत करता हूं। 1982-83 का सूखा बड़ा भयंकर था, परन्तु आंकड़े बोलते हैं कि कृषि उत्पादन जो कि 1981-82 में बढ़कर लगभग 1330 लाख टन हो गया था उसमें केवल लगभग 30 लाख टन की ही गिरावट आई और उससे पहले 1979-80 में इसमें 210 लाख टन की गिरावट आई। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे वैज्ञानिक किसानों को अब वह बीज देने की स्थिति में हैं जो कि सूखे की भयंकर स्थिति को भी झेल सकते हैं। इसी प्रकार 1983-84 में यह लगभग 1510 लाख टन हो गया और 1984-85 में जब एक अन्य सूखा पड़ा तो यह सीमान्तक रूप से गिर गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वैज्ञानिक अब लोगों को न केवल सहायता पहुंचाकर, न केवल भूमि की उत्पादकता की ओर सर्वोच्च ध्यान देकर सूखे की स्थिति से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु इसके साथ-ही-साथ कुछ ऐसी फसलें और कुछ ऐसे बीज विकसित करने में सफल हो गये हैं जो कि कठिन सूखा परिस्थितियों में भी पैदा हो सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं और इस पर हमें गर्व है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित करने में सफल रहे हैं।

जहां तक राहत कार्य की बात है, अधिकांश सूखा ग्रस्त क्षेत्र में, मैं विभिन्न राज्यों से आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं जिसमें कि भारत सरकार ने सामयिक राहत प्रदान की है। परन्तु एक बात जो माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, वह यह है कि हम उन कुछेक योजनाओं को लागू करने से प्रसन्न नहीं हैं जिन्हें राज्य सरकारें आरम्भ करती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी राज्य ऐसा ही कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, बाढ़ की स्थिति के दौरान, मैंने स्वयं केरल में देखा है, ऐसी बात नहीं है कि वह राज्य मेरे दल के शासनाधीन हैं, बल्कि मैं वहां पर विपक्ष के लोगों से भी मिला और उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही समाचार सचिवालय पहुंचा तो मुख्य मंत्री महोदय और उनके सहकर्मी जो कि विधान सभा सत्र में व्यस्त थे, उन्होंने तुरंत विधान सभा को स्थगित किया और सभी विधायकों से निवेदन किया कि वे अपने चुनाव-क्षेत्रों में जाएं और अपने चुनाव क्षेत्रों के लोगों की सहायता करने का प्रयास करें।

और मुझे बताया गया है कि केरल में 1920 राहत केन्द्र खोले गये हैं। मैंने मुख्य मंत्री के साथ उनमें से लगभग आधा दर्जन केन्द्रों को देखा। मैं पीड़ित-जनों से मिला, परन्तु मैं उनसे बात न कर सका क्योंकि मैं उनकी भाषा नहीं जानता था। परन्तु मैं स्वयं यह अनुभव कर सका कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गये कदमों से वे बिल्कुल सन्तुष्ट थे और उन्हें राहत मिली थी और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि जानकारी लेने के लिए मेरे अपने आदमी भी साथ थे कि इस वर्तमान विपदा में उनके पास पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जिला अधिकारी जिन्होंने उन्हें सामयिक सहायता दी और लोग प्रसन्न थे कि उन्हें इस स्थिति में और अधिक विनाश से बचा लिया गया अन्यथा मृतकों की संख्या कहीं अधिक होती और खतरा कहीं अधिक होता परन्तु राज्य सरकार की सामयिक सहायता से ऐसा नहीं हो सका।

[श्री बूटा सिंह]

मुझे दुःख है कि बिहार, राजस्थान और मध्य-प्रदेश जैसे राज्यों के जो माननीय सदस्य बोले थे, उन्हें ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हमारे प्रधान मंत्री महोदय इस बारे में बहुत ही चिन्तित हैं और हम भारत सरकार की ओर से यह देखने हेतु कुछ निगरानी प्रणाली तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो धन गरीबी उन्मूलन और इस देश में दुःखद परिस्थितियों से निपटने के लिए होता है वह बिल्कुल उसी कार्य के लिए खर्च किया जाये, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है और उस मामले में निस्सन्देह हम बड़ी ही गम्भीरता से सोच रहे हैं और राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके एक ऐसा तरीका निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम किसी प्रकार की केन्द्रीय निगरानी प्रणाली तैयार कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय राहत देने के लिए, चाहे वह बाढ़ के लिए है अथवा सूखे के लिए, जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया है वे सभी आठवें वित्त, आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं उन्हीं सीमाओं के भीतर ही हम इस बात का भरसक प्रयास करते हैं कि राज्यों को आवश्यक सहायता तुरंत मिले।

अब, केरल से सभा में दोनों तरफ के लगभग सभी सदस्यों ने विस्तार से बताया है। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा, परन्तु 1980-81 से 1984-85 तक सूखा और बाढ़ के लिए आज तक केरल को दी गई केन्द्रीय राहत की राशि 85.52 करोड़ रुपये है।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखे से, निपटने के लिए 1980-81 से 1984-85 तक 119.69 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है, और मध्य प्रदेश ने अधिक सूखा राहत की मांग की है हमारे विशेषज्ञ और केन्द्रीय टीम द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और देखेंगे कि हम किस तरह से राज्य सरकार को अधिक-से-अधिक सहायता कर सकते हैं।

अब, एक माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश में पेय जल के बारे में उल्लेख किया था। मध्य प्रदेश में 1-4-1980 तक 24944 समस्याग्रस्त ग्राम थे और 1984 के अन्त तक ऐसे गांवों की संख्या घटकर 1099 रह गई है। यह संख्या है गांवों की जिन्हें अभी भी सहायता की जरूरत है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : क्या मैं एक सेकेण्ड के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं ? पहले, 1980-81 में या 1980 में, बहुत समय बड़ी संख्या में, पेय-जल की दृष्टि से, गांवों को कष्टग्रस्त गांव घोषित किया गया था। परन्तु आज बहुत सारे गांवों में जल-स्तर नीचे चला गया है और उन प्रभावित गांवों का न तो कोई सर्वेक्षण ही किया गया है और न ही कोई उपाय किया गया है। उनका सर्वेक्षण नहीं किया गया है, और भारत सरकार की कठिन प्रक्रिया तथा नियमों

के कारण, उन्हें समस्याग्रस्त गांव भी घोषित नहीं किया गया है। इसी कारण लगता है कि संख्या कम हो गई है परन्तु वास्तव में संख्या कम नहीं हुई है।

श्री बूटा सिंह : हम इस परिवर्तित स्थिति पर ध्यान देंगे और मैं इसकी फिर से जांच-पड़ताल कराने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय तक सूचना पहुँचा दूंगा।

उड़ीसा में सूखे से निपटने के लिए 8.95 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की थी। और राज्य सरकार से किसी और सहायता की माँग प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, हमें बाढ़ के बारे में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से, जैसी कि मेरी स्थिति है, मैं स्वयं इस कार्य को तब तक नहीं कर सकता जब तक कि राज्य सरकार स्वयं आगे न आए और यह सांविधिक प्रावधान है। श्री पनिका ने बताया है कि उत्तर प्रदेश ने पैरवी नहीं की इसलिए उनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ। ऐसी स्थितियों में, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे अपनी राज्य सरकारों के साथ बैठकर उन्हें यह बताने की कोशिश करें कि अगर वे आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर उस लिहाज से उनकी कमी महसूस की जायेगी तो न यह सभा और न ही कोई अन्य उनके लिए कुछ कर सकता है। खासतौर पर मैं यह संदेश इस सदन के माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं कि भगवान भी केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : चूंकि यह सहायता नहीं है, राज्य सरकारें योजना सहायता में मुश्किल के साथ गुजारा करने की कोशिश करती हैं। जब तक कि मजबूर न हो जायें और ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक वे केन्द्र के पास आने की कोशिश नहीं करते क्योंकि जो कुछ भी आप उन्हें देते हैं उसे भविष्य में योजना आवंटन के साथ समायोजित करना होता है।

मैं एक दूसरी बात कहने के लिए खड़ा हुआ था और वह यह है कि जहाँ तूफान ने कृषकों को प्रभावित किया है वहाँ छोटी अवधि के ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में बदल दिया जाये। केवल रिजर्व बैंक को इस बात के लिए सहमत कराना होगा।

श्री बूटा सिंह : मैं अभी भी अपने माननीय मित्र से यही कहूँगा कि वह इन सब सुझावों को राज्य सरकार द्वारा उठाने के लिए प्रेरित करें।

कर्नाटक में समस्याग्रस्त गांवों की संख्या 1 अप्रैल, 1980 को 15456 थी और अब तक 15443 गांवों को सम्पन्न कर दिया है और केवल 13 गांव बाकी बचे हैं। मेरे विचार में, इसे सत प्रतिशत पूरा कार्य करना कहा जा सकता है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कर्नाटक के किसी भी माननीय सदस्य ने इसके लिए सरकार को बधाई नहीं दी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री बूटा सिंह : यह विकास की समस्या है। आप पैदल चल रहे हों तो आप साईकिल की इच्छा करेंगे। अगर आपके पास साईकिल हो तो आप मोटर-साईकिल लेना चाहेंगे। तब उसके बाद कार की इच्छा करेंगे और हवाई जहाज तक पहुँच जायेंगे। मैं विचार करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि मैंने मध्य प्रदेश के सदस्य से वायदा किया है, अगर स्थिति बदल चुकी है, अगर जल-स्तर नीचे चला गया है और वहां पर और अधिक समस्याग्रस्त गांव हैं जिन्हें गिनते समय नहीं गिना गया था, तो हम फिर से यह करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक के माननीय सदस्य आंकड़े प्रस्तुत करें हम फिर से गिनती कराने के लिए तैयार है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और हमने इसे समाप्त नहीं किया है।

ग्रामाण क्षेत्रों में जल-पूर्ति को बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत 14.12 करोड़ रुपये की सहायता की पहली किस्त इस वर्ष कर्नाटक को दे दी गई है और इसके अलावा पीने के पानी के लिए उस राज्य की सभी ग्रामीण जनता को योजना के अन्तर्गत लाने के लिए हमारा भी अपना कार्यक्रम है।

बिहार के सम्बन्ध में, मुझे डर है कि यह प्रश्न दोबारा उठेगा क्योंकि केन्द्रीय सरकार ताल्लुकों, गांवों, तहसीलों तथा जनपदों में योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मैं फिर दोहराता हूं कि जिम्मेदारी नहीं ले सकती। राज्य सरकार की मशीनरी ही मशीनरी बनी रहेगी। जैसा कि मैंने अपनी शुरू की टिप्पणी में उल्लेख किया था, हम संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के माननीय संसद सदस्यों को सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० इत्यादि में सम्मिलित करने की सोच रहे हैं ताकि अगर और कुछ नहीं तो कम-से-कम भारत सरकार को इतनी खबर तो दे सकें कि इन योजनाओं पर कितनी गंभीरता से पालन हुआ है, उन पर ठीक से कितना कार्य हो रहा है, और अगर कहीं कोई गलती है तो हमारे ध्यान में लायें और हम निश्चित ही उन पर ध्यान देंगे······

(व्यवधान)

श्री जी० एस० बसवराजू : महोदय, जब तक संसद सदस्यों को ग्रामीण जनपदों की योजनाओं से सम्बद्ध नहीं किया जाता है तब तक वे किस प्रकार से कार्य कर सकेंगे ? कम-से-कम संसद सदस्यों को कर्नाटक की समितियों में एक सदस्य के रूप में लिया जाना चाहिए।

श्री बूटा सिंह : भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त ये हैं कि हमें डी० आर० डी० ए० (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी) में प्रतिनिधियों को शामिल करने के कोशिश करनी चाहिए। परन्तु अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में, हम एक शर्त लगाने की कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्यों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों······(व्यवधान)। आज से ही मैं अपने माननीय साथियों से इस ओर अधिक ध्यान देने की प्रार्थना करूंगा······(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद : कई संसद सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कर्नाटक में भी यही बात है। उन्हें योजनाओं को लागू करने से सम्बन्धित नहीं किया जाता है···(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : हम एक निर्देश भेजेंगे और हम यह आवश्यक बना देंगे कि माननीय सदस्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए······

(व्यवधान)

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : महोदय माननीय मंत्री ने अभी सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रों के बारे में कहा था। जिस बात का मैंने हवाला दिया था वह उत्तर बिहार की बाढ़ के बारे में था। यह कोई एक खास चुनाव क्षेत्र नहीं है परन्तु सम्पूर्ण उत्तर बिहार ही प्रत्येक वर्ष बाढ़ के विनाश का शिकार बनता है। अत: मैं जानना चाहूंगा कि हमें बाढ़ से बचाने के लिये क्या केन्द्र की कोई योजना है सम्पूर्ण उत्तर बिहार बाढ़ से कष्ट उठा रहा है।

श्री बूटा सिंह : जैसा मैंने उल्लेख किया था कि योजनाएं हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार बड़ी नदियों के लिए क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय सदस्य का राज्य भी इसमें सम्मिलित है। बिहार में, पुनपुन, रजवाहा तथा गंडक नदियाँ हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय योजनाएं हैं······(व्यवधान)

श्री राम रतन राम : कोसी के बारे में क्या है ? कोसी वास्तव में एक दु:ख देने वाली नदी है।

श्री बूटा सिंह : कोसी को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है, इसमें नेपाल के साथ सहयोग किया जायेगा।

श्री राम रतन राम : धन्यवाद, महोदय। बहुत अच्छा।

श्री बूटा सिंह : जहां तक बिहार को दी गई धनराशि का सम्बन्ध है, और मैं प्रो० सोज की जानकारी के लिए भी उल्लेख करना चाहूंगा—ठीक है कि गत समय में जो हुआ उसके लिए मैं नहीं कह सकता, परन्तु मैंने अपने मंत्रालय में कहा है—कि जैसे ही धनराशि मंजूर होती है, पहला कदम होना चाहिए, राज्य सरकार को तुरंत धन देना······(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : आपका बहुत शुक्रिया।

श्री बूटा सिंह : अत:, महोदय, 1984-85 वर्ष में बाढ़ राहत के अन्तर्गत बिहार का 58.95 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को 1985-86 में सूखे से, निपटने के लिए 51.78 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे, और छठी योजना के समूचे काल में

[श्री बूटा सिंह]

उत्तर प्रदेश ने 362.81 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश का कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है······(व्यवधान)

श्री राम रतन राम : बिहार के सम्बन्ध में 58·95 करोड़ रुपये का आंकड़ा वर्ष 1984-85 से संबंधित है। आपने केवल बाढ़ राहत का उल्लेख किया है, परन्तु सूखा राहत के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बूटा सिंह : 1983-84 में सूखा राहत के लिए 8·938 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी तथा 1980-81 से लेकर 1983-84 तक कुल धनराशि 58·81 करोड़ रुपये थी।

इसी प्रकार से, राजस्थान के सम्बन्ध में, जिससे सम्बन्धित होने का मुझे सोभाग्य प्राप्त है, राज्य सरकार से जो भी निवेदन प्राप्त हुआ उस पर शीघ्रता से ध्यान देकर निपटा दिया गया और अब मेरे पास कोई आवेदन बकाया नहीं है।

हमारी कठिनाई यह है कि हम राज्य सरकारों को धन देते हैं। इसी कारण मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। अब, भविष्य में, जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर सकता हूं कि इतनी राशि ऐसी योजना के लिए राज्य को दी गई और माननीय सदस्य यह देखें कि वह राशि जिन लोगों के लिए दी जाये वह उन लोगों तक पहुंच रही है।

इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के बारे में है।

मैंने केरल के बारे में उल्लेख किया है। मैं केरल के माननीय सदस्यों का वास्तव में बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रति बहुत उदारता प्रगट की है। फिर भी, मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे करना चाहिए।

श्री पी० एम० सईद : परन्तु आपने लक्षद्वीप का कभी दौरा नहीं किया।

श्री बूटा सिंह : मुझे खेद है कि लक्षद्वीप पर समुद्री कटाव मेरे केरल से चले जाने के कुछ घंटे बाद हुआ था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह प्रशासन से कोई ज्ञापन मांगें ताकि उस पर हम विचार कर सकें।

श्री बूटा सिंह : हां, जितनी जल्दी-से-जल्दी मौसम अनुमति देगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : आप अकेले नहीं जायेंगे, बैरागी को भी साथ ले जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : पंजाब के बारे में, सिर्फ कल ही मैंने अपना सर्वेक्षण पूरा किया है और मैं प्रो० सोज को भी बताना चाहता हूं कि यद्यपि मैंने हवाई-दौरा किया है फिर भी मैंने पहले ही अधिकारियों से कह दिया है कि वह किसी ऐसी जगह पर जहां मैं जा सकता हूं अपने प्रतिनिधियों को एकत्र करें ताकि मैं तीन जनपदों—कपूरथला, जालंधर तथा होशियारपुर—के लोगों से मिल सकूं जो पंजाब में भयंकर बाढ़ से प्रभावित है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : माफ कीजिए, महोदय, यह एक नई बात है और आपने एक नया वायदा किया है। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कभी भी किसी राज्य में किसी स्थान पर केन्द्रीय दल दौरा करेगा तो राज्य के सभी संसद सदस्यों को उनके दल का ख्याल न करके बुलाया जायेगा ?

श्री बूटा सिंह : उन्हें सूचित कर दिया जायेगा और वे दल से मिल सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपने यह भी कहा है कि आप हमें जिला स्तर पर भी सम्मिलित करेंगे। मैं नहीं समझता कि सिर्फ राज्यों को निर्देश भेजने से कोई काम हो जायेगा जब तक कि इस प्रकार का नियम तथा इस प्रकार के सुधार की बात को स्वयं योजना के अन्तर्गत ही सम्मिलित न कर लिया जाये। उदाहरण के तौर पर, कर्नाटक के किसी सदस्य ने कहा कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। अगर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया तो मुझे राज्य सरकार के व्यवहार पर आपत्ति है, परन्तु इस समय जहां तक हमारी राज्य सरकार का सम्बन्ध है वह मुझे कतई आमंत्रित नहीं कर रही है यद्यपि मैं जिला विकास बोर्ड का एक सदस्य हूं।

श्री बूटा सिंह : ठीक है, मैं माननीय सदस्यों के सुझावों पर गौर करूंगा। हम उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

अब, पंजाब की स्थिति यह है कि उस राज्य में वर्षा के मौसम में कुल वर्षा 600 मिली-मीटर होती है पर इस बारे 24 घंटों में राज्य में 525 मिलीमीटर वर्षा हो गई। इसका अर्थ यह है कि 24 घंटों में राज्य के अन्दर पूरे मानसून के बराबर वर्षा हो गई। अतः आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य के लोगों का क्या हाल होगा। दुर्भाग्य से लोग वहां पर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं तथा वे असहाय हो गये हैं। हजारों गांव तथा लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मुझे बताया गया है 5 लाख एकड़ की धान की फसल, जो हाल ही में बोई गई थी, 5 से 8 फुट गहरे पानी में खड़ी है। वहां भी जो कुछ हम तुरन्त कर सकते थे हमने किया है। मैंने राज्य सरकार से केन्द्रीय दल के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने वायदा किया है कि धान की बुवाई दोबारा से कराने की कोशिश करेगी क्योंकि हम पंजाब की उस पट्टी को छोड़ना नही चाहते जो चावल उत्पादन करने वाला मुख्य क्षेत्र है। मुझे अपने वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि कुछ किस्में ऐसी हैं जिन्हें देर से बोया जा सकता है और उससे उत्पादन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[श्री बूटा सिंह]

अत: केरल में भी, मैंने किसानों के सामने यह घोषणा की थी कि जो भी बीज, खाद या निवेश की मात्रा असल को फिर से बोने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी जायेगी, केन्द्रीय सरकार तुरंत ये चीजें केरल सरकार अथवा उत्तर-पश्चिमी राज्यों को जिनमें बाढ़ की वजह से हानि हुई हैं, और पंजाब में भी, या जहां कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तुरंत उपलब्ध कराने में नहीं हिच-किचायेगी। हम यह कोशिश करेंगे कि किसानों को अपनी फसल उगाने के लिए दी समुचित सहायता जाये और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित न हो।

अन्त में एक बार फिर मैं माननीय सभा को आश्वासन देना चाहता हूं······

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य नदियों को आपस में जोड़ने के सम्बन्ध में बोल चुके हैं।

श्री बूटा सिंह : यह एक प्रशंसा योग्य विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत देर से बात हो रही है। आपके विचार में इसमें कितना समय लगेगा ?

एक माननीय सदस्य : रिवालविंग फंड भी।

श्री बूटा सिंह : दोनों ही मामले—रिवालविंग फंड का विचार तथा उत्तरी भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने का भी—सराहनीय विचार है और मैं अपने सहयोगियों के साथ बैठ कर बात, करूंगा; मैं सम्बन्धित मंत्रालयों को यह संदेश पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि यह कार्य हो।

परन्तु, महोदय, मैं अपनी टिप्पणी को एक बार फिर यह कहकर समाप्त करता हूं : हमारा दिल उन तक पहुंचता है जो हमारे देश में दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं और हम प्रत्येक स्तर पर स्वयंसेवी एजेंसियों, राजनैतिक दलों तथा जन प्रतिनिधियों के स्तर पर—उन हमारे भाइयों तथा बहनों की समस्याओं पर, जो इन कठिन स्थितियों से गुजर रहे हैं, तुरंत ध्यान देने की कोशिश करते हैं।

परन्तु, महोदय, मुझे कुछ झिझक के साथ कहना पड़ता है कि देश में शुरूआत सूखे से हुई और बाढ़ से समाप्त हुई। मैंने यह चर्चा बाढ़ से शुरू की थी और अब यह सदन खाली है—लगभग सूखे की स्थिति पैदा हो गई है।

8.52 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 26 जुलाई, 1985/ 4 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, डी० 108, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053